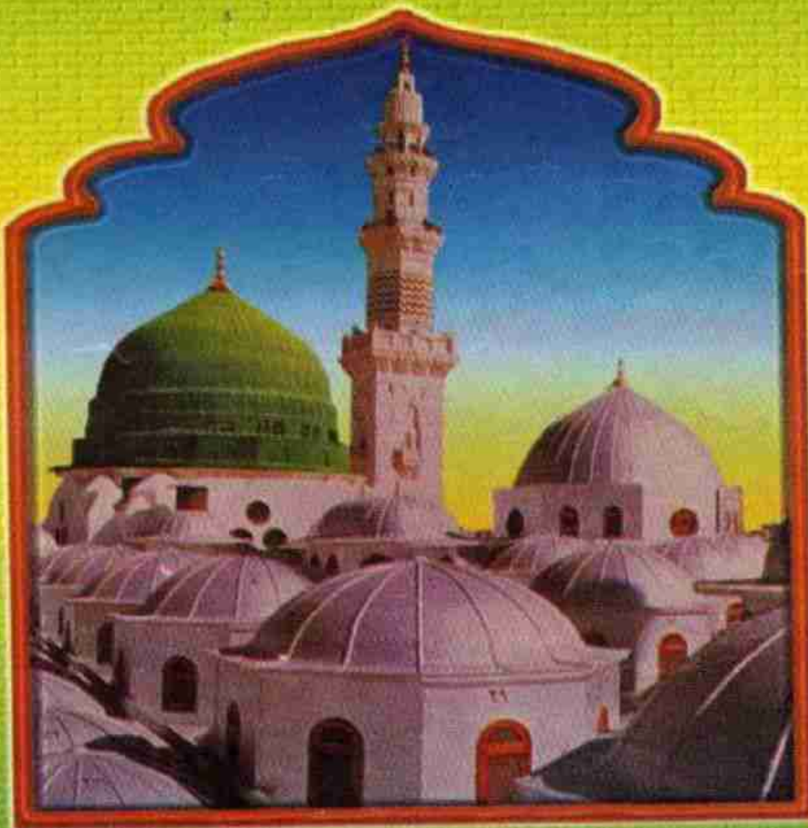
क़रीन-ए-ज़िन्दगी

मुहम्मद फारूक़ ख़ाँ अशरफी रज़वी



नाशिर
मकतबतुल हरम, नागपुर

FOURTH EDITION

चेतावनी (Warnnig)

इस किताब को छापने के तमाम हुकूक़ (अधिकार) मुसन्निफ़ के पास महफ़ूज़ (सुरक्षित) है लिहाज़ा कोई साहब इस किताब को छापने की कोशिश न करे वरना सख़्त क़ानूनी कारवाई की जाएगी ।

किताब :– **क़रीन–ए–ज़िन्दगी**

मुसन्निफ़ :– **मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ॉ अशरफ़ी रज़वी**

तक़रीज़ :– हज़रत अल्लामा मुफ़्ती **अब्दुल हलीम** साहब,

पेशकरदा :– **मुहम्मद इरशाद हुसैन क़ादरी**

नाशिर :– **मक्तबतुल हरम,** हकीमजी के बाड़े के पास, मालदारपूरा नागपूर– ✆ 773392 P.P.

कम्पोज़िंग :– **रज़ा कम्पयुटर,** मालदारपूरा नागपूर.

छपाई :– **रज़ा प्रिन्ट्रर्स,** जामा मस्जिद के सामने, मोमिन पुरा नागपूर – ✆ 726228

हदिया :– Rs

First Edition	:-	July -1997------------2000
Secound Edition	:-	November -1997--------3000
Third Edition	:-	Jun -1998 ------------1000
Fourth Edition	:-	April -1999------------3000

शर्फ़े इन्तिसाब

आशिके रसूल, फ़नाफ़िर रसूल, पासबाने सुन्नियत, ताजदारे अहलेसुन्नत, इमामे इश्क़ व मुहब्बत, बाला मन्ज़ेलत, अज़ीमुल बरकत, आक़ा-ए-नेमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आला हज़रत अश्शाह इमाम

अहमद रज़ा ख़ाँ फ़ाज़िले बरेलवी रदीअल्लाहो तआला अन्हो

के नाम

जिन की बारगाह में नज़्र करने को सआदत व निजात का ज़रिया और कामयाबी व कामरानी का वसीला तसव्वर करता हूँ।

सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग़ ।
अहमद रज़ा की शम्अ फ़िरोज़ा है आज भी ।

और

वालिदे मजाज़ी, आशिके ताजुलवरा, अलहाज

गुलाब ख़ाँ कमर अशरफ़ी साहब (रहमतुल्लाह अलैह)

के नाम

जिनकी तरबियत व शफ़क़त ने इस हक़ीर को शऊर बख़्शा और आला हज़रत की मुहब्बत से हम किनार फ़रमाया ।

ख़ुदा वन्दे करीम उनकी क़ब्र को अन्वार व तजल्लियात से मअमूर फ़रमाए ! आमीन !

नाचीज़, सगे रज़ा
महम्मद फारुक ख़ाँ अशरफ़ी रज़वी

بسم اللہ الرحمن الرحیم

मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क़ ही मचले
उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले ।

मज़ीद इज़ाफ़े के साथ

क़रीन-ए-ज़िन्दगी

इस्लामी रौशनी में मियाँ बीवी के ख़ास तअल्लुक़ात
बताने वाला मुख़्तसर मगर जामअ रिसाला

-: मुसन्निफ़ :-

मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ॉ अशरफ़ी रज़वी

-: पेशकरदा :-

मुहम्मद इरशाद हुसैन क़ादरी

-: नाशिर :-
मक्तबतुल हरम
हाकीमजी के बाड़े के पास, भालदारपुरा,
नागपूर-440 018

फ़ेहरिश्त

तक़रीज़ (Review)

मुफ़क्किरे इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती
अब्दुल हलीम अशरफ़ी रज़वी साहब किबला,
(सरप्रस्ते दावते इस्लामी, हिन्दुस्तान)

ज़रे नज़र किताब (क़रीन-ए-ज़िन्दगी) मिल्लत के उन अफ़राद (लोगों) के लिए बेहद फ़ायदेमन्द साबित होंगी जो अज़्दवाजी (शादीशुदा) ज़िन्दगी से जूड़े है । खुसूसन वोह नवजवान जो अपनी ला इल्मी और मज़हब से दूरी के सबब गै़र इन्सानी हरकतें कर के अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला और रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की नाराज़गी मोल लेते है ।

याद रखिये दुनिया का वोह वाहिद मज़हब, मज़हबे इस्लाम है जो ज़िन्दगी के हर मोड़ पर हमारी रहबरी करता हुआ नज़र आता है, पैदाइश से लेकर मौत तक, घर से लेकर बाज़ार तक, ईबादत से लेकर तिजारत तक, ख़िलवत (तन्हाई) से लेकर जलवत (भीड़भाड़) तक, ग़र्ज़ के किसी भी शोबे (क्षेत्र) के तअल्लुक़ से आप सवाल करे, इस्लाम हर एक का आप को इतमिनान बख़्श जवाब देता नज़र आएगा । हमारे मज़हब ने हमें कभी भी किसी मक़ाम पर तन्हा नहीं छोड़ा ।

हमारे नबी (सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम) आख़री नबी है अब क़ियामत तक कोई नबी नही आएगा । इसी आख़री नबी का लाया हुआ दीन व क़ानून भी आख़री क़ानून है क़ियामत तक कोई नया दीन व क़ानून नही आएगा । इसलिए मिल्लत के अफ़राद (लोगों) से अपील है के वोह दूसरों की नक़्ल करने से बचें, नक़्ल तो वोह करे जिस के पास अस्ल न हो !

हम तो वोह ख़ूश क़िस्मत उम्मत है जिस को क़ियामत तक के लिए दस्तूरे ज़िन्दगी और ज़ाबत-ए-हयात दें दिया गया है । ताके येह क़ौम क़ियामत तक किसी की मोहताज न रहें ।

अज़ीज़े मोहतरम *मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ अशरफ़ी रज़वी* सल्लामहु, ने ऐसे नेचरियत के माहोल में इस किताब के ज़रिये सही रहनुमाई की बहुत कामयाब कोशिश की हैं ।

अल्लाह तआला मुअल्लिफ़ (लेखक) को जज़ाऐ ख़ैर अता फ़रमाए, और इस किताब को हिदायत का ज़रीया बना दें । आमीन !

ना चीज़

अब्दुल हलीम

ख़तीब रज़ा मस्जिद,

बंगाली पंजा नागपूर ।

ज़रा इसे भी पढ़ीये

क़ुदरत ने हर नर (Male) के लिए मादा (Female) और हर मादा के लिए नर पैदा फ़रमा कर बहुत से जोड़ आलम में बनाए और हर एक के बदन की मशीन पर मुख़्तलीफ़ पुर्ज़ों को इस अन्दाज़ के साथ सजाया के वोह हर एक की फ़ितरत के मुताबिक़ एक दूसरे को फ़ायेदा पहुँचाने वाले और ज़रूरत को पूरा करने वाले है ।

अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त ने मर्द और औरत के अन्दर एक दूसरे के ज़रिये सुकून हासिल करने की ख़्वाहिश रखी है । चुनानचे मज़हबे इस्लाम ने इस ख़्वाहिश का एहतराम करते हुऐ हमें निकाह करने का तरीक़ा बताया ताकि इन्सान जाइज़ तरीक़ों से सुकून हासिल करें ।

इस ज़माने में अक्सर मर्द निकाह के बाद अपनी ला इल्मी और मज़हब से दूरी की वजह से तरह तरह की ग़लतियाँ करते है और नुक़सान उठाते है इन नुक़सानात से उसी वक्त बचा जा सकता है जब के इस के मुत्अ़ल्लिक़ सही इल्म हो । अफ़सोस इस ज़माने में लोग किसी आ़लिमे दीन से या फिर किसी जानकार शख़्स से मियाँ, बीवी के ख़ास तअ़ल्लुक़ात के मुत्अ़ल्लिक़ पूछने या मअ़लूमात हासिल करने से कतराते है । हालाँकि दीन की बातें और शरई मसाइल के मअ़लूम करने में कोई शर्म महसूस नही की जानी चाहिये थी ।

हमारा **रब** अज़्ज़ व जल्ला इरशाद फ़रमाता है----------

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

तर्जमा :- तो अए लोगों इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 17 सूराए "अम्बिया" आयत 7)

हमारे **आक़ा** सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है--

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ۔

"इल्मे (दीन) सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है" ।

(मिश्कात शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 68, कीमया-ए-सआदत, सफ़ा नं. 127)

अक्सर देखा येह गया हैं के लोग मियाँ, बीवी के दरमियान होने वाली ख़ास चीज़ों के बारे में पूछने में शर्म महसूस करते है और इसे बेहुदापन व बेशर्मी समझते है । यही वोह शर्म व झिझक है जो ग़लतियों का सबब बनती है और फिर सिवाए नुक़सान के कुछ हाथ नही आता ।

एक साहब मुझ से कहने लगे ! "क्या येह शर्म की बात नहीं ? के आप ने ऐसी किताब लिखी है जिस में सोहबत के बारे में साफ़ साफ़ खुले अन्दाज़ में बयान किया गया है । अगर मै येह किताब अपने घर पर रखूँ और वोह मेरी माँ, बहनों के हाथ लग जाए तो वोह मेरे मुतअ़ल्लिक़ क्या सोचेगे के मै ऐसी गन्दी किताब पढ़ता हूँ" । उनकी येह बात सुन कर मुझे उनकी कम अक्ली पर अफ़सोस हुआ । मै ने उनसे सवाल किया-क्या आपके घर टी-वी (T.V) है ? कहने लगे---"हाँ है" मै ने कहा ! मुझे आप बताईये "जब आप एक साथ एक ही कमरे में अपनी माँ, बहनों के साथ टी-वी पर फ़िल्में देखते है और उस मे वोह सब कुछ देखते है जो अपनी माँ बहनों के साथ तो क्या अकेले में भी देखना जाइज़ नही तो उस वक़्त आप को शर्म क्यों नहीं आती"!!

प्यारे भाईयों । शरई रौशनी में अदब के दाएरे में ऐसी बातों की मअ़लूमात हासिल करना और उसे बयान करना ज़रूरी है और इस में किसी क़िस्म की शर्म व बेहुदापन नहीं ।

देखो हमारा **परवरदीगार** अज़्ज़ व जल्ला क्या इरशाद फ़रमाता है-----------------

तर्जमा :- और अल्लाह हक़ फ़रमाने मे नहीं शर्माता ।	وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ ط

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 22, सूरए अहज़ाब, आयत 53)

हदीसों में है के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में औरतें तक अज़्दवाजी (शादी शुदा ज़िन्दगी मे) आने वाले

ख़ास मसाइल के बारे में हुज़ूर से सवाल पूछा करती थी ।

उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हा, इरशाद फ़रमाती है---------------------------------------

"अन्सारी (मदीने मुनव्वरह की रहने वाली) औरतें क्या खूब हैं के उन्हें दीन समझने में हया (शर्म) नहीं रोकती"। (यानी वोह दीनी बातें मअ़लूम करने में नहीं शर्माती)

نعم النّسآء نسآء الانصار لم یمعهن الحیآء ان یتفقهن فی الدین •

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 150, इब्ने माजा, जिल्द 1 सफ़ा 202)

मअ़लूम हुआ के दीन सीखने में किसी क़िस्म की कोई शर्म नहीं करनी चाहिये । अगर येह बातें (यानी मियाँ, बीवी के दरमियान होने वाली चीज़े) बेहुदा या गन्दी होती तो उसे हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम क्यों बयान फ़रमाते, और फिर सहाबा-ए-किराम, अइम्मा-ए-दीन, बुज़ुर्गाने दीन, लोगों तक इसे क्यों पहुँचाते, और इन बातों को अपनी किताबों में क्यों लिखते ! क्या कोई शर्म व हया में हमारे सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से ज़्यादा हो सकता है ! यक़ीनन नही । हमारा अक़ीदह है के सरकार ने बिला झिझक वोह तमाम चीज़ें साफ़ साफ़ बयान फ़रमा दी जिस के करनें में हमारे लिए ही फ़ायदे है । और हर उस चीज़ से मना फ़रमा दिया जिस के करने में हमारी ही ज़ात को नुक़सान है । *(अलहम्दुलिल्लाह)*

इस किताब को लिखने का ख़्याल उस वक़्त आया जब ना चीज़ के बहुत से दोस्तों व अहबाब (जिन में से अक्सर शादी शुदा है) उन्हों ने इसरार किया के इस ऊनवान (विषय) पर कोई इस्लामी रंग रूप में [illegible] किताब लिखी जाए ताकि मुसलमानों को सोहबत के आदाब और अज़्दवाजी (शादी शुदा) ज़िन्दगी में पेश आने वाले मामलात में शरई अहकाम (शरई हुक्म) मअ़लूम हो सके और वोह अपनी ज़िन्दगी को इस्लामी रंग ढ़ंग में ढ़ाल कर गुज़ारे ।

मेरी भी ख़्वाहिश थी के ऐसी किताब लिखूँ लेकिन अभी तक गै़र शादी शुदा होने की वजह से एक किस्म की झिझक भी थी, लेकिन दोस्तों की हिम्मत अफ़ज़ाई ने एक नया हौसला दिया जिस का नतीजा आप के सामने है ।

वैसे येह बात कभी इस हक़ीर सरापा तक्सीर के गोशा-ए-ज़हेन में न थी के मुझ जैसे ना क़ाबिले ज़िक्र, ज़इफुल इरादा शख़्स की येह अदना सी कोशिश जो "क़रीन-ए-ज़िन्दगी" की शक्ल व सूरत में आप के पेशे नज़र है इस दर्जे मक़बूले ख़ास व आम होंगी । येह यक़ीनन **ख़ुदा-ए-रब्बुल ईज़्ज़त** का फ़ज़्ल व करम और उसके प्यारे हबीब और हमारे आक़ा व मौला हुज़ूर सैय्यदे आलम अहमदे मुजतबा **मुहम्मद मुस्तफ़ा** सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की निगाहे ईनायत और मेरे आक़ा-ए-नेमत मुजद्दिदे आज़म सैय्यदी आला हज़रत इमामे **अहमद रज़ा खाँ** फ़ाज़िले बरेलवी रदीअल्लाहो मौला तआला अन्हो का फै़ज़ाने करम है के इस मुश्ते ख़ाक को येह सआदत व ईज़्ज़त मय्यस्सर आई ।

"क़रीन-ए-ज़िन्दगी" का पहला एड़ीशन जूलाई 1997 को "जश्ने ईद मीलादुन्नबी" के पुरनूर मौके़ पर मन्ज़रे आम पर आया, और आते ही इस क़द्र मक़बूल हुआ के इस की 2000 कापियाँ सिर्फ़ दो महीनों के अन्दर ही ख़त्म हो गई और दूसरे एड़ीशन की शदीद ज़रूरत महसूस की जाने लगी । चुनानचे इस का दूसरा एड़ीशन 3000 कापियों का नवम्बर 1997 को मन्ज़रे आम पर लाया गया, और येह एड़ीशन भी हाथों हाथ लिया गया, फिर इस का तीसरा एड़ीशन 1000 कापियों का जून 1998 मे मन्ज़रे आम पर आया जो सिर्फ़ चार महीनों में ही ख़त्म हो गया और मुसलसल माँग रही । चुनानचे अब येह चौथा एड़ीशन 3000 कापियों का मार्च 1999 में मज़ीद इज़ाफ़ों के साथ मन्ज़रे आम पर लाया जा रहा है जो इस वक़्त आप के हाथों में है ।

इस किताब को ओ़लमा व ख़्वास और अ़व्वामुन्नास ने बहुत पसंद किया । इस सिलसिले में सैकड़ों ओ़लाम-ए-अहले सुन्नत ने अपनी दुआओं व तक़ारीज़ से नवाज़ा और ख़ैर ख़्वाह हज़रात ने सैकड़ों ख़ुतूत के ज़रिये हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई ।

हमारे कुछ करम फ़रमा ओ़लमा-ए-अहले सुन्नत ने ख़ैरख़्वाही के भरपूर जज़्बे के साथ किताब में रह गई कुछ लफ़्ज़ी ग़लतियों की तरफ़ तवज्जह दिलाई जिन की तवज्जह दिलाने पर उन ग़लतीयों को इस एडीशन में दूर कर दिया गया है । इस सिलसिले में बिलखुसूस मफ़क्किरे इस्लाम हज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती अब्दुल हलीम अशरफ़ी रज़वी साहब क़िबला, उस्तादुल ओ़लमा हज़रत अ़ल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद मन्सूर रज़वी साहब क़िबला, नक़ीबे अहले हज़रत मौलना अब्दुल सलाम रज़वी साहब क़िबला, फ़ाज़िले गिरामी हज़रत मौलाना फ़ख़रूद्दीन अहमद क़ादरी मिसबाही साहब क़िबला, ख़तीबे ज़ीशाँ हज़रत मौलाना मुफ़्ती नाज़िर अशरफ़ रज़वी साहब क़िबला, मुक़र्रिरे शोला बयाँ हज़रत मौलानाअब्दुल रशीद जबलपूरी साहब क़िबला, व दीगर ओ़लमा-ए-अहले सुन्नत का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ के इन हज़रात ने हर तरह से वक़्तन फ़वक़्तन रहनुमाई से नवाज़ा ।

दूसरी तरफ़ कुछ हासिदों ने भी अपनी हसद का ख़ूब बढ़ चढ़ कर मुज़ाहेरह किया और अपनी कजफ़हमी या फिर हसद की ला इलाज पुरानी बीमारी की वजह से बे बुनियाद एतराज़ात किये, लेकिन उनके हसद करने से भला क्या होता------

हासिद तो अपनी आग में ख़ुद जल कर रह गया ।
हम है के फ़ज़्ले ख़ुदा से और सॅवर गए ।।

लिहाज़ा इस एड़ीशन में मज़ीद हवाले और दलीलें बढ़ा दी गई है ताकि अज़ीज़ों के लिए ख़ुशी का सामान हो और हासिदों को मुँह तोड़ जवाब मिले ।

बावजूद हासिदों के किताब की मक़बूलियत बड़ती ही गई, यहाँ तक के "क़रीन-ए-ज़िन्दगी" को हमारे इस्लामी भाई मुहतरमुल मुक़ाम जनाबा मुहम्मद रफ़ीक़ क़ादरी साहब क़िबला (अहमदआबाद) ने गुजराती ज़बान में तर्जमा कर के अहमदआबाद की सर ज़मीन पर होने वाले "दावते इस्लामी" के सालाना आलमी 1998, के इज्तिमा में शाए फ़रमाया, जिसे हज़ारों की तअदाद में लोगों ने हाथों हाथ लिया । और इन्शाअल्लाह अब अनक़रीब उर्दू ज़बान में भी येह किताब मन्ज़रे आम पर होंगी जिस का काम इस वक़्त जारी है ।

आख़िर में एक अहेम बात और अर्ज़ करना चाहुँगा वोह येह के इस किताब में जिस क़द्र भी बातें नक़्ल की गई है वोह सब ओलमा-ए-अहलेसुन्नत की किताबों से ली गई है इस सिलसिले में नाचीज़ का कोई ज़ाती तजुर्बा (Experiance) नहीं है ।

अल्लाह तआला हमें समझने और सीखने सीखाने व उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए । आमीन ।

तालिबे दुआ सगे रज़ा

मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ अशरफ़ी रज़वी

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला.

आयत :- अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फ़रमाता है----------

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

तर्जमा :- तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खूश आए ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान पारा 4, सूरए निसा, आयत 3)

हदीस :- नूरे मुजस्सम, रसूले खुदा, हबीबे कीबरीया, नबी-ए-रहमत, शाफ़ा-ए-महशर, फ़ख़रे दो आलम, फ़ख़रे बनी-ए-आदम, मालिके दो जहाँ, ख़ातमुल अम्बिया, ताजदारे मदीना राहते कलबो सीना, जनाबे अहमदे मुजतबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

النكاح من سنتي

"निकाह मेरी सुन्नत है" ।

(इब्ने माजा, जिल्द 1, हदीस नं. 1913, सफ़ा नं. 518)

हदीस :- और इरशाद फ़रमाते है हमारे प्यारे मदनी आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम-----------------------------

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فى النصف الباقى ۔

"बन्दे ने जब निकाह कर लिया तो आधा दीन मुकम्मल हो जाता है, अब बाकी आधे के लिए अल्लाह तआला से डरे" ।

(मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2962, सफ़ा नं. 72)

हदीस :- हज़रत सहल बिन सआद रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है के नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------

تزوج ولو بخاتم من حديد ۔

"निकाह करो चाहे (महेर देने के लिए) एक लोहे की अंगूठी ही हो" ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, हदीस नं. 136, सफ़ा नं. 80)

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----

"अए ! जवानों जो तुम में से औरतों के हुकूक़ (हकों को) अदा करने की ताक़त रखता है तो वोह ज़रूर निकाह करें क्योंकि येह निगाह को झुकाता और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करता है और जो इस की ताक़त न रखे तो वोह रोज़ा रखे क्योंकि येह शहवत (वासना sex) को कम करता है"।

يا معشر الشّباب من استطاع فليتزوّج فانّه اعضّ للبصر و احصن للفرج ومن لّم يستطع فعليه بالصّوم فانّه له وجاء ۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा नं. 52, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा नं. 553)

मस्अला :- शहवत का ग़ल्बा (जवानी का जोश) ज़्यादा है और डर है के निकाह नही करेगा तो ज़िना (बलत्कार) हो जाऐगा और बीवी का महेर व ख़र्चा वग़ैरा दे सकता है तो निकाह करना वाजिब है ।

मस्अला :- येह यक़ीन है के निकाह न करेगा तो ज़िना हो जाऐगा तो उस हालत में निकाह करना फ़र्ज़ है ।

मस्अला :- डर है के अगर निकाह किया तो बाद में बीवी का महेर ख़र्चा वग़ैरा नहीं दे सकेगा तो ऐसी हालत में निकाह करना मकरूह है ।

मस्अला :- यक़ीन है के महेर व ख़र्चा वग़ैरा दें ही नही सकेगा तो ऐसी हालत में निकाह करना हराम है ।

(बहारे शरीअत, जिल्द 1 हिस्सा 7 सफ़ा 6, क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा 44)

किन लोगों से निकाह जाइज़ नहीं !!

दुनिया में इन्सान के वजूद को बाक़ी रखने के लिए क़ानूने खुदा के मुताबिक़ दो ग़ैर जिन्स (Different sex, मर्द और औरत) का आपस में मिलना ज़रूरी है । लेकिन उसी खुदा के क़ानून के मुताबिक़ कुछ ऐसे भी इन्सान होते है जिन का जिन्सी तौर पर आपस में मिलना क़ानूने खुदा के ख़िलाफ़ है ।

आयत :- चुनानचे हमारा और सब का खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है-----------------------------

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ-- --الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ----

तर्जमा :- हराम हुई तुम पर तुम्हारी माँऐं और बेटियाँ और बहनें और फूफीयाँ और ख़ालाऐं और भतीजियाँ और भानजियाँ और तुम्हारी माँऐं जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और औरतों की माँऐं------

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 4, सूरए निसा, आयत 23)

क़ुरआने करीम की इस आयत से मअ़लूम हुआ के माँ, बेटी, बहन, फूफी, ख़ाला, भतीजी, भानजी, दादी, नानी, पोती, नवासी, सगी सास वग़ैरा से निकाह हराम है ।

मस्अला :- माँ, सगी हो या सौतेली, बेटी सगी हो या सौतेली, बहन सगी हो या सौतेली, इन सब से निकाह हराम है । इसी तरह दादी, परदादी, नानी, परनानी, पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, बीच में चाहें कितनी ही पुश्तों (पिढ़ियों) का फ़ासला हो, इन सब से निकाह हराम है ।

मस्अला :-फूफी, फूफी की फूफी, ख़ाला, ख़ाला की ख़ाला,

भतीजी, भानजी, भतीजी की लड़की उसकी नवासी,पोती, इसी तरह भानजी की लड़की, उसकी पोती,नवसी, इन सब से भी निकाह हराम है ।

मस्अला :–ज़िना से पैदा हुई बेटी, उस की बेटी, उस की नवासी, पोती, इन से भी निकाह हराम है ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1 हिस्सा नं. 7 सफ़ा 14, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 2 सफ़ा नं 47)

हदीस :– हज़रत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान व हज़रत मौला अ़ली रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है के सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------

"रज़ाअ़त (दूध के रिश्तों) से भी वही रिश्तें हराम हो जाते है, जो विलादत से हराम हो जाते हैं"।	الرّضاعته تحرّم الولادة •

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा 62, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 587)

यानी किसी औरत का दूध बचपने के आ़लम में पिया तो उस औरत से माँ, का रिश्ता हो जाता है । अब उस की बेटी, बहन है, उस से निकाह हराम है, यानी जिस तरह सगी माँ के जिन रिश्तेदारों से निकाह हराम है उसी तरह उस दूध पिलाने वाली औरत के रिश्तेदारों से भी निकाह हराम है ।

मस्अला :–निकाह हराम होने के लिए ढ़ाई बरस का ज़माना है । कोई औरत किसी बच्चे को ढ़ाई बारस की उमर के अन्दर अगर दूध पिलाएगी तो निकाह हराम होना साबित हो जाएगा । और अगर ढ़ाई बारस की उमर के बाद पिया तो निकाह हराम नहीं । अगरचे बच्चे को ढ़ाइ बरस के बाद पिलाना हराम है ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1 हिस्सा नं. 7 सफ़ा 19, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 2 सफ़ा 50)

हदीस :– हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------

"कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ उसकी भतीजी, या भानजी से निकाह न करे"।

لا يجمع بين المراة و عمتها ولابين المراة وخالتها

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, हदीस नं. 98, सफ़ा नं. 66)

औरत (बीबी) की बहन, चाहे सगी हो या रज़ाई, (यानी दूध के रिश्ते से बहन हो) या बीवी की ख़ाला, फूफी चाहे रज़ाइ फूफी या ख़ाला हो इन सब से निकाह करना हराम है ।

अगर बीवी को तलाक़ दे दी तो जब तक इद्दत न गुज़रे उस की बहन, फूफी या ख़ाला से निकाह नही कर सकता ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा 48)

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से इमाम बुख़ारी रदीअल्लाहो अन्हो ने रिवायत किया--------

"चार से ज़्यादा बीवीयाँ इसी तरह हराम हैं जैसे आदमी की बेटी और बहन"।

مازاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته------

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 54, सफ़ा नं. 64)

काफ़िर मुश्रिक से निकाह :-

आयत :- अल्लाह रब्बुलइज़्ज़तु इरशाद फ़रमाता है-----------

तर्जमा :- और मुश्रिकों के निकाह मे न दो जब तक वोह ईमान न लाएँ ।

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान पारा 2 सूरए बकर, आयत 221)

मसअला :- मुसलमान औरत का निकाह मुसलमान मर्द के सिवा किसी भी मज़हब वाले से नहीं हो सकता ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 39)

आयत :- अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है-----------

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ط

तर्जमा :- और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जाऐं ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 2, सूरए बकर, आयत 221)

मस्अला :-मुसलमान का आग की पूजा करने वाली, बुत (मुर्ती) पूजने वाली, सूरज की पूजा करने वाली, सितारों को पूजने वाली इन में से किसी भी औरत से निकाह नही होंगा ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1 हिस्सा नं. 7 सफ़ा 17)

आज के इस दौर में अक्सर हमारे मुस्लिम नवजवान काफ़िर, मुश्रिक (मुर्ती पूजने वाली हिन्दू) औरतों से निकाह करते है । और निकाह के बाद उन्हें मुसलमान बनाते हैं येह बहुत ग़लत तरीक़ा है और शरीअ़त में हराम है । अव्वल तो निकाह ही नहीं होता क्योंकि निकाह के वक़्त तक तो लड़की काफ़िर मज़हब पर थी लिहाज़ा उसे पहले मुसलमान किया जाऐ फिर निकाह किया जाऐं ।

याद रखिये काफ़िर, मुश्रिक औरत से मुसलामान कर के निकाह करना जाइज़ ज़रूर है लेकिन येह कोई फ़र्ज़ या वाजिब नही बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इसे पसंद भी नही फ़रमाया इस की बहुत सारी वजूहात ओ़लमा-ए-किराम ने बयान फ़रमाई है जिस में से चन्द येह है----

(1) जिस औरत से आप ने शादी की वोह तो मुसलमान हो गई लेकिन उस के सारे मैके वाले काफ़िर ही है और अब चुँकि वोह आप की औरत के रिश्तेदार है इसलिए वोह उनसे तअ़ल्लुक़ रखती है ।

(2) औरत के नव मुस्लिम होने की वजह से औलादों की तरबीयत ख़ालिस इस्लामी ढंग से नहीं हो पाती है ।

(3) अगर मुसलमान मर्द काफ़िर औरतों से निकाह करेंगे तो मुस्लिम औरतें को ज़्यादा दिनों तक कुँवारा रहना पड़ेगा और मुसलमानों में मर्दों का क़िल्लत होंगी जब के औरतें ज़्यादा होंगी ।

(4) दीने इस्लाम में मुश्रिकाना रस्मों का रिवाज पड़ेगा ।

इस तरह की कई बातें है जिन्हें यहाँ बयान करना मुम्किन नहीं–बेहतर है के काफ़िर व मुश्रिक औरत से निकाह न करे इस से दीन व दुनिया का बड़ा नुक़सान है इसी लिए अल्लाह तआ़ला ने जहाँ मुश्रिक औरतों से मुसलमान कर के निकाह की इजाज़त दी वही मोमिन लवँड़ी (गुलाम लड़की) से निकाह को ज़्यादा बेहतर बताया । ब निस्बत इस के कि मुश्रिक व काफ़िर औरत से निकाह किया जाए ।

मस्अला :–जिस में मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जाए और येह साबित न हो के मर्द है या औरत उस से न मर्द का निकाह हो सकता है न औरत का, अगर किया गया बातिल (झूटा) है ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द. 1 हिस्सा नं. 7 सफ़ा 6)

क्या वहाबियों से निकाह करें ?

वहाबियों से निकाह करने के मुतअ़ल्लिक़ इमामे इश्को मुहब्बत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अ़ज़ीमुल बरकत आ़ला हज़रत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो अपनी "मलफ़ूज़ात" में इरशाद फ़रमाते है----

इरशाद :– सुन्नी मर्द या औरत का, शिया, वहाबी, देवबन्दी, नेचरी, क़ादयानी, जितने भी दीन से फीरे हुए लोग है उनकी औरत या मर्द से निकाह नहीं होंगा । अगर निकाह किया तो निकाह न हो कर सिर्फ़ ज़िना होंगा । और औलाद जाइज़ न हो कर ना जाइज़ व हरामी कहलाऐगी फ़तावा-ए-आ़लमगीर में है----- لايجوز نكاح المرتد مع مسلمة ولا كافرة اصلية ولا مرتدة و كذالايجوز نكاح المرتدة مع احد۔

(अलमलफ़ूज़ जिल्द 2, सफ़ा नं. 105)

अक्सर हमारे कुछ कम अक्ल, न समझ सुन्नी मुसलमान जिन्हें दीन की मअ़लूमात व ईमान की अहमियत मअ़लूम नहीं होती वोह वहाबियों से आपस में रिश्ते जोड़ते है । कुछ बदनसीब सब कुछ जानने के बावजूद वहाबियों से आपस में रिश्ते करते है ।

कुछ सुन्नी हज़रात ख़्याल करते है के वहाबी अक़ीदे की लड़की अपने घर ब्याह कर ला लों फिर वोह हमारे माहोल में रह कर ख़ूद ब ख़ूद सुन्नी हो जाएगी । अव्वल तो येह निकाह ही नहीं होता क्योंकि जिस वक्त निकाह हुआ उस वक्त लड़का सुन्नी और लड़की वहाबी अक़ीदे पर क़ायम थी, लिहाज़ा सिरे से ही येह निकाह ही नहीं हुआ ।

सैकडों जगह तो येह देखा गया के किसी सुन्नी ने वहाबी घराने में येह सोच कर रिश्ता किया के हम समझा बूझा कर अपने माहोल में रख कर उन्हें वहाबी से सुन्नी बना देंगे लेकीन वोह समझा कर सुन्नी बना पाते इस से पहले ही उन वहाबी रिश्तेदारों ने इन्हें ही कुछ ज़्यादा समझा दिया और अपना हम ख़्याल बना कर सुन्नी से वहाबी बना डाला (अल्लाह की पनाह) सारी होशयारी धरी की धरी रह गई और दीन व दुनिया दोनों ही बरबाद हो गये ।

येह बात हमेशा याद रखिये एक ऐसे शख़्स को समझाया जा सकता है जो वहाबियों के बारे में हक़ीक़त से वाक़िफ़ नहीं लकिन ऐसे शख़्स को समझा पाना मुम्किन नहीं जो सब कुछ जानता और समझता है ओलमा-ए-देवबन्द (वहाबियों) की हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम, अम्बिया-ए-किराम, बुज़ुर्गाने दीन, की शाने-अक़दस में गुस्ताख़ियों को समझता है उन की किताबों में येह सब गुस्ताख़ाना बातों को पढ़ता है लेकिन इन सब के बावजूद येह ही कहता है के येह (वहाबी) तो बड़े अच्छे लोग है, इन्हें बुरा नही कहना चाहिये। ऐसे लोगों को समझा पाना हमारे बस में नहीं ।

आयत :- अल्लाह तआ़ला--ऐसे लोगों के मुतअ़ल्लिक इरशाद फ़रमाता है-----------------------------------

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

तर्जमा :- अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी और उन की आँखों पर घटा टूप है और उन के लिए बड़ा अज़ाब ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 1 "सूरए बकर" आयत 7)

लिहाज़ा ज़रूरी व अहम फ़र्ज़ है के ऐसे लोगों से जिन के दिलों पर अल्लाह ने मोहर (छाप, Seal) लगा दी हो उनसे रिश्ते न क़ायम करें । वरना शादी, शादी न होकर ज़िना रह जाएगी ।

अलहमदुलिल्लाह ! आज दुनिया में सुन्नी लड़कों और लड़कियों की कोई कमी नही । और इन्शाअल्लाह तआ़ला अहलेसुन्नत व जमाअ़त के मानने वाले कियामत तक बड़ी तअ़दाद में शान व शौकत के साथ क़ायम रहेंगे ।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है के सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने गैब की ख़बर देते हुए इरशाद फ़रमाया--------------------

وانّ بنی اسرآئیل تفرّقت علی ثنتین وسبعین ملّة کلّهم فی النّار الا ملّة واحدة قالوا من هی یا رسول الله ، قال ما انا علیه و اصحابی

"बेशक कौमे बनी इसराईल (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम) बहत्तर (72) फ़िरकों में बट गई और मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िरकों में बट जाएग़ी, सब के सब जहन्नमी होंगे सिर्फ़ एक फ़िरक़ा जन्नती होगा । साहाब-ए-किराम ने अर्ज़ किया--या रसूलल्लाह ! वोह जन्नती फ़िरक़ा कौन सा होंगा सरकार सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया "जो मेरे और मेरे सहाबा

के तरीके पर चलेगा" ।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, सफ़ा नं. 89)

अलहमदुलिल्लाह ! बेशक वोह जन्नती फ़िरक़ा अहले सुन्नत व जमाअ़त के सिवा कोई नहीं ! क्योंकि हम सुन्नी अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त व हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम के मरतबे व अ़ज़मत के और बुज़ुर्गाने दीन की शान व इ़ज़्ज़त के काएल है ।

हम सुन्नीयों का अ़क़ीदह है के येह तमाम फ़िरक़े जैसे-- शिया, बहाबी, तबलीग़ी, देव बन्दी, मौदूदी, क़ादयानी, नेचरी, चकड़ालवी, सब के सब गुमराह, बददीन, काफ़िर और दीन से फिरे हुए मुनाफ़िक़ है

आज ज़्यादा तर लोग सुन्नी, वहाबी के इस इख़्तिलाफ़ को चन्द मौलवियों का झगड़ा समझते है या फिर फ़ातिहा, उर्स, नियाज़, का झगड़ा समझते है । येह उनकी बहुत बड़ी ग़लत फ़हमी है ।

खुदा की क़सम, सुन्नियों का वहाबियों से सिर्फ़ इन बातों पर इख़्तिलाफ़ नही है । बल्कि हम अहले सुन्नत का वहाबियों से सिर्फ़ इस बात पर सब से बड़ा बुन्यादी इख़्तिलाफ़ है के इन वहाबियों के ओ़लमा व पेशवाओं ने अपनी किताबों में अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त व हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम और अम्बिया-ए-किराम, सहाबा-ए-किराम, व बुज़ुर्गाने दीन की शाने अक़दस में गुस्ताख़ियाँ लिखी और उन की अ़ज़मत व शान से खेला उन्हें बिदअ़ती काफ़िर व बेदीन बताया । (मआ़ज़ल्लाह) और मौजूदा वहाबी ऐसे ही जाहिल ओ़लमा को अपना बुज़ुर्ग व पेशवा मानते है और उन्हीं की तअ़लीमात को दुनिया भर में फैलाते फिरते है ।

आयत :- हमारा रब तआ़ला इरशाद फ़रमाता है----------

तर्जमा :- जिस दिन हम हर जमाअ़त को उसके इमाम के साथ बुलाएगें	يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ ۚ

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 15, सूरए बनी इसराईल, आयत 71)

अब हम आप के सामने इन लोगों के अक़ाएद (Faiths) उन्हीं की किताबों से पेश करते है जिसे पढ़ कर आप खुद ही फ़ैसला

कीजिये के क्या ऐसी बातें कहने वाले येह लोग मुस्लमान कहलाने के लायक़ है या नहीं ! फ़ैसला अब आप के हाथ है ।

क्या येह मुसलमान हैं ??

वहाबी जमाअत का बहुत बड़ा आलिम "मौलावी इस्माईल दहलवी" अपनी किताब (तक्वियतुल ईमान) में लिखता है-----------

(1) जो कोई नियाज़ करे, किसी बुज़ुर्ग को (अल्लाह की बारगाह में) शिफ़ारिश करने वाला समझे तो वोह और "अबूजहल" शिर्क में बराबर है ।

(तक्वियतुल ईमान, सफ़ा नं. 20)

(2) हर मख़लूक (जैसे अम्बिया, फ़रिश्ते, औलिया, ओलमा, आम मुसलमान बन्दे सब के सब) अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज़्यादा ज़लील है ।

(तक्वियतुल ईमान, सफ़ा नं. 30)

(3) अल्लाह की मक्कारी, धोके, से डरना चाहिये के अल्लाह बन्दों से मक्कारी भी करता है ।

(तक्वियतुल ईमान, सफ़ा नं. 76)

(4) तमाम नबी और खुद हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम, अल्लाह के बे बस बन्दे है और हमारे बड़े भाई है ।

(तक्वियतुल ईमान, सफ़ा नं. 99)

(5) हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम मर कर मिट्टी में मिल गए ।

(तक्वियतुल ईमान, सफ़ा नं. 100, प्रकाशक :- अल दारूस्सलाफ़िया, मुम्बई)

यही मौलावी इस्माईल अपनी एक दूसरी किताब "सिराते मुस्तक़ीम" में लिखता है-------------------------------

(1) नमाज़ में हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम का

ख़्याल लाना अपने गधे और बैल के ख़्याल में डूब जाने से ज़्यादा बदतर है ।

(सिराते मुस्तक़ीम, सफ़ा नं. 118, प्रकाशक :- इदाराहे अलरशीद, देवबन्द ज़िला. सहारनपूर)

वहाबियों के एक दूसरे आ़लिम जिन्हें वहाबी हज़रात हुज्जतुल इस्लाम कहते नहीं थकते जनाब "मौलवी क़ासिम नानूतवी" है जो मदरसा-ए-देवबन्द के बानी (Founder) थे । अपनी एक किताब "तहज़ीरून्नास" में लिखते हैं-------------------------------

(1) हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाऐ तो भी हुज़ूर की ख़ातमियत (हुज़ूर के आख़री नबी होने) पर कोई फ़र्क़ नहीं आऐगा ।

(तहज़ीरून्नास, सफ़ा नं. 14)

(2) उम्मती अ़मल (जैसे नमाज़, रोज़ा, हज नफ़िल ईबादतों वग़ैरा) में नबीयों से बड़ जाते है ।

(तहज़ीरून्नास, सफ़ा नं. 5, प्रकाशक :- मकतबा-ए-फ़ैज़, जामा मस्जिद, देव बन्द, यू.पी)

वहाबियों के नक्ली मुजद्दिद मौलवी "रशीद अहमद गंगोही" अपनी किताब में अपना ख़बीस अक़ीदह बयान करते हुए लिखते है---

(1) जो सहाबा-ए-किराम को काफ़िर कहे वोह सुन्नत जमाअ़त से ख़ारिज नहीं होगा । (यानी सहाबा को काफ़िर कहने वाला मुसलमान ही रहेगा)

(फ़तावा-ए-रशीदया जिल्द 2 सफ़ा 11,)

(2) मोहर्रम में इमामे हुसैन रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो की शहादत का बयान करना, शरबत पिलाना, ऐसे कामों में चन्दा देना, येह सब हराम है ।

(फ़तावा-ए-रशीदया, जिल्द 2 सफ़ा नं. 114, प्रकाशक: मकतबा-ए-थानवी, देवबन्द, यूपी.)

इन्हीं रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द और वहाबियों के बड़े इमाम "मौलवी ख़लील अहमद अम्बेठी" ने अपने उस्ताद

"गंगोही" की इजाज़त और देख रेख में "बराहिनुल क़ातिअ़" नामी एक किताब लिखी आईये देखिये उस में उन्होंने क्या गुल खिलाया है ।

(1) हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम से ज़्यादा इल्म शैतान को है, शैतान को ज़्यादा इल्म होना क़ुरआन से साबित है जब के हुज़ूर का इल्म क़ुरआन से साबित नहीं जो शैतान से ज़्यादा इल्म हुज़ूर का बताए वोह मुश्रिक (बुतों को पूजने वाला काफ़िर) है । *(बराहीनुल क़ातिअ़, सफ़ा नं. 55)*

(2) अल्लाह तआ़ला झूट बोलता है । (यानी अल्लाह झूटा है) *(बराहीनुल क़ातिअ़, सफ़ा नं. 273)*

(3) हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम का मीलाद (जन्मदिन, ईदे मीलादुन्नबी) मनाना कन्हैया (हिन्दुओं के देव कृष्ण) के जन्मदिन मनाने की तरह है, बल्कि उस से भी ज़्यादा बदत्तर है । *(बराहीनुल क़ातिअ़, सफ़ा नं. 152)*

(4) हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने उर्दू ज़बान मदरसा-ए-देवबन्द में ओ़लमा-ए-देवबन्द से सिखी । (यानी ओ़लमा-ए-देवबन्द हुज़ूर के उस्ताद है) *(बराहीनुल क़ातिअ़, सफ़ा नं. 30)*

(5) हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं । *(बराहीनुल क़ातिअ़, सफ़ा नं. 55, प्रकाशक :- "कुतुब ख़ाना इम्दादिया" देव बन्द यू.पी)*

येह है "मौलवी अशरफ़ अ़ली थानवी" जो के वहाबियों के हकीमुल उम्मत है और वहाबियों के नज़दीक इन के पैर धो कर पीने से निजात मिलती है । येह साहब अपनी किताब में लिखते है-----

(1) नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम को जो इल्मे ग़ैब है इसमें हुज़ूर का क्या कमाल ऐसा तो इल्मे ग़ैब हर किसीको, हर बच्चे, व पागलों बल्कि तमाम जानवरों को भी हासिल है *(हिफ़ज़ुल ईमान, सफ़ा नं. 8, प्रकाशक :- दारूल किताब देवबन्द, यू.पी)*

(2) इन्हीं थानवी साहब की एक किताब "रिसाला-ए-अलइम्दाद" में है के---इन के एक मुरीद ने कलमा पढ़ा "ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ़ अ़ली रसूलुल्लाह" (मआ़ज़ल्लाह) और अपने पीर अशरफ़ अ़ली थानवी से सवाल पूछा के "मेरा इस तरह येह कलमा पढ़ना कैसा है" ? इस के जवाब में थानवी साहब ने कहा---"तुम्हारा ऐसा कहना जाइज़ है तुम इस के लिए परेशान न हो तुम अगर इस तरह का कलमा पढ़ रहे हो तो सिर्फ़ इस वजह से के तुम्हें मुझ से मुहब्बत है लिहाज़ा तुम्हारा ऐसा कलमा पढ़ने में कोई हर्ज नही ।

(रिसाल-ए-अलइमदाद, सफ़ा नं. 45)

थानवी साहब के फ़तवों की एक किताब "बहेशती ज़ेवर" में है--

(3) हाथ में कोई नजिस (ना पाक) चीज़ (जैसे पेशाब, आदमी या जानवर का पाख़ाना वग़ैरा) लग जाए तो किसी ने ज़बान से तीन मरतबा चाट लिया तो पाक हो जाएगा ।

(बहेशती ज़ेवर, जिल्द 2 सफ़ा नं. 18)

येह है जनाब "मौलवी इल्यास कानदहलवी" जो तबलीग़ी जमाअ़त के बानी (FOUNDER) हैं इन का कहना है के---------

(1) अल्लाह तआ़ला अगर किसी से काम लेना नही चाहते तो चाहे तमाम नबी भी कितनी कोशिश कर ले तब भी ज़र्रा नहीं हिला सकते और अगर लेना चाहे तो तुम जैसे कमज़ोर इन्सानों से भी वोह काम ले लें जो तमाम नबीयों से भी न हो सकें

(मकातीबे इल्यास, सफ़ा नं. 107, प्रकाशक :- इदारहे इशाअ़ते दीनियात, नई दिल्ली)

येह है जनाब मौलवी "अबूआ़ला मौदूदी" जिन्हों ने "जमाअ़ते इस्लामी" नाम की एक नई जमाअ़त क़ायम की थी । आज इस जमाअ़त की कई जाईज़ व ना जाईज़ औलादें S-I-M, S-I-O के नाम से वजूद

में आ चुकी है जो मौदूदी की तअ़लीमात को फैला रही है । इनके नज़दीक मौदूदी ही सब कुछ है, चुनानचे इन्हें मौदूदी साहब हुक्म देते है

(1) तुम को खुदा की मरज़ी के मुताबिक़ ज़िन्दगी बसर करने का तरीक़ा नही मअ़लूम---अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि खुदा के सच्चे पैग़म्बर की तलाश करो इस तलाश में तुम्हें होशयारी से काम लेना है-----जब तलाश के बाद तुम को येह मअ़लूम हो जाए के फ़ुँला शख़्स खुदा का सच्चा पैग़म्बर है तो उस पर तुम को पूरा भरोसा करना चाहिए और उस के हर हुक्म की इताअ़त करनी चाहिए ।

(रिसाल-ए-दीनियात, सफ़ा नं. 47, प्रकाशक :- मरकज़ी मकतबा इस्लामी, दिल्ली)

यही मौदूदी साहब अपनी एक दूसरी किताब में लिखते है----

(2) जो लोग हाजतें माँगने अजमेर, (ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ की मज़ार पर) या फिर सैय्यद सालार मसऊद ग़ाज़ी की मज़ार पर जाते है वोह इतना बड़ा गुनाह करते है के उस गुनाह के सामने किसी को क़त्ल कर देना या किसी लड़की से ज़िना करना भी कमतर (कम) है ।

(तजदीदो इहया-ए-दीन, सफ़ा नं. 96, प्रकाशक :- मरकज़ी मकतबा इस्लामी, नई दिल्ली)

यही अबू आ़ला मौदूदी अपनी एक और किताब में अपनी येह आला दर्जे की बकवास लिखते है के---------------------

(3) सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें ले कर आए है, और बहुत मुम्किन है के बुध, कृष्ण, राम, मानी, सुक़रात, फ़िसा गोरस, वग़ैरा इन्हीं रसूलों में से हो ।

(तफ़हीमात, जिल्द 1 सफ़ा नं. 124, प्रकाशक :- मरकज़ी मकतबा इस्लामी, नई दिल्ली)

वहाबियों के पीरों के पीर "महमूदुल हसन" ने अपनी एक किताब में लिख मारा के----------------------------------

(1) झूट, ज़ुल्म व तमाम बुराईयों (जैसे चोरी, जहालत, ज़ुल्म, ग़ीबत, ज़िना वग़ैरा) करना अल्लाह के लिए कोई अयेब नहीं, और

न इन कामों के करने की वजह से उस की ज़ात में कोई नुक़सान आ सकता है ।

(जहदुलमक़्ल, जिल्द 3 सफ़ा नं. 77)

हमारा एलान :- (Our Challenge)

हम ने यहाँ जितने भी वहाबी जमाअ़त से मुतअ़ल्लिक़ हवाले पेश किये है वोह सब उन्हीं के ओ़लमा की किताबों से नक़्ल किया है याद रहे येह किताबें आज भी छप रही है और इन के मदर्सों व कुतुब ख़ानों (बुक स्टालों) पर आसानी से मिल जाती है ।

हमारा आ़म एलान (Challenge) है के अगर कोई साहब इन बातों को या हवालों में से किसी एक भी हवाले को ग़लत साबित कर दे तो उसे पच्चीस हज़ार (25,000) रूपये नक़्द दिये जाएगे ।

आयत :- हमारा रब जल्ला जलालहु इरशाद फ़रमाता है--------

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

तर्जमा :- तुम फ़रमाओ के अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हों

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, सूरए नम्ल, परा 20 रूकू 1 आयत 64)

आयत :- और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमाता है---------

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ

तर्जमा :- जब सुबूत न ला सके तो अल्लाह के नज़दीक वही झूटे है ।

(क़ुरआने करीम, सूरए नूर, परा 18 रूकू 8, आयत 13)

वहाबियों के यही वोह अक़ाएद (Faiths) है जिन की वजह से ओ़लमा-ए-हरमैन, तय्यबैन (मक्का-ए-मुअ़ज़्ज़मा व मदीना शरीफ़ के) और दुनिया के तमाम ओ़लमा-ए-दीन ने वहाबियों को काफ़िर, गुमराह, बद्दीन, मुरतद (दीन से निकले हुए) और मुनाफ़िक़ क़रार दिया । ओ़लमा-ए-किराम इन लोगों के बारे में इरशाद फ़रमाते है---------

من شك فى كفرهم و عذابهم فقد كفر

"जो इन (वहाबियों) के काफ़िर होने में और इन के अज़ाब में शक करे वोह खूद काफ़िर है" ।
(हस्सामुल हरमैन.)

हदीस :– हज़रत अबूहुरैरा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ऊमर व हज़रत जाबिर रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हम रिवायत करते है के हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

وان مرضوافلا لعودرهم وان ماتوافلا تشهد و هم وان لقيتم فلاتسلمواعليهم ولاتجالسوهم ولاتشاربهم ولاتواكلوهم ولاتنا كحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوامعهم-

"अगर बद मज़हब बेदीन मुनाफ़िक़, बीमार पड़े तो उन को पूछने न जाओ, और अगर वोह मर जाए तो उनके जनाज़े पर न जाओ, उन को सलाम न करो, उन के पास न बैठों, उन के साथ नखाओ न पियो <u>न ही उन के साथ शादी करो</u> न उन के साथ नमाज़ पढ़ो"

(मुस्लिम शरीफ़, अबूदाऊद शरीफ़, व इब्ने माजा शरीफ़, मिशकात शरीफ़)

हदीस :– हज़रत इब्ने अ़दी रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो हज़रत मौला अ़ली रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत करते है के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------

من لم يعرف عترتی والانصاروالعرب فهولاحدى ثلث امامنافق واماالزنية واما امروحملته بغير طهر-

"जो मेरी ईज़्ज़त न करे और मेरे अन्सारी सहाबा और अ़रब के मुसलमानों का हक़ न पहचाने वोह तीन हाल से खाली नहीं, [1] या तो मुनाफ़िक़ है, [2] या हराम की औलाद, [3] या फिर हैज़ (माहावरी) की हालत में जना हुआ" ।

(बयहकी शरीफ़, बहवाला इराअतुल अदब लफ़ाज़िलिन्नसब, सफ़ा 40. अज़:- आला हज़रत)

हदीस :- हज़रत इकरेमा रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है हज़रत मौला अ़ली रदीअल्लाहो तआला अन्हो की ख़िदमत मे चन्द बद्दीन गुस्ताख़ पेश किये गये तो आप ने उन्हें जिन्दा जला दिया जब येह ख़बर हज़रत इब्ने अब्बास रदील्लाहो तआला अन्हुमा को पहुँची तो उन्होंने फ़रमाया---के अगर मै होता तो उन्हें न जलाता क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने किसी को जलाने से मना फ़रमाया है बल्कि उन्हें क़त्ल करता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---"जो अपना दीने इस्लाम तबदील करे उसे क़त्ल कर दो"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, हदीस नं. 1814, सफ़ा नं. 658)

आयत :- अल्लाह जल्ला जलालाहू इरशाद फ़रमाता है--------

तर्जमा :- अए ग़ैब की ख़बर देने वाले (नबी) जिहाद (जंग) फ़रमाओ काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों पर और उन पर सख़्ती करो ।	يَاۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, सूरए तौबा, पारा 10, आयत 73)

आयत :- अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है---------

तर्जमा :- और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करे तो वोह उन्ही में से है	مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ---

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 6, सूरए माएदह, आयत 51)

ज़रा सोचिये :- अब भी क्या कोई ग़ैरतमन्द इन्सान अपनी बेटी ऐसे काफ़िरों, मुनाफ़िक़ों के यहॉ ब्याहना पसंद करेगा ?!

अब भी क्या कोई ग़ुलामे रसूल इन गुस्ताख़ वहाबियों की लड़कियाँ अपने घर लाना गवारा करेगा ?!

अब भी क्या कोई आशिक़े नबी अपने नबी के इन गुस्ताख़ों से रिश्ता जोड़ना चाहेगा ?!

हमारा येह सवाल उन लोगों से है जिन में ग़ैरत का ज़रा सा भी हिस्सा बाक़ी है, जिन्हें दौलत से ज़्यादा अल्लाह व रसूल की ख़ूशी प्यारी है । और रहे वोह लोग जो किसी दुनियावी लालच या हुस्न व जमामाल या फिर माल व दौलत से मुतास्सिर (Impres) हो कर वहाबियों से रिश्ते बनाए हुए है या रिश्तेदारी करना चाहते है तो उनके मुत्अ़ल्लिक़ ज़्यादा कुछ कहना फ़ुज़ूल है वोह अपनी इस हवस व लालच में जितनी दूर जाना चाहे चले जाऐ अब इस्लाम का कोई क़ानून, शरीअ़त की कोई दफ़अ़, कोई ज़न्जीर उनके इस उठे हुए क़दम को नहीं रोक सकती । लेकिन हाँ ! हाँ ! याद रहे यक़ीनन एक दिन अल्लाह और उस के रसूल को मुँह दिखाना है ।

निकाह कहाँ करें

हदीस उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा, हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुम से रिवायत है के हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------

تخيرالنطفكم فا نكحوالا كفاوانكحوا اليهم و فى لفظ فان النسا • يلدن اشباه واخوانهن واخوانهن-

"अपने नुत्फ़े (शादी के लिए) अच्छी जगह तलाश करो, अपनी बिरादरी मे ब्याह हो, और बिरादरी से ब्याह कर लाओ कि औरतें अपने ही कुन्बे (बिरादरी) के मुशाबा (मिलते हुऐ बच्चे) जन्ती है ।

(इब्ने माजा, जिल्द. 1, हदीस नं. 2038, सफ़ा. 549, बदहक़ी शरीफ़, व हाकिम.)

इस हदीसे पाक से पता चलता है के अपनी ही बिरादरी में निकाह करना बेहतर है । अपनी बिरादरी मे ही निकाह करने के

बहुत से फ़ायदे है जैसे----औलाद अपनी बिरादरी के लोगों के चेहरे से मिलती जुलती पैदा होंगी जिस की वजह से दूसरे लोग देखते ही पहचान लेंगे के येह सैय्यद है, येह पठान है, वग़ैरा वग़ैरा । दूसरा येह फ़ायदा है के बिरादरी की ग़रीब लड़कियों की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी तीसरा फ़ायदा येह है के अपनी ही बिरादरी की लड़की हो तो वोह क्योंकि बिरादरी के तौर तरीके, घर के रहेन सहेन के बारे में पहले से ही जानती है लिहाज़ा घर में झगड़े और न इत्तेफ़ाक़ीयाँ नहीं होंगी, चौथा फ़ायदा येह है के बिरादरी की ऐसी लड़कियाँ जो देखने दिखाने में ज़्यादा ख़ूबसूरत नही होती उनकी भी शादी हो जाऐगी । अक्सर देखा गया है के लोग दूसरों की बिरादरी की ख़ूबसूरत लड़कियों को ब्याह कर लाते है जब के उन की बिरादरी की बद सूरत लड़कीयाँ कुँवारी ही रह जाती हैं और बहुत सी लड़कियों की जब बहुत दिनों तक शादी नही हो पाती है तो वोह किसी बदमाश, आवारा, मर्द के साथ भाग जाती है या फिर तरह तरह की बुराईयों में फँस जाती है । यही वजह है के बिरादरी में ही शादी करना बेहतर बताया गया है ।

हदीस :- हज़रत इमाम बुख़ारी रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है कि--

"और मुस्तहब (अच्छा, बेहतर) है के अपनी नस्ल के लिए बेहतर औरत चुने लेकिन येह वाजिब नहीं" (सिर्फ़ मुस्तहब है) ।	ومایستحب ان یتخیر لنطفه من غیر ایجاب -

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 बाब नं. 41, सफ़ा नं. 56)

हदीस :- हज़रत अनस रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है के नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"अच्छी नस्ल में शादी करो (रगे ख़ुफ़या अपना काम करती है)"	تزوجوا فی الحجر الصالح فان العرق وساس-

(दारक़ुत्नी शरीफ़, बहवाला इराअतुल अदब लेफ़ाज़िलिल नसब, सफ़ा 26, अज़ आला हज़रत)

हदीस :- और फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम----

"घोड़े की हरयाली से बचो, बुरी नस्ल में खूबसूरत औरत से"।

اياكم و خضراء الدمن المراة الحسنافى المزبت السوء-

(दारकुत्नी शरीफ़, बहवाला इशाअतुल अदब लेफ़ाज़िलिल नसब, सफ़ा 26, अज़ आला हज़रत)

लड़की का खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं बल्कि खूबी तो येह है के लड़की पर्दादार, नमाज रोज़े की पाबन्द हो, उस का ख़ानदान रहेन-सहेन, तहज़ीब व इख़्लाक़ में और ख़ास तौर पर मज़हबी अक़ाएद मे बेहतर हो । अगर आप ने येह सब चीज़ों को देख कर निकाह किया तो आप की दुनिया व आख़िरत कामयाब है और आगे ऐसी लड़की के ज़रिये, फ़रमाबरदार, मज़हबी और दुनियावी खूबियों वाली बेहतर नस्ल जन्म लेती है । चुनानचे सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने हमें यही हुक्म दिया ।

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा व हज़रत जाबिर रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------------------------------

"औरत से चार चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल, उसके ख़ानदान, उसके हुस्न व जमाल, और उसके दीनदार होने की वजह से । लेकिन तू दीनदार औरत को हासिल कर" ।

تنكح المرأة لا ربع لما لها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين-

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा नं. 59, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द. 1 सफ़ा 555)

लिहाज़ा इस हदीस से मअ़लूम हुआ के दीनदार औरत से निकाह करना सब से ज्यादा बेहतर है । दीनदार औरत शौहर की मद्दगार होती है और थोड़ी रोज़ी पर क़नाअ़त कर लेती है । उसके बरख़िलाफ़ दीनदारी से दूर औरतें गुनाह और मुसीबत में मुबतेला कर देती है ।

"फ़तावा-ए-रज़वीया" में है----------------

"दीनदार लोगों में शादी करे कि बच्चे पर नाना मामू की आ़दातों व हरकतों का भी असर पड़ता है" ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, सफ़ा नं. 46)

हदीस :– नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------------------------------

"औरतों से उन के हुस्न के सबब शादी न करो हो सकता है उन का हुस्न तुम्हें तबाह कर दे, न उन से माल की वजह से शादी करो हो सकता है के उन का माल तुम्हें गुनाहों में मुबतेला कर दे,	تزوجوا النسآء لحسنهن فعسی حسنهن ان یردیهن ولا تزوجو هن لاموالهن فعسی اموالهن-

बल्कि दीन की वजह से निकाह किया करो, काली चपटी बदसूरत लौन्ड़ी अगर दीन दार हो तो बेहतर है" ।

(इब्ने माजा, जिल्द. 1, हदीस नं.1926, सफ़ा. 522)

इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो इरशाद फ़रमाते है--

"अगर कोई औरत ख़ूबसूरत तो है मगर परहेज़गार व पारसा नहीं तो बुरी बला है--बद मिज़ाज औरत, ना शुक्रगुज़ार और ज़बान दराज़ होती है और बेजा हुकूमत करती है, ऐसी औरत के साथ ज़िन्दगी बे मज़ा हो जाती है और दीन में ख़लल पड़ता है" ।

(कीम्या-ए-सआ़दत, सफ़ा नं. 260)

याद रखिये अगर आप ने सिर्फ़ ऐसी लड़की से निकाह किया जो माल व दौलत (जहेज़) ख़ूब साथ लाई, और ख़ूबसूरत भी बहुत थी लेकिन दीनदार नहीं औ‹ न ही तहज़ीब व इख़्लाक़ के मामले में बेहतर, तो आप उस के साथ यक़ीनन एक अच्छी और ख़ूशहाल ज़िन्दगी नही गुज़ार सकते, ऐसी लड़की की वजह से घर में हमेशा तनाव रहता है और आख़िर कार माँ, बाप से दूर होना पड़ जाता है

इसलिए जहाँ आप ख़ूबसूरती, माल व दौलत को देखते है इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है के आप उस का इख़्लाक़ उस का ख़ानदान, और ख़ास तौर पर दीनदार है या नही येह ज़रूर देखे तभी आप एक कामयाब ज़िन्दगी के मालिक बन सकते है ।

अगर एक ख़ूबसूरत लड़की में येह ख़ूबियाँ नही और उस के उलट किसी बदसूरत लड़की में दीनदारी है तो वोह बदसूरत लड़की उस ख़ूबसूरत लड़की से बेहतर है ।

अक्सर हमारे भाई दौलतमन्द, फ़ैशन प्रस्त लड़की पर मरते है और दौलत को बहुत अहमियत देते है जब के दौलत से ज्यादा दीनदारी को अहमियत देनी चाहिये ।

हदीस :- हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"जो कोई जमाल (ख़ूबसूरती) या माल व दौलत की ख़ातिर किसी औरत से निकाह करेगा--तो वोह दोनों से महेरूम रहेगा और जब दीन के लिए निकाह करेगा तो दोनों मक़सद पूरे होंगे" ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 260)

हदीस :- और फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने---

"औरत की तलब दीन के लिए ही करनी चाहिये जमाल (ख़ूबसूरती) के लिए नही" । इस के मअनी येह है के सिर्फ़ ख़ुबसूरती के लिए निकाह न करे । न येह के ख़ूबसूरती ढून्ड़ ही नही, अगर निकाह करने से सिर्फ़ औलाद हासिल करना और सुन्नत पर अमल करना ही किसी शख़्स का मक़सद है, ख़ूबसूरती नहीं चाहता तो येह परहेज़गारी है ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 260)

मसअला :- अल्लाह रब्बुलइज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है---------

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ط

तर्जुमा :- अगर वोह फ़क़ीर (ग़रीब) हो तो अल्लाह उन्हें ग़नी कर देगा

अपने फ़ज़्ल के सबब ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान शरीफ़, पारा 18, सूरए "नूर" आयत 32)

लिहाज़ा अगर किसी लड़की में दीनदारी ज़्यादा हो चाहे वोह कितनी ही ग़रीब क्यों न हो उस से शादी करना बेहतर है क्या अजब के अल्लाह तआला उस से शादी करने की और उस की बरकत से आप को भी दौलत से नवाज़ दे । आप को उस नेक और ग़रीब लड़की से वोह ही ख़ुशी व सुकून मिल सकता है जो एक दौलतमन्द, बदमिज़ाज मॉर्डन (Modern) फ़ैशन की देवी से नहीं मिल सकता । हाँ अगर कोई दौलतमंद लड़की दीनदार नेक, अच्छे इख़्लाक़ वाली हो और उस से शादी की जाए तो येह भी बहुत बड़ी ख़ुशनसीबी की बात है । बेशक अल्लाह माल व दौलत व चेहरों को नहीं देखता बल्कि तक़वा व परहेज़गारी को देखता है ।

शादी के लिए इस्तेख़ारा

Judging from omens or augury for Marriage

किसी नये काम को शुरू करने से पहले इस्तेख़ारा करना चाहिये, इस्तेख़ारा उस अमल को कहते है जिसके करने से गैबी तौर पर येह मअलूम हो जाता है के फ़ुँला काम के करने में फ़ायदा है या नुक़सान ।

हदीस :- हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा रिवायत करते है के-

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम हमें हर काम में इस्तेख़ारा करने की ऐसी तलक़ीन फ़रमाते थे जैसे क़ुरआन की कोई सूरत सिखाते" ।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كما يعلمنا السورة من القران-

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा नं. 455, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 292)

इस्तेख़ारा और "शगून" में बहुत फ़र्क़ है, इस्तेख़ारा में किसी नये काम के शुरू करने में अल्लाह से दुआ़ करना और उसकी मरज़ी मअ़लूम करना मक़सद होता है । जब के शगून जादूगरों, छू-छा करने वाले, सितारों से, परिन्दों से, तीरों से, नुजूमी, जोतिषीयों, वग़ैरा और इस तरह की दूसरी चीजो़ं के ज़रिये लेते है । जो कि शरीअ़त में "शिर्क" के बराबर हैं, शिर्क वोह गुनाह है जिसे अल्लाह कभी मुआ़फ़ नहीं करेगा, शिर्क करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, लेकिन इस्तेख़ारा करना सुन्नते रसूलुल्लाह व सहाबा और बुज़ुर्गाने दीन का तरीक़ा है ।

हदीस :- सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------"अल्लाह तआ़ला से इस्तेख़ारा करना औलादे आदम (इन्सानों) की ख़ुश बख़्ती (सौभाग्य, good fortune) है और इस्तेख़ारा न करना बद बख़्ती (दुर्भाग्य, Misfortune) है" ।

इस्तेख़ारा किसी भी नये काम को शुरू करने से पहले करना चाहिये जैसे नया कारोबार शुरू करना है, मकान बनाना है, या ख़रीदना है, किसी सफ़र पर जाना है, कोई नई चीज़ ख़रीद रहा है, वग़ैरा वग़ैरा इन सब में नुक़सान होंगा या फ़ायदा, येह जानने के लिए इस्तेख़ारा का अ़मल किया जाना चाहिये ।

अब चुँकि शादी एक ऐसा काम है जिस पर सारी ज़िन्दगी के आराम, ख़ुशी व सुकून का दारोमदार है बीवी अगर नेक, परहेज़गार, मुहब्बत करने वाली, ख़ूशमिज़ाज होगी तो ज़िन्दगी ख़ूशियों से भरी होगी और आने वाली नस्ल भी एक बेहतर नस्ल साबित होंगी । लेकिन अगर बीवी बद मिज़ाज, बदकार, बेवफ़ा, हुई तो सारी ज़िन्दगी झगड़ों से भरी और सुकून से खाली होंगी । यहाँ तक के फिर तलाक़ तक नौबत पहुँच जाऐगी । लिहाज़ा ज़रूरी है के शादी से पहले ही मअ़लूम कर लिया जाए के जिस औरत को अपनी शरीके ज़िन्दगी (बीवी) बनाना चाहता है वोह दीन व दुनिया के एतेबार से बेहतर साबित होंगी या नहीं !

हदीस :- हज़रत इब्ने ऊमर व हज़रत सहेल बिन सअद रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------------------

"अगर नहुसत किसी चीज़ में है तो वोह घर, औरत और घोड़ा है"। (यानी इन में से कोई चीज़ मनहूस हो सकती है)

ان کان فی شیء ففی الفرس والمراة والمسکن۔

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं. 121, सफ़ा 211,--मोता इमाम मालक, जिल्द 2, बाब नं. 8, हदीस नं. 21, सफ़ा 207,--बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 47, हदीस नं. 86, सफ़ा 61,--तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 327, हदीस नं. 730, सफ़ा 295,--अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 206, हदीस नं. 524, सफ़ा 186,--नसाई शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 538, इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 643, हदीस नं. 2064, सफ़ा 555, मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2953, सफ़ा 70, मासबता बिस्सुन्ना, सफ़ा 60)

हज़रत इमाम तिर्मीज़ी रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है---

"येह हदीस हसन सही है"। هٰذا حَدِیْثٌ حَسَنٌ صحیحٌ

येह हदीस अहादीस की और दीगर किताबों जैसे मुस्लिम शरीफ़, मुस्नदे इमाम अहमद, तबरानी शरीफ़, वग़ैरा में भी नक्ल है । इस से पहले एडीशनों में हम ने येह हदीस बुख़ारी के अलफ़ाज़ में नक्ल की थी और हालाँकि अपनी तरफ़ से इस पर कोई तबसेरा भी नही किया था लेकिन इस के बावजूद कुछ ना वाक़िफ़ों ने इस पर एतराज़ात किये थे लिहाज़ा इस बार मज़ीद हवाले बड़ा दिये गए हैं, अब भी अगर किसी साहब का हम पर इलज़ाम बाक़ी हो तो वोह हम से सही हवाले देख सकते हैं ।

शरह :- इस हदीस की तशरीह (Explaination) में इमामे आज़म अबूहनीफ़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो अपनी "मुस्नद" में रिवायत करते है के---

"घर की मनहूसियत येह है के वोह तंग (छोटा) हो (और बुरे

فامّا الدّار فشؤ مها واما المراة

पड़ोसी हो) घोड़े की मनहूसियत, उस की सर कशी और मुँह ज़ोर होना है, और औरत की मनहूसियत येह है कि वोह बद इख़्लाक़, ज़बानदराज़ और बॉन्झ हो"।

فشؤمها سوء خلقها و عقر رحمها واما شؤم الفرس فان تكون جموحا۔

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं 121, सफ़ा नं. 212,)

शरह :- इसी हदीस की शरह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खॉं रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है-------

"शरीअ़त के मुताबिक़ घर की नहूसत येह है के तंग हो पड़ोसी बुरे हो, घोड़े की नहूसत येह है के शरीर हो बद लगाम हो, औरत की नहूसत येह के बदज़बान हो बद इख़्लाक हो । और बाक़ी वोह ख़्याल के औरत के पहरे से येह हुआ फ़ुला के पहरे से येह, येह सब बकवास है और कांफ़िरों के ख़्याल हैं"।

(फतवा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 254)

हदीस :- सदरूश्शरीअ़ हज़रत अ़ल्लामा मुहम्मद अमजद अली साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी मशहुर ज़माना किताब "बहारे शरीअत" में हदीस नक़ल फ़रमाते हैं कि--हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------

"तीन चीज़ें आदमी की नेक बख़्ती से है और तीन चीज़ें बद बख़्ती से । नेक बख़्ती की चीज़ों में से नेक औरत और अच्छा मकान यानी बड़ा हो और उसके पड़ोसी अच्छे हो, और अच्छी सवारी । और बदबख़्ती की चीज़ें, बद औरत, बुरा मकान, बुरी सवारी ।

(इमाम अहमद, बज़्ज़ार, व हाकिम, बहवाला बहारे शरीअत, जिल्द 1 हिस्सा नं. 7 सफा 6)

हदीस :- हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा ने रिवायत किया के नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---

"मेरे बाद कोई फ़ित्ना ऐसा बाक़ी नही रहा जो लोगों पर औरत के फ़ित्ने से ज़्यादा नुक़सानदेह हो"।

ما ترکت بعدی فتنۃ اضرّ علی الرّجال من النّسآء۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 47, हदीस नं. 87, सफ़ा 61, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं.300, हदीस नं. 682, सफ़ा 279, मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2951, सफ़ा 70)

अब आप ने जान लिया के किसी मर्द के लिए औरत मनहूस भी हो सकती है और फ़ित्ना भी, लिहाज़ा येह जानने के लिए के जिस औरत से आप शादी करना चाहते है वोह मनहूस होंगी या बरकत का सबब, फ़ित्ना होंगी या मुहब्बत करने वाली, वफ़ादार होंगी या बेवफ़ा इस के लिए इस्तेख़ारा ज़रूर करें।

इस्तेख़ारा करने का तरीक़ा :-

(1) जिस से निकाह करने का इरादा हो तो पैग़ाम या मंगनी के बारे में किसी से ज़िक्र न करें। अब ख़ूब अच्छी तरह वुज़ू कर के जितनी नफ़िल नमाज़ पढ़ सकता है दो, दो, रक्अत कर के पढ़े। फिर नमाज़ ख़त्म करने के बाद ख़ूब ख़ूब अल्लाह की तस्बीह बयान करे (जो भी, तस्बीह याद हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े) जैसे, اَللّٰہُ اَکْبَرُ अल्लाहो अकबर, سُبْحَانَ اللّٰہ सुबहानल्लाह اَلْحَمْدُ لِلّٰہ अलहम्दुलिल्लाह, یَا رَحِیْمُ या रहीमों, یَا کَرِیْمُ या करीमो, वग़ैरा फिर उस के बाद येह दुआ ख़ुलूस व दिल की गहराई से पढ़े-------------------------

اَللّٰھُمَّ اِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ فَاِنْ رَاَیْتَ اَنَّ فِیْ فُلَانَۃٍ وَیُسَمِّیْھَا بِاِسْمِھَا۔ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ دُنْیَایَ وَاٰخِرَتِیْ فَاقْدِرْھَا لِیْ وَاِنْ کَانَ غَیْرُھَا خَیْرًا مِّنْھَا فِیْ دِیْنِیْ وَاٰخِرَتِیْ فَاقْدِرْھَا لِیْ۔

दुआ :- अल्लाहुम्मा इनन-क-तक़दिरो वला अक़देरो व तअलमु वला आलमु

व अन-त-अल्लामुल ग़ुयुबे-फ़-इन-र-ऐ-त-अन-न-फ़ी (यहाँ लड़की या औरत का पूरा नाम लें) ख़ैरल ली फ़ी दीनी व दुनया-य-व आख़ेरती फ़क़ दिर हाली व इन काना ग़ैरो-ह-ख़ैरम मिन-ह-फ़ी दीनी व आख़ेरती फ़क़ दिर हाली 0

तर्जमा :- अए अल्लाह तू हर चीज़ पर क़ादिर है और मै क़ादिर नहीं और तू सब कुछ जानता है मै कुछ नहीं जानता--बेशक तू ग़ैब की बातों को खूब जानता है अगर (लड़की का नाम ले) मेरे लिए मेरे दीन के एतेबार से, दुनिया व आख़ेरत के एतेबार से बेहतर हो तो उस को मेरे लिए मुक़द्दर फ़रमा दे । और अगर उस के अलावा और कोई लड़की या औरत मेरे हक़ में मेरे दीन के और आख़ेरत के एतेबार से उस से बेहतर हो तो उस को मेरे लिए मुक़द्दर फ़रमा दे ।

(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 160)

इस तरह इस्तेख़ारा करने से इन्शा अल्लाह तआ़ला सात (7) दिनों में ख़्वाब या फिर बेदारी में ही अल्लाह की जानिब से ऐसा कुछ ज़ाहिर होगा या ऐसा कुछ गुज़रेगा जिस से आप को अन्दाज़ा हो जाऐगा के उस लड़की या औरत से निकाह करने में बेहतरी है या नही।

(2) कुछ ओ़लमा-ए-किराम ने इस्तेख़ारा करने का तरीक़ा येह भी बयान किया हैं के---------------------------

रात को पहले दो रक्अ़त नमाज़ इस तरह पढ़े के पहली रक्अ़त में सूरए फ़ातिहा (अलहम्द शरीफ़) के बाद قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ۔ "क़ुल या अइयोहल काफ़ेरून" (पूरा सूरा पढ़े) और दूसरी रक्अ़त में सूरए फ़ातिहा के बाद قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ "कुल हुवल्लाहोअहद" (पूरा सूरा) पढ़े और सलाम फेर कर दुआ़ पढ़े । (वही दुआ़ जो हम ने पहले लिखी है) दुआ़ करने से पहले और दुआ़ के बाद सूरए फ़ातिहा (अलहम्द शरीफ़) और दुरूद शरीफ़ ज़रूर पढ़े ।

बेहतर येह है के सात (7) बार इस्तेख़ारा करे (यानी सात रोज़ लगातार रात को करे, एक ही रात में सात बार भी कर सकते है) इस्तेख़ारा करने के बाद फ़ौरन बा तहारत क़िबले की तरफ़ रूख़ कर के सो जाऐ ।

अगर ख़्वाब में सफ़ेदी या हरे रंग की कोई चीज़ देखे तो कामयाबी है उस लड़की से शादी करना ठीक होंगा । और अगर लाल

या काली चीज़ देखे तो समझे के कामयाबी नही उस लड़की से शादी करने में बुराई है । (वल्लाहो आलम)

मंगनी या निकाह का पैग़ाम

आयत :- अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है---------

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ----

तर्जमा :- और तुम पर गुनाह नहीं इस बात में जो पर्दा रख कर तुम औरतों के निकाह का पयाम दो--

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 2 सूरए बक्र, आयत 235)

जब किसी लड़की या औरत से शादी का इरादा हो तो उसे शादी का पैग़ाम या मंगनी करने से पहले येह ज़रूर देख ले के उस लड़की या औरत को किसी और इस्लामी भाई ने पहले से ही तो पैग़ाम नही दिया है या उस की मंगनी तो नही हो गई है ।

अगर किसी इस्लामी भाई ने उस लड़की को निकाह का पैग़ाम दिया है या उस से रिश्ते की बात चीत चल रही हो तो उसे हरगिज़ मंगनी या रिश्ते का पैग़ाम न दे के इसे इस्लामी शरीअत में सख़्त न पसंद किया गया है चुनानचे हदीस पाक में है ।

हदीस :- हज़रत अबू हुरैरा व हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हम से रिवायत है के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------------

ولاَ يخطب الرّجل على خطبة اخيه حتّى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب-

"कोई आदमी अपने भाई के पैग़ाम पर (उसी औरत को) निकाह का पैग़ाम न दे यहाँ तक के पहला खुद मंगनी का इरादा तर्क

कर दे (छोड़ दे) या उसे पैग़ाम भेजने की इजाज़त दे" ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, सफ़ा नं. 78, मोंता शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 415)

निकाह से पहले लड़की देखना

किसी लड़की या औरत को किसी ग़ैर मर्द को उस वक़्त दिखाने मे कोई हर्ज नहीं जब वोह उस से शादी का इरादा रखता हो या उस ने शादी का पैग़ाम भेजा हो । लेकिन उस मर्द के दूसरे मर्द रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब को नहीं दिखाना चाहिए के वोह सब ग़ैर महरम है. (जिन से पर्दा करना ज़रूरी है) लिहाज़ा सिर्फ़ लड़के या मर्द और उसके घर की औरतें ही लड़की देखे ।

निकाह से पहले औरत को देखना जाईज़ है लेकिन इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि लड़के को लड़की इस तरह से दिखाए के लड़की को इस बात की भनक भी न लगे के लड़का उसे देख रहा है (यानी खुल्लम खुल्ला सामने न लाए) अगर इस एहतियात से दिखाया जाएगा तो इस में कोई हर्ज नहीं बल्कि बेहतर है के बाद में ग़लत फ़हमी नहीं होती ।

हदीस :- हज़रत मुहम्मद सलामा रदीअल्लाहो तआला अन्हो कहते है कि----"मै ने एक औरत को निकाह का पैग़ाम दिया । मै उसे देखने के लिए उस के बाग़ में छुप कर जाया करता था यहाँ तक के मै ने उसे देख लिया किसी ने कहाँ--आप ऐसी हरकत क्यों करते है हालांकि आप हुज़ूर के सहाबी है, तो मै ने कहा-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--"जब अल्लाह तआला किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की ख़्वाहिश डाले और वोह उसे पैग़ाम दे तो उस की जानिब देखने में कोई हर्ज नहीं" ।

(इब्ने माजा शरीफ़ जिल्द 1, बाब नं.597, हदीस नं. 1931, सफ़ा 523)

हदीस :- हज़रत जाबिर रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहों तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------

"जब तुम में से कोई किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे तो अगर उस औरत को देखना मुम्किन हो तो देख ले" ।

اذا خطب احد کم المراۃ فان استطاع ان ینظر الی ما یدعوہ الی نکاحہا فلیفعل -

(अबू दाऊद शरीफ़, बाब नं. 96, हदीस नं. 314, जिल्द 2 सफ़ा 122)

हदीस :- हुज़ूर सैय्यदना इमाम बुख़ारी रदीअल्लाहो अन्हो ने अपनी मशहूर किताब "सही बुख़ारी" जिल्द 3 बाब "किताबुन निकाह" में निकाह से पहले औरत को देखने के मुतअ़ल्लिक़ एक ख़ास बाब (अध्याय, **Chapter**) लिखा है जिस में येह साबित किया है के निकाह से पहले औरत को देखना जाइज़ है । चुनानचे उस बाब की एक तवील हदीस में है जिस का ख़ुलासा येह है के----------------------

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमते अक़दस में एक मरतबा एक सहाबिया औरत तशरीफ़ लाई और आप से शादी की दरख़्वास्त की, लेकिन हुज़ूर ने अपना सरे मुबारक झुका लिया और उन्हें कुछ जवाब न दिया । एक सहाबी ने खड़े हो कर अर्ज़ किया-"या रसूलल्लाह ! अगर आप को इस औरत की हाजत नहीं है तो उस का मेरे साथ निकाह कर दीजिए"। सरकार के उन से पूछने पर मअ़लूम हुआ कि उन के पास कुछ रूपया पैसा कपड़ा वग़ैरा नहीं है यहाँ तक के महेर के लिए एक लोहे की अंगूठी तक नहीं है लेकिन क़ुरआन की कुछ सूरतें याद है । चुनानचे सरकार ने उन के क़ुरआने करीम जानने की वजह से उस सहाबी का निकाह उस सहाबिया औरत से पढ़ा दिया ।

इसी तरह एक दूसरी हदीस में है के-----रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को ख़्वाब में हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआला अन्हा को निकाह से पहले दिखाया गया ।

इन हदीसे मुबारका से इमाम बुख़ारी ने येह साबित करने की कोशिश की है के औरत को निकाह से पहले देखना जाइज़ है ।

हदीस :- सैय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है के-----------------------------------

"निकाह से पहले औरत को देख लेना इमाम शाफ़अई रदीअल्लाहो तआला अन्हो के नज़दीक सुन्नत है" ।

यही इमाम ग़ज़ाली आगे नक्ल फ़रमाते है के------

"औरत का जमाल व (उस का चेहरा) मुहब्बत व उलफ़त का ज़रीया है--इस लिए निकाह करने से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है--बुज़ुर्गों का कौल है के औरत को बे देखे जो निकाह होता है उस का अन्जाम परेशानी और ग़म है" ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं 260)

हुज़ूर सैय्यदना ग़ौसे आज़म शेख़ अब्दुल कादिर जीलानी रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है----------------

"मुनासिब है के निकाह से पहले औरत का चेहरा और ज़ाहिरी बदन देख ले (यानी हाथ, मुंह वग़ैरा को) ताकि बाद को नफ़रत या तलाक़ की नौबत न आए क्योंकि तलाक़ और नफ़रत अल्लाह तआला को ना पसंद है । *(ग़ुन्यतुत्तालेबीन, सफ़ा 112)*

लड़की की रज़ामन्दी

आप ने अक्सर देखा और सुना होगा बहुत से ग़ैर मुस्लिम, मुसलमानों को ताना देते है कि इस्लाम ने औरतों के साथ ना इन्साफ़ी की है । हालाँकि इन बेवक़ूफ़ों को येह नहीं दिखता के उनके धर्म ने औरतों के कितने ही हुक़ूक़ का किस बे दर्दी से गला घोटा है ।

येह कम अक्ल औरतों को सड़कों, बाज़ारों, अपनी झूटी ईबादत

गाहों (मंदीरो) में आधा नंगी हालत में खुले आ़म घुमने फीरने को ही उन की आज़ादी और जाइज़ हक़ समझते है यही वजह है के उनके अपने खुद साख़्ता धर्म में मर्द और औरतें ही नहीं बल्कि उनके देवी देवता और भगवान भी आ़शिक़ मिज़ाज नज़र आते हैं । किसी शाएर ने क्या खूब कहा है---

औरतें बाल सवारे मंदीर में गई पूजा के लिए !
देवता बाहर निकले और ख़ूद पुजारी हो गए !!

बेशक मज़हबे इस्लाम ऐसी बेहूदा चीज़ों की हरगिज़ इजाज़त नही देता । वोह औरतों को बाज़ारों और सड़कों पर खुले आ़म हुस्न का मुज़ाहेरा पेश करने से रोकता है ! लेकिन वहीं औरतों को उन के जाइज़ हुक़ूक़ देने में कोई कमी नहीं करता और न ही औरतों के साथ बुरा सुलूक करने, उन के साथ ज़बरदस्ती करने या ना इन्साफ़ी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता, वोह हर मामले में औरतों से बराबरी और इन्सानी सुलूक करने का मर्दों को हुक्म देता है ।

चुनानचे शरीअ़ते इस्लामी में जहाँ कई मामलों में औरत की रज़ामन्दी ज़रूरी समझी जाती है वही शादी के लिए लड़की या औरत से उस की रज़ामन्दी ज़रूरी है ।

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा व हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------

"कुँवारी का निकाह न किया जाए जब तक उस की रज़ा मन्दी न हासिल कर ली जाए और उस का चुप रहना उस की रज़ामन्दी है, और न निकाह किया जाए बेवाह का जब तक उस से इजाज़त न ली जाऐ---"।

لاتنكح لكبر حتّى تستيامر رضا
ها سكوتها ولاتنكح الثيب حتى
تستاذن۔

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 566, मुसनदे इमामे आज़म, सफ़ा नं. 214)

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआ़ला

अन्हुमा से रिवायत है के---------------------------------------

ان امراۃ توفی عنها زوجها ثم جآء عم ولدها فخطبها فابی الاب ان یزوجها وزوجها من الاخر فاتت المراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذٰلک له فبعث الی ابیها فحضر فقال ما تقول هذا ؟ قال صدقت ولکنی زوجتها ممن هو خیر منه ۔ مغرق بینهما و زوجها عم ولدها۔

एक औरत का शौहर मर गया । उसके देवर ने उसे निकाह का पैग़ाम भेजा मगर (औरत का) बाप देवर से निकाह करने पर राज़ी न हुआ उस ने किसी दूसरे मर्द से औरत का निकाह कर दिया वोह औरत नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप से पूरा क़िस्सा बयान किया । हुज़ूर ने उसके बाप को बुलवाया उससे आप ने फ़रमाया "येह औरत क्या कहती है"? उस ने जवाब दिया---सच कहती है मगर मैं ने इस का निकाह ऐसे मर्द से किया जो इस के देवर से बेहतर है । इस पर हुज़ूर ने उस मर्द और औरत में जुदाई करवा दी और औरत का निकाह उसी देवर से कर दिया जिस से वोह निकाह करना चाहती थी ।

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं. 124, सफ़ा नं. 215)

शरह :- हज़रत मुल्ला अ़ली क़ारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इस हदीस के बारे में लिखते है कि-------------------------

"इब्ने क़तान रदीअल्लाह अन्हो ने कहा है कि इब्ने अब्बास की येह हदीस सही है और यैह औरत हज़रत ख़नसा बिन्त ख़ेज़ाम रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा थी जिस की हदीस इमाम मालिक व इमाम बुख़ारी लाए है के उन का निकाह ऑ-हज़रत सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने रद फ़रमा दिया था

हदीस :- इमाम बुख़ारी ने बुख़ारी शरीफ़ में यही हदीस इन अल्फ़ाज़ो के साथ नक़्ल की है-------------------------

हज़रत ख़नसा बिन्त ख़ेज़ाम रदीअल्लाहो अताला अन्हुमा इरशाद फ़रमाती है के---

"इन के वालिद ने उन का निकाह कर दिया जबके वोह बेवाह थी और इस निकाह को ना पसंद करती थी । वोह रसूलुल्लाह, की बारगाह में हाज़िर हो गई आप ने फ़रमाया के"वोह निकाह नहीं हुआ"

ان اباها زوّجها وهی ثیب فکرهت ذالک فانت رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فردّ نکاحه۔

(मोता शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 424, बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा नं. 76)

इन तमाम अहादीसे मुबारका से पता चला के शादी से पहले कुँवारी लड़की और बेवाह से इजाज़त लेना ज़रूरी है और हमारे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत भी है चुनानचे हदीसे पाक में है के-----------------------------

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है-

"नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम अपनी किसी साहबज़ादी को किसी के निकाह में देना चाहते तो उन के पर्दे के पास तशरीफ़ लाते और फ़रमाते---"फ़ुलाँ शख़्स (यहाँ उन का नाम लेते) तुम्हारा ज़िक्र करता है" फिर (रज़ामन्दी मअलूम हो जाने पर) निकाह पढ़ा दिया करते ।

کان النبی صلّی الله علیه وسلّم اذازوّج احدی بناته اتے حذدهافیقول انّ فلانا یذکر فلانة ثمّ یزوّجها۔

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं. 123, सफ़ा नं. 214)

लेकिन आज देखा येह जा रहा है कि माँ, बाप, लड़की की मरज़ी को कोई एहमियत नहीं देते और अपनी मरज़ी के मुताबिक़ ही ब्याह देते है अब अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया तो ठीक, और अगर पसंद न आया तो फिर झगड़ों और ना इत्तेफ़ाक़ीयों का एक सैलाब उमड़ पड़ता है और नौबत फिर तलाक़ तक आ पहुँचती है ।

अपनी लड़की के लिए अच्छे लड़के की तलाश करना और फिर ब्याह देना यक़ीनन येह माँ बाप की ही ज़िम्मेदारी है लेकिन जहाँ इतनी उठा पटक करते है वही अगर लड़की से उस की रज़ामन्दी मअलूम कर ली जाए तो इस मे भला क्या हर्ज है । लड़की से उस की मरज़ी मअ़लूम भी करना चाहिये क्योंकि उसे ही सारी ज़िन्दगी गुज़ारना है । हॉ अगर खुल कर कहने मे झिझक या शर्म महसूस हो तो दबे अलफ़ाज़ों (Code word) मे इज़हार करे येह सुन्नत भी है ।

हदीस :– हज़रत इब्ने अब्बास रदीअल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है के 'सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने जब अपनी साहबज़ादी हज़रत फ़ातमा रदीअल्लाहो तआला अन्हा का हज़रत अ़ली रदीअल्लाहो तआला अन्हो से निकाह करने का इरादा फ़रमाया तो आप हज़रत फ़ातमा के पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फ़रमाया-------------------------------

"अ़ली तुम्हारा ज़िक्र करते है"। || ان علیّاً یذ کرک -

(यानी तुम्हें निकाह का पैग़ाम भेजा है)

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं. 122, सफ़ा नं. 213)

येह इजाज़त हासिल करने का निहायत ही बेहतर तरीक़ा है जो पैग़ाम के वक़्त ज़रूरी है, और वैसे भी साफ़ खुले अलफ़ाज़ों मे पूछना हेजाब व हया के ख़िलाफ़ मअ़लूम होता है ।

इसी तरह ऐसे बहुत से अलफ़ाज़ है जो इजाज़त लेते वक़्त दबे अलफ़ाज़ों मे कह सकते है । जैसे कहे--फ़ुलॉ लड़का तुम्हारा ज़िक्र करता है, फ़ुलॉ तुम पर बहुत मेहरबान है, फ़ुलॉ लड़का तुम्हारे लिए बेहतर है, फ़ुलॉ को तुम्हारी ज़रूरत है, फ़ुलॉ का पैग़ाम तुम्हारे लिए है, वग़ैरा वग़ैरा, जहाँ जहाँ "फ़ुलॉ" लिखा है वहॉ लड़के या मर्द का नाम लें ।

मसअला :– लड़की या औरत से इजाज़त लेते वक़्त ज़रूरी है के जिस के साथ निकाह करने का इरादा हो उस का नाम इस तरह ले कि औरत जान सके । अगर यूँ कहा

एक मर्द से शादी कर दूँगा, या यूँ कि फ़ुलाँ क़ौम के एक शख़्स से निकाह कर दूँगा तो येह जाइज़ नहीं, और येह इजाज़त सही भी नहीं ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 54)

हदीस :– इमाम बुख़ारी रदीअल्लाहो तआला अन्हो नक़्ल फ़रमाते हैं, हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआला अन्हा ने अर्ज़ किया–"या रसूलल्लाह! कुँवारी लड़की तो निकाह की इजाज़त देने में शर्माती है ? इरशाद फ़रमाया "उस का ख़ामूश हो जाना ही इज़ाजत है"

قال محمد بن اسمعیل (امام بخاری) عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البکر تستحی قال رضاها صمتها۔

(बुख़ारी शरीफ़, बाब नं. 71, हदीस नं. 124, जिल्द 3, सफ़ा 76)

मस्अला :–अगर औरत कुँवारी है तो साफ़ साफ़ रज़ामन्दी के अलफ़ाज़ कहे या कोई ऐसी हरकत करे जिस से राज़ी होना साफ़ मअलूम हो जाऐ जैसें---मुसकुरा दे, या हँस दे, या फिर इशारे से ज़ाहिर करे ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा नं. 54)

और अगर इन्कार हो तो इस तरह से साफ़ साफ़ कहे "मुझे उस की ज़रूरत नहीं, या फिर कहे वोह मेरे लिए बेहतर नहीं" वग़ैरा वग़ैरा जिस तरह भी मुनासिब तौर पर ज़ाहिर कर सकती हो उस तरह से ज़ाहिर कर दे । फिर माँ, बाप, का भी फ़र्ज़ है के वोह ज्यादा दबाव न ड़ाले या ज़बरदस्ती न करे के येह जाइज़ नहीं ।

हदीस :– हज़रत अबू हुरैरा रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"बालिग़ कुँवारी लड़की से उस के निकाह की इजाज़त ली जाए अगर ख़ामूश हो जाए तो येह

الیتیمة تستأمر فی نفسها فان صمتت و هوا اذنها و ان ابت فلا جواز علیها۔

उस की तरफ़ से इजाज़त है । और अगर इन्कार करे तो उसपर कोई ज़बरदस्ती नहीं" ।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, [redacted], हदीस नं. 1101, जिल्द 1 सफ़ा 567)

मसअला :— बालिग़ व आक़ेला (समझदार) औरत का निकाह बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न उस का बाप न इस्लामी हुकूमत का बादशाह, चाहे औरत कुँवारी हो या बेवाह । इसी तरह बालिग़ समझदार (पागल वग़ैरा न हो) मर्द का निकाह बग़ैर उसकी मरज़ी के कोई नहीं कर सकता ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा नं. 54)

मसअला :— कुँवारी लड़की का निकाह या लड़के का निकाह उनकी इजाज़त के बग़ैर कर दिया गया । और उन्हें निकाह की ख़बर दी गई तो अगर औरत चूप रही, या हँसी, या बग़ैर अवाज़ के रोई तो निकाह मन्ज़ूर है समझा जाएगा । इसी तरह मर्द ने इन्कार न किया तो निकाह मन्ज़ूर है समझा जाएगा । लेकिन औरत ने इन्कार कर दिया या मर्द ने इन्कार किया तो निकाह टूट गया ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 104, क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा 54)

येह तमाम दीनी मसाइल है जिन का जानना और उन पर अ़मल करना ज़रूरी है जिस में माँ, बाप भी अपनी औलादों की ख़ूशी का ख़्याल [illegible] और औलाद का भी फ़र्ज़ है के वोह माँ, बाप और घर के दीगर बुज़ुर्गों की सुने और वोह जहाँ शादी करना चाहे उनकी रज़ा में ही अपनी [illegible] समझो के माँ, बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते ।

हदीस :— हज़रत **अबू हुरैरा** रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--------

"कोई औरत दूसरी औरत का निकाह न करे, और न कोई औरत

لا تزوّج المراة المراة ولا تزوّ ج المراة نفسها فانّ الزّانيه هی

अपना निकाह ख़ुद करे क्योंकि || التي تزوج نفسها-
ज़िनाकार वही है जो अपना निकाह ख़ुद करती है"।
(इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 603, हदीस नं. 1950, सफ़ा 528, मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 3002, सफ़ा 78)

मस्अला :–बालिग़ लड़की वली (माँ बाप, वग़ैरा) की इजाज़त के बग़ैर ख़ुद अपना निकाह छुप कर या एलानिया करे उसके जाइज़ होने के लिए येह शर्त है कि शौहर उस का कुफ़ू हो यानी मज़हब या ख़ानदान या पेशे या माल या चाल चलन में औरत से ऐसा कम न हो कि उसके साथ उस का निकाह होना लड़की के माँ, बाप, व रिश्तेदारों के लिए बे इज़्ज़ती, शर्मीन्दगी, व बदनामी का सबब हो, अगर ऐसा है तो वोह निकाह न होगा---
(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 142)

महेर

आप का और हमारा येह मुशाहेदा है के मुसलमानों में आज बड़ी तअ़दाद में ऐसे लोग है जो शादी तो कर लेते है महेर भी बाँधते है लेकिन उन्हें येह पता ही नही होता के महेर कितने किस्म का होता है और उनका निकाह किस किस्म के महेर पर तय हुआ था, लिहाज़ा मुसलमानों को येह सब जान लेना ज़रूरी है।

महेर तीन क़िस्म का होता है।

मुअ़ज्जल :–महेरे मुअ़ज्जल येह है के रूख़सती से पहले महेर देना क़रार पाया हो। (चाहे दिया कभी भी जाए)

मुवज्जल :–महेरे मुवज्जल येह है के महेर की रक़म देने के लिए कोई वक़्त (अवधि, **Period**) मुक़र्रर कर दिया जाए।

मुतलक़ :– महेरे मुतलक़ येह है के जिस में कुछ तय न किया जाए

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़ाविया, जिल्द 3 सफ़ा नं. 66, क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा नं. 60)

इन तमाम महेर की क़िस्मों में महेर "मुअज्जल" रखना ज़्यादा अफ़ज़ल है । (यानी रूख़सती से पहले ही महेर अदा कर दिया जाए)

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 60)

मसअला :—महेरे मुअज्जल वुसूल करने के लिए अगर औरत चाहे तो अपने शौहर को सोहबत करने से रोक सकती है और मर्द को हलाल (जाइज़) नही की औरत को मजबूर करे या उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती करे । येह हक़ औरत को सिर्फ़ उस वक्त तक हासिल है जब तक महेर वुसूल न कर ले (इस दरमियान अगर औरत अपनी मरज़ी से चाहे तो सोहबत कर सकती है) इस दौरान भी मर्द अपनी बीवी का नान नफ्क़ा (खाना, पीना, कपड़ा, ख़र्चा वग़ैरा) बन्द नहीं कर सकता । जब मर्द औरत को उस का महेर दे दें तो औरत को अपने शौहर को सोहबत करने से रोकना जाइज़ नहीं ।

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़ाविया, जिल्द 3 सफ़ा 66, क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा 60)

मसअला :—इसी तरह अगर महेरे मुवज्जल था (यानी महेर अदा करने के लिए एक ख़ास मुद्दत मुक़र्रर थी) और वोह मुद्दत ख़त्म हो गई तो औरत शौहर को सोहबत करने से रोक सकती है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 60)

मसअला :—औरत को महेर मुआफ़ कर देने के लिए मजबूर करना जाईज़ नहीं ।

इस ज़माने में ज़्यादा तर लोग यही समझते है कि महेर देना कोई जरूरी नहीं बल्कि येह सिर्फ़ एक रस्म है । और कुछ लोगों का ख़्याल है के महेर तलाक़ के बाद ही दिया जाता है, कुछ लोग समझते है कि महेर इस लिए रखते है कि औरत को महेर देने के ख़ौफ़ से तलाक़ नही दे सकेगा ।

यही वजह है हमारे हिन्दुस्तान में ज़्यादा तर लोग महेर नहीं देते यहाँ तक कि इन्तिक़ाल के बाद औरत उनके जनाज़े पर आ कर महेर मुआफ़ करती है । वैसे औरत के महेर मुआफ़ कर देने से मुआफ़ तो हो जाता है लेकिन महेर दिये बग़ैर दुनिया से चले जाना ठीक नही, अगर ख़ुदा न ख़ॉसता पहले औरत का इन्तेक़ाल हो गया तो क़ियामत में सख़्त पकड़ और सख़्त अज़ाब, लिहाज़ा इस ख़तरे से बचने के लिए महेर अदा कर देना चाहिये इस में सवाब भी है और येह हमारे आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की सुन्नत भी है ।

आयत : हमारा रब जल्ला जलालहु हमें क्या हुक्म फ़रमाता है---

तर्जमा :- और औरतों को उन के महेर ख़ुशी से दो ।

واتوا النساء صدقتهن نحلة

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 4, सूरए निसा, रुकू 12, आयत 4)

जहालत :-

अक्सर मुसलमान अपनी हैसियत से ज़्यादा महेर रखते हैं और येह ख़्याल करते हैं कि "ज़्यादा महेर रख भी दिया तो क्या फ़र्क़ पड़ता है देना तो है ही नहीं" येह सख़्त जहालत है और दीन से मज़ाक़ ऐसे लोगों के मुतअ़ल्लिक़ "शहज़ादा-ए-आला हज़रत हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आज़मे हिन्द मुस्तफ़ा ख़ाँ रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, अपने एक फ़तवे में इरशाद फ़रमाते है---

"(महेर नही देना है) ऐसा ख़्याल कर लेना बहुत बुरा है जो ऐसी नियत रखता है, कि (वोह) दीन नहीं समझता, वोह इस से डरे कि हदीसे पाक में है उसका हश्र ज़िना करने वालों के साथ होगा ।

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़ाविया, जिल्द 3, सफ़ा नं. 79)

लिहाज़ा महेर उतना ही रखे जितना देने की हैसियत हो और महेर जितनी जल्दी हो सके अदा कर दे के यही अफ़ज़ल तरीक़ा है ।

हदीस :-- हुज़ूर रसूले मक़बूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------------------------------

"औरतों में वोह बहुत बेहतर है जिस का हुस्न व जमाल (खूबसूरती) ज्यादा हो और महेर कम हो" । *(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा 260)*

इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है----------

"बहुत ज्यादा महेर बांधना मकरूह है, लेकिन हैसियत से कम भी न हो" । *(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 260)*



शादी के रूसूम

शादी में तरह तरह की रस्में बरती जाती हैं हर मुल्क में नई रस्म हर कौम और खानदान का अपना अलग रिवाज, येह कोई नही समझता के शरअन येह रस्में कैसी है, मगर येह ज़रूर है के रस्मों की पाबन्दी उसी हद तक की जाए कि किसी हराम काम में मुबतला न हो । कुछ लोग रस्मों की इस कदर पाबन्दी करते हैं कि ना जाइज़ हराम, काम भले ही करना पड़े मगर रस्म न छूटने पाए !!

हमारे हिन्दुस्तान में आम तौर पर बहुत ही रस्मों की पाबन्दी की जाती है जैसे---रतजगा, हल्दी की रस्म, नेहारी, शादी के रोज शराब पीना, ढ़ोल बाजे, नाचना गाना, शादी से एक रात पहले खूब खूब जुवा खेलना, गाने बाजों के साथ बारात निकालना, वगैरा वगैरा, जबकि इन रस्मों में बे पर्दगी, छिछोरापन, अय्याशी और हराम कामों का वजूद होता है जवान लड़के और लड़कियाँ हल्दी खेलते है, नाचते गाते, बेहुदा हँसी मज़ाक और तरह तरह की इन्सानियत से गिरी हुई हरकतें करते है, अगर इन तमाम रस्मों की पाबन्दी के लिए रूपये न हो तो सूद (ब्याज) पर रूपये कर्ज़ लेने से भी नही चुकते ।

यहाँ मुम्किन नहीं कि हर रस्म पर अलग अलग बहेस की जाए, लिहाज़ा हम यहाँ मुख़्तसर तौर पर चन्द हदीसें पेश करते हैं ।

इन्साफ़ पसंद के लिए इसी क़द्र काफ़ी और हट धर्म जाहिल के लिए क़ुरआन व हदिसों के ख़ज़ाने भी ना काफ़ी---

आयत :- अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है-------

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا • اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا •

तर्जमा :- और फ़ुज़ूल न उड़ा, बे शक उड़ाने वाले शैतानों के भाई है, और शैतान अपने रब का बड़ा ना शुक्रा है ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान शरीफ़, पारा 15, सूरए बनी इस्राईल, आयत 26, 27)

हदीस :- सरकारे मदीना राहते क़लबो सीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------------------

"बेशक सूद का एक रूपया लेना छत्तीस (36) मरतबा ज़िना करने से बड़ कर है । बेशक सूद लेना अपनी माँ, के साथ ज़िना करने से भी बदतर है" ।

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़ाविया, जिल्द 1 सफ़ा नं. 76)

हदीस :- सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------------------------------

"जिस ने जुवा खेला गोया उस ने ख़िन्ज़ीर (सुवर) के गोश्त और खून में हाथ धोया" ।

(मुस्लिम शरीफ़, अबूदाऊद शरीफ़, मुकाशेफ़तुल क़ुलुब, बाब नं. 99, सफ़ा नं. 635)

हदीस :- नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"सब से पहले गाना इब्लीस (शैतान मरदूद) ने गाया" ।

(क़रउल समा बाइख़िलाफ़े अक़्वालुल मशाइख़ व अहवालोहुम फ़ील समा, अज़ :- शेख़ अब्दुलहक़ मोहद्दिस दहलवी रदीअल्लाहो अन्हो, सफ़ा नं. 41)

हदीस :- हज़रत इमाम मुजाहिद रदीअल्लाहो अन्हो फ़रमाते है-

"गाने बाजे शैतान की आवाज़े है, जिस ने इन्हें सुना गोया उस ने शैतान की आवाज़ सुनी" । *(हादीन्नास फ़ी रूसूमिल अरास, सफ़ा नं. 18)*

मसअला :—उबटन मलना जाइज़ है । और दुल्हा की उम्र नव दस साल की हो तो अजनबी औरतों का उस के बदन में उबटन मलना भी गुनाह व मना नहीं, हाँ बालिग़ के बदन में ना महरम औरतों का मलना ना जाइज़ है और बदन को हाथ तो माँ भी नहीं लगा सकती । येह हराम और सख़्त हराम है । और औरत व मर्द के दरमियान शरीअ़त ने कोई मुँह बोला रिश्ता न रखा, येह शैतानी व हिन्दुवानी रस्म है ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 170)

अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को सादगी से सरकार सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम की सुन्नत पर अ़मल करते हुए शादी ब्याह करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये । आमीन !

दुल्हन दुल्हे को सजाना

शादी के मौक़े पर दुल्हन, दूल्हे को मेहन्दी लगाई जाती है कंगन बान्धा जाता है और निकाह के दिन सेहरा बान्धा जाता है और ज़ेवरात से सजाया जाता है । लिहाज़ा यहाँ मासाइल बयान कर देना निहायत ही ज़रूरी है ।

मसअला :—औरतों को हाथ, पावँ में मेहन्दी लगाना जाइज़ है लेकिन बिला ज़रूरत छोटी बच्चियों के हाथ, पावँ में मेहन्दी लगाना न चाहिये । बड़ी लड़कियों के हाथ पावँ में मेहन्दी लगा सकते है ।

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 2, सफ़ा नं. 214)

इस मस्अले से पता चला कि औरतें और लड़कियाँ मेहन्दी लगा सकती है चाहे शादी का दिन हो या और कोई ख़ुशी का मौक़ा,

हदीस :- सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------------------------------

"औरतों को चाहिये के हाथ और पावें पर मेहन्दी लगाए ताकि मर्दों के हाथ की तरह हाथ न हो, और अगर किसी वजह से या बे एहतियाती में किसी ग़ैर मर्द को दिख जाए तो उसे पता न चले कि औरत किस रंग की है यानी गोरी है या काली क्योंकि हाथों के रंग को देख कर भी इन्सान चेहरे के रंग का अन्दाज़ा लगा लेता है"। एक हदीस में इरशाद हुआ के "ज्यादा न हो तो मेहन्दी से नाखुन ही रंगीन रखें"। *(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 148)*

लिहाज़ा औरतों को मेहन्दी लगाना बेशक जाइज़ है और इसी तरह हर क़िस्म के ज़ेवरात भी जाइज़ है चुनानचे दुल्हन को मेहन्दी लगाने, ज़ेवरात से सजाने में काई हर्ज नहीं । लेकिन मर्दों को येह सब हराम है चाहे दूल्हा ही क्यों न हो ।

मस्अला :–हाथ पावें में बल्कि सिर्फ़ नाख़ूनों में ही मेहन्दी लगाना मर्द के लिए हराम है ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 149)

शहज़ादा-ए-आला हज़रत हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आज़मे हिन्द रहमतुल्लाह तआला अलैह के फ़तावा-ए- में है कि आप से फ़तवा पूछा गया----

सवाल :–दूल्हे को मेहन्दी लगाना दुरूस्त है या नहीं ? दूल्हा चांदी के ज़ेवर पहेनता है, कंगन बांधता है इस सूरत में निकाह पढ़ा दिया तो दुरूस्त है या नहीं ?

जवाब :–(इस सवाल के जवाब में आप ने फ़तवा दिया कि) मर्द को हाथ पावें में मेहन्दी लगाना ना जाइज़ है---ज़ेवर पहनना गुनाह है--कंगन हिन्दुओं की रस्म है येह सब चीज़ें पहले उतरवाए

फिर निकाह पढ़ाए के जितनी देर निकाह में होंगी उतनी देर वोह (दूल्हा) और गुनाह में रहेगा । और बुरे काम, को क़ुदरत (ताक़त) होते हुए न रोकना और देर करना खूद गुनाह है, बाकी अगर ज़ेवर पहने हुए निकाह हुआ तो निकाह हो जाएगा ।

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़ाविया, जिल्द 3 सफ़ा नं. 175)

सेहरा :-

सेहरा पहेनना मुबाह है यानी पहेने तो न कोई सवाब और अगर न पहेने तो न कोई गुनाह । येह जो लोगों मे मश्हूर है के सेहरा पहेनना हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की सुन्नत है, गलत है और सरासर झूट,

कौल :- मुजद्दिदे आज़म सैय्यदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है--------------

"सेहरा न शरीअत में मना है न शरीअत मे ज़रूरी या मुस्तहब (अच्छा काम) बल्कि एक दुनियावी रस्म है, की तो क्या ! न की तो क्या ! इसके सिवा जो कोई इसे हराम गुनाह व बिदअत वं ज़लालत बताए वोह सख़्त झूटा सरा सर मक्कार है । और जो उसे ज़रूरी लाज़िम (समझे) और तर्क को (सेहरा न पहेनने को) बुरा जाने और सेहरा न पहनने वालों का मज़ाक़ उडाए वोह निरा जाहिल है ।

(हादिन्नास फ़ी रूसूमिल अरास, सफ़ा नं. 42)

दुल्हे का सेहरा ख़ालिस अस्ली फूलों का होना चाहिये । गुलाब के फूल हो तो बहुत बेहतर है कि गुलाब के फूल सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को बहुत पसंद थे । सेहरे में चमक वाली पन्नियाँ न हो कि येह ज़ीनत है और मर्द को ज़ीनत (यानी ऐसा लिबास जो चमकदार हो उसका) इस्तेमाल हराम है । दूल्हन के सहरे में अगर येह चमक वाली पन्नियाँ हो तो कोई हर्ज नहीं ।

इसी तरह आज कल सेहरा में रूपये (नोट) वगैरा लगाते है येह फ़ुज़ूल ख़र्ची और ग़ुरूर व तकब्बुर की निशानी है जो शरीअत में जाइज़ नहीं, लिहाज़ा अगर सेहरा पहेनना ही हो तो सिर्फ़ खुशबूदार फूलों का ही हो । वरना एक गुलाब के फूलों का हार भी काफ़ी है । (वल्लाहो आलम)

दुलहन दुल्हे को सजाते वक़्त दुआ :-

दुल्हन को जो औरतें सजाए उन्हें चाहिये कि वोह दुल्हन को दुआए दें । हदीसे पाक में है-----------

हदीस :- उम्मुल मोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हा इरशाद फ़रमाती हैं के-------------------------

"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से जब मेरा निकाह हुआ तो मेरी वालिदह माजेदह मुझे सरकार के दौलत कदे पर लाई वहाँ अनसार की कुछ औरतें मौजूद थी (उन्होंने मुझे सजाया) और दुआ दी---

عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَآئِرٍ-

दुआ :- अलल ख़ैरे वल बराकते व आला ख़ैरे-त-अ-ए-रिन ०

तर्जमा :- ख़ैरो बरकत हो अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 87, हदीस नं. 142, सफ़ा नं. 82)

लिहाज़ा हमारी इस्लामी बहनों को भी चाहिये के जब भी वोह किसी की शादी के मौके पर जाए दुल्हन सजाते वक्त या फिर उस से मुलाकात के वक्त इन अलफ़ाज़ों से बरकत की दुआ करे ।

इसी तरह दूल्हे के दोस्तों को भी चाहिये के वोह दूल्हे को सजाते या सेहरा बांधते वक्त यही दुआ दे । बुख़ारी शरीफ़ की एक दूसरी रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने हज़रते अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदीअल्लाहो तआला अन्हो को उन की शादी पर इसी तरह बरकात की दुआ इरशाद फ़रमाई थी ।

निकाह

हुज़ूर सैय्यदना ग़ौसे आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रदीअल्लाहो तआला अन्हो नक्ल फ़रमाते है-----------------

"निकाह जुमेरात या जुम्अे को करना मुस्तहब है । सुबह की बजाए शाम के वक्त निकाह करना बेहतर व अफ़ज़ल है" ।

(गुन्यातुत्तालेबीन, बाब नं. 5, सफ़ा 115)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खॉ "फ़तावा-ए-रज़वीया" मे नक्ल करते हैं कि-----------------------------------

"जुम्अे के दिन अगर जुम्अे की अज़ान हो गई हो तो उसके बाद जब तक नमाज़ न पढ़ ली जाए निकाह की इजाज़त नही के अज़ान होते ही जुम्अे की नमाज़ के लिए जल्दी करना वाजिब है । फिर भी अगर कोई अज़ान के बाद निकाह करेगा तो गुनाह होंगा, मगर निकाह जाइज़ व सही हो जाएगा" ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 158)

मसअला :– कुछ लोगों का ख़्याल है कि निकाह मोहर्रम के महीने में नहीं करना चाहिये, येह ख़्याल फ़ुज़ूल व ग़लत है, निकाह किसी महीने में मना नहीं ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 179)

दूल्हा, दुल्हन दोनों के माँ, बाप का या फिर किसी ज़िम्मेदार रिश्तेदार का फ़र्ज़ है कि निकाह के लिए सिर्फ़ सुन्नी क़ाज़ी को ही बुलवाए, काज़ी वहाबी, देवबन्दी, मौदूदी, नेचरी, ग़ैर मुक़ल्लिद वग़ैरा न हो ।

इमामे इश्क़ो मुहब्बत मुजद्दिदे आज़म आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खॉ रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है--------

इरशाद :– वहाबी से निकाह पढवाने में उस की तअज़ीम होती है जो कि हराम है, लिहाज़ा इससे बचना ज़रूरी है ।

(अलमलफ़ूज़, जिल्द 3 सफ़ा नं. 16)

निकाह की शर्त में येह है कि दो गवाह हाज़िर हो । इन दोनों गवाहों का भी सुन्नी सहीहुल अक़ीदह होना ज़रूरी है ।

मसअला :– एक गवाह से निकाह नही हो सकता जब तक दो मर्द या एक मर्द व. दो औरतें मुस्लिम (सुन्नी) समझदार बालिग़ न हो ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 163)

मसअला :– सब गवाह ऐसे बद मजहब है जिन की बदमज़हबी कुफ़्र तक पहुँच चुकी हो जैसे वहाबी, देवबन्दी, शिया, नेचरी, चकड़ालवी, क़ादयानी, ग़ैर मुक़ल्लिद, (मौदूदी) वग़ैरा तो निकाह नही होगा ।

(फ़तावा-ए-अफ़रीक़ा, सफ़ा नं. 61)

हदीस :– हज़रत इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है के हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--------

البغايا اللاتى ينكحن انفسهن بغير بينه۔

"गवाहों के बग़ैर निकाह करने वाली औरतें ज़ानियाँ (ज़िना करने वाली) है" ।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 751, हदीस नं. 1095, सफ़ा 563)

निकाह के बाद :-

निकाह के बाद मिसरी व खजूर बाटना बहुत अच्छा है येह रिवाज हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में भी था ।

आला हज़रत रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है--------

"(निकाह के बाद) छूवारे (खजूर) हदीस शरीफ़ में लूटने का हुक्म है और लूटाने में भी कोई हर्ज नहीं और येह हदीस "दारक़ुत्नी" व "बयहक़ी" व "तहावी" से मरवी है"।

(अलमलफ़ूज़, जिल्द 3, सफ़ा नं. 16)

आला हज़रत के इस इरशाद से पता चला के, मिसरी व खजूर लूटाना चाहिये यानी लोगों पर फेंके । लेकिन लोगों को भी चाहिये कि वोह अपनी जगह पर बैठे रहें और जिस क़दर उनके दामन में गिरे वोह उठाले ज़्यादा हासिल करने के लिए किसी पर न गीर पड़े ।

दुल्हन दुल्हा को मुबारकबाद :-

निकाह होने के बाद दूल्हा, दुल्हन को मुबारक बाद देनी चाहिये और उन के लिए बरकत की दुआ करनी चाहिये ।

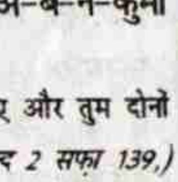
हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है- "जब कोई शख़्स निकाह करता तो हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम उसको मुबारकबाद देते हुए उसके लिए यूँ दुआ फ़रमाते--

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ •

दुआ :- ब-र-कल्लाहो लका-व-ब-र-क-अलैका व जमा-अ-बै-न-कुमा फ़ी ख़ैर ०

तर्जमा :- अल्लाह तआला तुझे बरकत दे और तुझ पर बरकत नाज़िल फ़रमाए और तुम दोनों मे भलाई रखे । *(तिर्मिज़ी शरीफ़ जिल्द 1 सफ़ा 557, अबूदाऊद शरीफ़ जिल्द 2 सफ़ा 139.)*

दुल्हे को तोहफ़े



लड़की को जहेज़ देना सुन्नत है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा देना और क़र्ज़ ले कर देना दुरूस्त नहीं । लड़की वाले अपनी हैसियत के मुताबिक़ जिस क़द्र भी जहेज़ दे उसे ख़ूशी ख़ूशी क़ुबूल करना चाहिये अपनी तरफ़ से माँग करना किसी भीकारी के भीक माँगने से किसी तरह कम नहीं ।

मसअला :- जहेज़ के पूरे तमाम माल पर ख़ास औरत का हक़ है दूसरे का उस में कुछ हक़ नहीं ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 529)

हमारे मुल्क में येह रिवाज हर क़ौम में पाया जाता है कि निकाह के बाद दुल्हन वाले दूल्हे को तोहफ़े देते हैं जिस में कपड़े का जोड़ा, सोने की अंगूठी और घड़ी वग़ैरा होती है । तोहफ़े देने में कोई हर्ज नहीं लेकिन इसमें चन्द बातों की एहतियात बहुत ज़रूरी है, मसलन, आप जो अंगूठी दूल्हे को दे वोह सोने की न हो ।

मस्अला :— मर्द को किसी भी धात का ज़ेवर पहेनना हराम है, इसी तरह मर्द को सोने की अंगूठी पहेनना भी हराम है । औरत को सोने की अंगूठी व ज़ेवर पहेनना जाइज़ है । मर्द सिर्फ़ चाँदी की ही अंगूठी पहेन सकता है लेकिन उस का वज़न साड़े चार माशा से कम होना चाहिये । दूसरी धातें मस्लन लोहा, पीतल, ताम्बा, जस्त वग़ैरा इन धातों की अंगूठी मर्द और औरत दोनों को पहेनना ना जाइज़ है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा नं. 196)

हदीस :- एक शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में पीतल की अंगूठी पहेन कर हाज़िर हुए । सरकार ने इरशाद फ़रमाया----"क्या बात है कि तुम से बुतों की बू आती है"। उन्हों ने वोह अंगूठी फेंक दी । फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहेन कर हाज़िर हुए । फ़रमाया---"क्या बात है कि तुम पर जहेन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ"। अर्ज़ किया--"या रसूलल्लाह ! फिर किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ"। इरशाद फ़रमाया---"चाँदी की और उस को साड़े चार माशे से ज़्यादा न करना" ।

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं 292, हदीस नं. 821, सफ़ा 277)

मस्अला :—मर्द को दो अंगूठीयाँ चाहे चाँदी की ही क्यों न हो पहेनना ना जाईज़ है । इसी तरह एक अंगूठी में कई नग हो या साड़े चार (4½) माशा से ज़्यादा वज़न हो तो इस तरह की भी अंगूठी पहेनना ना जाइज़ है ।

(अहकामे शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा नं. 160)

लिहाज़ा दूल्हे को सोने की अंगूठी न दे । इस की बजाए उस की कीमत के बराबर कोई और चीज़ या फिर चाँदी की सिर्फ़ एक अंगूठी साड़े चार माशा से कम वज़न की ही दें । वरना देने वाला और उसे पहेनने वाला दोनों गुनाहगार होंगे ।

मुम्किन है कि आप के दिल में येह ख़्याल आए के अगर चाँदी की अंगूठी देंगे तो लोग क्यॉ कहेंगे, किस क़दर बदनामी होगी वग़ैरा वग़ैरा । तो होशयार ! येह सब शैतान के वसवसे है वोह इसी तरह लोगों से ग़लत काम करवाया करता है । हम आप से एक सीधी सी बात पूछते है कि आप को अल्लाह व उस के रसूल की ख़ुशी चाहिये या लोगों की वाह ! वाह ! सोचिये और अपने ज़मीर से ही इस का जवाब तलब कीजिये ।

अब आईये हम आप को घड़ी के मुतअ़ल्लिक़ भी कुछ ज़रूरी व अहम मअ़लूमात दें ।

सरकार सैय्यदी आ़ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो अपने एक फ़तवे में इरशाद फ़रमाते है--------

"घड़ी की ज़न्जीर (चैन) सोने, चाँदी की मर्द को हराम है और दूसरी धातों (जैसे लोहा, स्टील, पीतल, वग़ैरा) की मम्नूअ़, इन को पहेन कर नमाज़ (पढ़ना) और इमामत करना मकरूहे तहरीमी (ना जाइज़, व गुनाह) है ।

(अहकामे शरीअ़त, जिल्द 2, सफ़ा नं. 170)

हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आज़मे हिन्द रहमतुल्लाहा अलैह, अपने फ़तवे में इरशाद फ़रमाते है----------------------------

मस्अला :—वोह घड़ी जिस की चैन सोने, या चाँदी या स्टील वग़ैरा किसी धात की हो, उस का इस्तेमाल ना जाईज़ है और उस को पहेन कर नमाज़ पढ़ना गुनाह और जो नमाज़ पढ़ी गई उस का लौटाना वाजिब है ।

(बहवाला माहनामा इस्तेक़ामत, कानपूर, जनवरी 1978)

इस लिए हमेशा वही घड़ी पहेने जिस का पट्टा (चैन) चमड़े, प्लास्टिक या रेगज़ीन का हो । स्टील या किसी और दूसरी धात का न हो । और शादी के मौके पर भी दूल्हे को अगर घड़ी देना ही हो तो सिर्फ़ चमड़े या प्लास्टिक के पट्टे वाली ही घड़ी दें ।

रुख़सती

जब कोई शख़्स अपनी लड़की की शादी करे तो रुख़सती के वक्त अपनी लड़की और दामाद (दूल्हा, दुल्हन) दोनों को अपने पास बुलाऐ फिर उसके बाद एक प्याले (गिलास) में पानी ले कर येह दुआ पढ़े----

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ •

दुआ:- अल्लाहुम्मा इन्नी उइज़ुहा बेका-व-ज़ुर्री-य-त-ह-मिनश शैतानिर्रजीम

तर्जमा :- अए अल्लाह मै तेरी पनाह मे देता हूँ इस लड़की को और इस की (जो होगी) औलादों को, मरदूद शैतान से । *(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 163)*

इस दुआ को पढ़ने के बाद प्याले में दम करें (यानी फुँके) उस के बाद पहले अपनी लड़की (दुल्हन) को अपने सामने खड़ा करे और फिर उस के सर पर पानी के छींटे मारे फिर सीने पर और उस की पीठ पर छींटे मारे ।

फिर उस के बाद इसी तरह दामाद (दूल्हा) को भी बुलाए और प्याले में दूसरा पानी ले कर येह दुआ पढ़े-----------------

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهٗ بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهٗ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ •

दुआ :- अल्लाहुम्मा इन्नी उइज़ुहु बेका व ज़ुर्री य-त-हू मिनश शैतानिर्रजीम

तर्जमा :- अए अल्लाह मै तेरी पनाह मे देता हूँ इस लड़के को और इस की (जो होगी) औलादें उन को शैतान मरदूद से । *(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं 163)*

पानी पर दम करने के बाद पहले की तरह अपने दामाद के सर और सीने पर फिर पीठ पर छींटे मारे और उस के बाद रुख़सत कर दें ।

हदीस :- हज़रत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन जज़री शाफ़ई रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हम अपनी मशहूर किताब "हिस्ने हसीन" में नक़्ल फ़रमाते हैं के---------------------

"जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ली रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो का निकाह हज़रत फ़ातमा रदीअल्लाह तआ़ला अन्हा से कर दिया तो आप उन के घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातमा से फ़रमाया---"थोड़ा सा पानी लाओ" । चुनानचे वोह एक लकड़ी के प्याले में पानी ले कर हाज़िर हुई, आप ने उन से वोह प्याला ले लिया और एक घूँट पानी दहने मुबारक (मुँह शरीफ़) में ले कर प्याले में ही कुल्ली की, और इरशाद फ़रमाया---"आगे आओ"। हज़रत फ़ातमा सामने आ कर खड़ी हो गई तो आप ने उन के सर पर और सीने पर वोह पानी छिड़का और येह दुआ़ फ़रमाई (वोह दुआ़ जो हम पहले लिख चुके हैं) और उसके बाद फ़रमाया---"मेरी तरफ़ पीठ करो"। चुनानचे वोह आप की तरफ़ पीठ कर के खड़ी हो गई तो आप ने बाक़ी पानी भी यही दुआ़ पढ़ कर पीठ पर छिड़क दिया । इस के बाद आप ने (हज़रत अ़ली की जानिब रुख़ कर के) फ़रमाया---"पानी लाओ"। हज़रत अ़ली कहते हैं कि--'मैं समझ गया जो आप चाहते हैं चूनानचे मैं ने भी प्याला भर कर पानी पेश किया । आप ने फ़रमाया---"आगे आओ" मैं आगे आया--आप ने वही कलमात पढ़ कर और प्याले में कुल्ली कर के मेरे सर और सीने पर पानी के छिंटे दिये और फिर वही दुआ़ पढ़ कर और प्याले में कुल्ली कर के मेरे मोन्डे (कंधों) के दरमियान पानी के छिंटे दिए उस के बाद फ़रमाया--"अब अपनी दुल्हन के पास जाओ"।

(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 164)

नोट :- पानी पर सिर्फ़ दुआ़ कर के ही दम करे उस में कुल्ली न करे । सरकार सल्लल्लाहो

तआला अलैहि व सल्लम का थूक मुबारक और कुल्ली किया हुआ मुबारक पानी पाक ही नही बल्कि बाइसे बरकत है और बीमारियों से शिफ़ा देने वाला और जहन्नम की आग के हराम होने का सबब है सरकार का लोवाबे दहन (थूक मुबारक) खूश नसीबों को ही मिलता है ।

सुहाग रात के आदाब

जब दूल्हा, दुल्हन कमरे में जाए और तन्हाई हो तो बेहतर येह है कि, सब से पहले दुल्हन, दूल्हा दोनों वुज़ू कर ले और फिर जानमाज़ या कोई पाक कपड़ा बिछा कर दो (2) रकअ़त नमाज़ नफ़िल, शुक्राना पढ़े । अगर दुल्हन हैज़ (माहवारी) की हालत में हो तो नमाज़ न पढ़े लेकिन दूल्हा ज़रूर पढ़े ।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो फ़रमाते है के-----------------------------------

"एक शख़्स ने उनसे बयान किया कि--मै ने एक जवान लड़की से निकाह कर लिया है और मुझे ड़र है के वोह मुझे पसंद नहीं करेगी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ने फ़रमाया-"मुहब्बत अल्लाह की तरफ़ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ़ से, जब तुम बीबी के पास जाओ तो सब से पहले उस को कहो कि वोह तुम्हारे पीछे दो (2) रक्अ़त नमाज़ पढ़े ।

(गुन्यतुत्तालेबीन, बाब नं. 5, सफ़ा 115)

नमाज़ की नियत :- नियत की मै ने दो रक्अ़त नमाज़ नफ़िल शुक्राने की वासते अल्लाह तआ़ला के मुँह मेरा काबा शरीफ़ के, अल्लाहो अकबर ।

फिर जिस तरह दूसरी नमाज़ें पढ़ी जाती है उसी तरह येह नमाज़ भी पढ़े । (यानी अलहम्द शरीफ़ फिर उसके बाद कोई एक सूरा मिलाए)

नमाज़ के बाद इस तरह से दुआ़ करें-----------------

"अए अल्लाह अज्ज़ व जल्ला तेरा शुक्र और एहसान हैं कि तू ने हमें येह दिन दिखाया और हमें इस खूशी व नेमत से नवाज़ा और हमे अपने

हबीब सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई--अए अल्लाह हमारी इस ख़ुशी को हमेशा इसी तरह क़ायम रख, हमें मेल मिलाप प्यार मुहब्बत के साथ इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद के साथ ज़िन्दगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अए रब्बे क़दीर हमें नेक फ़रमाबरदार औलाद अता फ़रमा, अए अल्लाह मुझे इस से और इस को मुझ से रोज़ी अता फ़रमा । आमीन । *(गुन्यतुत्तालेबीन, बाब नं. 5, सफ़ा 115)*

सुहाग रात की ख़ास दुआ :-

नमाज़ और फिर उस के बाद दुआ पढ़ लेने के बाद दुल्हन, दूल्हा, पलंग पर सुकून से बैठ जाए फिर उसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में नर्मी के साथ मुहब्बत भरे अन्दाज़ में पकड़े और येह दुआ पढ़े---------------

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَا وَ خَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا وَ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔

दुआ :- अल्लाहुम्मा इन्नी अस अलुका मिन ख़ैरे-ह-व-ख़ैरे-म- जबल-त-ह-अलैहे व अउज़ू बे-क-मिन शर्रे-ह-व शर्रे-म-जबल-त-ह-अलैह ।

तर्जमा :- अए अल्लाह मै तुझ से इस की (बीवी की) भलाई और ख़ैरो बरकत माँगता हूँ और उस की फ़ितरी आदतों की भलाई, और तेरी पनाह चाहता हूँ इस को बुराई और फ़ितरी आदतों की बुराई से ।

हदीस :- हज़रत अम्र बिन आस रदीअल्लाहा अन्हो से रिवायत है के सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---

"जब कोई शख़्स निकाह करे और पहली रात (सुहाग रात) को अपनी दुल्हन के पास जाऐ तो नर्मी के साथ उस की पेशानी के थोड़े से बाल अपने सीधे हाथ में ले कर येह दुआ पढ़े । (वही दुआ जो हम उपर नक़्ल कर चुके है)

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 150, व हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 164)

फ़ज़ीलत :- सुहाग रात के रोज़ इस दुआ को पढ़ने की फ़ज़ीलत में ओलमा-ए-दीन इरशाद फ़रमाते हैं कि---अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इस के पढ़ने की बरकत से मियाँ, बीवी, के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ और मुहब्बत क़ायम रखेगा, और औरत में अगर बुराई हो तो उसे दूर फ़रमा कर उस के ज़रिये नेकी फैलाएगा और औरत हमेशा मर्द की ख़िदमत गुज़ार वफ़ादार और फ़रमाबरदार रहेगी । *(इन्शा अल्लाह)*

अगर हम इस दुआ के मअ़नों (अर्थ, **Meanings**) पर ग़ौर करे तो इस में हमारे लिए कितना अम्न व सुकून का पैग़ाम है । लिहाज़ा इस दुआ को सुहाग रात की रात ज़रूर पढ़ लें, येह दुआ हमें दर्स देती है के किसी भी वक्त यादे इलाही से ग़ाफ़िल न होना चाहिये बल्कि हर वक्त हर मामले में अल्लाह की रहमत के तलबगार रहें ।

एक बड़ी ग़लत फ़हमी :-

कुछ लोगों का ख़्याल है कि जब औरत से पहली बार सोहबत की जाए तो उसकी शर्मगाह से खून का ख़ारिज होना ज़रूरी है ।

चुनानचे येह खून का आना उस के बा अज़मत, पाक दामन, (पवित्र) होने का सुबूत समझा जाता है । अगर खून नहीं आया तो औरत बदचलन, आवारा समझी जाती है और औरत की शराफ़त और बा अज़मत होने मे शक किया जाता है । कभी कभी येह शक ज़िन्दगी को कड़वा और बद मज़ा कर देता हैं और कई बार नौबत तलाक़ तक आ पहुँचती है । लिहाज़ा इस मस्अले पर रौशनी ड़ालना और इस ग़लत फ़हमी को दूर करना ज़रूरी है ।

कुँवारी लड़कियों की शर्मगाह में थोड़ा अन्दर एक पतली झिल्ली होती है जिसे पर्दा-ए-अज़मत या पर्दा-ए-बकारत (**Hymen**) कहते है । इस झिल्ली में एक छोटा सा सूराख़ होता है जिस के ज़रिये लड़की के बालिग़ होने पर हैज़ (माहवारी) का ख़ून अपने वक्त पर ख़ारिज होता रहता है ।

शादी के बाद जब मर्द पहली बार सोहबत करता है तो मर्द के ऊज़्‌-ए-तनासुल के उस से टकराने की वजह से वोह झिल्ली फट जाती है इस मौके पर औरत को थोड़ी तकलीफ़ होती है और थोड़ा सा ख़ून भी ख़ारिज होता है । फिर येह झिल्ली (पर्दा) हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है ।

लेकिन चुँकि येह झिल्ली पतली और नाज़ुक होती है तो कई मरतबा किसी किसी लड़की की येह किसी मामूली चोट या किसी हादसे की वजह से या कभी कभी खूद ब खूद भी फट जाती है ।

आज कल बहुत सी लड़कियाँ सायकल वगै़रा चलाती है, कुछ खेल कूद और कसरत वगै़रा भी करती है जिस की वजह से भी येह झिल्ली कई मरतबा फट जाती है । ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है और पहेली रात सोहबत के वक्‌त जब मर्द ख़ून नहीं देखता तो वोह शक करने लगता है ।

किसी किसी औरत की येह झिल्ली ऐसी लचकदार होती है कि सोहबत के बाद भी नहीं फटती और सोहबत करने में रूकावट भी पैदा नहीं करती । और न ही ख़ून ख़ारिज होता है ।

लाखों में से किसी एक औरत की येह झिल्ली इतनी मोटी और सख़्त होती है कि फटती नहीं जिसके लिए नशतर की ज़रूरत पड़ती है । लिहाज़ा अगर किसी लड़की से सोहबत के वक्‌त ख़ून न आए तो ज़रूरी नहीं के वोह आवारा और अय्याश व बदचलन हो इस लिए उस की अज़मत और पाक दामनी पर शक करना किसी भी सूरत में मुनासिब न होंगा, जब तक की मुकम्मल शरई सुबूत न हो ।

फ़िक़्ह की मशहूर किताब **"तन्वीरूल अबसार"** में है-----------------------

"जिस का पर्दा-ए-अज़मत कूदने, हैज़ आने या ज़ख़्म या उमर ज़्यादा होने की वजह से फट जाए	من زالت بكارتها بو ثبة اوورودحيض او جراحة او كبربكر حقيقة۔

वोह औरत हक़ीक़त में बकिरह (कँवारी, पाक दामन) है" ।

(तन्वीरूल अबसार, बहवाला फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 12 सफ़ा 36)

सुहागरात की बातें दोस्तों से कहना :-

कुछ लोग अपने दोस्तों को पहली रात (सुहाग रात) में बीवी के साथ की हुई बातें और हरकतें मज़े ले कर सुनाते हैं, दूल्हा अपने दोस्तों को बताता है और दुल्हन अपनी सहलियों को बताती है और सुनाने वाला और सुन्ने वाले इसे बड़े ख़ुशी के साथ मज़े ले ले कर सुनते है । येह बहुत ही जहीलाना तरीक़ा है भला इस से ज़्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है ।

हदीस :- ज़माने जहालियत में लोग अपने दोस्तों को और औरतें अपनी सहलियों को रात में की हुई बातें और हरकतें बताया करते थे चुनानचे जब **सराकरे मदीना** सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को इस बात की ख़बर हुई तो आप ने इसे सख़्त न पसंद फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया---

ذ لك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته و الناس ينظرون اليه---

"जिस किसी ने सोहबत की बातें लोगों में बयान की उस को मिसाल ऐसी है जैसे शैतान औरत शैतान मर्द से मिले और लोगों के सामने ही खुले आम सोहबत करने लगे" ।

(अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं.127, हदीस नं. 407, सफ़ा 155)

वलीमा

वलीमा करना सुन्नते मौकेदाह है । (जान बुझ कर वलीमा न करने वाला सख़्त गुनाहगार है)

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 261)

वलीमा येह है कि सुहाग रात की सुबह को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और महल्ले के लोगों को अपनी हैसियत के मुताबिक़ दावत करे, दावत करने वालों का मक़सद सुन्नत पर अमल करना हो ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 185)

हदीस :- हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदीअल्लाह तआला अन्हो का बयान है के मुझ से नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------------------------------

"वलीमा करो चाहे एक ही बकरी हो"। || اولم ولو بشاة-

(बुख़ारी शरीफ़ जिल्द 3 सफ़ा नं. 85, मांता शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 434)

इस्तेताअत (हैसियत) हो तो वलीमे में कम से कम एक बकरी या बकरे का गोश्त ज़रूर हो कि सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इसे पसंद फ़रमाया----लेकिन अगर हैसियत न हो तो फिर अपनी हैसियत के मुताबिक़ किसी भी क़िस्म का खाना पका सकते है के येह भी जाइज़ है एक हदीसे पाक में है-----------------

हदीस :- हज़रत सफ़िया बिन्त शैबा रदीअल्लाहो तआला अन्हा फ़रमाती है के-------------------------------------

"नबी सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने अपनी बाज़ अज़वाजे मुतहरात (बीवीयों) का वलीमा दो सेर जव के साथ किया था" । || اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه بمدین من شعیر-

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, सफ़ा नं. 87)

सैय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो "कीम्या-ए-सआदत" में इरशाद फ़रमाते हैं--------------------

"वलीमा में ताख़ीर (देरी) करना ठीक नही अगर किसी शरअई वजह से ताख़ीर हो जाए तो एक हफ़्ते के अन्दर, अन्दर वलीमा कर लेना चाहिये उस से ज़्यादा दिन गुज़रने न पाए" ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 261)

हदीस :- हज़रत इब्ने मस्ऊद रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत हैं के नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------

طعام اوّل یوم حق و طعام یوم الثانی سنۃ و طعام یوم الثالث سمعۃ ومن سمّع سمع اللّٰہ بہ۔

"पहले दिन का खाना (यानी सुहाग रात के दूसरे रोज़ वलीमा करना) वाजिब है, दूसरे दिन का सुन्नत है, और तीसरे दिन का खाना सुनाने और शोहरत के लिए है, और जो कोई सुनाने के लिए काम करेगा अल्लाह तआला उसे सुनाएगा । (यानी इस की सज़ा उसे मिलेगी) इमाम तिर्मिज़ी रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है------- "येह हदीस ग़रीब व ज़ईफ़ है" ।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 746, हदीस नं.1089, सफ़ा 559)

दावत क़ुबूल करना :-

दावत क़ुबूल करना सुन्नत है ।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--

اذادعی احدکم الی الولیمۃ فلیا تہا۔

"जब तुम में से किसी को वलीमा खाने के लिए बुलाया जाए तो वोह हाज़िर हो जाए"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा 87, मोता इमाम मालिक, जिल्द 2 सफ़ा 434)

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------

"जो दावत क़ुबूल न करे उसने अल्लाह तआला व रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की ना फ़रमानी की" ।

من ترک الدّعوة فقد عصی اللّٰہ و رسولہ۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं 102, हदीस नं. 163, सफ़ा 88)

बिन दावत जाना :-

दावत में बग़ैर बुलाए नही जाना चाहिये । आज कल आम तौर पर कई लोग दावतों में बिन बुलाए ही चले जाते है और उन्हें न ही शर्म आती है न ही अपनी इज़्ज़त का कुछ ख़्याल होता है । गोया-------------"मान न मान मै तेरा महमान"

हदीस :- सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--

"दावत में जाओ जब के बुलाएं जाओ"। और फ़रमाया-----

"जो बग़ैर बुलाए दावत में गया वोह चोर हो कर घुसा और गारतगीरी कर के लुटेरे की सूरत में बाहर निकला" । (यानी गुनाहों को साथ ले कर निकला)

و من دخل علی غیر دعوة دخل سارقا و خرج مغیرا۔

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं 127, हदीस नं. 342, सफ़ा 130)

बुरा वलीमा :-

हदीसे पाक में उस वलीमे को बहुत बुरा बताया गया है जिस में सब अमीर (रूपये पैसे वाले) ही हो और कोई ग़रीब न बुलाया

जाए या जिस में ग़रीबों के लिए अलग किस्म का खाना और अमीरों के लिए अलग किस्म का खाना रखा जाए ।

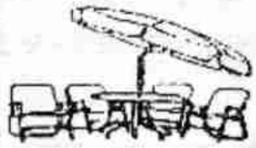
हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है, रसूले खुदा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------

"सब से बुरा वलीमा का वोह खाना है जिस में अमीरों को तो बुलाया जाए और ग़रीबों को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाए" ।

شرّ الطّعام طعام الوليمة يدعى لها الاغنياء ويترک الفقرآء۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, सफ़ा नं. 88, मोता शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 434)

टेबल कुर्सी पर खाना :-



आज कल टेबल कुर्सी पर जूते पहने हुए खाना, खाना फ़ैशन बन गया है । याद रखिये येह हमारी शरीअत में जाइज़ नहीं, टेबल कुर्सी पर खीलाने वाले, खाने वाले दोनों सख़्त गुनाहगार है ।

हदीस :- हज़रत अनस रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--------

"जब खाना, खाने बैठो तो जूते उतार लो के इस में तुम्हारे पावँ के लिए ज़्यादा राहत है और येह अच्छी सुन्नत है" ।

اذا اكلتم الطام فا خلعو انعالكم فانه اروح لا قدامكم و انهاسنة جميله۔ *(तबरानी शरीफ़,)*

टेबल कुर्सी पर खाना खाने के मुतअल्लिक़ मुजद्दिदे आज़म इमाम अहमद रज़ा खाँ रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है----

"टेबल कुर्सी पर जूता पहने हुए खाना, खाना ईसाइयों की नक़्ल है इस से दूर भागे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम का वोह इरशाद याद करे - من تشبه بقوم فهو منهم कि---"जो किसी क़ौम से मुशाबेहत (नक़्ल) पैदा करे वोह उन्ही में से है ।

(फ़तवा-ए-अफ़रीक़ा, सफ़ा नं. 53)

मस्अला :—भूक से कम खाना सुन्नत है । भूक भर कर खाना मुबाह है, यानी न सवाब है न गुनाह, और भूक से ज़्यादा खाना हराम है । ज़्यादा खाने का मतलब येह है के इतना खाया जिस से पेट ख़राब होने (बदहज़मी) का गुमान है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 178)

एक नई ख़ुराफ़ात :-

आज कल मुसलमानों में एक और नई चीज़ राएज हो गई है, वोह येह के औरतों में जवान मर्द और लड़के खाना परोस्ते है । खाने के दौरान बेहुदा गन्दा मज़ाक़, लड़कियों से छेड़ छाड़ और बदतमीज़ी की हर हद को पार कर लिया जाता हैं, क्या इस के हराम व गुनाह होने में किसी को कोई शक है !!

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-

"अल्लाह की लअनत बद निगाही करने वाले पर और जिस की तरफ़ बद निगाही की जाए" ।

لعن الله الناظر و المنظور اليه -

(बयहक़ी शरीफ़, बहवाला मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2 सफ़ा 77)

हदीस :- और फ़रमाते है हमारे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम-----"जो शख़्स किसी औरत को बद निगाही से देखेगा, क़ियामत के दिन उसकी आँखों मे पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा"।

इस बुरे तरीक़े पर पाबन्दी लगाना हर पढ़े लिखे मुसलमान पर ज़रूरी है और ख़ास कर हमारे बुज़ुर्गों पर ख़ास ज़िम्मेदारी है के वोह शादी बयाह के मौक़े पर औरतों में मर्दों को खाना खिलाने से रोके वरना याद रखिये महशर में सख़्त पूछ होगी और आप से पूछा----

जाएगा-"तुम क़ौम में बुज़ुर्ग थे तुम ने अपनी जवान नस्लों को इन हराम कामों से क्यों ना रोका था"। उस वक़्त आपके पास क्या जवाब होगा?

हदीस :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

السالت عن الحق شیطان اخرس

"बुराई देख कर हक़ बात कहने से ख़ामूश रहने वाला गुंगा शैतान है"।

सोहबत (संभोग) करने का तरीका

हदीस :- अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है-------

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

तर्जमा :- तो अब उन से सोहबत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा हो ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 2, सूरए बक़र, आयत 187)

इस बात का हमेशा ख़्याल रखे कि जब कभी भी सोहबत का इरादा हो तो येह जान ले के कही औरत हैज़ (माहवारी) की हालत में तो नही है ? चुनानचे औरत से साफ़ साफ़ पूछ ले । अगर औरत हैज़ की हालत में हो तो हरगिज़ हरगिज़ सोहबत न करे कि इस हालत में औरत से सोहबत करना बहुत बड़ा गुनाह है । (इस मस्अले का बयान आगे इन्शा अल्लाह तफ़्सील से आऐगा)

औरत का फ़र्ज़ है कि अगर वोह हैज़ की हालत में हो तो बे झिझक अपने शौहर को बता दें ।

अक्सर औरतें शादी की पहली रात (सुहाग रात) को शर्म की वजह से बताती नही है या कह भी दें तो मर्द सब्र नही कर पाते और सोहबत कर बैठते है और फिर इस जल्दबाज़ी की सज़ा उमर भर डॉक्टरों

और हकीमों की फ़ीस की शक्ल में भुगत्ते फिरते है । लिहाज़ा मर्द और औरत दोनों को ऐसे मौक़ों पर सब्र से काम लेना चाहिये ।

कुछ मर्द मतलब प्रस्त होते है उन्हें सिर्फ़ अपने मतलब से ही लेना होता है वोह दूसरे की ख़ूशी को कोई अहमियत नहीं देते, वोह येह ही वुसूल अपनी बीवी के साथ भी रखते है चुनानचे जब वोह सोहबत का इरादा करते है तो येह नहीं देखते कि औरत सोहबत करना चाहती है या नहीं, वोह कही किसी बीमारी या दुख दर्द में मुबतेला तो नहीं है । इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं होता वोह बेसबरी के साथ औरत पर टूट पड़ते हैं और अपना मतलब पूरा कर लेते हैं । इस हरकत से औरत की निगाह में मर्द की इ़ज्ज़त कम हो जाती है और वोह मर्द को मतलब प्रस्त समझने लगती है, साथ ही सोहबत का वोह लुत्फ़ हासिल नहीं हो पता ।

हदीस : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--

"तुम में से जो कोई अपनी बीवी के पास जाए तो पर्दा कर ले और गधों की तरह न शुरू हो जाए" ।

اذااتی احد کم اهله فلیستتر ولا یتجرد تجرد العمیرین۔

(इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 616, हदीस नं. 1990, सफ़ा 536)

हदीस : सैय्यदना हज़रत इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है कि **सरकारे आ़लमयान** सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------------------------------

"मर्द को न चाहिये कि अपनी औरत पर जानवर की तरह गीरे, सोहबत से पहले क़ासिद (पैग़ाम पहुँचाने वाला) होता हैं"। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया--"या रसूलुल्लाह ! वोह क़ासिद क्या है ? आप ने इरशाद फ़रमाया---"वोह बोस व किनार (चुम्मन, Kiss) वग़ैरा है" । (यानी सोहबत से पहले चुम्मन वग़ैरा से औरत को राज़ी करें)

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 266)

हदीस :- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लम तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------------------"जो मर्द अपनी बीवी का हाथ उसको बहलाने के लिए पकड़ता है, अल्लाह तआला उसके लिए एक नेकी लिख देता है, जब मर्द प्यार से औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक़ में दस नेकियाँ लिखी जाती है, और जब औरत से सोहबत करता है तो दुनिया और जो कुछ उस में है उन सब से बेहतर हो जाता है"।

(गुन्यतुत्तालेबीन, सफ़ा 113)

सोहबत से पहले ख़ूद बे चैन न हो जाए अपने आप पर पूरा इतमिनान रखे जल्दबाज़ी न करे पहले बीवी से प्यार मुहब्बत की बात चीत करे फिर बोस व किनार (चूम्मन, **Kiss**) वग़ैरा से उसको राज़ी करे और इसी दौरान दिल ही दिल में येह दुआ पढ़े----------

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

दुआ :- बिस्मिल्लाहिल अलीयुल अज़ीमे अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर

तर्जमा :- अल्लाह के नाम से जो बुज़ुर्ग व बरतर अज़मत वाला है अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह बहुत बड़ा है ।

इसके बाद जब मर्द, औरत, सोहबत का इरादा कर लें तो कपड़े जिस्म से अलग करने से पहले एक मरतबा "सूरए इख़्लास" पढ़े

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔

क़ुल हुवल्लाहो अहद 0 अल्लाहुस समद 0 लम-य-लिद 0 वलम यूलद वलम य कुल्लाहु कुफ़ुवन अहद 0

सूरए इख़्लास पढ़ने के बाद येह दुआ पढ़े------------

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔

दुआ :- बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जननिब नश शैताना व जन्ने बिश शैताना -म-रज़क तना.

तर्जमा :- अल्लाह के नाम से ० अए अल्लाह दूर कर हम से शैतान मरदूद को और दूर कर शैतान मरदूद को उस औलाद से जो तो हमें अता करेगा :

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा 473, कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा 266, हिस्ने हसीन, सफ़ा 165)

हदीस :- हज़रत इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है के रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----

"जो शख़्स इस दुआ को सोहबत के वक्त पढ़ेगा (वही दुआ जो उपर लिखी गई) तो अल्लाह उस पढ़ने वाले को अगर औलाद अता फ़रमाए तो उस औलाद को शैतान कभी भी नुक़सान न पहुँचा सकेगा"

قدْ ربینہما فی ذلک او قضی ولد
لَم یضر ہ شیطان ابدا۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा नं. 85, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 557)

होशियार :- इस हदीस की तशरीह (अर्थ, **Explanation**) में हज़ूर गौसे आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी व हज़रत मुहक्किके इस्लाम शेख़ अब्दुल हक़ मोहद्दिस दहलवी, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ रदीअल्लाहो तआला अन्हम इरशाद फ़रमाते है--------

"अगर कोई शख़्स सोहबत के वक्त दुआ न पढ़े (यानी शैतान से पनाह न माँगे) तो उस शख़्स की शर्मगाह से शैतान लिपट जाता है और उस मर्द के साथ शैतान भी उस की औरत से सोहबत करने लगता है । और जो औलाद पैदा होती है वोह न फ़रमान, बुरी आदतों वाली, बेग़ैरत, बद्दीन, होती है शैतान की इस दख़्ल अन्दाज़ी की वजह से औलाद में तबाहकारी आ जाती है" ।

(गुन्यतुत्तालेबीन, सफ़ा 116, अश्अतुल लम्आत, फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 46)

हदीस :- "बुख़ारी शरीफ़" की एक हदीस में है के हज़रत सअद बिन ऊबादा रदीअल्लाहो तआला अन्हा ने फ़रमाया--------------

"अगर मै अपनी बीवी के साथ किसी को देख लूँ तो तलवार से उस का काम तमाम कर दूँ"। उन की इस बात को सुन कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----"लोगों तुम्हें सआद की इस बात पर तअज्जुब आता है हालाँकि मै उन से बहुत ज़्यादा गैरत वाला हूँ और अल्लाह तआला मुझ से ज़्यादा गैरत वाला है"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं.137, सफ़ा नं. 104)

क्या आप गवारा करेंगे कि आप की बीवी के साथ आप के अलावा भी कोई और मर्द सोहबत करे । यकीनन अगर आप में गैरत का ज़रा सा भी ज़र्रा मौजूद है तो आप येह हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे। फिर भला बताइये आप कैसे गवारा कर लेते है कि आप की बीवी के साथ शैतान मरदूद भी सोहबत करे ! लिहाज़ा इस मुसीबत से बचने के लिए जब भी सोहबत करे तो याद करके येह दुआ पढ़ लिया करें ।

गालेबन आज कल ज़्यादा तर इस्लामी भाई ऐसे होंगे जो सोहबत के वक्त दुआ नहीं पढ़ते । शायद यही वजह है कि औलादें बे गैरत, ना फ़रमान और दीन से दूर नज़र आ रही है । हमारा और आप का रोज़ मर्रह का मुशाहिदह है कि--मसलन औलद से बाप कहेता है बुज़ुर्गों की मज़ारात पर हाज़िर होना चाहिये, बेटा बुज़ुर्गों की मज़ारों पर जाने को ज़िना और क़त्ल कर देने से ज़्यादा बुरा समझता है । बाप का अक़ीदह है कि रसूलुल्लाह हमारे आका व मौला है, बेटा रसूले अकरम को अपना बड़ा भाई कहता हुआ नज़र आ रहा है, गर्ज़ के दुनियावी मामला हो या फिर दीनी, औलाद अपने बाप से बाग़ी नज़र आती है । अल्लाह तआला मुसलमानों को तौफ़ीक़ दें ।

इन्ज़ाल (मनी निकलते वक़्त) की दुआ :-

जिस वक्त इन्ज़ाल हो यानी मर्द की (मनी, धातु, विर्य) उसके आले (ऊज़ू-ए-तनासुल लिंग) से निकल कर औरत की शर्मगाह में

दाख़िल होने लगे उस वक्त दिल ही दिल में येह दुआ पढ़े-----

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا ۔

दुआ :- अल्लाहुम्मा-ल-तजअल लिश शैताने फी-म-रज़कतनी नसी-ब
तर्जमा :- अए अल्लाह शैतान के लिए हिस्सा न बना उस मे जो (औलाद) तो हमें अता करे।

(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 165, फ़तावा-ए-रज़विया, जिल्द 9 सफ़ा 161)

इस दुआ की तअ्लीम देना इस बात की शहादत है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ज़िन्दगी के हर मोड़ पर अपना हुक्म नाफ़िज़ करता है ताकि मुसलमान किसी भी मामले में किसी दूसरे मज़हब का मोहताज न रहे और मुसलमान हर हाल में यादे इलाही से ग़ाफ़िल न हो कर यादे इलाही में मसरूफ़ रहें। साथ ही येह बात भी याद रखना ज़रूरी है कि आने वाली औलाद के लिए अल्लाह तआ़ला की बारगाह में दुआ तो कीजाए के अल्लाह उसे शैतान से महफ़ूज़ रखे लेकिन जब औलाद पैदा हो जाए और उसे शैतानी कामों से न रोके, उसे बुरी बातों से मना न करे और अच्छी बातों का हुक्म न दें तो बड़ी अजीब व तअ्ज्जुब की बात होंगी इसलिए आगाह हो जाईये कि येह दुआ हमें आइन्दा के लिए भी अमल करने की दावते फ़िक्र देती है।

इन्ज़ाल के फ़ौरन बाद अलग न हो :-

हज़रत सैय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----

"मर्द में येह कमज़ोरी की निशानी है कि जब सोहबत का इरादा हो तो बोस व किनार (चुम्मन, **Kiss**) से पहले बीवी से सोहबत करने लगे और जब उस की मनी (धॉतु, विर्य) निकलने लगे तो सब्र न करे और फ़ौरन अलग हो जाए कि औरत की हाजत पूरी नहीं होती"

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 266)

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खाँ रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है-----------------------------------

"इन्ज़ाल होने के बाद फ़ौरन औरत से जुदा न हो यहाँ तक कि औरत की भी हाजत पूरी हो हदीस में इस का भी हुक्म है । अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बेशुमार दुरूदें उन पर जिन्हों ने हम को हर बाब में तअलीमे ख़ैर दी और हमारी दुनियावी व दीनी हाजतों की कश्ती को बग़ैर किसी दूसरे के सहारे न छोड़ा ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 161)

चुनानचे मर्द की मनी (धातु, विर्य) निकल जाए तो भी फ़ौरन औरत से अलग न हो जाए बल्कि इसी तरह कुछ देर और ठहरे रहे ताकि औरत का भी मतलब पूरा हो जाए, क्योंकि कुछ औरतों को देर में इन्ज़ाल होता है ।

सोहबत के बाद जिस्म की सफाई :-

सोहबत के बाद मर्द और औरत अगल हो जाए फिर किसी साफ़ कपड़े से पहले दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को साफ़ करे ताकि बिस्तर पर गन्दगी लगने न पाए । शर्मगाह को साफ़ कर लेने के बाद दोनों पेशाब कर लें इस के बहुत से फ़ायदे है जैसे------

(1) अगर मर्द के ऊज़ू-ए-तनासुल में या औरत की शर्मगाह में कुछ मनी बाकी रह गई हो तो वोह पेशाब के ज़रिए निकल जाती है और अगर थोड़ी सी मनी ऊज़ू-ए-तनासुल में या औरत की शर्मगाह में उपर रह जाए तो बाद में पेशाब में जलन और खुजली की बीमारी होने का अंदेशा होता है ।

(2) पेशाब जरासीमकश होता है (यानी पेशाब, **Germs** को ख़त्म करने वाला होता है) इस लिए पेशाब के वहाँ से गुज़रने से वहाँ की सारी गन्दगी ख़त्म हो जाती है, उस जगह के जरासीम (Germs, किटानू) ख़त्म

हो जाते है और शर्मगाह की नली साफ़ हो जाती है ।

ऐसे बहुत से फ़ायदे है जो यहाँ बयान करना मुम्किन नही, पेशाब कर लेने के बाद शर्मगाह और उस के आस पास के हिस्से को अच्छी तरह से धो ले इस से बदन तंदरूस्त रहता हैं और खुजली की बीमारी से बचाव हो जाता है ।

लेकिन याद रखिये सोहबत करने के फ़ौरन बाद ठन्ड़े पानी से न धोए, इसलिए के इस से बुख़ार **(Fever)** होने का ख़तरा होता है इसलिए कि सोहबत करने के बाद जिस्म का दर्जा-ए-हरारत **(Tempreture)** बड़ जाता है और जिस्म में गर्मी आ जाती है अगर गर्म जिस्म पर ठन्ड़ा पानी ड़ाला जाएगा तो बुख़ार जल्द होने का ख़तरा है ।

लिहाज़ा सोहबत करने के बाद तक़रीबन पाँच, दस मिनिट बैठ जाए या लेट जाए ताकि बदन की गर्मी बराबर **(Normal)** हो जाए अगर जल्दी हो तो हल्के गर्म, कुन कुने पानी से शर्मगाह धोने में कोई नुक़सान नही ।

सोहबत के चन्द और आदाब

जैसा के हम पहले ही बयान कर चुके है कि मज़हबे इस्लाम हमारी हर जगह हर हाल में रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है यहाँ तक कि मियाँ, बीवी, के आपसी तअल्लुक़ात में भी एक बेहतरीन दोस्त व रहनुमा बन कर उभरता है और हमारी भरपूर रहनुमाई करता है ।

यहाँ हम शरई रोशनी में सोहबत (संम्भोग) करने के चंद आदाब बयान कर रहे है जिसे याद रखना और उस पर अ़मल करना हर शादी शुदा मुसलमान मर्द व औरत पर ज़रूरी है ।

सोहबत तन्हाई में करें :-

आज कल सड़कों पर, सिनेमा हाल में और बाग़िचों में खुले आम कुछ पढे लिखे कहलाने वाले मॉड्रन (**Modern**) इन्सान, इन्सानी शक्ल में जानवर नज़र आते है जो सड़कों व बाग़ीचों में ही वोह सब कुछ कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिये । लेकिन अलहमदुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अशरफ़ुल मख़लूक़ात है इस लिए हम पर ज़रूरी है कि हम इस्लाम का हुक्म माने और ग़ैरों की नक्ल से बचे वरना एक जानवर और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, लिहाज़ा याद रखिये सोहबत हमेशा तन्हाई में ही करे और ऐसी जगह करे जहाँ किसी के आने का कोई ख़तरा न हो । और सोहबत के वक्त कमरे में अंधेरा कर दे रौशनी में हरगिज़ सोहबत न करे ।

मस्अला :—जहाँ क़ुरआने करीम की कोई आयते करीमा काग़ज़ या किसी चीज़ पर लिखी हुई हो अगरचे उपर शीशा (काँच) हो, जब तक उस पर गि़लाफ़ न डा़ल लें वहाँ सोहबत करना या बरहेना (नंगा) होना बेअदबी है ।

(फतावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफा 258)

हुज़ूर ग़ौसे आज़म रदीअल्लाहो अन्हो की "ग़ुन्यतुत्तालेबीन" मे और आ़ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदीअल्लाहो अन्हो की "मलफ़ूज़ात" में है---

"जो बच्चा समझता है और दूसरों के सामने बयान कर सकता है उस के सामने सोहबत करना मकरूह (यानी शरीअत में ना पसंद व ना जाइज) है"। *(ग़ुन्यतुत्तालेबनी, सफा 116, अलमलफ़ूज़ जिल्द 3 सफा नं. 13)*

मस्अला :— किसी की दो बीवीयाँ हो तो एक बीवी से दूसरी बीवी के सामने सोहबत करना जाइज़ नहीं । मर्द को अपनी बीवी से पर्दा नहीं तो एक बीवी को दूसरी बीवी से तो पर्दा फ़र्ज़ है और शर्म व हया ज़रूरी है ।

(फतावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफा 207)

सोहबत से पहले वुज़ू :-

सोहबत करने से पहले वुज़ू कर लेना चाहिये इस के बहुत से फ़ायदे है जिन में से चन्द हम यहाँ बयान करते है-------------

(1) अव्वल तो वुज़ू करने से सवाब मिलता है ।

(2) सोहबत से पहले वुज़ू करने की हिक्मत एक येह भी है के मर्द और औरत दोनों में येह एहसास पैदा हो के सोहबत हम सिर्फ़ अपनी हवस को मिटाने या मज़ा लेने के लिए नहीं कर रहे है बल्कि नेक सालेह औलाद पैदा करना मक़सद है, और किसी भी वक़्त यादे इलाही से हमें ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए ।

(3) मर्द बाहर के कामों से और औरत घर के कामों की वजह से दिन भर के थके मान्दे होते है, थका जिस्म दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता लिहाज़ा वुज़ू कर लेने से चुस्ती और क़ुव्वत (ताक़त) में इज़ाफ़ा होता है ।

(4) दिन भर के काम की वजह से चेहरे पर गन्दगी और जरासीम (किटानु) मौजूद रहते है जब मर्द और औरत सोहबत करते है और बोस व किनार (चुम्बन) करते है तो येह जरासीम मुँह में जा सकते है जिस से आगे बीमारियों के पैदा होने का ख़तरा होता है ।

ऐसे सैकड़ों फ़ायदे हैं जो वुज़ू कर लेने से हासिल होते है ।

नशे की हालत में सोहबत :-

शरीअते इस्लामी में हर किस्म का नशा हराम है और शराब को तो तमाम बुराईयों की माँ बताया गया है । दो हदीसे पाक का हासिल है के-----------------------------------

हदीस :- "जिस ने शराब पी गोया उस ने अपनी माँ के साथ

ज़िना (बलत्कार) किया" । *(ब हवाला फ़तावा-ए-मुस्तफ़ाविया, जिल्द 1 सफ़ा नं. 76)*

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम फ़रमाते है---

"शराब पीते वक्त शराबी का ईमान ठीक नहीं रहता"। || لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن-

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द, 3 सफ़ा 614)

हदीस :- और फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम-----

"शराबी अगर बग़ैर तौबा मरे तो अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर इस तरह हाज़िर होगा जैसे कोई बुत पूजने वाला"। || مدمن الخمر ان مات لقى الله كعابدوثن-

(अहमद, इब्ने हिब्बान, बहवाला फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 10 सफ़ा 47)

हदीस :- हज़रत अबू हुरैरह रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैह व सल्लम ने इरशाद फरमाया-----

"जो ज़िना करे या शराब पीये अल्लाह तआ़ला उससे ईमान खींच लेता है जैसे आदमी अपने सर से कुर्ता खींच ले । || من زنى او شرب الخمر نزع الله منه الايمان كمايخلع الانسان القميص من راسه-

(हाकिम शरीफ, बहवाला फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 10, सफ़ा 47)

हदीस :- हज़रत अबू उमामा रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------

"अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है क़सम है मेरी इज़्ज़त की जो मेरा कोई बन्दा शराब का एक घूँट भी पीयेगा मैं उसको उतना ही पीप पीलाउँगा"।

(इमाम अहमद, ब हवाला बहारे शरीअत जिल्द 1 हिस्सा 9 सफ़ा 52)

हकीमों और डाक्टरों ने कहा है-----"नशे की हालत में सोहबत करने से रेहुमेटीक पैन **(Rehumetic pain)** नामी बीमारी पैदा हो जाती है और औलाद अपाहिज (लंगड़ी लूली) पैदा होती हैं" ।

अल्लाह तआ़ला मुसलमानों को शराब और दूसरे क़िस्म के नशे से नफ़रत अ़ता फ़रमाए ।

ख़ूशबू का इस्तेमाल :-

सोहबत से पहले खूशबू लगाना बेहतर है । खूशबू सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को बहुत पसंद थी । आप हमेशा खूशबू का इस्तेमाल किया करते थे ताकि हम ग़ुलाम भी सुन्नत पर अमल करने की नियत से खूशबू लगाया करें । वरना इस बात में किसी को शक व शुबा नहीं कि आप का वजूदे मुबारक खूद ही महेकता रहता और आप का मुबारक पसीना खूद काएनात की सब से बेहतरीन खूशबू है । सोहबत से पहले भी खूशबू का इस्तेमाल करना अच्छा है खूशबू से दिल व दिमाग़ को सुकून मिलता है और सोहबत करने में दिलचस्पी बढ़ती है ।

हज़रत इमाम क़ाज़ी अय्याज़ मालकी ऊन्दलेसी रदीअल्लाह तआला अन्हो, अपनी मशहूर किताब "शिफ़ा शरीफ़" में इरशाद फ़रमाते है---

"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को ख़ूशबू बहुत ज़्यादा पसंद थी । रहा आप का खूशबू इस्तेमाल करना तो वोह इस वजह से था कि आप की बारगाह में मलाएका (फ़रीश्ते) हाज़िर होते थे । और दूसरी वजह येह है कि खूशबू सोहबत करने में दिलचस्पी को बड़ाती है, सोहबत में मद्दगार होती है और मर्द की कुव्वत में इज़ाफ़ा करती है । लेकिन हुज़ूर का खूशबू इस्तेमाल करना अपनी ज़ात के लिए न था बल्कि शहवत का ज़ोर कम करने के लिए था वरना हक़ीक़ी मुहब्बत तो आप को ज़ाते बारी तआला (यानी अल्लाह तआला) के साथ ख़ास थी" । *(शिफ़ा शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा नं. 154)*

लेकिन येह याद रहे कि सिर्फ़ इतर का ही इस्तेमाल करे बद क़िस्मती से आज कल ख़ालिस इतर का मिलना दुशवार हो गाया है अब ऊमुमन जो इतर बाज़ारों में मिलते है उन में कैमिकल्स (**Chemicals**) होते है उन का लिबास में इस्तेमाल करना जाइज़ है

लेकिन सर और दाढ़ी के बालों में लगाना नुक़सानदेह है । सैन्ट में इस्पिरिट (अलकोहल **Alkohal**) की मिलावट होती है जो शराब के हुक्म में है । यानी शराब है और शराब हराम है ।

आला हज़रत रदीअल्लाहो अन्हो इरशाद फ़रमाते है-------

"अलकोहल (शराब) वाले इतर (यानी सैन्ट) का इस्तेमाल गुनाह है बल्कि ऐसे इतर (सैन्ट) की ख़ूशबू सूंगना भी ना जाइज़ है"।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 10 सफ़ा 88)

इस लिए सिर्फ़ ऐसे इतर का इस्तेमाल करे जिसमें इस्पिरिट (अलकोहल) न हो । अलकोहल वाले इतर या सैन्ट की पहचान येह है कि उसे अगर हथेली पर लगाया जाए तो ठन्ड़क महसूस होगी और फ़ौरन उड़ भी जाऐगा ।

औरतें ऐसे इतर का इस्तेमाल करे जिस की ख़ूशबू हल्की हो ऐसी न हो जिस की ख़ूशबू उड़ कर ग़ैर मर्दों तक पहुँच जाए ।

हदीस :- हज़रत अबू मूसा अशअ़री रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"जब कोई औरत ख़ूशबू लगा कर लोगों में निकलती है तो वोह औरत ज़ानिया (बलत्कार करवाने वाली पेशावर औरत) है" ।

ايما امراة استعطرت فمرت على قوم ليجد وا من ريحها فهى زانية۔

(अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा 264, नसाई शरीफ़, जिल्द 3 सफ़ा 398)

सोहबत खड़े खड़े न करे :-

सोहबत खड़े खड़े न करे कि येह जानवरों का तरीक़ा है और न ही बैते, बैठे कि इससे मर्द औरत दोनों के लिए नुक़सान है । इस तरीक़े से सोहबत करने से बदन और ऊज़्-ए-तनासुल (मर्द का सेक्स

पार्ट) जड़ से कमज़ोर हो जाता है और औलाद कमज़ोर, अपंग (हाथ पैर से अपाहिज) पैदा होती है । बाज़ ओलमा-ए-दीन ने फ़रमाया है कि औलाद बददिमाग़ और बेवकूफ़ होती है ।

हकीमों ने कहा है कि खड़े हो कर सोहबत करने से राशा (बदन हिलने) की बीमारी हो जाती है । *(अल्लाह की पनाह)*

सोहबत करने का सही तरीक़ा येह है कि बिस्तर पर लेटे लेटे करे और औरत नीचे हो मर्द उपर हो जैसा के क़ुरआने पाक की इस आयते करीमा में भी इशारा किया गया है---------------

तर्जमा :- फिर जब मर्द उसपर छाया उसे एक हल्का सा पेट रह गया । || فلما تغشها حملت حملا خفيفا

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 9, सूरए, अराफ़, रूकू 14 आयत 189)

इस आयते करीमा से हमें सबक मिलता है कि सोहबत के वक़्त औरत चित लेटे और मर्द उस पर पट (उल्टा) लेटे कि इस तरह से मर्द के जिस्म से औरत का जिस्म ढक जाऐगा । और देखा जाए तो इस तरीके में ज़्यादा आसानी है और मर्द की मनी आसानी से निकल कर औरत की शर्मगाह (योनी) में दाख़िल होती है । और हमल जल्द क़रार पाता हैं ।

क़िबले की तरफ़ रूख़ न हो :-

हुज़ूर सैय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है-----------------------------------

"सोहबत करने के आदाब में से एक अदब येह भी है कि सोहबत के वक़्त मुँह क़िबले की तरफ़ से फेर लें" ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 266)

आला हज़रत रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है---------

"सोहबत के वक़्त क़िबले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मकरूह व ख़िलाफ़े अदब है जैसा के "दुर्रे मुख़्तार" में बयान हुआ"

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 140)

सोहबत के वक्त किबले की तरफ़ से मुँह फेरने के लिए शायद इस लिए कहा गया, क्योंकि किबले की तअज़ीम हर मुसलमान पर जरूरी है उस की तरफ़ रूख़ कर के बन्दा अपने रब की ईबादत करता है और किबले की तरफ़ थूकने, पेशाब पख़ाना करने और बरहेना (नंगा) उस की तरफ़ रूख़ करने की सख़्त मुमानियत आई है ।

हदीस :- एक हदीसे पाक में है कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---------------------

"जब बन्दा नमाज़ पढ़ता है तो उस का परवरदिगार उस के और किबले के दरमियान होता है । (यानी किबले की जानिब अल्लाह तआला की रहमत ज़्यादा मुतवज्जहे होती है)

(बुख़ारी शरीफ़, जल्द 1, बाब नं. 274, हदीस नं. 393, सफ़ा नं. 233)

अब चुँकि सोहबत के वक्त मर्द और औरत बरहेना (नंगी) हालत में होते है तो इस हालत में भला किबले की तरफ़ रूख़ कैसे किया जा सकता है ।

बरहेना (नंगी हालत) में सोहबत करना :-

सोहबत के दौरान मर्द और औरत कोई चादर वग़ैरा ओढ़लें जानवरों की तरह बरहेना (नंगे रह कर) सोहबत न करे ।

हदीस :- हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है------------------------------------

"जब तुम में कोई अपनी बीवी से सोहबत करे तो पर्दा कर ले, बे पर्दा होगा तो फ़रिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएगें और शैतान आ जाएगे, अब अगर कोई बच्चा हुआ तो शैतान की उस में शिर्कत होंगी ।

(गुन्यतुत्तालेबनी, सफ़ा नं. 116)

इमामे अहलेसुन्नत आ़ला हजरत इमाम अहमद रज़ा खाँ रदीअल्लाहो अन्हो ने अपनी किताब "फ़तावा-ए-रज़वीया" में फ़रमाते है----

"सोहबत के वक़्त अगर कपड़ा ओड़े है बदन छुपा हुआ है तो कुछ हर्ज नहीं और अगर बरहेना (नंगी हालत मे) है तो, एक तो बरहेना सोहबत करना ख़ुद मकरूह है हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने सोहबत के वक़्त मर्द व औरत को कपड़ा ओड़ लेने को हुक्म दिया और फ़रमाया ولا يتجردان تجرد العير- यानी गधे की तरह नंगे न हो"।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 140)

आ़ला हज़रत रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते है-----------------------------------

"बरहेना (नंगी हालत में) रह कर सोहबत करने से औलाद के बे शर्म व बेहया होने का ख़तरा है" ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 46)

सोहबत के दौरान शर्मगाह देखना :-

मस्अला :—मियाँ बीवी का सोहबत के वक़्त एक दूसरे की शर्मगाह को मस करना बेशक जाइज़ है बल्कि नेक नियत से हो तो मुस्तहब व सवाब है"।

(फ़तावा-ए-रज़वीया जिल्द 5 सफ़ा 570, और जिल्द 9 सफ़ा 72)

लेकिन सोहबत के वक़्त मर्द व औरत ने एक दूसरे को शर्मगाह नही देखना चाहिये के इसके बहुत से नुक़सानात है ।

हदीस :- उम्मुल मोमेनीन हजरत आएशा सिद्दीक़ा रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हा फ़रमाती है कि----------------------------

"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम की वफ़ात हो गई

लेकिन न कभी आप ने मेरा सत्र (शर्मगाह को) देखा और न पै ने आप का सत्र (शर्मगाह को) देखा" ।

(इब्ने माजा शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 616, हदीस नं. 1991, सफ़ा 538)

सोहबत के आदाब में से एक येह भी है कि सोहबत के दौरान मर्द औरत की शर्मगाह की तरफ़ न देखे. ।

हदीस :- हज़रत इब्ने अदी रदीअल्लाहो अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते है---हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया-----------------------------------

"तुम में से कोई अपनी औरत से सोहबत करे तो उस की शर्मगाह को न देखे कि इस से आँखों की बीनाई (रौशनी) ख़त्म हो जाती है" । (यानी आदमी आँखो से अंधा हो जाता है)

(हाशिया, मुस्नदे इमामे आज़म, सफ़ा नं. 225)

आ़ला हज़रत इमाम **अहमद रज़ा खाँ** रदीअल्लाहो तआला अन्हो नक्ल फ़रमाते है कि---------------------------------

"सोहबत के वक्त शर्मगाह देखने से हदीस में मुमानियत फ़रमाई और फ़रमाया-- فانه يورث العمى -- वोह अंधे होने का सबब होता है । ओलमा ने फ़रमाया है कि--इस से अंधे होने का सबब या वोह औलाद अंधी हो जो उस सोहबत से पैदा हो, या मआज़ल्लाह दिल का अंधा होना के सब से बदतर है" ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5 सफ़ा 570)

"क़ानूने शरीअ़त" मे है कि-------------------

"औरत की शर्मगाह की तरफ़ नज़र न करे क्योंकि इस से निसयान (भूलने की बीमारी) पैदा होती है और नज़र भी कमज़ोर होती है" ।

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 2, सफ़ा नं. 202)

सोहबत के दौरान बात करना :-

सोहबत के दौरान बात चीत न करे ख़ामूशी से सोहबत करे, इमामे अहलेसुन्नत आ़ला हज़रत रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है---

"सोहबत के दौरान बात चीत करना मकरूह है बल्कि बच्चे के गूंगे (मूक्के, बेज़ुबान) या तोतले होने का ख़तरा है"।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 76)

पिस्तान (स्तन, Breasts) चुमना :-

सोहबत करते वक्त औरत के पिस्तान (स्तन) चूमने या चूसने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ख़्याल रहे कि औरत का दूध हलक में न जाऐ । अगर हल्क में दूध आ गया तो फ़ौरन थूक दें जान बूझ कर दूध पीना ना जाइज़ व हराम है ।

"फ़तावा-ए-रज़वीया" में आ़ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो नक़ल फ़रमाते है---

"सोहबत के वक़्त अपनी बीवी के पिस्तान मुंह में लेना जाइज़ है बल्कि नेक नियत से हो तो सवाब की उम्मीद है जैसा कि हमारे इमामे आ़ज़म रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मस करने के बारे में फ़रमाया ارجوانها یؤجران علیه "यानी मै उम्मीद करता हूँ कि वोह दोनों उस पर अज्र (सवाब) दिये जाएगे" हाँ अगर औरत दूध वाली हो तो ऐसा चूसना न चाहिये जिससे दूध हलक में चला जाए और अगर मुँह में आ जाए और हलक में न जाने दे तो हर्ज नहीं कि औरत का दूध हराम है नजिस नहीं, अलबत्ता रोज़े में इस ख़ास सूरत से परहेज़ करना चाहिये" ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, निस्फ़ आख़िर, सफ़ा 72)

कुछ लोगों में येह ग़लत फ़हमी है कि सोहबत करते हुए अगर औरत का दूध मर्द के मुँह में चला गया तो औरत मर्द पर हराम हो जाती है और ख़ूद ब ख़ूद तलाक़ (**Divorce**) हो जाती है, येह बात ग़लत है इस की शरीअत में कोई हैसियत नहीं ।

"कानूने शरीअत" में है कि-----------------

"मर्द ने अपनी औरत की छाती (स्तन) चूसा तो निकाह में कोई ख़राबी न आई चाहे दूध मुँह में आ गया हो बल्कि हलक से उतर गया हो तब भी निकाह न टूटेगा, लेकिन हलक में जानबूझ कर लेना जाइज़ नहीं"

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 52)

सोहबत के दौरान किसी और का ख़्याल :-

सोहबत के दौरान मर्द किसी दूसरी औरत का और औरत किसी दूसरे मर्द का ख़्याल न लाएें । यानी ऐसा न हो कि मर्द सोहबत तो करे अपनी बीवी से और तसव्वर (कल्पना, **Imagination**) करे कि किसी और औरत से सोहबत कर रहा हूँ । और इसी तरह औरत किसी और मर्द का तसव्वर करे तो येह सख़्त गुनाह है ।

हुज़ूर पुरनूर सैय्यदना ग़ौसे आज़म शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रदीअल्लाहो तआला अन्हो अपनी मशहूर किताब "ग़ुन्यातुत्तालेबीन" में नक़्ल फ़रमाते है कि------------------------------

"सोहबत के दौरान मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत का ख़्याल लाए तो येह सख़्त गुनाह है और एक क़िस्म का (छोटा) ज़िना (बलत्कार) है" । *(ग़ुन्यातुत्तालेबीन)*

सोहबत के बाद पानी न पीये :-

जैसा कि हम पहले ही बयान कर चुके है कि सोहबत करने के बाद जिस्म का दर्जा-ए-हरारत (**Temperature**) बड़ जाता है

इस लिए उस वक्त प्यास भी महसूस होती है ।

लेकिन ख़बरदार ! सोहबत करने के फ़ौरन बाद भूल कर भी पानी न पीये । हकीमों ने लिखा है कि--------------------

"सोहबत करने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिये क्योंकि इससे दमा (साँस) की बीमारी हो जाती है । *(मौला ताला महफूज़ रखे)*

दोबारा सोहबत करना हो तो :-

एक रात में एक मरतबा सोहबत करने के बाद उसी रात में दूसरी मरतबा सोहबत करने का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों वुज़ू करलें कि येह फ़ायदेमन्द है । और अगर सोहबत न भी करना हो तो वुज़ू कर के सो जाए ।

हदीस :- हज़रत उमर व अबू सईद खुदरी रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--

"जब तुम में कोई अपनी बीवी से एक मरतबा सोहबत के बाद दो बारा सोहबत का इरादा करे तो उसे वुज़ू करना चाहिये" ।

اذا اتی احد کم اهله ثم ارادان
یعود بینهما وضوء۔

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 139, इब्ने माजा, जिल्द 1 सफ़ा 188)

इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो नक़ल फ़रमाते है---

"एक बार सोहबत कर चुके, और दोबारा (सोहबत) का इरादा हो तो चाहिये कि अपना बदन धो ड़ाले (वुज़ू कर ले) और अगर ना पाक आदमी कोई चीज़ खाना चाहे तो चाहिये कि वुज़ू कर ले फिर खाये और सोना चाहे तो भी वुज़ू कर के सोए अगरचा (वुज़ू करने के बाद भी) ना पाक ही रहेगा (जब तक ग़ुस्ल न करले) लेकिन सुन्नत यही है" ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 267)

वुज़ू करके सोए :-

सोहबत करने के बाद अगर सोने का इरादा हो तो मर्द और औरत दोनों पहले अपनी शर्मगाह को धो लें और वुज़ू करलें फिर उस के बाद सो जाए ।

हदीस :- हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआला अन्हा फ़रमाती है-----

كان النّبي صلى الله عليه وسلّم اذا ارادان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضّاللصّلوة۔

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम, हालते जनाबत में (सोहबत के बाद) सोने का इरादा फ़रमाते तो अपनी शर्मगाह धो कर नमाज़ जैसा वुज़ू कर लेते थे" । (फिर आप सो जाते).

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा नं. 194, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 129)

बीमार औरत से सोहबत :-

औरत अगर किसी दुख, परेशानी या बीमारी में मुबतेला हो तो उस की सेहत का ख़्याल किये बग़ैर हरगिज़ सोहबत न करे, वैसे भी इन्सानियत का तकाज़ा भी येह है कि दुखी या बीमार इन्सान को और तकलीफ़ न दी जाए बल्कि उसे आराम और सुकून दे ।

सोहबत मज़े के लिए न हो :-

हज़रत मौला अली मुश्किलकुशा रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने अपनी वसीयत (Will) में और हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो अन्हो ने अपनी किताब "कीम्या-ए-सआदत" में नक्ल किया है कि----

"जब कभी सोहबत करे तो नियत सिर्फ़ मज़ा लेने या

शहवत (Sex, ग्रस) की आग बुझाने की न हो बल्कि नियत येह रखे कि ज़िना से बचूँगा और औलाद नेक होगी । अगर इस नियत से सोहबत करेगा तो सवाब मिलेगा ।"

(वसाया शरीफ़, कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं 255)

ज़्यादा सोहबत नुकसानदेह

बीवी से ज़िन्दगी में एक मरतबा सोहबत करना कज़ाअन वाजिब है । और हुक्म येह है कि औरत से सोहबत कभी कभी करता रहे इस के लिए कोई हद (तअदाद मुक़र्र Fix) नहीं मगर इतना तो हो कि औरत की नज़र औरों की तरफ़ न उठे और इतना ज़्यादा भी जाइज़ नहीं कि औरत को नुक़सान पहुँचे ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2 सफ़ा 63)

हद से ज़्यादा सोहबत करने से मर्द और औरत दोनों के लिए नुक़सान है इससे ख़ास तौर पर मर्द की सेहत चौपट हो जाती है। सेहत की कमज़ोरी की वजह से जब मर्द औरत की पहले की तरह ख़्वाहिश पूरी करने में नाकाम होता है (जिस की वोह पहले से आदी हो चुकी होती है) और औरत को आदत के मुताबिक़ पूरी तसल्ली नहीं होती तो वोह फिर पड़ोस और बाहर वोह चीज़ तलाश करने की कोशिश करती है और फिर एक नई । बुराई का जन्म होता है इस लिए ज़रूरी है कि क़ुदरत के इस अनमोल ख़ज़ाने का इस्तेमाल अहतियात से किया जाए ।

हकीमों ने लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ते में दो मरतबा सोहबत की जाए । हकीम बुक़रात (जो एक बहुत बड़ा हकीम था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 450 साल पहले गुज़रा है) उससे किसी ने पूछा, "सोबहत हफ़्ते में कितनी मरतबा करनी चाहिये ? उसने जवाब

दिया--"हफ़्ते में सिर्फ़ एक मरतबा" पूछने वाले ने फिर पूछा--"एक मरतबा ही क्यों ? बुक़रात ने झल्ला के जवाब दिया "तुम्हारी ज़िन्दगी है तुम जानो मुझ से क्या पूछते हो" (गोया येह इशारा था कि ज़्यादा सोहबत करोगे तो कमज़ोर होगे और ज़िन्दगी ख़तरे में पड़ सकती है)

फ़क़ीहे **अबूललैस समरक़न्दी** रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो रिवायत करते है कि हज़रत **मौला अ़ली** रदीअललाहो तआ़ला अन्हो ने इरशाद फ़रमाया---------------------------------------

"जो शख़्स इस बात का ख़्वाहिशमन्द हो कि उसकी सेहत अच्छी हो और ज़्यादा दिनों तक क़ायम रहे तो उसे चाहिये कि वोह कम खाया करे और औरत से कम सोहबत किया करे ।

(बुस्तान शरीफ़)

आज के इस फ़ैशन और नंगाई के दौर में जज़्बात बहुत जल्द बे क़ाबू हो जाते है इसलिए ध्यान रखें कि बीवी की अगर ख़्वाहिश हो तो इन्कार भी न करे वरना ज़हेन भटकने का अंदेशा है वैसे तो आ़म तौर पर एक सेहतमन्द औरत जिन्सी ताक़त में एक सेहतमन्द मर्द का मुक़ाबला नही कर सकती है ।

कुछ लोग शादी के बाद शुरू, शुरू में औरत पर अपनी क़ुव्वत व मर्दानगी का रोब डालने के लिए दवाओं का या किसी इस्पीरे या फिर तेल वग़ैरा का इस्तेमाल करते है जिस से औरत को और उन्हें ख़ूब मज़ा आता है । लेकिन बाद में उस का उल्टा असर होता है । औरत उस चीज़ की आ़दी हो जाती है फिर बाद में अगर वोह दवा या इस्पीरे वग़ैरा का इस्तेमाल न किया जाए तो औरत की तसल्ली नही होती । और वोह अपनी तसल्ली के लिए मर्द को उस का इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है । दवाओं के मुसलसल इस्तमाल से मर्द की सेहत चौपट हो जाती है वोह दवाओं का आ़दी हो कर जल्द ही तरह तरह की बीमारियों का शिकार बन जाता है । मर्द अगर येह दवाएँ

इस्तेमाल न करे तो औरत को पहले की तरह तसल्ली नही होती जिस की वोह आदी बन चुकी है ऐसी हालत में औरत के बदचलन होने का भी ख़तरा होता है या फिर वोह दिमाग़ी मरीज़ बन जाती है । लिहाज़ा क़ुव्वते मर्दाना को बड़ाने के लिए दवाओं, इस्पीरे व तेल वग़ैरा की बजाए ताक़तवर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करे । ग़िज़ा के ज़रिये बड़ाई हुई ताक़त ख़त्म नही होती और न ही इससे किसी तरह का नुक़सान होता है ।

सोहबत करने का वक़्त

शरीअ़ते इस्लामी में सोहबत करने के लिए कोई ख़ास वक़्त नहीं बताया गया है । शरीअ़त में दिन और रात के हर हिस्से में सोहबत करना जाइज़ है, लेकिन बुज़ुर्गों ने कुछ ऐसे अवक़ात (वक़्त) बताऐं है जिन में सोहबत करना सेहत के लिए फ़ायदेमन्द है ।

हदीस :- हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने अपनी मशहूर किताब "इहयाउल ऊलूम" में उम्मूलमोमेनीन हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हा से रिवायत किया है कि फ़रमाती है--------------------

"रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम रात के आख़री हिस्से में (तक़रीबन रात के 2:30 बजे से लेकर फ़जर की अज़ान से पहेले) में जब वित्र की नमाज़ पढ़ चुके होते तो अगर आप को अपनी बीवी की हाजत होती (यानी बीवी से सोहबत का इरादा होता) तो उन से सोहबत फ़रमाते ।

(इहयाउल ऊलूम)

हदीसों में है कि सरकार सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम, ईशा की नमाज़ पढ़ते और सिर्फ़ ईशा की वित्र नही पढ़ते फिर आप आराम फ़रमाते थे फिर कुछ घंटों के बाद आप उठ बैठते और "तहज्जुद" की नमाज़ पढ़ते और कुछ नफ़िल नमाज़ें अदा फ़रमाते और आख़िर में ईशा

की ज़िक्र पढ़ते उसके बाद अगर आप को अपनी किसी बीवी की हाजत होती तो उन से सोहबत फ़रमाते या अगर हाजत नहीं होती तो आप आराम फ़रमाते यहाँ तक कि हज़रत बिलाल रदीअल्लाहो तआला अन्हो नमाज़े फ़जर के लिए आज़ान के वक़्त आप को जगा देते ।

इस हदीस के तहेत इमाम ग़ज़ाली फ़रमाते है------

"रात के पहले हिस्से (तक़रीबन रात 9 से 12 बजे के बीच) में सोहबत करना मकरूह है कि सोहबत करने के बाद पूरी रात ना पाकी की हालत में सोना पड़ेगा" । *(इहयाउल उलूम)*

फ़क़ीहे अबूललैस रदीअल्लाहो तआला अन्हो, अपनी मशहूर किताब "बुस्तान शरीफ़" में नक़्ल फ़रमाते है कि-------------

"सोहबत के लिए सब से बेहतर (अच्छा) वक़्त रात का आख़री हिस्सा है (यानी तक़रीबन रात 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच) क्योंकि रात के पहले हिस्से में पेट ग़िज़ा (खाने) से भरा होता है और भरे पेट सोहबत करने से सेहत को नुक़सान है जब कि रात के आख़री हिस्से में सोहबत करने से फ़ायदा है (जैसे आदमी दिन भर का थका हुआ होता है और रात के पहले और दूसरे हिस्से में उसकी नींद हो जाती है जिस की वजह से उस की दिन भर की थकावट दूर हो जाती है और वोह ताज़ा दम हो जाता है इस के अलावा दूसरा एक येह भी फ़ायदा है कि) रात के आख़री हिस्से तक खाना अच्छी तरह हज़म हो जाता है ।

(बुस्तान शरीफ़)

नोट :- येह तमाम बातें हिकमत के मुताबिक़ है शरीअत में सोहबत करने का कोई ख़ास वक़्त नहीं बताया गया है शरीअत में हर वक़्त सोहबत की इजाज़त है । सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम का अपनी बीवीयों से दिन और रात के दिगर वक़्तों में सोहबत करना साबित है । (वल्लाहो आलम)

इन रातों में सोहब्बत न करें :-

हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली नक़ल फ़रमाते है कि अमीरूलमोमेनिन हज़रत अ़ली और हज़रत अबूहुरैरा और हज़रत अमीर मआ़विया रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुम ने रिवायत किया है कि-------

"(हर महीने की) चाँद रात, और चाँद की पंद्रहवी शब (रात) और चाँद के महीने की आख़िर रात सोहबत करना मकरूह है कि इन रातों में सोहबत करने के वक़्त शैतान मौजूद होते है । (वल्लाहो आ़लम)

(कीम्या-ए-सआ़दत, सफ़ा नं 266)

नोट :- तहक़ीक़ येह है कि इन रातों में सोहबत करना जाइज़ है लेकिन अहतियात इसी में है कि सोहबत करने से बचे । (वल्लाहो आलम)

रमज़ान में सोहबत करना

आयत :- अल्लाह रब्बुल ईज्ज़त इरशाद फ़रमाता है---------

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ

तर्जमा :- रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल हुआ ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान शरीफ़, पारा 2, सूरए बकर, आयत 187)

रमज़ान के महीने में रात को सोहबत कर साकते है । ना पाकी की हालत में सेहरी करना जाइज़ है और रोज़ा भी हो जाता है लेकिन नापाक रहना सख़्त गुनाह है ।

मस्अला :–रोज़े की हालत में मर्द, औरत ने सोहबत की तो रोज़ा टूट गया या मर्द ने औरत का बोसा (चुम्मन) लिया, गले

लगाया, और इन्ज़ाल हो गया (यानी मर्द की मनी निकली) तो रोज़ा टूट गया और कफ़्फ़ारा भी लाज़िम हो गया ।
जान बूझ कर औरत से सोहबत किया चाहे मनी निकले या न निकले तो रोज़ा टूट गया और कफ़्फ़ारा (शरई जुर्माना) भी देना ज़रूरी हो गया ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1 सफ़ा नं 135,137)

कफ़्फ़ारा (जुर्माना) :-

कफ़्फ़ारा येह है कि लगातार साठ (60) रोज़ें रखे । अगर येह न हो सके तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे (और मौजूदा दौर में येह हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में मुमकिन नहीं) अगर येह भी न हो सके तो फिर साठ (60) मिसकीनों (ग़रीबों मोहताजों) को पेट भर कर दोनों वक़्तों का खाना खिलाए । और रोज़ा रखने की सूरत में अगर बीच में एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो अब फिर से साठ (60) रोज़े रखने होगे पहले रखे हुए रोज़ों को गिना नहीं जाएगा । मसलन उन्सठ (59) रख चुका था और साठवा नहीं रख सका तो फिर से रोजे रखे । पहले के उन्सठ (59) बेकार गये । लेकिन अगर औरत को रोज़े रखने के दौरान हैज़ (माहवारी) आ गई तो हालते हैज़ में रोज़ें रखना छाड़ दे फिर बाद में पाक हाने के बाद बचे हुए रोज़े रखे यानी पहले के रोज़े और हैज़ के बाद वाले रोज़ें दोनों मिला कर साठ (60) हो जाने से कफ़्फ़ारा अदा हो जाऐगा ।

अगर कफ़्फ़ारा अदा न किया तो सख़्त गुनाहगार होगा और बरोज़े क़ियामत सख़्त अज़ाब में रहेगा ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द नं 1, सफ़ा नं 137)

हैज़ (माहवारी, M.C Period)

आयत :- रब तआ़ला — इरशाद फ़रमाता है----------

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ

तर्जमा :- तो औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों, और उन से नज़दीकी न करो जब तक पाक न हो लें फिर जब पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान शरीफ़, पारा 2 सूरए बकर, आयत 222)

बालेग़ा औरत के आगे के मक़ाम (शर्मगाह) से जो ख़ून आदत के मुताबिक़ निकलता है उसे हैज़ (माहवारी, मासिक धर्म अवस्था, M.C वग़ैरा) कहते है । लड़की से जिस उमर से येह ख़ून आना शुरू हो जाऐ उस ही वक़्त से वोह बालिग़ समझी जाती है ।

मस्अला :- हैज़ (माहवारी) की मुद्दत (Period) कम से कम तीन दिन और तीन रातें है, यानी पूरे बहत्तर (72) घंटे, एक मिन्ट भी अगर कम है तो हैज़ नहीं । और ज़्यादा से ज़्यादा दस (10) दिन और रातें है ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 42, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं 51)

मस्अला :- येह ज़रूरी नही कि मुद्दत में हर वक़्त ख़ून जारी रहे बल्कि अगर कुछ कुछ वक़्त आए जब भी हैज़ है ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1 हिस्सा 2, सफ़ा 42, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 52)

मस्अला :- हैज़ में जो ख़ून आता है उस के छे (6) रंग है । काला, लाल, हरा, पीला, गदेला (कीचड़ की तरह गन्दा) और मटीला (मिट्टी के रंग जैसा) इन रंगों में से किसी भी रंग का ख़ून आए तो हैज़ है । सफ़ेद रंग की रूतूबत (गिलापन,

Moisture) हैज़ नहीं ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, हिस्सा 2, सफ़ा 43, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1 सफ़ा नं 52)

मस्अला :—हैज़ और निफ़ास, (निफ़ास का बयान आगे आएगा) की हालत में क़ुरआने करीम छूना, देख कर या ज़बानी पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, दीनी किताबों को छूना, येह सब हराम है लेकिन दुरूद शरीफ़, कलमा शरीफ़ वग़ैरा पढ़ने में काई हर्ज नहीं

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1 हिस्सा नं. 2, सफ़ा नं 46)

मस्अला :—हालते हैज़ में औरत को नमाज़ मुआफ़ है और उसकी क़ज़ा भी नही यानी पाक होने के बाद छूटी हुई नमाज़ पढ़ना भी नही है । इसी तरह रमज़ान शरीफ़ के रोज़े हालते हैज़ में न रखे लेकिन बाद में पाक होने के बाद जितने रोज़े छूटे थे वोह सब क़ज़ा रखने होंगे ।

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़विया, जिल्द 3, सफ़ा 13, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 46)

हालते हैज़ में सोहबत हराम :-

जब औरत हैज़ (माहवारी) की हालत में हो तो उस से सोहबत करना सख़्त गुनाहे कबीरा, ना जाइज़ व सख़्त हराम-हराम-हराम है । इस बात का ख़्याल रखे कि जब कभी भी सोहबत का इरादा हो तो पहले औरत से पूछ लें और औरत का भी फ़र्ज़ है कि अगर वोह हालते हैज़ में हो तो मर्द को ख़बरदार करदें और किसी भी हालत में मर्द को सोहबत न करने दे वरना सख़्त गुनाहगार होगी ।

अक्सर मर्द ख़ास कर शादी की पहली रात (सुहागरात) को अपने आप पर क़ाबू नही रख पाते हैं और बावजूद औरत के हैज़ की हालत में होने के सोहबत कर बैठते है । याद रखिये अगर औरत हालते हैज़ में हो तो उस से किसी भी तरह सोहबत करना जाइज़ नहीं चाहे शादी की पहली ही रात क्यों न हो ।

इस लिए मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वांह शादी की पहली ही रात से अपनी बीवी को हैज़ के मुत्अ़ल्लिक़ दीनी मअ़लूमात से आगाह (अवगत) कराए ।

इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो इरशाद फ़रमाते है--

"इल्मे दीन जो नमाज़ तहारत वग़ैरा में काम आता है औरत को सिखाए अगर न सिखाएगा तो औरत को बाहर जा कर आलिमे दीन से पूछना वाजिब और फ़र्ज़ है । अगर शौहर ने सिखा दिया है तो उस की बे इजाज़त बाहर जाना और किसी से पूछना औरत को दुरूस्त नहीं । अगर दीन सिखाने में क़ुसूर करेगा तो ख़ूद गुनाहगार होगा कि हक़ तआ़ला ने फ़रमाया है-------

قوا انفسکم و اهلیکم نارا۔

तर्जमा :- अए ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ ।

(कीम्या-ए-सआ़दत, सफ़ा नं. 265)

हैज़ में सोहबत करने से नुक़सान :-

हकीमों ने लिखा है कि औरत से हैज़ की हालत में सोहबत करने से मर्द और औरत को जुज़ाम (कोड़, score) की बीमारी हो जाती है । और कुछ हकीमों ने कहा है कि हैज़ की हालत में सोहबत किया और अगर हमल ठहर गया तो औलाद नाकिस (अधूरी, Un complite) या फिर कोड़ी पैदा होंगी ।

हालते हैज़ में सोहबत करने से औरत को बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि औरत का उस जगह से लगातार गन्दा ख़ून निकलता रहता है जिस की वजह से वोह जगह नर्म और नाज़ुक़ हो जाती है और जब मर्द अपना आला (ऊज़्-ए-तनासूल, sex part) उस में दाख़िल करता है तो वहाँ ज़ख़्म बन जाता है जिस से तख़लीफ़ होती है और ज़ख़्म में गर्मी की वजह से उस में पीप भर जाता है और फिर बाद

में लेने के देने पड़ जाते है । ज़रा खूद ही सोचिये उस घर में इन्सान क्या रह सकता है जहाँ गन्दगी और बदबू हो । फिर भला उस मुक़ाम से उसे कैसे फ़ायदा हो सकता है जहाँ गन्दगी का बसेरा है । हाँ उस मुक़ाम से उसी वक्त फ़ायदा हासिल किया जा सकता है जब वोह साफ़ व पाक हो । लिहाज़ा चन्द दिनों का सब्र बेहतर है इससे कि सब्र न कर के ज़िन्दगी भर पछताया जाए ।

मस्अला :—औरत हैज़ की हालत में है और मर्द को शहवत (सहवास, sex) का ज़ोर है, और ड़र येह है कि सोहबत न किया तो किसी से ज़िना (बलात्कार) कर बैठूगा तो ऐसी हालत में अपनी औरत के पेट पर अपने आले (ऊज़्-ए-तनासुल,लिंग) को मस कर के इन्ज़ाल कर सकता है (यानी मनी निकाल सकता है) जो जाइज़ है लेकिन रान पर ना जाइज़ है कि हालते हैज़ में नाफ़ (बोम्नी, The Navel) के नींचे से घुटने तक अपनी औरत के बदन से सोहबत नही कर सकता ।

(फ़तावा-ए-अफ़रीक़ा, सफ़ा नं. 171)

याद रहे येह मस्अला ऐसे शख़्स के लिए है जिसे ज़िना हो जाने का पूरा यक़ीन हो तो वोह इस तरह से मनी निकाल कर सूकून हासिल कर सकता है । लेकिन सब्र करना और उन दिनों सोहबत से बचना ही अफ़ज़ल है । *(बहारे शरीअत, जिल्द 1 सफ़ा नं. 42)*

हालते हैज़ में औरत अछूत क्यों :-

कुछ लोग औरत को हालते हैज़ (माहवारी) में जब तक वोह पाक नही होती तब तक ऐसा ना पाक और अछूत समझ लेते है कि उस के हाथ का खाना उस के हाथ का छूवा पानी और खाना, वग़ैरा खाने पीने से एतराज़ करते है यहाँ तक कि उस के साथ बैठना भी छोड़ देते है ।

ऐसे लोगों के बारे में शहज़ादा-ए-आला हज़रत हुज़ूर मुफ़्ती-ए-आज़मे हिन्द रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने फ़तवे में इरशाद फ़रमाते है कि---

"जो लोग ऐसा करते है वोह ना जाइज़ व गुनाह का काम करते है और मुशरेकीन, यहूद और आग की पूजा करने वाले काफ़िरों की रस्मे मरदूद की पैरवी करते हैं । हैज़ की हालत में सिर्फ़ शर्मगाह में सोहबत करना ना जाइज़ है बस इस से परहेज़ ज़रूरी है मुशरेकीन व यहूद और मजूस (आग की पूजा करने वाले काफिरों) की तरह हैज़ वाली औरत को भंगिन (मेहतर, A Female Sweeper) से भी बत्तर समझना बहुत ना पाक ख़्याल, निरा, ज़ुल्म, बहुत बड़ा वबाल है येह उन की मन घड़त है ।

(फ़तावा-ए-मुस्तफ़विया, जिल्द 3 सफ़ा नं 13)

मसअला :–हालते हैज़ में सोहबत करना बहुत बड़ा गुनाह (हराम व ना जाइज़) है लेकिन औरत का बोसा (चुम्मन) — ले सकते है । ख़बरदार बात चूम्मन (Kiss) तक ही रहे उससे आगे (सोहबत तक) न पहुँच जाए । इसी तरह एक ही पिलेट में साथ खाने पीने यहाँ तक कि उस का झूठा खाने पीने में भी काई हर्ज नही । ग़र्ज़ कि औरत से वैसा ही सुलूक रखे जैसा आम दिनों में रहता है । लेकिन एक बार फिर हम आप को आगाह कर देते है कि किसी भी हालत में औरत की शर्मगाह में सोहबत न करे ।

(तलख़ीज़ :- तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, सफ़ा 136)

मसअला :– हालते हैज़ में औरत के साथ शौहर का सोना जाइज़ है । और अगर साथ सोने में शैहवत (Sex) का ग़लबा और अपने को क़ाबू में न रखने का शक हो तो साथ न सोए । और अगर पक्का यक़ीन हो तो साथ सोना गुनाह नही है ।

(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 2, सफ़ा नं. 74)

हैज़ के बाद सोहबत कब करें :-

हमारे इमाम, इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो के नज़दीक, हालते हैज़ में जब औरत से ख़ून दस (10) दिनों के बाद आना बन्द हो जाए तो ग़ुस्ल से पहले भी सोहबत करना जाइज़ है लेकिन बेहतर है कि औरत जब ग़ुस्ल कर ले उस के बाद ही सोहबत की जाए ।

हदीस :- हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह और हज़रत सुलेमान बिन यसार से हैज़ वाली औरत के बारे में पूछा गया--- "क्या उस का शौहर उसे पाक देखे तो ग़ुस्ल से पहले सोहबत कर सकता है या नहीं" ? दोनों ने जवाब दिया--"न करे यहाँ तक कि वोह ग़ुस्ल कर ले ।

(मोता इमाम मालिक, जिल्द 1, बाब नं. 26, हदीस नं. 90, सफ़ा 79)

मस्अला :- दस दिन से कम में ख़ून आना बन्द हो गया तो जब तक औरत ग़ुस्ल न करे सोहबत जाइज़ नहीं ।

(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 2, सफ़ा नं. 74)

मस्अला :- आदत के दिन पूरे होने से पहले ही हैज़ का ख़ून आना बन्द हो गया तो अगरचे औरत ग़ुस्ल कर ले सोहबत जाइज़ नहीं, मसलन किसी औरत की हैज़ की आदत चार दिन व रात थी और इस बार हैज़ आया तीन दिन व रात तो चार दिन व रात जब तक पूरे न हो जाए सोहबत जाइज़ नहीं ।

(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 2 सफ़ा नं. 47)

मस्अला :- औरत को जब हैज़ का ख़ून आना बन्द हो जाए तो उसे ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1 सफ़ा नं. 38)

हैज़ से पाक होने का तरीक़ा :-

हदीस :- उम्मूलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हा से रिवायत है कि---------------------------

"एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम से हैज़ के ग़ुस्ल के बारे में पूछा । आप ने उसे बताया--"यूँ ग़ुस्ल करे"। और फिर फ़रमाया---"मुश्क (कस्तूरी) से बसा हुआ रूई का फाया ले और उस से तहारत हासिल कर"। वोह समझ न सकी और कहा---"किस तरह तहारत करूँ"? फ़रमाया-"सुबहानल्लाह उस से तहारत करो" । (हज़रत आएशा फ़रमाती है) "मै ने उस औरत को अपनी तरफ़ ख़ींच लिया और उसे बताया कि उसे ख़ून के मुक़ाम पर फेरे" ।

ان امراة سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلہا من الحیض فامرھا کیف تغتسل قال خذی فرصة من مسک فتطہری بہا قالت کیف اتطہر بہا قال تطہری بہا قالت کیف قال سبحان اللہ تطہری فاجتذبتہا الی فقلت تتبعی بہا اثر الدم۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 215, हदीस नं. 305, सफ़ा नं 201)

नोट :- इस ज़माने में मुश्क मिलना मुश्किल है इसलिए उस की जगह इत्र या गुलाब पानी का फाया लें ।

इस हदीसे पाक से मअ़लूम हुआ कि हैज़ का ख़ून जब आना बन्द हो जाए तो औरत जब ग़ुस्ल करने बैठे तो पहले रूई (कपास, Cotton) को इतर वग़ैरा की ख़ूशबू में बसा ले फिर उसे ख़ून के मक़ाम (शर्मगाह) पर अच्छी तरह फेरे ताकि वहाँ की सारी गन्दगी साफ़ हो जाए फिर उसके बाद ग़ुस्ल कर लें (गुस्ल का तरीक़ा हम आगे बयान करेंगे)

इस्तेहाज़ा

वोह खून जो औरत के आगे के मक़ाम से निकले और हैज़ व निफ़ास का न हो वोह इस्तेहाज़ा है । इस्तेहाज़ा का खून बीमारी की वजह से आता है

मस्अला :– हैज़ की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन रात और कम से कम तीन दिन व रात है । दस दिन रात से कुछ भी ज़्यादा आया या तीन दिन रात से कुछ भी कम आया तो वोह ख़ून हैज़ (माहवारी) का नही बल्कि इस्तेहाज़ा का है, अगर किसी औरत को पहली बार हैज़ आया है तो दस दिन रात तक हैज़ और बाद का इस्तेहाज़ा है और अगर पहले उसे हैज़ आ चुके है और आ़दत दस दिन रात से कम की थी तो आ़दत से जितने ज़्यादा दिन आया वोह इस्तेहाज़ा है। इसे यूँ समझे कि किसी औरत को पाँच (5) दिन की आ़दत थी (यानी उसे हमेशा हैज़ पाँच दिन तक आता और फिर बन्द हो जाता था) लेकिन अब आया दस (10) दिन तो कुल हैज़ है (यानी दस दिन का हैज़ है) लेकिन बारा (12) दिन आया तो पाँच दिन (जो आ़दत के थे) हैज़ के है बाक़ी सात दिन इस्तेहाज़ा के हैं । और अगर हालत मुक़र्रर न थी बल्कि हैज़ किसी महीने चार दिन आया, कभी पाँच दिन, कभी छे दिन, तो पिछली बार जितने दिन आया इतने ही दिन हैज़ के समझे जाएगे बाक़ी इस्तेहाज़ा के ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, हिस्सा नं 2, सफ़ा 42, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 52)

मस्अला :– इस्तेहाज़ा में नमाज़ मुआफ़ नही (बल्कि नमाज़ छोड़ना गुनाह) न ही रोज़ा मुआफ़ है, ऐसी औरत से सोहबत भी हराम नही ।

मस्अला :– अगर इस्तेहाज़ा का खून इस क़दर आ रहा हो कि इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके (यानी ख़ून लगातार निकलता रहता है थोड़ी देर भी नही रूकता) तो एक वुज़ू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े ख़ून आने से भी उस पूरे एक वक़्त के अन्दर तक वुज़ू न जाऐगा । अगर कपड़ा वग़ैरा रख कर नमाज़ पढ़ने तक ख़ून रोक सकती है तो वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े ।

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द. 1, सफ़ा नं. 54)

पाखाने के मुक़ाम में सोहबत

कुछ कम अक्ल जाहिल हालते हैज़ में औरत से उस के पीछे के मुक़ाम (पाख़ाने के मुकाम) में सोहबत करते है और दीन व दुनिया दोनों अपने ही हाथों बरबाद करते है । होश में आईये येह कोई मामूली सा गुनाह नहीं बल्कि शरीअ़त में सख़्त हराम और गुनाहे कबीरा है । बल्कि कुछ हदीसों में तो इस फ़ेल को कुफ़्र तक बताया गया है ।

हदीस :- हज़रत अबीज़र रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------

"पाख़ाने के मुक़ाम में औरत से सोहबत करना हराम है"।

اتیان النساء لحو الحاش حرام-

(मुस्नदे इमामे आज़म, सफ़ा नं. 223)

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है

"जिस ने औरत या मर्द से उस के पीछे (पाख़ाने के) मुक़ाम में (जाइज़ समझते हुऐ) सोहबत की उस ने यक़ीनन कुफ़्र किया" ।

من اتی شیئا من النساء او الر جال فی ادبار هن فقد کفر-

(अबूदाऊद शरीफ़, अहमद शरीफ़, नसाई शरीफ़, वग़ैरा)

हदीस :- सेहह सित्ता (यानी अहादीस की छे सही किताबों) में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम फ़रमाते है ----------

"अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन ऐसे शख़्स की तरफ़ नज़रे रहमत नहीं फ़रमाएगा जिसने अपनी औरत के पीछे के मुक़ाम से सोहबत की"

لاینظر اللہ یوم القیامۃ الی رجل اتی امراۃ فی دبرھا-

(बुख़ारी शरीफ़, तिर्मिज़ी, अबूदाऊद, इब्ने माजा, मुस्लिम शरीफ़, नसाई)

अगर हम ज़रा सा भी गौर करे तो मअ़लूम होगा कि अक्ल की रू से भी येह काम निहायत ही गन्दा और ना पसंदीदा है जिस से इन्सान को खुद ब खुद घिन आने लगती है । ओलमा-ए-किराम ने औरत से उस के पीछे में सोहबत करने के कई नुक़सानात बयान किये है जिन में से चन्द हम यहाँ बयान कर रहे है ।

नुकसानात :- *अव्वल* तो येह गिलाज़त, बदबू, और गन्दगी के खारिज होने का मुकाम है । सोहबत की लिज़्ज़त व लुत्फ़ अन्दोज़ी को उस से क्या इलाका ! *दूसरा* येह कि क़ुदरत ने उस जगह को इस काम के लिए नही बनाया है तो गोया उस जगह से सोहबत करना क़ुदरत के बनाए वुसूल से बगावत है । *तीसरे* येह कि औरत की शर्मगाह में जाज़बियत (खींचने, Absorbent) का माद्दह होता है जो मर्द की मनी को जज़्ब (खींच Absor) कर लेता है जब कि पाखाने के मुकाम में इख़राज (फेंकने Throw) का माद्दा होता है लिहाज़ा मर्द की मनी का कुछ हिस्सा मर्द के ऊज़ू-ए-तनासुल में ही रह जाता है जो कई बीमारियों को पैदा करता है । *चौथा* येह कि इस सूरत में ऊज़ू-ए-तनासुल (लिंग) की रगों और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर खिलाफ़ फितरत ज़ोर पड़ता है जो रगों के लिए नुकसानदेह है । इस तरह के और कई दूसरे नुकसानात की वजह से शरीअ़त ने इस काम को हराम करार दिया और इसे बुरा बताया ।

सोहबत करने के दूसरे तरीके :-

आयत :- रब तआ़ला इरशाद फरमाता है-----------

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

तर्जमा :- तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ है तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो, और अपने भले का काम पहले करो.

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा, 2, सूरए बकर, आयत 223)

शरह :- हज़रत इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि---------------------------------------

"येह आयत सोहबत करने के मुतअ़ल्लिक़ नाज़िल हुई" ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं.613, हदीस नं. 1660, सफ़ा नं. 729)

हदीस :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---------------------------------------

"सोहबत सिर्फ़ औरत की शर्मगाह में ही होना चाहिये चाहे आगे से करे या पीछे से, दाई करवट से हो या बाई करवट से, जिस तरह कोई शख़्स अपने खेत में जिस तरफ़ से आना चाहे आता है उसी तरह उसकी बीवी भी उसके खेत की तरह है उस से सोहबत किसी भी सिम्त (दिशा) से की जा सकती है लेकिन सोहबत सिर्फ़ शर्मगाह में ही चाहिये ।

बी-एफ़ फ़िल्में (Blue film)



हमारा और आपका मुशाहेदा है कि आज कल लोग सेक्स की मअ़लूमात के लिए ब्ल्यू फ़िल्मे (B.F.) देखते है । बिल्ख़ुसूस नव जवान लड़के । कुछ बेवक़ूफ़ सुहागरात में औरत को ख़ास तौर पर ब्ल्यू फ़िल्म दिखाते हैं ताकि औरत जिस तरह फ़िल्म में दिखाया गया है उसी तरह उन से पेश आए और येह ख़ूद भी हर वोह काम और तरीक़ा अपनाने की कोशिश करते है जो फ़िल्म में होता है चाहे उस में कितनी ही तकलीफ़ क्यों न हो । आप को मअ़लूम होना चाहिये किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को फ़िल्माया जाना अलग बात है और उस को हक़ीक़त में कर लेना अलग बात है । ब्ल्यू फ़िल्में तो सरासर आँखों की अय्याशी और धोके के सिवा कुछ नहीं । आज तक़रीबन हर मुसलमान का बच्चा जानता है कि येह इस्लाम में गुनाह

व हराम है लेकिन परवा किसे है ।

फ़िल्मों में देख कर उस की बातों को सीख कर अमल करना ऐसा ही है जैसे किसी फ़िल्म में हीरो को मोटर सायकल इस तरह चलाते हुए दिखाया जाए कि हीरो सड़कों से होते हुए मोटर सायकल उछाल उछाल कर लोगों की बिल्डींग और मकानों की छत पर चला रहा है कभी इस बिल्डींग पर तो कभी उस बिल्डींग पर ।

इसी मन्ज़र (Scene) को किसी बेवक़ूफ़ ने देखा और इसी तरह करने के लिए उसने अपनी मोटर सायकल अपने घर की छत पर खड़ी कर के शुरू (Start) की और कलच दबा कर गेर बदला एकसिलेटर कलच के साथ छोड़ दिया---------ऐसे बेवक़ूफ़ शख़्स का जो हाल होगा वही हाल उस शख़्स का होता है जो ब्ल्यू फ़िल्में देखता है और उस पर अमल करता है । ऐसा शख़्स ग़ैरत और मर्दानगी की ऊँची छत से, बेहयाई और ना मर्दानगी के ऐसे गढ़े में गिरता है जिस से निकलना जिन्दगी भर मुश्किल होता है ।

मियाँ बीवी के हुक़ूक़

आयत :- अल्लाह रब्बे क़दीर इरशाद फ़रमाता है-----------

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

तर्जमा :- वोह तुम्हारी लिबास है और तुम उन के लिबास,

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान शरीफ़, पारा 2, सूरए बक़र, आयत 187)

इस आयते करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या ही बेहतरीन मिसाल से मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुक़ूक़ के मुतअल्लिक़ अपने बन्दों को समझाया है । जिस तरह आदमी अपने लिबास की हिफ़ाज़त करता है और लिबास जिस्म से जिस क़दर क़रीब होता है उतनी ही कोई चीज़ क़रीब नहीं होती चुनानचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें

हुक्म देता है कि मर्द अपनी बीवी के हुक़ूक़ की उतनी ही ज़िम्मेदारी से हिफ़ाज़त करे जितना वोह अपने लिबास की हिफ़ाज़त करता है और बीवी से उतनी ही मुहब्बत करे और उसे अपने से क़रीब रखे जिस तरह लिबास से मुहब्बत होती है और जितना वोह क़रीब होता है । इसी तरह औरत पर भी येह सब चीज़ें मर्द की तरह लागू होती है । इस आयत की एक दूसरी तफ़सीर येह भी है कि मियाँ बीवी एक दुसरे के अ़येब छूपाने वाले हैं जिस तरह लिबास जिस्म को छूपा देता है ।

शौहर के हुक़ूक़ :-

बीवी का फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की ईज़्ज़त का ख़्याल रखें और उस के अदब व एहतराम से किसी क़िस्म की कोताही न बरते और ज़ुबान से ऐसी कोई बात न निकाले जो शौहर की शान के ख़िलाफ़ हो ।

हदीस :- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा व हज़रत अबूहुरैरा रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------

"अगर मैं किसी को किसी के लिए सज्दे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सज्दा करे" ।

لو كنت امرا احدا ان يسجد لا حدلا مرت المراة ان تسجد لزوجها۔

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 788, हदीस नं. 1158, सफ़ा नं. 594)

इस हदीस शरीफ़ से एक बात तो येह मअ़लूम हुई कि खुदा के सिवा किसी को किसी के लिए सज्दा करना जाइज़ नही ।

और दूसरी बात येह मअ़लूम हुई कि शौहर का दरजा इतना बुलन्द है कि मख़लूक़ में किसी के लिए सज्दा करना अगर जाइज़

होता तो औरतों को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहर को सजदा करे

हदीस :- एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से दरयाफ़्त किया कि---"बेहतरीन औरत की पहचान क्या है"? हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"जो औरत अपने शौहर की इताअ़त व फ़रमाँ बरदारी करे" ।	اَلّتی تطیعه اذا امر۔

(नसाई शरीफ़, जिल्द 2, सफ़ा 364)

औरत का फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की ख़िदमत से दूर न भागे बल्कि ज़िन्दगी के हर क़दम पर निहायत ही खन्दा पेशानी (ख़ुशी के साथ) शौहर की ख़िदमत कर के अपनी वफ़ादारी का अ़मली सुबूत दें । यहाँ तक की शौहर अपनी औरत को किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो बेकार व फ़ुज़ूल हो तब भी औरत का फ़र्ज़ है कि शौहर के हुक्म की तअ़मील करे ।

हदीस :- हज़रत मैमूना रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------

"मेरी उम्मत में सब से बेहतर वोह औरत है जो अपने शौहर के साथ अच्छा सुलूक करती है, ऐसी औरत को ऐसे एक हज़ार शहीदों का सवाब मिलता है जो ख़ुदा की राह में सब्र के साथ शहीद हुए, उन औरतों में से हर औरत जन्नत की हूरों पर ऐसी फ़ज़ीलत रखती है जैसे मुहम्मद (सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) को तुम में से अदना मर्द पर ।

(ग़ुन्यतुत्तालेबीन, सफ़ा 113)

हदीस :- हज़रत अबू सईद रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------

"शौहर की ना शुकरी करना एक तरह का कुफ़्र है और एक कुफ़्र दुसरे से कम होता है " ।	کفران العشیر و کفر دون کفر فیه۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 21, हदीस नं. 28, सफ़ा नं. 109)

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"मुझे दोज़ख दिखाई गई मै ने वहाँ औरतों को ज़्यादा पाया वजह येह है कि कुफ़्र करती है । सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया, क्या वोह अल्लाह के साथ कुफ़्र करती है ? इरशाद फरमाया---नही ! वोह शौहर की ना शुकरी करती है (जो के एक तरह का कुफ़्र है) और एहसान नहीं मानती, अगर तू किसी औरत से उमर भर एहसान और नेकी का सुलूक करे लेकिन एक बात भी ख़िलाफ़े तबियत हो जाए तो झट कह देंगी मैंने तुझ से कभी आराम और सुकून नहीं पाया" ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 21, हदीस नं. 28, सफ़ा नं 109)

हदीस :- हज़रत उमर रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत है हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------

"तुम को नही मअ़लूम औरत के लिए शिर्क के बाद सब से बड़ा गुनाह शौहर की ना फ़रमानी है" ।

(गुन्यतुत्तालेबीन, सफ़ा 114)

लिहाज़ा औरतों को चाहिये कि अपने शौहर की ना शुकरी न करे वरना फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार रहें ।

औरत अगर येह चाहती है कि शौहर को अपना गुरवीदा बनाए रखे तो उस की ख़िदमत में कोताही न करे इस की पुर ख़ुलूस ख़िदमतों को देख कर शौहर ख़ूद ही उस का गुरवीदा हो जाऐगा ।

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------

"शौहर अपनी बीवी को जिस वक़्त बिस्तर पर बुलाए और वोह आने से मना कर दे तो उस औरत पर खुदा के फ़रीश्ते सुबह तक लअ़नत करते रहते है" ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 115, हदीस नं. 178, सफ़ा नं. 96)

हदीस :- एक और रिवायत में है कि----"जब शौहर अपनी हाजत (सोहबत) के लिए बीवी को बुलाए तो बीवी अगर रोटी पका रही हो तो उस को लाज़िम है कि सब काम छोड़ कर शौहर के पास हाज़िर हो जाए । *(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 788, हदीस नं. 1159, स. 595)*

हदीस :- हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआला अन्हा से मरवी है---

"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक जवान औरत हाज़िर हुई और अर्ज़ किया--"या रसूलुल्लाह ! मै जवान औरत हूँ मुझे निकाह के पैग़ाम आते है मगर मै शादी को बुरा समझती हूँ, आप मुझे बताईए बीवी पर शौहर का क्या हक़ है" ? आप ने फ़रमाया---"अगर शौहर की चोटी से ऐड़ी तक पीप हो और वोह उसे ज़बान से चाटे तो भी शौहर का हक़ अदा नही कर पाऐगी"। उसने पूछा--"तो मै शादी न करो" ? आप ने फ़रमाया--"तुम शादी करो क्योंकि इस में भलाई है" । *(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, बाब नं.१५ सफ़ा नं 617)*

आह ! अफ़सोस आज कल की ज़्यादा तर औरतें अपने शौहरों को बुरा भला कहती और गा़लिया देती है कुछ बे बाक बेशर्म तो अपने शौहर को मारने से भी नहीं चुकती । कुछ अय्याश बदचलन औरतें अपने बीमार शौहर को घर पर छोड़ कर दूसरे मर्दों के साथ रंग रलियाँ मनाने में मस्त रहती है ।

खुदारा ऐसी औरतें होश में आए अपने शौहर के मरतबे को पहचाने और इस दुनिया में थोड़ी सी मस्ती, रंगरलियों और थोड़े से झूटे मज़े की ख़ातिर हमेशा हमेशा रहने वाली आख़िरत की ज़िन्दगी को तबाह व बरबाद न करें ।

एक ख़ास अमल :- जिस शख़्स की बीवी उसका कहा न मानती हो ना फ़रमान, ज़बानदराज़, और झगड़ालू होतो वोह शख़्स सोते वक़्त —— يَا مَانِعُ ——"अलमानेओ" दिल से बहुत ज़्यादा पढ़े बफ़ज़लेहि तआला औरत फ़रमाबरदार और मुहब्बत करने वाली हो जाएगी ।

(वज़ाइफ़े रज़वीया, सफ़ा नं. 224)

बीवी के हुकूक :-

जिस तरह बीवी को लाज़िम है कि शौहर के हुकूक अदा करे उसी तरह शौहर पर भी फ़र्ज़ है कि बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की कोताही न करे ।

आयत :- रब तआला इरशाद फ़रमाता है-------------

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ----

तर्जमा :- और उनसे (औरतों से) अच्छा बरताव करो ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान पारा 4, सुरए निसा, आयत 19)

शौहर पर बीवी की जो ज़िम्मेदारी आएद है उन में से एक बड़ी ज़िम्मेदारी येह भी है कि वोह अपनी बीवी का महेर अदा करे ।

हदीस :- हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--

"निकाह की शर्त यानी महेर अदा करने का सब से ज़्यादा ख़्याल रखो" । *(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, सफ़ा न 80)*

बीवी का महेर शौहर के ज़िम्मे वाजिब है और उसे अदा करना ज़रूरी है अगर इसके अदा करने में कोताही की तो क़ियामत के दिन सख़्त गिरिफ़्त होगी और सज़ा भुगतनी पड़ेगी ।

शौहर का अपनी बीवी को सताना, गालिया देना, और उस पर ज़ुल्म व ज़्यादती करना बद तरीन गुनाह है ।

हदीस :- रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------------------------------

"सब से बुरा आदमी वोह है जो अपनी बीवी को सताए"।

(तबरानी शरीफ़)

हदीस :- रसूले मक़बूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---------------------------------

"तुम में वोह बेहतर है जो अपनी बीवीयों के साथ बेहतर है || خیر کم خیر کم لا ھبلہ و انا خیر کم لاھلی-
और मै अपनी बीवीयों के साथ तुम सब से ज़्यादा बेहतर हूँ"।
(इब्ने माजा, जिल्द 1, हदीस नं. 2047, सफ़ा 551, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1 सफ़ा 595)

शौहर को चाहिये कि अपनी बीवी के साथ ख़ूश मिज़ाजी, नर्मी, और मेहरबानी से पेश आऐ और अपने प्यारे नबी के हुक्म पर अमल करे ।

लेकिन आज कल आम तौर पर देखा येह जा रहा है कि मर्द हज़रत बाहर तो चूहा बने फिरते है लेकिन घर में शेर होते है और बे वजह बीवी पर रोब झाड़ते फिरते है ।

बीवी से हमेशा मुहब्बत का सुलूक रखे हाँ अगर वोह ना फ़रमानी करे या जाइज़ हुक्म न माने तो उस पर ग़ुस्सा कर सकते है

हुज़ूर सैय्यदना **ग़ौसे आज़मा** "ग़ुन्यतुत्तालेबीन" में और इमाम **मुहम्मद ग़ज़ाली** रदीअल्लाहो तआला अन्हो "कीम्या-ए-सआदत" में फ़रमाते है--

"अगर बीवी शौहर की इताअ़त न करे तो शौहर नर्मी व मुहब्बत और समझा बुझा कर अपनी इताअ़त करवाऐ । अगर इस के बाद भी बीवी न समझे तो शौहर ग़ुस्सा करे और उसे डांट डपट कर समझाए फिर भी अगर औरत न माने तो सोने के वक़्त उस की तरफ़ पीट कर के सोए । अगर इस के बाद भी न माने तो फिर तीन रातें उस से अलग सोए । अगर इन तमाम चीज़ों से भी न माने और अपनी हट धर्मी पर अड़ी रहे तो उसे मारे मगर मुँह पर न मारे और न ही इतने ज़ोर से मारे की ज़ख्मी हो जाए । अगर इन सब से भी फ़ायदा न हो तो फिर एक महीने तक नाराज़ रहे (फिर भी कुछ बात न बने तो अब एक तलाक़ दें)

(ग़ुन्यातुत्तालेबीन, सफ़ा 118, कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 265)

अगर किसी शख़्स की दो बीवीयाँ या उससे ज्यादा हो तो सब के साथ बराबरी का सुलूक रखे खाने पीने ओढ़ने वग़ैरा सब मे इन्साफ़ से काम ले हर बीवी के घर बराबर बराबर वक्त गुज़ारे और उसके लिए उनकी बारी मुकरर कर ले ।

हदीस 4 :- हज़रत अबूहुरैरा रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"जब किसी के निकाह में दो बीवीयाँ हो और वोह एक ही की तरफ़ मायेल हो तो वाहे कियामत के दिन जब आएगा तो उसका आधा धड गिरा हुआ होगा" ।

اذا كانت عند الرّجل امراتان فلم يعدل بينهما جاءيوم القيمة و شقّه ساقط-----

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, हदीस नं. 1137, सफ़ा नं. 584 इब्ने माजा जि. 1 स. 549)

जोरू के ग़ुलाम :-

अगर आप किसी भी मोहल्ले या बस्ती में चले जाए और वहाँ का दौरा (Inspection) करे तो आप को हर दो घर के बाद तीसरा घर जोरू के ग़ुलाम का मिलेगा ।

यानी इस ज़माने में शौहर अपनी बीवी से अपनी इताअत नहीं करवाता बल्कि ख़ुद उस की इताअत करता है ।

आयत :- रब तआला इरशाद फ़रमाता है-------------

तर्जमा :- मर्द अफ़सर है औरतों पर || الرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ--

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 5 सूरए निसा, आयत 34)

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"बीवी का ग़ुलाम बद बख़्त है"। || تعس عبد الزّوجة-

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 263)

इमाम गज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है-------

"बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है औरतों से मशवरा करो लेकिन अमल उस के ख़िलाफ़ करो" । (यानी ज़रूरी नही कि औरत के हर मश्वरे पर अमल किया जाए) *(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 263)*

लेकिन अफ़सोस आज कल लोग औरत के बहकावे में आ कर ख़िलाफ़े शरीअत काम तक कर लेते है यहाँ तक कि वोह औरत के इस क़दर ग़ुलाम बन जाते है कि अपने माँ, बाप को छोड़ देते है लेकिन बीवी की ग़ुलामी नहीं छोड़ सकते । अगर घर में किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो बीवी को समझाने कि बजाए उल्टा ही अपने माँ, बाप को झिड़कते है । और अपनी आख़िरत की बरबादी का सामान अपने हाथों से जुटाते है याद रखिये भले ही बीवी नाराज़ हो जाए लेकिन माँ, बाप नाराज़ न होने पाए । बीवी तो सैकड़ों मिल सकती है लेकिन माँ, बाप नहीं मिल सकते ।

हदीस :- हज़रत अबू उमामा रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"माँ, बाप तेरी जन्नत भी है और दोज़ख़ भी" । || هما جنتك و نارك-

(इब्ने माजा शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 621, हदीस नं. 1456, सफ़ा नं. 395)

इस हदीस का मतलब येह है कि तू अपने माँ, बाप की फ़रमाबरदारी करेगा तो जन्नत में जाएगा और ना फ़रमानी करेगा तो दोज़ख़ में सज़ा पाएगा ।

हदीस :- फ़रमाते है सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम -----------

"ख़ुदा शिर्क और कुफ़्र के अलावा जिस गुनाह को चाहेगा बख़्श देगा मगर माँ, बाप की ना फ़रमानी को नहीं बख़्शेगा बल्कि मौत से पहले दुनिया में भी सज़ा देगा" ।

(बयहक़ी शरीफ़)

लिहाज़ा माँ, बाप की फ़रमाबरदारी को ही हमेशा अहमियत दें । औरत का भी फ़र्ज़ है कि वोह अपने सास, सासूर को अपने माँ, बाप की ही तरह समझे और उन से नेक सुलूक करे । मर्द पर भी ज़िम्मेदारी है कि वोह अपनी औरत से अपने माँ, बाप की इताअत करवाए ।

हदीस : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

"जब कोई नेक लड़का अपने माँ, बाप की तरफ़ मुहब्बत की नज़र से देखता है तो अल्लाह तआला उस के लिए हर नज़र के बदले एक हजे मक़बूल का सवाब लिखता है"। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज़ किया--"या रसूलुल्लाह ! अगर कोई सौ (100) बार रोज़ाना देखे तो क्या उस को रोज़ाना सौ हज का सवाब मिलेगा" ? सरकार ने इरशाद फ़रमाया--"हाँ ! बेशक अल्लाह तआला बुज़ुर्ग व बरतर है उस को येह बात कुछ मुश्किल नही"।

مامن ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبورة-

(बयहकी शरीफ़)

चीड़ी मारी

आज के नवजवानों में तरह तरह की बुराईयाँ जन्म ले चुकी है जिस की सब से बड़ी वजह दीन की तअ़लीम से दूरी है इस के अलावा फ़िल्में देखने का आम चलन, औरतों और कुँवारी लड़कियों का बेपर्दा, सज धज कर सड़कों पर खुले आ़म घुमना वग़ैरा वग़ैरा जैसी बुराईयाँ है ।

आज के मॉड्रन नवजवान ज़िना (बलत्कार) ग़ैर औरतो से छेड़ छाड़ जैसे गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते यहाँ तक के कुछ नवजवान तो पेशावर औरतों के पास जाने में भी कोई शर्म व झिझक तक महसूस नही करते बल्कि इसे मर्दानगी का सुबूत व Certificate समझते है, और जो शख़्स येह सब नही करता वोह इन अय्याशों की नज़र में बेवक़ुफ़, बुज़दिल ना मर्द समझा जाता है । आह ! किस क़दर जहालत है येह ।

आयत :- रब तआ़ला इरशाद फ़रमाता है------------

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ-

तर्जमा :- और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नींची रखे और पारसाई की हिफ़ाज़त करे और अपना बनाओं न दिखाए मगर जितना ख़ुद ही ज़ाहिर है और दूपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार ज़ाहिर न करे मगर अपने शौहरों पर-----

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 18, सूरए नूर, आयत 31)

इस आयते करीमा में अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त ने साफ़ साफ़ हुक्म दिया है कि अपनी निगाहें नीचे रखें, अपना बनाव सिंगार अपने शौहर के लिए ही करे ग़ैर मर्दों के लिए नही, और अपने सीने, और सर पर डुपट्टे ड़ाले रहें ।

लेकिन आज मामला उल्टा ही नज़र आ रहा है अक्सर

औरतें घर में तो गन्दी बैठी रहती हैं लेकिन जब बाहर निकलना होता हैं तो खूब बन सँवर कर निकलती है--गोया गन्दगी उनके अपने शौहर के लिए और सिंगार व सफाई ग़ैर मर्दों के लिए ।

हदीसे पाक में सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने औरतों को घर में साफ़ और सजधज कर रहने का हुक्म दिया ताकि शौहर अपनी बीवी को ही पसंद करे और ग़ैर औरतों की तरफ़ न जाए, लेकिन अफ़सोस आज मामला ही उल्टा हो चुका है ।

हदीस :- रसूले करीम सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"औरत, औरत है यानी छुपाने की चीज़ है जब वोह निकलती है तो उसे शैतान झॉक कर देखता है यानी उसे देखना शैतानी काम है"।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 796, हदीस नं. 1173, सफ़ा नं. 600)

चीड़ीमारी में मर्द और औरतें दोनों कुसूरवार है । मर्द ऐसे कि वोह उनसे बद निगाही करते है उन्हें छेड़ कर उन की बेईज़्ज़ती करते है । और औरतें इस तरह कि वोह बे पर्दा सड़कों पर खुले आम निकलती है ताकि मर्द उसे देखे ।

हदीस :- फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम-----

لعن الله النّاظر والمنظور اليه-

"जिस ग़ैर औरत को जान बूझ कर देखा जाए और जो औरत अपने को जान बूझ कर ग़ैर मर्दों को दिखलाए उस मर्द और औरत पर अल्लाह की लअ़नत"।

(मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2991, सफ़ा नं. 77)

हदीस :- हज़रत मैमूना बिन सआद रदीअल्लाहो अन्हुमा से रिवायत है हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

مثل الرّفلة فى الزّينة فى غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيمة لا نورلها-

"अपने शौहर के सिवा दूसरों के लिए ज़िनत के साथ दामन घसिटते हुए (इतराकर) चलने वाली

औरत क़ियामत के अंधेरों की तरह है जिसमें कोई रौशनी न हो"।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 791, हदीस नं. 1166, सफ़ा 597)

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम् ने फ़रमाया----

"(जब मर्द ग़ैर औरत को देखता है || العينان تزنيان-

और औरत ग़ैर मर्द को देखती है) दोनों की आँखें ज़िना करती हैं"।

(कशफ़ुल महजूब, सफ़ा नं. 568)

हदीस :- फ़रमाया हमारे आक़ा सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने------------------------------------

"मर्द का ग़ैर औरतों को और औरत का ग़ैर मर्दों को देखना आँखों का ज़िना है, पैरों से उस की तरफ़ चलना पैरों का ज़िना है कानों से उस की बात सुन्ना कानों का ज़िना है, ज़बान से उस के साथ बातें करना ज़बान का ज़िना है दिल में ना जाइज़ मिलाप की तमन्ना करना दिल का ज़िना है, हाथों से उसे छूना हाथ का ज़िना है ।

(अबू दाऊद शरीफ, जिल्द 2, बाब नं. 121, हदीस नं. 385, सफ़ा नं. 147)

हदीस :- हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह का बयान है----

"मै ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से अचानक नज़र पढ़ जाने के मुतअल्लिक़ पुछा तो फ़रमाया कि--"अपनी नज़र फेर लिया करो"।

سالت رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم عن نّظر الفجاءۃ فامرنی ان اصرف بصری-

(मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2970, सफ़ा नं. 73)

हदीस :- फ़रमाते है हमारे आक़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम------

"जब ग़ैर मर्द और ग़ैर औरत तनहाई में किसी जगह एक साथ होते है उन मे तीसरा शैतान होता है"।

لا یحلونّ رجل بامراۃ الا کان ثالثہما الشّیطان-

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 794, हदीस नं. 1171, सफ़ा नं. 599)

हदीस :- सरकारे मदीना सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------------

اياكم والدخول على النسآء، فقال رجل يا رسول الله ارايت الحمو، قال الحمو الموت -

"तन्हा ग़ैर औरत के पास जाने से परहेज़ करो"। एक सहाबी ने सवाल किया--"या रसूलुल्लाह ! देवर के बारे में क्या इरशाद है"? फ़रमाया--"देवर तो मौत है"!

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 141, हदीस नं. 216, सफ़ा नं 108, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 794, हदीस नं. 1171, सफ़ा नं. 599, मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2968, सफ़ा नं. 73)

अब आप ख़ूद अन्दाज़ा लगाईये जब देवर के सामने भी भाभी को आने से मना किया गया और यहाँ तक कि उसे मौत की तरह बताया तो फिर भला बताईये सड़कों पर, शादियों में, और दिगर मुक़ामात पर ग़ैर मर्दों का औरतों के सामने आना और औरतों का ग़ैर मर्दों के सामने बे हिजाब आना किस क़दर ख़तरनाक होगा ।

लिहाज़ा माँ, बाप पर ज़िम्मेदारी है कि वोह अपनी जवान कुँवारी लड़कियों को पर्दा करवाए और बे फ़ुज़ूल बाज़ारों और सड़कों पर घुमने से रोके । इसी तरह शादी शुदा मर्दों पर भी ज़रूरी है कि वोह अपनी औरतों को पर्दा करवाए ।

इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने क्या ख़ूब फ़रमाया है, फ़रमाते है-------------------------------------

"मर्द अपनी औरत को घर की छत और दरवाज़े पर न जाने दे ताकि वोह ग़ैर मर्द को और ग़ैर मर्द उस को न देख सके और खिड़की दरवाज़े से मर्दों का तमाशा देखने की इजाज़त न दे कि तमाम आफ़ते आँख से पैदा होती है घर में बैठे नहीं पैदा होती बल्कि खिड़की, रौशनदान, छत, दरवाज़े से पैदा होती है ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 263)

हदीस :- हज़रत उम्मे सलमा रदीअल्लाहो अन्हा फ़रमाती है----

"एक दिन एक ना बीना (अन्धे) सहाबी सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से मिलने आए मैं और सरकार की दूसरी बीवीयाँ वही बैठी थी सरकार ने इरशाद फ़रमाया--"पर्दा कर लो"- फ़रमाती है हम ने अर्ज़ किया--"या रसूलुल्लाह ! येह तो हमें देख नहीं सकते"? फ़रमाया--"तुम तो अन्धी नहीं हो तुम तो देख सकती हो"।

(अबूदाऊद, जिल्द 3, बाब नं. 258, हदीस नं. 711, सफ़ा 246, तिर्मिज़ी, जि. 2 स. 279)

अब ज़रा अंदाज़ा लगाईये जब नाबीना से भी सरकार सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम ने अपनी अज़्वाज्हे मुतहरात (बीवीयों) को पर्दा करवाया तो क्या आज की इन औरतों को पर्दा करना ज़रूरी न होंगा ? यक़ीनन ज़रूरी होंगा । वरना अज़ाबे क़ब्र व दोज़ख़ उनके लिए तैयार है ।

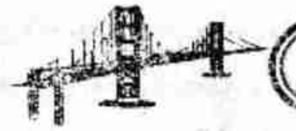
हदीस :- सरकारे दो आलम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---

"जब मर्द के सामने कोई अजनबी औरत आती है तो शैतान की सूरत में आती है जब तुम में से कोई किसी अजनबी औरत को देखे और वोह उसे अच्छी मअलूम हो तो चाहिये कि अपनी बीवी से सोहबत करलें (ताकि गुनाह से बच जाए) तुम्हारी बीवी के पास भी वही चीज़ मौजूद है जो उस अजनबी औरत के पास मौजूद है (और अगर किसी के पास बीवी न हो तो वोह रोज़ा रखे कि रोज़ा गुनाह से रोकने वाला और हवस को मिटाने वाला है)

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, सफ़ा नं. 594, मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, सफ़ा नं. 73)

मस्अला :- कुछ औरतें अपने मर्दों के सामने मनीहार (चूड़ीयाँ बेचने वालों) के हाथ से चूड़ीयाँ पहनती है, येह हराम-हराम-हराम है । हाथ दिखाना ग़ैर मर्द को हराम है । उस के हाथ में हाथ देना हराम है । जो मर्द अपनी औरतों के साथ इसे जाइज़ रखते हैं दैयूस (यानी बेग़ैरत भड़वे) है ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, सफ़ा नं. 208)



ज़िना



आयत :- अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है---------

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۔

तर्जमा :- और (मोमिन) वोह जो अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करते है ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 21 सूरए मआरिज, आयत 29)

एक मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत करे जिस का वोह मालिक नही (यानी उस से निकाह नही हुआ) उसे ज़िना (बलत्कार) कहते है । चाहे मर्द, औरत दोनों राजी हो तब भी येह ज़िना ही कहलाएगा । इसी तरह पेशावर बाज़ारी औरतों और तवाएफ़ों के साथ सोहबत करने को भी ज़िना कहा जाएगा ।

आज कल अक्सर नवजवान काफ़िरों की लड़कियों के साथ नाजाइज़ तअल्लुक़ात को, कोई गुनाह नहीं समझते येह सख़्त जहालत है काफिर लड़की से सोहबत भी ज़िना ही कहलाएगी ।

इसी तरह कट्टर वहाबी, देवबन्दी, मौदूदी, नेचरी, शिया, वग़ैरा जितने भी दीन से फिरे हुए फ़िरक़े है उन की लड़की से निकाह किया तो निकाह ही नहीं होगा बल्कि ज़िना कहलाएगा (जब तक कि वोह सच्ची तौबा कर के सुन्नी न हो जाए और वहाबियों को काफ़िर, मुरतद न समझे)

ज़िना यक़ीनन बहुत ही बड़ा गुनाह और बहुत ही बड़ी बला है येह इन्सान को कही का नही रख़्ती ।

हदीस :- अल्लाह के रसूल ने इरशाद फ़रमाया-------

ماذنب بعد الشرک اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فی رحم لایحل له۔

"शिर्क के बाद अल्लाह के नज़दीक इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं के एक शख़्स किसी ऐसी औरत से सोहबत करे जो उस की बीबी नही" ।

हदीस :- और फ़रमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम--

"जब कोई मर्द और औरत ज़िना करते है तो ईमान उन के सीने से निकल कर सर पर साए की तरह ठहर जाता है" ।

اذازنی العبد خرج منه الایمان فکان فوق راسه کانظلة ۔

(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं 168)

हदीस :- हज़रत इकरेमा ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुमा) से पुछा------------------

"ईमान किस तरह निकल जाता है ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फ़रमाया--"इस तरह ! और अपने हाथ की उँगलियाँ दूसरे हाथ की उँगलियों में ड़ाली और फिर निकाल ली और फ़रमाया-- "देखो इस तरह"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 968, हदीस नं. 1713, सफ़ा नं. 614, अशअ़तुल लम्आ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 287)

हदीस :- हज़रत अबूहुरैरा व इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--------------------------------

"मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नही सकता" ।

لایزنی الزّانی حین یزنی وھو مومن۔

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 968, हदीस नं. 1714, सफ़ा नं. 614)

मुसीबतें :- हज़रत इमाम ग़ज़ाली फ़रमाते है----------

"ज़िना में छे (6) मुसीबतें है । बाज़ सहाबा-ए-किराम से मरवी है कि ज़िना से बचो इस में "छे" मुसीबतें है जिन में से तीन का तअ़ल्लुक़ दुनिया से और तीन का आख़िरत से है । दुनिया की मुसीबतें येह है कि---------------------------------

(1) ज़िन्दगी मुख़्तसर (कम) हो जाती है ।

(2) दुनिया में रिज़्क़ कम हो जाता है ।

(3) चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है ।

-------------आख़िरत की मुसीबतें येह है कि----------

(4) आख़िरत में ख़ुदा की नाराज़गी ।
(5) आख़िरत में सख़्त पूछ ताछ होगी ।
(6) जहन्नम में जाएगा और सख़्त अज़ाब !

(मुकाशेफ़तुत क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 168)

हदीस :- रिवायत है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ने अल्लाह जल्लाजलालहु से ज़िना करने वाले की सज़ा के बारे में पूछा तो रब तआला ने फ़रमाया---"उसे आग की ज़र्रह पहनाऊँगा (लोहे का लिबास जो आग से बना होंगा) वोह ऐसी वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वोह भी रेज़ा रेज़ा हो जाए ।

(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 168)

आयत :- अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है---------

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ـ

तर्जमा :- जो शख़्स ज़िना करता है उसे असाम में डाला जाएगा ।

(क़ुरआने करीम, पारा 19 सूरए फ़ुरक़ान, आयत 68)

असाम के बारे में ओलमा-ए-किराम ने कहा है कि वोह जहन्नम का एक ग़ार है जब उस का मुँह खोला जाएगा तो उस की बदबू से तमाम जहन्नमी चींख़ उठेंगे ।

(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 167)

ان السموات السبع والا رضين السبع والجبال القلن الشيخ الزانی وان فروج الزناة ليوذی اهل النّار فتن ويحها ـ

हदीस :- सातों आसमान सातों ज़मीनें और पहाड़ ज़िना कार पर लअ़नत भेजते है और क़ियामत के दिन ज़िना कार मर्द व औरत की शर्मगाह से इस क़दर बदबू आती होगी के जहन्नम में जलने वालों को भी इस बदबू से तकलीफ़ पहुँचेगी ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, हिस्सा नं. 9, सफ़ा नं. 43)

येह सज़ा तो आख़िरत में मिलेगी लेकिन ज़िना करने वाले पर शरीअ़त ने दुनिया में भी सज़ा मुक़र्रर कि है । इस्लामी हुकुमत

हो तो बादशाहे वक्त या फिर क़ाज़ी पर ज़रूरी है कि ज़िना करने वाले पर जुर्म साबित हो जाने पर शरीअत का हुक्म लगाए ।

हदीसे पाक में है कि अगर कोई दुनिया में सज़ा से बच गया तो आख़िरत में उस को सख़्त अज़ाब दिया जाएगा और अगर दूनिया में सज़ा मिल गई तो फिर अल्लाह चाहे तो उसे मुआफ़ फ़रमा दें ।

दुनिया में सज़ा :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने ज़िना करने वाले मर्द और औरत को सज़ा का हुक्म दिया और उस पर अमल भी करवाया ।

चुनानचे हदीसे पाक में है कि ज़िना करने वाले के लिए येह सज़ा रखी गई है-------

للمحصن رجمة فى فضاء
حتى ليموت وليغر المحصن
جلدة مائته ـ

हदीस :- ज़िना करने वाले शादी शुदा हो तो खुले मैदान में पत्थरों से मार डाला जाए और ग़ैर शादी शुदा हो तो सौ (100) दुर्रे (चाबूक जिस के सिरे पर नोकिला किला हो उस से) मारे जाए ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 968, 980, हदीस नं. 1715, सफ़ा नं 615,625)

ज़्यादा तफ़सील के लिए क़ुरआने करीम में सूरए "नूर" की दूसरी आयत का मुताला करे ।

हिन्दुस्तान में चुँकि इस्लामी हुकूमत नहीं इसलिए यहाँ इस्लामी सज़ा भी नहीं दी जा सकती । लिहाज़ा जो इस गूनाह में पड़े हुए हैं वोह आज ही से सच्ची तौबा कर लें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी माँगे । अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो उन के सारे गुनाह मुआफ़ कर देंगा ।

पेशावर औरतें

अक्सर नवजवान शादी से पहले अपने आप पर क़ाबू नहीं रख पाते हैं और वोह अपनी हवस को मीटाने के लिए बाज़ारी औरतों का सहारा लेते है । कुछ तो शादी के बाद भी अपनी बीवी के होते हुए पेशावर बाज़ारी औरतों के पास जाना नहीं छोडते ।

येह बाज़ारी औरतें वोह है जिन्होंने हया व शर्म के नक़ाब को उठाया और बे ग़ैरती व बेशर्मी के लिबास को पहेना है वोह यक़ीनन इन्सानी सोसायटी (society) के लिए वोह ख़तरनाक कीड़े है जो पिलेग (Plague) और हैज़ा के कीड़ों से ज़्यादा दुनिया के लिए ख़तरनाक है ।

अगर आप एक पिलेट में तरह तरह के खाने खट्टे, मीठे, कढ़वे, तेज़, तीखे, सब मिला कर रख दे तो वोह कुछ दिनों बाद सड़ेंगे, बदबू पैदा हेंगी, कीड़े पड़ जाएगे ।

बस येह बाज़ारू औरतें भी उसी पिलेट की तरह है । देखो इन के पावड़र, लिबिस्टीक पर न बहलना ! बालों की बनावट और कपड़ों की सजावट पर न रिझना ! येह वही ख़ूबसूरत दस्तर से ढ़की पिलेट है जिस में अलग अलग मिज़ाज वाले इन्सानों के हाथ पड़ चुके हैं और मुख़तलिफ़ क़िस्म के माद्दों ने एक जगह मिल कर इसे इस क़दर सड़ा दिया है और ऐसे बारीक बारीक कीड़ों को पैदा कर दिया है जो देखने में नहीं आते । तुम ज़रा इस के पास गए और उन्होंने तुम्हें डंग मारा । येह ऐसा नाग है जिस का काटा साँस भी नहीं लेता, एक वक़्त की ज़रा सी लिज़्ज़त पर अपनी ऊमर भर की दौलत, आराम व राहत, तन्दुरूस्ती व सेहत और ऐश व इशरत को न खो बैठना, देखो

आयत हमारा रब इरशाद फ़रमाता है-------------

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِ

तर्जमा :- मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखे,

هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ •

और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करे येह उन के लिए बहुत सुथरा है बेशक अल्लाह ही को उन के कामों की ख़बर है ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान शरीफ़, पारा 18 सूरए नूर, आयत 31)

इस आयत की तफ़सीर में इमाम ग़ज़ाली फ़रमाते है--

"इस आयत में बड़े से मुराद ज़िना करना और छोटे से मुराद बोसा (ग़ैर औरत का चुम्मन) लेना, व बुरी नज़र से देखना और छूना हैं" ।

(मुकाशेफ़ुल क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 167)

आयत :- एक दूसरी जगह इरशादे रब्बानी है---------

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ----

तर्जना :- गन्दियाँ, गन्दों के लिए और गन्दे गन्दियों के लिए, और सुतरियाँ सुतरों के लिए और सुतरे सुतरियों के लिए ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 18, सूरए नूर, आयत 26)

इस आयत की तफ़सीर में ओलमा-ए-किराम इरशाद फ़रमाते है कि----बदकार और गन्दी औरतें, गन्दे और बदकार मर्दों के ही लाएक है । इसी तरह बदकार और गन्दे मर्द इसी क़ाबिल हैं कि उन का तअ़ल्लुक़ उन जैसी ही गन्दी और बदकार औरतों से हो । जब के पाक सुतरे नेक मर्द सुतरी और नेक औरतों के लाएक है और नेक औरत का तअ़ल्लुक़ नेक मर्द से ही किया जा सकता है ।

हदीस :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआ़ाला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

ان اللّٰہ یدنو من خلقۃ یغفر لمن استغفر الاالبغی بفرجھا۔

"अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों से क़रीब है और कोई मग़फ़ेरत माँगे उसे बख़्शता है लेकिन उस औरत को नही बख़्शता जो अपनी शर्मगाह का ना जाइज़ इस्तेमाल करती है (यानी धन्दा करती है)"।

हदीस :- फ़रमाया सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने---

"जिस ने ज़िना किया या शराब पी अल्लाह तआला उस में से ईमान को ऐसे निकालता है जैसे इन्सान सर से अपना कुरता निकाल डालता है"।

من زنى اوشرب الخمر نزع الله منه الايماكما يخلع الانسان القميص من راءسه -

इस हदीस को पढ़ कर वोह लोग दिल से सोचे जो पेशावर औरतों के पास जाते है और ज़िना करते है । तअज्जुब है कोई मुसलमान हो और ज़िना करे ! लिल्लाह अब भी होश में आ जाईये वरना फिर उन्हें मौत ही होश में लाऐगी लेकिन याद रहे उस वक्त का होश किसी भी काम का न होगा । उस वक्त होश भी आया तो क्या !

रिवायत :- हज़रत इमाम गज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो रिवायत करते है कि----------------------------------

"जिस ने किसी गैर औरत (जो शादी शुदा हो) का बोसा (चुम्मन, Kiss) लिया उस ने गोया सत्तर (70) कुँवारी लड़कियों से ज़िना किया । और जिसने किसी कुँवारी लड़की से ज़िना किया तो गोया उस ने सत्तर हज़ार (70,000) शादी शुदा औरतों से ज़िना किया"।

(मुकाशफतुल कुलूब, बाब नं. 22, सफा नं. 169)

रिवायत :- कहते है, इबलीस (शैतान) को हज़ार बदकार पर्दों से एक बदकार औरत ज़्यादा पसंद होती है ।

(मुकाशफतुल कुलूब, बाब नं. 22, सफा नं. 168)

बदकार से नेक बनाने के लिए अमल :-

अगर किसी औरत का मर्द बदचलन और दूसरी औरत के साथ हराम कारी करता है या हराम कारी करने पर उतारू हो तो ऐसी औरत रात को अपने बदकार मर्द से सोहबत से पहले बा वुज़ू गयारह बार --- اَلْوَلِيُّ ---*"अल वलीय्यो"* पढ़े । अव्वल और आख़िर में दुरूद शरीफ़ पढ़े । फिर अपने बदकार मर्द से सोहबत करे (येह अमल दो, तीन, बार करने से) इन्शाअल्लाह वोह परहेज़गार हो जाएगा ।

इसी तरह अगर किसी की औरत बदचलन हो या बदकारी करती हो तो वोह भी इसी तरह येह अमल दोहराए--इन्शाअल्लाह औरत नेक व परहेज़गार बन जाएगी ।

(वज़ाइफ़े रज़्वीया, सफ़ा नं 219)

हिजड़ों से सोहबत
←(गांठस)→

कुछ बदबख़्त इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो जिन्सी तअ़ल्लुक़ात में हराम व हलाल में तमीज़ नहीं करते ऐसे लोग दारिन्दा सिफ़त इन्सान हैं ।

जो लोग किसी कम उमर लड़के या मर्द या फिर हिजड़ों से मुँह काला करते है उन्हें इस्लामी शरीअत में "लूती" कहा जाता है आम तौर पर लोग इन्हें "गांठस" के नाम से जानते हैं ।

कौमे लूत :- हज़रत इमाम कलबी रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत हैं कि---

"सब से पहले येह काम (यानी मर्द का मर्द से सोहबत करना) शैतान मरदूद ने किया, वोह अल्लाह के नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम में एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और लोगों को अपनी तरफ़ माएल (आकर्षित Inclined) किया और उन्हें गुमराह कर के सोहबत करवाई, यहाँ तक कि कौमे लूत की येह आदत बन गई अब वोह औरतों से सोहबत करने की बजाए खूबसूरत मर्दों से ही सोहबत करने लगे जो भी मुसाफ़िर उन की बस्ती में आता वोह उस से सोहबत करते । हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस बद फ़ेल (बुरे काम) से रोका, अल्लाह की तरफ़ बुलाया और ख़ुदा के अज़ाब से डराया लेकिन क़ौम न मानी यहाँ तक कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अज़ाब की

दुआ माँगी जिस के जवाब में उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई हर पत्थर पर कौम के एक आदमी का नाम लिखा था और वोह उसी को आ कर लगा जिस से वोह वही हलाक हो गया । इस तरह येह कौम जिन की आबादी चार लाख थी तबाह व बरबाद हो गई ।

(मुकाशेफ़तुल .कुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 169)

इस वाक़ेअ का मुकम्मल बयान क़ुरआने करीम के पारा 14 सूरए "हजर" रूकु 4 में मौजूद है ।

रिवायत :- हज़रत इमाम अबूल फ़ज़्ल काज़ी अयाज़ रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते हैं कि-------------------------

"मै ने कुछ मशाएख़ (बुज़ुर्गों) से सुना हैं कि औरत के साथ एक शैतान और ख़ूबसूरत लड़के के साथ अठ्ठारा (18) शैतान होते हैं

(मुकाशेफ़तुल .कुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 169)

रिवायत :- आला हज़रत "फ़तावा-ए-रज़वीया" में फ़रमाते हैं "मन्क़ूल (रिवायत) हैं कि औरत के साथ दो शैतान और हिजड़े के साथ सत्तर (70) शैतान होते हैं"।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, सफ़ा नं. 64)

रिवायत :- हज़रत शेख़ फ़रीदुद्दीन अत्तार रदीयल्लाहो तआला अन्हो अपनी किताब "तज़केरतुल औलिया" में नक्ल करते हैं-------

"हज़रत समाक रहमतुल्लाह अलैह के इन्तेक़ाल के बाद किसी ने आप को ख़्वाब में देखा कि आप का चेहरा आधा काला पड़ गया है । आप से जब उसका सबब पूछा गया तो फ़रमाया कि---"एक मरतबा दौरे तालिबे इल्मी में मै ने एक ख़ूबसूरत लड़के को गौर से देखा था चुनानचे जब मरने के बाद मुझे जन्नत की तरफ़ ले जाया जा रहा था तो जहन्नम से गुज़रते हुए एक साँप ने मेरे चेहरे पर काटते हुए काह कि--"बस एक नज़र देखने की ही सज़ा है और अगर कभी तू उस लड़के को ज़्यादा तवज्जेह से देखता तो मै तुझे और तकलीफ़ पहुँचाता"।

(तज़केरतुल औलिया, बाब नं. 8, सफ़ा नं. 41)

रिवायत :- इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो अन्हो फ़रमाते है------

"रिवायत है जिस ने शहवत (Sex सहवास, मज़े) के साथ किसी लड़के को चूमा तो वोह पाँच सौ (500) साल दोज़ख़ की आग में जलेगा" । *(मुकाशफ़तुल क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं 169)*

किस क़दर बेग़ैरत है वोह लोग जो किसी छोटे लड़के से या फिर किसी ना मर्द (हिजड़े) से सोहबत करते है ।

क़ुदरत ने इन्सान के बदन के हर हिस्से में एक ख़ास काम की क़ुदरत रखी है चुनानचे इन्सान के पाख़ाने के मुक़ाम में अन्दर से बाहर फेंकने की क़ुव्वत रखी गई हैं उज़लात (Limbs) इस मुक़ाम पर निगेहबानी के लिए हर वक़्त तैयार रहते है कि कोई बाहर की चीज़ अन्दर न जाने पाए लेकिन जब ख़िलाफ़े फ़ितरत उस मुक़ाम से सोहबत की जाती है तो वोह नाज़ुक हिस्सा, जो नर्म और बारीक झिल्ली और छोटी छोटी रगों से बना हैं कभी सिमटने और कभी फैल जाने से ज़ख़्मी हो जाता है रगें दब जाती है कमज़ोर हो जाती है, फिर बाद में नीली मोटी रगे चमकने लगती है और बार बार की येह रगड़ ज़ख़्म कर देती है और इन्सान तरह तरह की बीमारीयों में फँस जाता है इसी तरह वोह शख़्स जो अपने ऊज़ू-ए-तनासुल (Sex part, लिंग) को मर्द के पीछे के मुक़ाम में दाख़िल करता है उस के ऊज़ू-ए-तनासुल (लिंग) की नसे इस सख़्त मुक़ाम में बार बार दाख़िल होने की वजह से कमज़ोर हो जाती है नसे और रगें ढ़ीली पड़ जाती है पुट्ठे ढीले पड़ जाते है और नाली में ज़ख़्म पड़ कर पेशाब में जलन, वहाँ की झिल्ली में ख़राश पैदा हो जाती है । कसरत के साथ इस ख़्वाहिश के पूरा करने की वजह से मनी का ख़ज़ाना खाली हो जाता है, आख़िर में लगातार मनी (धाँतु) के बहने की बीमारी हो जाती है आँखों मे गडे, चेहरे पर बे रौनकी, दिल व दिमाग़ कमज़ोर हो जाते है फिर ऐसा इन्सान औरत को मुँह दिखाने के लायक़ नहीं रहता ।

ऐसे शख़्स की सज़ा :- ऐसे शख़्स के मुत्अ़ल्लिक़ शरीअ़ते इस्लामी का फ़ैसला है कि ऐसे इन्सान को दुनिया में ज़िन्दा रहने का कोई हक़ नही उस का मर जाना ही इन्सानियत के लिए बेहतर है चुनानचे हदीसे पाक में है-----------------------------

हदीस :- सरकार सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम फ़रमाते है---

"जो मर्द, किसी मर्द से सोहबत करे उन्हें इतने पत्थर मारों कि वोह मर जाए, उपर वाले और नीचे वाले दोनों को मार ड़ालो"।

ارجمو الاعلى والا سفل ارجموا جميعايعنى الذى عمل قوم لوط ـ

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं 983, हदीस नं. 1487, सफ़ा नं. 718, इब्ने माजा, जिल्द 2, बाब नं. 143 हदीस नं. 334, सफ़ा नं 109)

हदीस :- हज़रत इकरेमा ने हज़रत अब्बास रदीअल्लाहो अन्हो से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया------

"जिन को तुम पाओ के उसने दूसरे मर्द से सोहबत की है तो उसे क़त्ल कर दो करने वाले और करवाने वाले दोनों को क़त्ल कर दो"।

وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلو الفاعل والمفعول به ـ

(अबू दाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 348, हदीस नं. 1050, सफ़ा नं. 376)

हदीस :- हज़रत इब्ने शिहाब रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से ऐसे मर्द के बारे में पूछा गया (जो मर्द से ही सोहबत करे) इब्ने शिहाब ने फ़रमाया-

"उसे संगसार किया जाए (पत्थरों से मार मार कर क़त्ल कर दिया जाए) चाहे शादी शुदा हो या ग़ैर शादी शुदा"।

فقال ابن شهاب عليه الرحمه احصن اولم يحصن ـ

(मोता शरीफ़, जि. 2, किताबुल हुदूद, हदीस नं. 11, सफ़ा नं. 718)

एक हदीसे पाक में येह भी आया है कि ऐसे मर्दों को जो आपस में ही सोहबत करे, उन्हें एक उँचे पहाड़ पर ले जा कर नीचे ढ़केल कर मार ड़ालो, अगर वोह बच जाए तो फिर ढ़केलो यहाँ

तक कि वोह मर जाए ।

हदीस :- हज़रत अली रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने तो इस ख़बीस काम के करने वालों को क़त्ल कर देने पर ही बस न की बल्कि उन्हें आग में जलाया ।

हज़रत सिद्दीके अकबर रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने उन पर दीवार गिराई जिस के नीचे वोह दब कर मर गए ।

(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 9, सफ़ा नं. 44)

इस दौर में अमरीका और इंगलैन्ड वग़ैरा जो साइंस (Science) की तरक्क़ी पर अपने आपको सब से ज़्यादा तहज़ीब वाले और आला समझते है उनके यहाँ आज इस काम के करने वाले ज़्यादा पाए जाते है और वोह इसे कोई अयेब व गुनाह नहीं समझते जिस के नतीजे में अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त ने "एड्स" नाम की ख़तरनाक बला नाज़िल कर दी है । देखने में येह भी आया है कि इस काम के करने वाले को कुछ अर्से बाद ऐसी आदत हो जाती है कि वोह ख़ूद ऐसा काम कराने के लिए लोगों पर माल ख़र्च कर के अपनी हवस की आग बुझाता है ।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने रिवायत किया है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"ऐसे लोग जो मर्द से सोहबत करे या सोहबत करवाए उन की तरफ़ देखना, उन से बात करना, और उन के पास बैठना हराम है"।

(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, बाब नं. 22, सफ़ा नं. 168)

इस हदीस से वोह लोग इबरत हासिल करे जो बाज़ारों, दुकानों में हिजड़ों से हँसी मज़ाक़ करते है ।

हदीस :- हज़रत इकरेमा का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने फ़रमाया-------------------

"नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने हिजड़ों पर लअ़नत फ़रमाई और फ़रमाया--"उन्हें अपने घरों से निकाल दो" ।

हदीस :- एक दूसरी रिवायत में है कि-----------------

"सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने हिजड़ों को शहेर से निकल दिया और फ़रमाया कि----"हिजडों को अपनी बस्तीयों से बाहर निकाल दो कि कहीं उनकी वजह से अल्लाह तआला तुम पर भी अज़ाब नाज़िल न कर दे"। *(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, सफ़ा नं 625)*

आह ! अफ़सोस, कुछ लोग शादी ब्याह, या किसी और खुशी के मौक़े पर हिजड़ों को अपने घर बुलाना और उन से बेहुदा बातें सुन्ना अपनी शान समझते है इस से उनके सीने फ़क्र और ग़ुरूर से फूल जाते है । शादियों में जब येह हिजडे आने लगेंगे तो ज़ाहिर है फिर औलाद हिजड़ा न होगी तो क्या होंगी ।

आख़री ज़रूरी बात :- हिजड़ों से सोहबत करने वाले को "एड्स" की बीमारी का होना यक़ीनी है और फिर जल्द से जल्द तकलीफ़दा मौत ही उस का अंजाम ।

जानवरों से सोहबत

क्या आप ने जानवारों से भी बड़ कर हैवान देखे है । येह वोह लोग है जिन्हों ने शर्म व हया के क़ानून की हर ज़न्जीर को तोड़ा है इन्हें कुछ नही मिलता तो जानवरों को ही अपनी हवस का शिकार बनाते है और येह सुबूत देते है कि हम देखने में तो वैसे इन्सान ही नज़र आते है लेकिन दरीन्दगी के मामले में जानवरों से भी बड़ कर है । गोया- *शर्मे नबी ख़ौफ़े ख़ुदा येह भी नहीं वोह भी नहीं ।*

इन लोगों में अगर अब भी कोई ख़ौफ़े ख़ुदा और शर्म व हया का ज़रा सा ज़र्रा भी बाक़ी होंगा तो वोह यक़ीनन इस हदीसे पाक को पढ़ कर सहेम जाएगे-----------------------------

हदीस :- हज़रत *अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास* रदीअल्लाहो तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी-ए-पाक सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने

इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"जो शख़्स जानवरों से सोहबत करे उसे और उस जानवर दोनों को क़त्ल कर दो"।	من اتی بهیمة فاقتلوه واقتلو هامعه-

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 349, हदीस नं. 1052, सफ़ा 376, इब्ने माजा, जिल्द 2, बाब नं. 143, हदीस नं. 334, सफ़ा नं. 108)

लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, से पूछा कि "जानवर ने क्या बिगाड़ा है"? उन्होंने फ़रमाया---"इस की वजह और सबब तो मै ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से नही सुना मगर हुज़ूर ने ऐसा ही किया बल्कि उस जानवर का गोश्त तक खाना न पसंद फ़रमाया"।

अगर हम इस हदीस पर ग़ौर करे तो इस में चन्द हिकमतें नज़र आती है । शायद हुज़ूर ने जानवर को क़त्ल करने का हुक्म इस लिये दिया हो कि जब भी कोई उसे देखेगा तो गुनाह का मन्ज़र याद आएगा । दूसरी हिकमत इस में येह हो कि उम्मत को बताना मक़सूद है कि येह काम किस क़दर बुरा है कि इसके करने वाले को क़त्ल किया जाए और जिस से येह काम किया गया वोह किस क़दर बुरा है कि उसे भी क़त्ल कर दिया जाए । *(वल्लाहो आलम)*

अभी हाल में ही नई ख़ोज से येह भी साबित हुआ है कि जो मर्द या औरत जानवर से अपनी हवस पूरी करे उसको बहुत जल्द एड्स की बीमारी हो जाती है याद रहे "एड्स" का दूसरा नाम मौत है

मस्अला :—किसी ना बालिग़ शख़्स ने बकरी, गाये या भैस (या और किसी जानवर) के साथ सोहबत की तो उसे डाट डप्ट कर व सख़्ती से समझाया जाए । और अगर बालिग़ ने ऐसा काम किया तो उसे इस्लामी सज़ा दी जाएगी जिसका इख़्तियार इस्लामी बादशाह को है, वोह जानवर ज़ब्ह करके दफ़्न कर दिया जाए और गोश्त व खाल जाला दे खाला न जाए जैसा कि "दुर्रे मुख़्तार" में है ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 5, सफ़ा नं. 983)

औरत का औरत से मिलाप

आयत :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---

"कोई मर्द किसी (ग़ैर) औरत की तरफ़ और कोई औरत किसी (ग़ैर) मर्द की तरफ़ न देखे, और एक मर्द दूसरे मर्द के साथ और एक औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़ा ओड़ कर न लेटे"।

لاينظر الرّجل الى عورة الرّجل ولا المراة الى عورة المراة ولايفضى الرّجل الى الرّجل فى ثوب واحدٌ لا رتغفى المراة الى المراة فى ثوب واحد۔

(मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 2966, सफ़ा नं. 73)

क़ुरबान जाइये उस तबीबे उम्मत नबी-ए-रहमत सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के जिन्हों ने औरत को औरत के साथ एक बिस्तर पर एक चादर में आराम करने से मना फ़रमा दिया, मर्दों में जिस तरह इस हरकत से क़ौमे लूत के ना पाक अमल का ख़तरा, औरतों में भी उसी फ़ितने का ड़र, और जो नुक़सान दुनियावी व दीनी मर्दों की इस ना पाक हरकत से पैदा होते है वही औरतों की शरारत व ख़बासत से होगें

अपने हाथ की उँगलियों या कोई चीज़ या सिर्फ़ उपरी रगड़ और ग़ैर मामूली हरकत, जिस्म की हालत को हर सूरत में तबाह करने वाली, और उमर भर के लिए ज़िन्दगी बेकार बनाने वाली हैं । येह हरकत नर्म व नाज़ुक झिल्ली में ख़राश पैदा कर के वरम लाएगी इस वरम की वजह से बार बार ख़्वाहिश पैदा होगी । बार बार की इस हरकत से माद्दा निकलते निकलते पतला होगा और दिमाग़ की नसों पर असर पहुँच कर घबराहट, बेचैनी व पागल पन के आसार पैदा होंगे दूसरी तरफ़ अपना ख़ून इस अन्दाज़ से बहाने की वजह से दिल कमज़ोर

होंगा, बेहोशी के दौरे पड़ेगे । और जब येह पतला माद्दा हर वक़्त थोड़ा थोड़ा रिस्ते रिस्ते उस मुक़ाम (शर्मगाह) को गन्दा बना कर सड़ाएगा, इस में ज़ेहरीले कीड़े पैदा होंगे ज़ख़्म भी पैदा हो जाए तो कुछ तअ़जुब्ब नहीं, पेशाब में जलन इस की ख़ास अ़लामत है । आख़िर कार, मेदा, जिगर, गुरदा सब के काम ख़राब करेगा, आँखों में गड़े चेहरे पर बेरौनकी, हर वक़्त कमर में दर्द, बदन का कमज़ोर होना, ज़रा से काम से चकराना, दिल घबराना, बात बात में जिड़चिड़ा पन और फिर इन सब के बाद "तपेदिक" (Chronic fever, पुराना ताप) की ला इलाज बीमारी में गिरफ़्तार हो कर मौत का शिकार होना हैं । और फिर मौत के बाद भी सुकून नहीं जहन्नम का अ़ज़ाब बाक़ी ।

शायद औरतों ने येह ख़्याल कर रखा है कि येह कोई गुनाह नहीं या है भी तो मअ़मूली सा, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम क्या इरशाद फ़रमाते हैं-----------

हदीस :- औरतों का आपस में (ख़ास सूरत में सेक्स के साथ) मिलना उन का आपस का ज़िना है"।

السحاق بين النسآء زنا بينهن۔

देखो ! देखो और फ़रमाते है सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम-----------------------------

हदीस :- न औरत, औरत के साथ नज़दीकी करे, न औरत अपने हाथों अपने आप को ख़राब करे, जो औरत अपने हाथों अपने आप को ख़राब करती है वोह भी यक़ीनन ज़ानिया (ज़िना करने वाली) हैं ।

لا تزوج المراة المراة ولا تزوج المراة نفسها فانه الزانية التی تزوج نفسها۔

इस गुनाह के लिए दुनिया का कोई बद तरीन अ़ज़ाब भी

काफ़ी नहीं हो सकता इस के लिए जहन्नम के वोह दहकते हुए अंगारे और दोज़ख़ के वोह ड़रावने ज़ैहरीले साँप और बिच्छू ही सज़ा हो सकते हैं जिन की तकलीफ़ हमेशा जारी और बाक़ी रहने वाली ।

(ब हवाला, जवानी की हिफ़ाज़त, सफ़ा नं. 76, 77, 78)

क़ुव्वत (Bodly Power) की बरबादी



क्या आप जानते है ? इस दौर में नवजवानों में जिस क़दर बुराईयाँ पनप रही है उस की सब से बड़ी वजह क्या है ? जी हाँ फ़िल्में ! आज मुसलमानों का तक़रीबन हर मकान एक सिनेमा घर बना हुआ है ! अब तो हद येह हो गई कि मुसलमान का जब एक बच्चा होश संभालता है तो वोह अपने घर में टी.वी के ज़रिए वोह सब कुछ देखता और जान लेता है जो उसे इस उमर में नही जानना चाहिये । जब होश संभालते ही वोह फ़िल्मों में एक मर्द और औरत के बीच के ख़ास तअ़ल्लुक़ात को देखता हैं तो उस में भी वही ख़्वाहीश (इच्छा, Wish) पैदा होती है और फिर वोह उमर से पहले ही अपने आप को जवान समझने लगता है फिर येह ही ख़्वाहीश आगे चल कर उमर के साथ साथ ज़्यादा बड़ने लगती हैं और इस ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए वोह ग़लत तरीक़ों का इस्तेमाल करने लगता है यहाँ तक कि जब भी वोह तन्हा (अकेला) होता है तो जिन्सी ख़्वाहिश उसे परेशान कर देती है और वोह उसे पूरा करने के लिए अपने ही हाथों अपनी क़ुव्वत (मनी) को निकाल कर मज़ा हासिल करता है । अक्सर लड़के स्कुलों, और कॉलेजों में बाथरूम (Bath Room) में जा कर येह सब करते है ।

एक बार का येह अ़मल फिर हमेशा की आ़दत बन जाता है जिस के नतीजे में सिवाए नुक़सान के कुछ नहीं मिलता ।

हाथों के इस नर्म व नाज़ुक हिस्से (लिंग) से हमेशा की

छेड़ छाड़ उसे कमज़ोर बना देती है, वोह बारीक बारीक रगें और पुठ्ठे भी इस सख़्ती को बरदाश्त नहीं कर सकते चाहे कैसी ही चिकनाहट क्यों न इस्तेमाल में लाई जाए। इस से सब से पहला जो असर होता है वोह ऊज़्-ए-तनासुल (लिंग) का जड़ से कमज़ोर और लाग़िर हो जाना है इसके अलावा जहाँ, जहाँ रगें और पुठ्ठे ज़्यादा दब जाते है वोह हिस्सा टेढ़ा हो जाता हैं। इनके दबने से खून का आना कम होगा। रगें फैल नहीं सकेगी सख़्ती जाती रहेगी, जिस्म ढ़ीला और बेहद लाग़िर हो जाएगा अपने हाथों के इस करतूत के सबब ऐसा शख़्स औरत के क़ाबिल नहीं रहता। अगर कोई शरीफ़, ईज़्ज़त पसंद लड़की ऐसे शख़्स के निकाह में दे दी जाए तो उमर भर अपनी क़िस्मत को रोएगी। और येह बद नसीब उस को मुँह दीखाने के क़ाबिल न होगा। इस लिए अव्वल तो उस से मिल ही नहीं सकता कि जब भी औरत से मिलना चाहेगा। पहले ही सब कुछ बाहर गीरा देगा और अगर किसी तरकीब से मिल भी जाए तो माद्दा में औलाद पैदा करने वाले अजज़ा (अंश) पहले ही इस हरकत से मर चुके, इस लिए अब ऐसे शख़्स को औलाद से भी मायूस होना पड़ता है।

याद रखिये येह वोह क़ीमती ख़ज़ाना है जो खून से बना और खून भी वोह जो तमाम बदन के ग़िज़ा पहुँचाने के बाद बचा, बस अगर इस ख़ज़ाना (मनी, विर्य) को इस तेज़ी के साथ बरबाद किया गया तो दिल (Heart) कमज़ोर होगा। दिल पर तमाम बदन की मशीन का दारोमदार है जिस्म को खून न पहुँचा यानी येह आदत इस हद को पहुँची के खून बनने भी न पाया था कि निकलने की नौबत आ गई तो जिगर का काम ख़राब हुआ-------

एक ज़बरदस्त तजरूबेकार डॉक्टर ने अपनी तहक़ीक़ (Research) में इस तरह लिखा हैं कि--------------------

"एक हज़ार तपेदिक (Chronic fever, पुराने बुख़ार) के मरीज़ों को देखने के बाद येह साबित हुआ के 186 औरतों से ज़्यादा

सोहबत करने की वजह से इस बीमारी में फसे है और 414 सिर्फ़ अपने हाथों अपनी क़ुव्वत के बरबाद करने की वजह से । और बाक़ी दूसरे मरीज़ों की बीमारी की वजह दूसरी है"।

और आगे लिखता है कि--------------------

"हम ने 124 पागलों का मुआइना किया उन के मुआइना (निरिक्षण, Inspection) करने से मअ़लूम हुआ कि उन में से 24 सिर्फ़ अपने हाथों अपनी क़ुव्वत को बरबाद करने की वजह से पागल हुए है और बाक़ी एक सौ दूसरे हज़ारों वजूहात (कारणो) से ।

इन्सानी दौलत का येह अनमोल ख़ज़ाना अगर इन्सानी जिस्म के संदूक में चन्द दिनों तक अमानत रहे तो दोबारा ख़ून में जज़्ब हो कर ख़ून को क़ुव्वत देने वाला, सेहत को दुरूस्त और बदन को मज़बूत बनाने वाला होंगा । रोब व हुस्न व जमाल को बड़ाने वाला और मर्दाना क़ुव्वत में चार चांद लगाने वाला साबित होंगा । दिमाग़ की तेज़ी तरक्क़ी पाएगी, याददाश्त तेज़ होगी ऑखों में सुरख़ी के ड़ोरे, हिम्मत बुलन्द हौसला की सर बुलन्दी इस दौलत में बड़ावट की अ़लामत होंगा ।

बाज़ हकीमों ने कहॉ है कि जिसे हद से ज़्यादा दुबला, कमज़ोर, वहेशियाना शक्ल व सूरत का पाओ, जिस की ऑखों में गड़े पड़ गए हो, पुतलिया फैल गई हो, शर्मीली हो, तनहाई को ज़्यादा पसंद करता हो उस के बारे में यक़ीन कर लो इस ने अपने हाथों अपना ख़ून बहाया है ।

हकीमों ने लिखा है कि सौ (100) मरतबा अपनी बीवी से सोहबत करने पर जितनी कमज़ोरी आती है उतनी एक मरतबा अपने हाथों से अपनी मनी बरबाद करने में कमज़ोरी आती है ।

आज दुनिया से छुप कर बुराईयॉ कर रहे हो लेकिन येह तो सोचो कि वोह हाज़िर व नाज़िर ख़ुदा तो देख रहा है उस से बच कर कहॉ जाएगे । अल्लाह ने ज़िना को हराम किया उस की सज़ा बताई के येह सज़ा दुनिया में दी जाए तो आख़िरत के अ़ज़ाब से बच

जाए लेकिन अपने हाथों इस अनमोल ख़ज़ाने को बरबाद करना ऐसा सख़्त गुनाह ठहराया गया कि दुनिया की कोई सज़ा ऐसे जुर्म के लिए काफ़ी नहीं हो सकती जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब ही इस का भुगतान हो सकता है । ऐसा ना पाक काम करने वाले की सूरत पर ख़ुदा की हज़ारों लाखों फटकारे ।

हदीस :- फ़रमाते है **आक़ा** सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम--------

"हाथ के ज़रिये अपनी क़ुव्वत (मनी) || ناكح اليد ملعون -

को निकालने वाला मलऊन है (अल्लाह की तरफ़ से फटकारा हुआ है)"।

अगर ख़ुदा ना ख़ास्ता (अल्लाह न चाहे) कोई नसीब का दुशमन इस बुरी आदत का शिकार हो चुका है तो उसे हमारा दर्दमन्दाना मशवरा है कि ख़ुदारा, इशतेहारी दवाओं की तरफ़ न जाए पहले सच्चे दिल से तौबा करे और फिर किसी अच्छे तजरूबेकार, तअ्लीम याफ़्ता हकीम, वैध, या डॉक्टर के पास जाईये और बग़ैर शर्माए अपना सारा कच्चा चिट्ठा सुनाईये और जब तक वोह बताये बक़ायेदा पूरे परहेज़ के साथ उसके इलाज पर अमल कीजीये उम्मीद है कि कुछ मरहम पट्टी हो जाए ।

तहारत का बायन

आयत :- अल्लाह रब्बुलईज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है----------

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

तर्जमा :- बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद करता है सुतरों को ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 2, सूरए बकर, आयत 222)

हदीस :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------------------------------------

الطّهور شطر الايمان۔

"पाकीज़गी आधा ईमान है"।

हदीस :- और फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम

بنى الدّين على النّظافة۔

"दीन की बुनयाद पाकीज़गी पर हैं"

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 132)

ग़ुस्ल कब फ़र्ज़ होता हैं :-

ग़ुसल पॉच चीज़ों से फ़र्ज़ होता है यानी इन पॉच चीज़ों में से कोई एक भी सूरत पाई जाए तो ग़ुसल करना फ़र्ज़ है ।

अब हम आप को हर एक के बारे में तफ़सील से बताते है ।

(1) *मनी के निकलने से* :- मर्द ने औरत को छुआ या देखा या औरत का सिर्फ़ ख़्याल लाया और मज़े के साथ मनी (धॉतु, विर्य) निकली तो ग़ुसल फ़र्ज़ हो गया । चाहे सोते में हो या जागते में । उसी तरह औरत ने मर्द को छुआ या देखा या उस का ख़्याल लाई और लिज़्ज़त (मज़े) के साथ मनी निकली तो औरत पर भी ग़ुसल फ़र्ज़ हो गया । इन तमाम बातों का हासिल येह है कि अगर मज़े के साथ मनी (धॉतु) निकली चाहे औरत से निकले या मर्द से ग़ुसल फ़र्ज़ हो जाता है ।

(2) एहतलाम होने से :- यानी सोते में मनी का निकलना जिसे "नाईट फ़ाल" कहते है उससे भी ग़ुसल फ़र्ज़ हो जाता हैं येह मर्द और औरत दोनों को होता है । चुनानचे हदीसे पाक मे है--

हदीस :- हज़रत उम्मे सलीम रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हा ने रसूले करीम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम से पूछा--"या रसूलुल्लाह ! अल्लाह तआ़ला हक़ बात बयान करने में नहीं शर्माता जब औरत को एहतलाम (नाईट फ़ाल) हो जाए यानी मर्द को ख़्वाब में देखे तो उस के लिए भी ग़ुसल ज़रूरी है"? सरकार ने इरशाद फ़रमाया---"अगर मनी (धाँतु) की तरी देखे तो ग़ुसल करे"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 195, हदीस नं. 275, सफ़ा नं. 193, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 89, हदीस नं. 114, सफ़ा न. 130)

मसअला :- रोज़े की हालत में था और एहतलाम (नाईट फ़ाल) हो गया तो रोज़ा न टूटा लेकिन ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया ।

(बहारे शरीअ़त व क़ानूने शरीअ़त वग़ैरा)

(3) सोहबत करने से :- मर्द ने औरत से सोहबत किया, और अपने ऊज़ू-ए-तनासुल (लिंग) को औरत की शर्मगाह में दाख़िल किया चाहे मज़े (Sex) के साथ या बिना मज़े के साथ दाख़िल करे और इन्ज़ाल हो या न हो (यानी मर्द की मनी निकले या न निकले सिर्फ़ औरत की शर्मगाह में ऊज़ू-ए-तनासुल को दाख़िल कर देने से ही) मर्द व औरत दोनों पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 201, हदीस नं. 284, सफ़ा नं. 195,)

(4) हैज़ के बाद :- औरत को जो हैज़ (माहवारी) का ख़ून आता है उसके बन्द हो जाने के बाद औरत को ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ है ।

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 38)

(5) निफ़ास के बाद :- औरत को बच्चा जन्ने के बाद जो ख़ून शर्मगाह से आता है उसे "निफ़ास" कहते हैं इस ख़ून के बन्द हो जाने के बाद औरत को ग़ुसल करना फ़र्ज़ है (निफ़ास का

तफ़सील से आगे बयान आएगा)

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 38)

इन पॉच चीज़ों से ग़ुसल फ़र्ज़ हो जाता हैं । अब इस के अलावा चन्द और ज़रूरी मस्अले है जिन का हर मुसलमान को जानना और याद रखना ज़रूरी है ।

मनी :- मनी (विर्य) वोह है जो शहवत (मज़े) के साथ निकलती है

मज़ी :- वोह है जो बग़ैर मज़े के, ऐसे ही बेफ़ुज़ूल बेकार ही "ऊज़ू-ए-तनासुल" (लिंग) पर चीपचीपा सा माद्दा निकलता है ।

वदी :- गाड़े पेशाब को कहते है ।

मनी के निकलने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ होता है जबकि मज़ी, और वदी के निकलने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता लेकिन वुज़ू टूट जाता है ।

मस्अला :—अगर मनी इतनी पतली पड़ गई के पेशाब के साथ या वैसे ही कुछ क़तरे बग़ैर शहवत (मज़े) के निकल आए तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न हुआ लेकिन वुज़ू टूट जाएगा ।

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 38)

बीमारी से मनी निकलना :- किसी ने बोझ उठाया या ऊँचाई से नींचे गीरा या बीमारी की वजह से बग़ैर शहवत (Sex के बिना ही) बग़ैर किसी मज़े के साथ मनी निकल गई तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न हुआ लेकिन वुज़ू टूट गया ।

(क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 38)

पेशाब के साथ मनी निकलना :- अगर किसी ने पेशाब किया और मनी निकली तो अगर उस वक़्त ऊज़ू-ए-तनासुल (लिंग) में तनाव (टाईट पन) था तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो गया । और अगर तनाव नहीं था और बग़ैर मज़े के पेशाब के साथ मनी निकली तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न हुआ । *(फ़तावा-ए-आ़लमगीरी)*

किस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हुआ :- मर्द और औरत एक ही बिस्तर पर सोए लेकिन सोहबत (संम्भोग) न किया और सुबह बेदार होने

के बाद बिस्तर पर धब्बा (दाग़) पाया । मर्द और औरत दोनों को याद नहीं के दोनों में से किसे एहतलाम (नाईट फाल) हुआ है तो अब उस धब्बे (दाग़) को देखे अगर वोह धब्बा लम्बा और सफ़ेद और गन्दा सा है तो मर्द पर ग़ुसल फ़र्ज़ हुआ (यानी वोह धब्बा मर्द की मनी का है) और अगर धब्बा गोल, पत्ला, और पीले रंग, का है तो औरत पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हुआ (यानी वोह मनी औरत की है) ।

मसअला :–मर्द व औरत एक बिस्तर पर सोए बेदारी के बाद बिस्तर पर मनी पाई गई और उनमें से किसी को एहतलाम याद नहीं ! एहतीयात येह है कि दोनों ग़ुस्ल करे यही सही है ।

(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 2, सफ़ा नं. 21)

सोहबत के बाद मनी निकलना :– किसी औरत ने अपने शौहर से सोहबत की सोहबत के बाद ग़ुस्ल किया फिर उस की शर्मगाह से अगर उस के शौहर की मनी निकली तो उसपर ग़ुस्ल वाजिब न होगा लेकिन वुज़ू जाता रहेगा ।

(बहारे शरीअत, जिल्द नं. 1, हिस्सा नं. 2, सफ़ा नं. 22)

ना पाक के लिए कौनसी बातें हराम हैं :– जिस को नहाने (ग़ुस्ल) की ज़रूरत हो, उस को मस्जिद में जाना, काबे का तवाफ़ करना, क़ुरआने करीम छूना, बे देखे या ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना, या ऐसी अंगूठी छूना या पहेन्ना जिस पर क़ुरआन की कोई आयत या अदद या हुरूफ़े मुक़त्तआत (Arbic Alphabet) लिखे हुए हो, दीनी किताबें, जैसे हदीस व तफ़सीर और फ़िक़ह वग़ैरा की किताबें छूना येह सब हराम है । अगर क़ुरआने करीम जुज़दान में हो या रोमाल व कपड़े में लिपटा हो तो उस पर हाथ लगाने में हर्ज नही । अगर क़ुरआन की कोई आयत, क़ुरआन की नियत से न पढ़ी सिर्फ़ तबर्रूक के लिए, बिस्मिल्लाह, अलहमदुलिल्लाह, या सूरए फ़ातिहा या अयतल कुर्सी या ऐसी ही कोई आयत पढ़ी तो कुछ हर्ज नहीं । इसी तरह दुरूद

शरीफ़ भी पढ़ सकते है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 38)

ना पाक का झूठा :- ना पाक आदमी, और हैज़ व निफ़ास वाली औरत का झूठा पाक है । इसी तरह उसका पसीना या थूक किसी कपड़े या जिस्म से लग जाए तो ना पाक न होंगा ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 1, सफ़ा नं. 193, क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 46)

ना पाक का नमाज़ पढ़ना :- रात में सोहबत की हो तो, नमाज़े फ़जर से पहले और अगर दिन में सोहबत की होतो अगली नमाज़ से पहले ग़ुस्ल कर लें ताकि नमाज़ क़ज़ा न हो जाए । और ज़्यादा वक़्त तक ना पाकी की हालत में रहना न पड़े । ग़ुस्ल की हाजत है और अगर ग़ुस्ल करता है तो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा होती है (यानी नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जाएगा) तो ऐसी हालत में "तयम्मुम" कर के नमाज़ घर पर ही पढ़ ले । (इस से अदा नमाज़ पढ़ने का ही सवाब मिलेगा) उस के बाद ग़ुस्ल कर के नमाज़ लौटा दें । (यानी दोबारा वही नमाज़ पढ़े)

(अहकामे शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 172)

जिस घर में ना पाक हो :- अक्सर मर्द और औरतें झूठी शर्म व हया से ग़ुस्ल नहीं करते और ना पाकी की हालत में कई कई दिन गुज़ार देते है येह बहुत ही बड़ी नाहुसत व जाहिलाना तरीक़ा है । हदीसे पाक में है जिस घर में ना पाक मर्द या औरत हो उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते उस घर में नहुसत व बे बरकती आ जाती है करोबार व रिज़्क़ से बरकत दूर हो जाती है और ग़रीबी और मुफ़लिसी का क़ब्ज़ा हो जाता है ।

(अल्लाह महफ़ूज़ रखें)

ग़ुस्ल से पहले बाल काटना :- ग़ुस्ल करने से पहले ना पाकी की हालत में (ना पाक सोहबत करने से हुआ हो या एहतलाम से हुआ हो) शर्मगाह के बाल, बग़ल के बाल, सर के बाल, नाक के

बाल वग़ैरा न काटे और न ही नाख़ुन काटे, कि येह मकरूह है और इस से सख़्त बुरी बीमारियों के हो जाने का भी ख़तरा है ।

(कीम्या-ए-सआदत, 267, क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 211)

एक ज़रूरी मस्अला :–बुध के दिन नाख़ुन कतरवाने से हदीस में मना किया गया है । हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है---बुध के दिन नाख़ुन न कतरा करो के इस से कोड़ होने का ख़तरा है । (कोड़ एक ख़तरनाक बीमारी है जिस में जिस्म पर सफ़ेद दाग़ पड़ जाते है)

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, निस्फ़ अव्वल, सफ़ा 37)

नजासतों के पाक करने का तरीक़ा



ग़ुस्ल से पहले गन्दे और ना पाक कपड़ों को पाक करना ज़रूरी है ।

कपड़ों को पाक करने का तरीक़ा :-

वोह कपड़ा जिस पर नजासत (गन्दगी) लगी हो उस पर पहले साफ़ पानी बहा कर ख़ूब अच्छी तरह मलें फिर कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ ले । फिर दूसरा साफ़ पानी लें और कपड़े पर बहाएँ फिर साबून या सर्फ़ वग़ैरा से अच्छी तरह धोए फिर उस कपड़े को निचोड़े लें । अब तीसरी मरतबा साफ़ नया पानी ले और कपड़े पर बाहाएँ और फिर निचोड़ ले । अब आप का वोह कपड़ा पाक हो गया । यानी तीन मरतबा नया पानी लेना और तीन मरतबा अच्छी तरह कपड़े पर बहाना और फिर अच्छी तरह निचोड़ लेना ज़रूरी है ।

मस्अला :–नजासत (गन्दगी) अगर पतली है तो तीन मरतबा धोने और तीनों बार अच्छी तरह निचोड़ने से कपड़ा पाक होगा ।

मस्अला :–कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ने का मतलब येह है कि

हर बार अपनी पूरी ताक़त से इस तरह निचोड़े कि पानी के क़तरे (बूंदे) टपकना बन्द हो जाए, अगर कपड़े का ख़्याल कर के अच्छी तरह नही निचोड़ा तो वोह कपड़ा इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ पाक न समझा जाएगा ।

मस्अला :—कपड़े को तीन मरतबा धो कर हर मरतबा ख़ूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से पानी के क़तरे (बूंदे) टपकेगी नहीं फिर उसको लटका दिया और उससे पानी टपका तो येह पानी पाक है, और अगर ख़ूब अच्छी तरह नही निचोड़ा था तो येह पानी ना पाक है और कपड़ा भी ना पाक है ।

मस्अला :—अगर किसी शख़्स ने ना पाक कपड़े धो कर अच्छी तरह निचोड़ लिया । मगर एक दूसरा शख़्स ऐसा है जो इस पहले शख़्स से ज़्यादा ताक़तवर है अगर वोह कपड़ा निचोड़े तो एक दो पानी की बूंदे और टपक सकती थी तो वोह कपड़ा पहले वाले शख़्स के लिए पाक है और इस दूसरे ताक़तवर शख़्स के लिए ना पाक है क्योंकि दूसरा शख़्स पहले शख़्स से ताक़त में ज़्यादा हैं । अगर येह दूसरा ज़्यादा ताक़तवर शख़्स ख़ूद धोता और निचोड़ता तो वोह कपड़ा उस के लिए और पहले वाले शख़्स के लिए भी पाक होता ।

इस मस्अले से पता चला कि मर्द को अपने ना पाक कपड़े ख़ूद ही धोने चाहिये बीवी से न धुलाए क्योंकि औरत की ताक़त मर्द की ताक़त से कम होती है जब कि मर्द औरत से ज़्यादा ताक़तवर है अगर वोह ख़ूद निचोड़े तो एक, दो, बूंदे कपड़े से और निकाल सकता है इस लिए कपडे ना पाक ही होंगे ।

लेकिन किसी की औरत, मर्द से ज़्यादा ताक़तवर हो और उसने अच्छी तरह निचोड़ा तो मर्द के लिए कपड़ा पाक है ऐसे मर्दों को जिन की बीवी उनसे ज़्यादा ताक़तवर है उस के हाथों धूले कपड़े

पहन्ने मे कोई हर्ज नही ।

मस्अला :–कपड़े को पहली मरतबा धोने, निचोड़ने के बाद हाथ दूसरे नये पानी से अच्छी तरह धोए फिर दूसरी मरतबा कपड़ा धोने और निचोड़ने के बाद हाथ दूसरे पानी से फिर अच्छी तरह धोए, और तीसरी मरतबा कपड़ा धोने और निचोड़ने से कपड़ा और हाथ दोनों पाक हो गए ।

मस्अला :–ऐसी चीज़ें जिन्हें निचोड़ा नहीं जा सकता, जैसे रूई का गद्दा, दरी, चटाई, कारपेट, सतरंजी, वग़ैरा तो इन्हें पाक करने का तरीक़ा येह है कि, उन पर पहले इतना पानी बहाए कि वोह पूरी तरह भीग जाए और पानी बहने लगे इसके बाद हाथ से अच्छी तरह मले और उसे उस वक़्त तक छोड़ दे जब तक कि पानी गद्दे, चटाई वग़ैरा से टपकना बंद हो जाए । फिर दूसरी मरतबा पानी बहाए फिर छोड़ दे जब पानी की बूंदे टपकना बंद हो जाए तो अब तीसरी मरतबा उस पर पानी बहाए और सूखने के लिए छोड़ दे । अब वोह चीज़ पाक हो गई । तीन मरतबा नया पानी उस चीज़ पर बहाना और हर मरतबा पानी टपकने तक इन्तेज़ार करना ज़रूरी हैं ।

(अहकामे शरीअत, जिल्द 3, सफ़ा नं. 252, क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 56,57)

ग़ुस्ल (स्नान, Bathing)

आयत :- अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फ़रमाता है----------

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ؕ

तर्जमा :- और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 6, सूरए मायेदा, आयत 6)

हदीस :- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-

"जब मर्द सोहबत के बाद ग़ुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुज़रता है उस हर बाल के बदले उसकी एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह कम कर दिया जाता है और एक दर्जा उँचा कर दिया जाता है । और अल्लाह तआला उस बन्दे पर फ़ख़्र करता है और फ़रिश्तों से कहता है कि "मेरे इस बन्दे की तरफ़ देखो के इस सर्द (ठण्डी) रात में ग़ुस्ले जनाबत के लिए उठा है, इसे मेरे परवरदिगार होने का यक़ीन है, तुम इस बात पर गवाह रहना कि मै ने इसे बख़्श दीया"।

(ग़ुन्यतुत्तालेबीन, बाब नं. 5, सफ़ा नं. 113)

ग़ुस्ल में तीन फ़र्ज़ है इन में से अगर कोई एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो चाहे समुन्दर में भी नहाले तो भी ग़ुस्ल न होंगा और इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ ना पाक ही रहेगा । इसी तरह अगर ग़ुस्ल तरीक़े के मुताबिक़ नहीं किया बस ऐसे ही जिस्म पर पानी बहा दिया तो भी ग़ुस्ल न होंगा । ग़ुस्ल में तीन फ़र्ज़ है ।

(1) ***ग़रारह करना :-*** मुँह भर कर ग़रारा करना के हलक़ का आख़री हिस्सा, दाँतों की खिड़कीयाँ, मसूड़ें वग़ैरा सब से पानी बह जाए । दातों में अगर कोई चीज़ अटकी हुई हो तो उसे निकालना ज़रूरी है अगर वहाँ पानी न लगा तो ग़ुस्ल न होंगा ।

अगर रोज़ा हो तो ग़रारा न करे सिर्फ़ कुल्ली करे की अगर ग़लती से भी पानी हलक़ के नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा ।

मसअला :—कोई शख़्स पान चूना कथ्था वग़ैरा खाता है और चुना व कथ्था दाँतों की जड़ों में ऐसा जम गया कि उस का छूड़ाना बहुत ज़्यादा नुक़सान का सबब है तो मुआफ़ है ग़रारा करना काफ़ी होगा ।और अगर बग़ैर किसी नुक़सान के छूड़ा सकता है तो छूड़ाना वाजिब है बग़ैर उस के छूड़ाए ग़ुस्ल न होगा ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 2, बाबुल ग़ुस्ल, सफ़ा नं. 18)

(2) नाक में पानी ड़ालना :- नाक के आख़री नर्म हिस्से तक पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है नाक की गन्दगी को उँगली से अच्छी तरह निकाले । पानी नाक में नाक की हड्डी तक लगना चाहिए और नाक में पानी तेज़ लगे ।

(3) तमाम बदन पर पानी बहाना :- तमाम बदन पर पानी बहाना कि बाल बराबर भी बदन का कोई हिस्सा सूखा न रहे, बग़ले, नाफ़ (बोम्नी) कान, के सूराख़ तक पानी बहाना ज़रूरी है ।

(बहारे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा 18, क़ानूने शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 37)

ग़ुस्ल करने का तरीक़ा :-

ग़ुस्ल में नियत करना सुन्नत है । अगर न की तब भी ग़ुस्ल हो जाएगा । ग़ुस्ल की नियत येह है कि "मैं पाक होने और नमाज़ जाइज़ होने के वासते ग़ुस्ल कर रहा हूँ / या कर रही हूँ ।

नियत के बाद पहले दोनों हाथ गट्टों (कलाई) तक तीन मरतबा अच्छी तरह धोए, फिर शर्मगाह और उसके आस पास के हिस्सों को धोए चाहे वहाँ गन्दगी लगी हो या न लगी हो, फिर बदन पर जहाँ

जहॉ गन्दगी हो वहॉ धोए, इस के बाद ग़रारा करें कि पानी हलक़ के आख़री हिस्से, दॉतों की खीन्डों, मसूड़ों वग़ैरा में बह जाए, कोई चीज़ दातों में अटकी हो तो लकड़ी वग़ैरा से उसे निकाले फिर नाक में पानी डाले इस तरह की नाक के आख़री हिस्से (हड्डी) तक पानी पहुँच जाए और वोह नाक में तेज़ लगे फिर चेहरे को धोए इस तरह के पेशानी से ले कर थुड्डी तक और एक कान से दूसरे कान की लव तक, फिर तीन मरतबा कोहनीयों समेत हाथों पर पानी बहाए फिर सर का मसा करे जिस तरह वुज़ू में करते है उसी तरह मसा करे ।

इस के बाद बदन पर तेल की तरह पानी मले । फिर तीन मरतबा सर पर पानी डाले फिर तीन मरतबा सीधे मोंड़े (कांधे) पर और तीन मरतबा दाएँ मोंन्डे पर लोटे या मग वग़ैरा से पानी डाले और जिस्म को मलते भी जाए इस तरह कि बदन का कोई हिस्सा सूखा न रहे, सर के बालों की जड़ों बग़ल में शर्मगाह के हर हिस्से वग़ैरा सब जगह पानी बहना चाहिये उँगली में अंगूठी हो तो उसे घूमा कर वहॉ पानी पहुँचाए इसी तरह औरत अपने कान की बाली, नाक की नथनी वग़ैरा को घूमा घूमा कर वहॉ पानी पहुँचाए, सर के बाल खोल ले तो बेहतर है वरना येह अहतियात ज़रूरी है कि सर के बाल और सर की जड़ों तक पानी ज़रूर पहुँचे (अब आप इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ पाक हो गये और आप का ग़ुस्ल सही हो गया) इस के बाद साबुन वग़ैरा जो भी जाइज़ चीज़ लगाना हो वोह लगा सकते है । आख़िर में पैर धो कर अलग हो जाए ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 2, सफ़ा नं. 18, क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 36)

मसअला :—नहाने के पानी में बे वुज़ू शख़्स का हाथ, उँगली, नाखुन, या बदन का कोई और हिस्सा पानी में बे धोए चला गया तो वोह पानी ग़ुस्ल और वुज़ू के लाएक़ न रहा । इसी तरह जिस शख़्स पर नहाना (ग़ुस्ल) फ़र्ज़ है उस के जिस्म का भी कोई हिस्सा बे धोए, पानी से छू गया तो वोह

पानी ग़ुस्ल के लाएक़ नही । इस लिए टाके वग़ैरा का पानी जिस में घर के कई लोगों के हाथ बग़ैर धूले हुए पड़ते है उस पानी से ग़ुस्ल व वुज़ू नहीं करना चाहिये बल्कि ग़ुस्ल के लिए पहले से ही अहतियात से किसी बाल्टी या ड्राम में अलग ही नल से पानी भर लें । अगर धूला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में चला गया या छू गया तो कोई हर्ज नहीं ।

इसी तरह ग़ुस्ल करते वक़्त भी येह अहतियात रखे कि बदन से पानी के छींटें बाल्टी में मौजूद पानी जिस से ग़ुस्ल कर रहा है उस में जाने न पाए वरना वोह पानी भी ना पाक हो जाएगा और फिर उस पानी से ग़ुस्ल नहीं होंगा ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 39)

मस्अला :—ऐसा हौज़ या तालाब जो कम से कम दस हाथ लम्बा, दस हाथ चौड़ा (यानी कम अज़ कम 10 x 10 fits का) होतो उसके पानी में अगर हाथ या नजासत (गन्दगी) चले गई तो वोह पानी ना पाक नहीं होगा, जब तक कि उसका रंग, मज़ा, और उसकी बू न बदल जाए । उससे ग़ुस्ल और वुज़ू जाइज़ है । और अगर रंग या मज़ा या —— बू बदल गई तो उस पानी से वुज़ू व ग़ुस्ल जाइज़ न होगा ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 39)

मस्अला :—ग़ुस्ल करते वक़्त क़िबले की तरफ़ रूख कर के नहाना मना है । ग़ुस्ल ख़ाने में नंगा नहाने में कोई हर्ज नहीं, औरतों को ज़्यादा अहतियात की ज़रूरत है यहाँ तक कि बैठ कर नहाना बेहतर है । ऐसी जगह नहाए जहाँ किसी के देखने का ख़तरा न हो । नहाते वक़्त बात चीत करना, कुछ पढ़ना, चाहे दुआ ही क्यों न हो, कलमा शरीफ़, दुरूद शरीफ़ वग़ैरा पढ़ना मना है ।

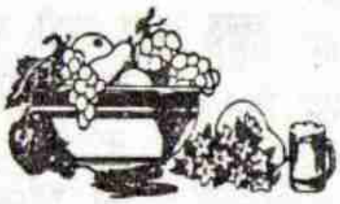
कुछ लोग चड्डी पहने सड़कों के किनारे सरकारी नल में नहाते है येह जाइज़ नहीं बल्कि सख़्त गुनाह व हराम है क्यों कि मर्द को मर्द से भी बदन का घुटने से नाफ़ (बोम्नी) तक का हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 37)

मस्अला :–कुछ लोग ना पाक चड्डी या कपड़ा पहने हुए ही ग़ुस्ल करते है और समझते है कि नहाने में सब कुछ पाक हो जाएगा । येह बेवक़ुफ़ी है इस से तो गन्दगी फैल कर पूरे बदन को ना पाक कर देती है । और वैसे भी इस तरीक़े से चड्डी पाक समझी नहीं जाएगी क्योंकि नापाक कपड़े को तीन बार धोना, और हर बार अच्छी तरह निचोड़ना ज़रूरी है (जिस का ब्यान पहले ही गुज़र चुका है) इस लिए पहले ना पाक चड्डी या कपड़े को उतार लें, पाक चड्डी या कपड़ा ही बाँध कर ग़ुस्ल करें ।

नाख़ुन पालीश होने पर ग़ुस्ल न होगा :– कुछ मर्द और ज़्यादा तर औरतें अपने नाख़ुनों पर पालिश लगाती है नाख़ुन पालिश में स्पिरिट (शराब, Alcohal) होता है जो कि शरीअत में सख़्त हराम है, और मर्दों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हराम व गुनाह है । नाख़ुनों पर पालिश होने की वजह से ग़ुस्ल और वुज़ू करते वक्त पानी नाख़ुनों पर नहीं लगता बल्कि पालिश पर लग कर फिसल जाता है और सिरे से ही ग़ुस्ल नहीं होता । जब ग़ुस्ल ही न हुआ तो नापाक ही रहा और ना पाकी की हालत में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी और जान बुझ कर नापाक रहना सख़्त गुनाह व हराम है । अल्लाह न करे अगर इस हालत में मौत आ गई तो उस का वबाल अलग, । इस लिए औरतों को चाहिये के नाख़ुन पालिश न लगाए ।

ताक़त बख़्श गिज़ाएँ



अहादीसे मुबारका में ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया हैं जिन के खाने से क़ुव्वत बड़ती हैं जिस्म हमेशा सेहतमंद और चुस्त रहता है । इससे ख़ास कर मर्दों में मर्दानगी की क़ुव्वत बड़ती है ।

हदीस :- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हा से रिवायत है कि-------------------------------

"रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम को शहद (Honey, मधु) बहुत पसंद था । और मीठी चीज़ ।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 399, हदीस नं. 642, सफ़ा नं. 253)

हदीस :- रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"शहद के शरबत से बड़ कर कोई दवा नहीं (यानी हर बीमारी के लिए शहद बेहतरीन दवा है) ।

शहद के बे शुमार फ़ायदें है शहद में हज़ारों क़िस्म के फूलों का रस होता है अगर पूरी दुनिया के हकीम व ड़ाकटर मिल कर भी ऐसा रस तैयार करना चाहे तो भी लाख़ कोशिश कर ले वोह ऐसी चीज़ तैयार नही कर सकतें । येह अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त का ख़ास करम है कि वोह इन छोटी छोटी मख़्खि़यों से इन्सानों के लिए ऐसी बेहतरीन और फ़ायदेमन्द चीज़ तैयार करवाता है ।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हुमा से रिवायत है कि-------------------------------

"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम को पीने की चीज़ों में सब से ज़्यादा दूध पसंद था"।

हदीस :- हज़रत आएशा रदीअल्लाहो तआला अन्हा ने इरशाद फ़रमाया---------------------"हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम, खजूर, मख्खन, और दही, मिला कर खाते थे । और येह आप को बहुत पसंद था" ।

नोट :- तीनों चीजें बराबर मिला कर खाए । मसलन आधा पाव मख्खन, आधा पाव दही, आधा पाव खजूर, इन तीनों को मिलाकर हलवा सा बना लें ।

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम, (अक्सर) खजूर को मख्खन (मसके) के साथ खाया करते थे ।

रिवायत :- हज़रत इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है-----------------------------------

"चार चीजें मर्दाना क़ुव्वत को बड़ाती है । चीड़ियों का गोश्त, इतरीफल (एक किस्म की यूनानी दवा, आयूर्वेद में तीरीफल कहते है) पिस्ता, और तेरहतेज़क (एक तरह की जड़ीबूटी) । *(इहयाउलकलूम)*

हदीस :- रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहो तआला अलैह व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---------------------"तमाम गोश्त (मास,Meat) में पुश्त (पूठ) का गोश्त सब से बेहतर होता है"।

गाये का गोश्त :-

कुछ लोग गाये के गोश्त को बहुत बुरा समझते है जब कि अल्लाह तआला ने उसे हलाल फ़रमाया है फिर येह कितनी बड़ी जहालत होंगी के जिस चीज़ को अल्लाह तआला हलाल करे उसे बन्दा ना जाइज़ और बुरा समझे । अगर किसी को कोई चीज़ पसंद न हो तो वोह उसे न खाए लेकिन इस्लाम किसी को येह इजाज़त नहीं देता के वोह सिर्फ़ अपने ना पसंद होने की वजह से उसे बुरा समझे और जो लोग खाते है उन्हें हिकारत की नज़र से देखे ।

आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रदीअल्लाहो तआला अन्हो

इरशाद फ़रमाते है-----------------------------------

इरशाद :- "गाये का गोश्त बे शक हलाल है और निहायत ही ग़रीबों को पालने वाला, और कुछ चीज़ों में तो बकरे व बकरी के गोश्त से ज़्यादा फ़ायेदा पहुँचाने वाला है---और उस की क़ुरबानी का तो ख़ास क़ुरआने अज़ीम में इरशाद है । और ख़ुद हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने उसकी क़ुरबानी अज़वाजे मुतहरात (अपनी बीवीयों) की तरफ़ से फ़रमाई हिन्दुस्तान में ख़ास तौर पर इसकी क़ुरबानी करना इस्लाम की ख़िदमत, ईबादत और शान है (इस लिए कि यहाँ के काफ़िर गाय को पुजते हैं और इस्लाम ऐसे हर बातिल माबूदों को ख़त्म करने आया है) और इसका (यानी गाये की क़ुरबानी) का बाक़ी रखना वाजिब है"।

(अलमलफ़ुज़, जिल्द 1, सफ़ा नं. 14)

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमाते है-----------

इरशाद :- मुशिरकों (बुतों को पूजने वालों) की ख़ूशनुदी के लिए गाये की क़ुरबानी बंद करना हराम-हराम-सख़्त हराम है और जो बंद करेगा जहन्नम के अज़ाबे शदीद का मुस्तहिक़ होगा, और रोज़े क़ियामत मुशिरकों के साथ एक रस्सी में बांधा जाएगा । *(वल्लाहो आलम)*

(अहकामे शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 139)

कुछ ख़ास चीज़ें :- इन चीज़ों का इस्तेमाल हमेशा अपनी ग़िज़ा में रखे इनके खाने के बहुत से फ़ायदे है । येह चीज़ें मर्दाना क़ुव्वत को बड़ाती हैं । यहाँ हर एक के फ़ायदे बयान कर पाना मुम्किन नहीं ।

अनाज :- गेहू, चावल, तिल, मुंगफल्ली, मुंग, चना, ख़शख़श

सब्ज़ी :- प्याज़, लहसुन, आलू, अरबी, भोंडी, शलजम, कद्दू, लौकी, गाजर, शकरकंद

पकी चीज़ें :- मुर्ग़ी का बच्चा, बतख़ के अंड़े, ताज़ा मछली, बकरे व गाये का गोश्त, पाये, कलेजी, दूध, दही, मख्खन

फल :- आम, अंगूर, अनार, केला, सेब, अमरूद, ख़रबूज़ा

मेवें :- खजूर, पीस्ता, बादाम, मखाना, किशमिश, अख़रोट, खोपरा, चिलगोज़ा, जैतून ।

ताक़त कम करने वाली गिज़ाएँ



कई ऐसी चीजें है जिन का इस्तेमाल मर्द में मर्दाना क़ुव्वत को घटा देता है । लिहाज़ा मर्दाना क़ुव्वत को हमेशा क़ायम रखने के लिये इन चीज़ों का इस्तेमाल न करे अगर खना ही पड़ जाए तो बहुत कम खाए । कि इन चीज़ों के खाने से मर्द में कमज़ोरी पैदा होती है वोह चीज़ें येह है ।

इमली, आम या निंबू का अचार, चटनी, निंबू, आम की खटाई, खट्टे फल, शराब, अफयून, और हर वोह चीज़ जो नशा पैदा करे, ज़्यादा चाय, कॉफी, बिडी, सिगरेट, खर्रा (गुटका), वग़ैरा इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से मर्द को नुक़सान है ।

हदीस :- हज़रत अली रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि-------------------"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने चालीस रोज़ लगातार गोश्त खाने से मना फ़रमाया"।

मर्दाना बीमारियाँ



मौजूदा ज़माने में बदकारियाँ और अय्याशियाँ बहुत ज़्यादा बड़ चुकी है जिसकी वजह फ़िल्में, औरतों का सड़कों पर बे पर्दा घुमना, नवजवान लड़के लड़कीयों का गंदे मैगज़ीन और नाविल पढ़ना स्कुलों और कॉलेजों में लड़के लड़कियों का एक साथ घुमना फिरना, वग़ैरा जैसी चीज़ें हैं ।

इन बदकारियों और अय्याशियों का नतीजा है कि अक्सर मर्द और औरतें तरह तरह की ख़तरनाक जिन्सी बीमारियों में फसे हुए हैं । इसलिये अव्वल तो ऐसी हरकतें ही नहीं करना चाहिये जिससे ख़तरनाक बीमारी होने का ख़तरा हो और अगर ख़ुदा ना ख़ासता आप येह ग़लती कर चुके है तो पहले सच्चे दिल से तौबा किजीए और किसी इश्तेहारी और सड़क छाप हकीम के पास जा कर अपनी बची कुची सेहत को बरबाद करने की बजाए किसी अच्छे पढ़े लिखे क़ाबिल डॉक्टर या हकीम से इलाज कराए ।

हम यहाँ कुछ मर्दाना और ज़नाना बीमारियों के बारे में और उनके इलाज के मुत्अ़ल्लिक़ लिख रहे हैं इन बीमारियों के इलाज के लिए वैसे तो हकीमों ने और बुज़ुर्गाने दीन ने कई तरह के नुस्ख़े और दवाईयाँ बताई है लेकिन आज सबसे बड़ी दुशवारी येह है कि इन नुस्ख़ों और दवाओं में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है उन में से तो कुछ चीज़ें मिलती ही नही है, और कुछ मिलती भी है तो वोह असली नहीं होती ।

लिहाज़ा हम यहाँ कुछ ही ऐसे नुस्ख़े लिख रहे हैं जिनमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आप को आसानी से मिल जाएगी और आप इसे अपने घर में ख़ूद ही तैयार भी कर सकते है । इसके अलावा हम यहाँ कुछ ऐसे वज़ीफ़े और ताविज़ात भी लिख रहे है जो बुज़ुर्गाने दीन से साबित है, क्योंकि हकीमी इलाज के साथ साथ रहमानी इलाज भी ज़रूरी है।

नामर्दी :-

कुछ लोग अपने लड़कपन में ग़लतियों व बुरी संगत की वजह से अपनी ताक़त गवा देते है जिस के नतीजे में मर्दाना क़ुव्वत से हाथ धो बैठते है और शर्म की वजह से अपना हाल किसी से बता भी नहीं पाते । शादी होने या शादी की बात चलने के वक्त ऐसे लोगों की परेशानी और बड़ जाती है । अगर मर्द में सोहबत करने की क़ुव्वत कम हो और औरत में ज़्यादा हो तो ऐसी हालत में औरत की ख़्वाहिश पूरी नहीं हो पाती इस ना मुकम्मल सोहबत से, जिस में औरत को इन्ज़ाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मअ़लूम होता है और वोह असाबी बीमारी "हेसटेरिया" (जिसमें जिस्म के पुठ्ठे कमज़ोर हो जाते है) उस बीमारी में मुबतेला हो जाती है सोहबत से बेरग़बती और शौहर से नफ़रत करने लगती है । ज़्यादा सोहबत करने से भी ना मर्दानगी की बीमारी हो जाती है ऐसी सूरत में मर्द को इलाज की तरफ़ ध्यान देना चाहिये ।

लेकिन इश्तेहारी हकीमों, डॉक्टरों या सड़क . छाप दवा बेचने वालों से भूल कर भी इलाज न करवाए येह लोग जिस क़िस्म की दवाएँ बनाते है उन में अक्सर अफ़यून, धतूरा, भंग, सन्ख़या, वग़ैरा जैसी ज़हरीली चीज़ें शामिल होती है जिस से फ़ौरन तो फ़ायेदा होता है लेकिन बाद को नुक़सान होता है और इन का हमेशा बार बार का इस्तेमाल जल्द क़ब्र के गड़े तक पहुँचा देता है । इस लिए हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम और बुज़ुर्गाने दीन की हिदायतों से फ़ायदा हासिल करना चाहिये और दवाओं की बजाए ग़िज़ाओं (खाने पीने की चीज़ों) से कमज़ोरी दूर करना चाहिये । यहाँ हम नामर्दी को दूर करने के लिए कुछ नुस्ख़े बयान कर रहे है ।

हदीस :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----------------------------------

"बदन से ज़ेरे नाफ़ (शर्मगाह के आसपास के) बालों को जल्द दूर करना क़ुव्वत (मर्दाना ताक़त) को बड़ाता है"।

मसअला :–नाफ़ (डेन्नी) के नीचे के बाल दूर करना सुन्नत है और बेहतर येह है कि हफ़्ते में जुम्अ के दिन दूर करे। पन्द्रहवे (15) रोज़ करना भी जाइज़ है और चालीस (40) दिनों से ज़्यादा गुज़ार देना मकरूह व सख़्त मना है।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं 211)

नुस्ख़े :–

(1) माश की दाल (उड़द की दाल) एक पाव किसी कॉच या चीनी के बर्तन में ड़ाल कर उसमें सफ़ेद प्याज़ का रस इतना ड़ाले कि दाल रस में अच्छी तरह भीग जाए। एक दिन, रात, उस को भीगा रहने दे फिर जब वोह सूख जाए तो फिर प्याज़ का रस पहले की तरह दाल में पूरे भीगने तक ड़ाले एक दिन रात पहले की तरह सूखने के लिए रख दें। इस तरह येह अमल कुल (Total) सात बार करे यानी सात मरतबा प्याज़ का रस ड़ाले सात मरतबा दिन और रात तक दाल भीगने और सूखने दें। अब दाल को बारीक पीस लें और हर रोज़ 25 ग्राम येह पीसी हुई दाल लें फिर उस में 25 ग्राम असली घी 25 ग्राम शकर मिला कर रोज़ाना सुबह को फॉक लें और उस पर पाव भर दूध पीले येह दवा 40 दिनों तक खाए इस अर्से में औरत से सोहबत न करे बाद में इसका असर देखे।

(2) प्याज़ का रस एक पाव और असली शहेद एक पाव दोनों को मिला कर आग पर पकाए और जब प्याज़ का रस जल कर सिर्फ़ शहेद बाक़ी रह जाए तो बोतल में भर ले 2 तोले से लेकर 3 तोले तक गर्म पानी या चाये के साथ पी लिया करे।

(3) खजूर और भुने हुए चने, दोनों बराबर वज़न में ले कर पीस ले और छान कर उस में प्याज़ का रस मिला कर बड़े से लड्डू बना ले और सुबह शाम एक एक लड्डू खा लिया करे (इस में बादाम भी मिलाना चाहे तो मिला सकते है)

(4) गर्म दूध में शहेद मिला कर पीते रहने से मर्दाना क़ुव्वत बड़ती है (नेहार मुँह इस्तेमाल करे) ।

(5) चने की दाल एक पाव ले कर आधा पाव गाये के दूध में मिला कर अच्छी तरह पकाए जब सारा दूध सूख कर दाल में समा जाए तो इसे सिल पर बारीक पीस ले फिर पाव भर असली घी में थोड़ा सा भून कर पाव भर शकर मिला दे । इस हलवे को रोज़ाना एक छटाक (50 ग्राम) सुबह नाश्ते में लीजिए ।

(6) हकीमों ने प्याज़ के इस्तेमाल को मर्दाना ताक़त बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदे मन्द बताया है । लेकिन इस का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिये जितना हज़्म हो सके ।

(शम्अे शबिस्ताने रज़ा, जिल्द 1 सफ़ा 104)

रहमानी इलाज :-

अगर कोई आदमी किसी वजह से ना मर्द हो जाए तो हर रोज़ "सूरए इब्राहीम (जो क़ुरआने करीम में 13,वे पारे में है) उस की तिलावत करे और सूरए इब्राहीम के इस नक़्श को तावीज़ बना कर अपने पास रखे । सूरए इब्राहीम का नक़्श येह है------------

۴۱۳۵۹	۴۱۳۵۷	۴۱۳۴۰	۴۱۳۳۷
۴۱۳۵۹	۴۱۳۳۸	۴۱۳۵۳	۴۱۳۵۸
۴۱۳۳۹	۴۱۳۴۲	۴۱۳۵۵	۴۱۳۵۲
۴۱۳۵۴	۴۱۳۵۸	۴۱۳۵۰	۴۱۳۴۱

सुरअ़ते इन्ज़ाल (मनी का निकलते रहना) :-

सुरअ़ते इन्ज़ाल इस हालत को कहते है कि जब मर्द सोहबत का इरादे करे या सोहबत शुरू करे और उस को इन्ज़ाल हो जाए (यानी जल्दी से ही मनी निकल जाए) सोहबत जब कर रहा हो तो मनी

कम से कम दो मिन्ट के बाद गिरना चाहिए अगर एक देड़ मिन्ट में ही मनी गिर जाए तो समझ लेना चाहिए की सुरअ़ते इन्ज़ाल की बीमारी है । अगर मर्द को सुरअ़ते इन्ज़ाल की शिकायत हो जाए तो उस सूरत में औरत की ख़्वाहिश पूरी नहीं होती क्योंकि औरत को इन्ज़ाल नहीं होता और येह हालत औरत के लिए तकलीफ़देह होती है और इस से एक बड़ा नुक़सान येह भी है कि औलाद पैदा नहीं हो पाती ।

जब येह बीमारी बढ़ जाती है तो किसी ख़ूबसूरत औरत को देखने से या किसी का सिर्फ़ ख़्याल लाने से या फिर ऊज़्-ए-तनासुल (लिंग) के, किसी नर्म व मुलायम कपड़े से छू जाने से भी इन्ज़ाल हो जाता है । इस बीमारी के होने की कई वजूहात है जैसे, अपने हाथ से अपनी मनी निकालने की बुरी आ़दत, हमेशा गन्दे ख़्यालात, गन्दी फ़िल्मों का देखना, या फिर किसी वजह से मनी का पतला होना वग़ैरा जैसी वजूहात हैं । इस बीमारी के होने की एक सब से बड़ी वजह ज़्यादा सोहबत करना भी है । हकीमों ने कहा हैं ज़्यादा सोहबत बूढ़ों को मौत की तरफ़ ढ़केल देती है जवानों को बूढ़ा, मोटों को दूबला, और दुबले को मुर्दा बना देती है । लिहाज़ा सोहबत कम ही करे । इस बीमारी को दूर करने के लिए तेज़, गर्म चीज़ों के खाने से बचना चाहिये । इसी तरह गन्दी बातों, फ़िल्में और गन्दे नाविल पढ़ने से बचना चाहिये ।

नुस्ख़े :-

(1) पाँच अद्‌द खजूरें लें, पाँच अद्‌द मीठी अच्छी बादाम ले, कद्दू के बीज मीठे 6 माशा (1 माशा 8 रत्ती का होता है इस हिसाब से 24 रत्ती बीज ले) नारियल 2 तोला (यानी 20 ग्राम) ले । चारों को मिला कर अच्छी तरह बारीक पीस ले फिर एक सेर गाये के दूध में अच्छी तरह पका कर ठण्डा कर लें । रोज़ाना सुबह को नाश्ते में खाए । इन्शाअल्लाह येह बीमारी दूर हो जाएगी ।

(2) ऐसे मरीज़ घी, मख्खन, मलाई का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करे । सुबह हल्की सी कसरत ज़रूर करें ।

(3) अंडे और गोश्त का इस्तेमाल भी ऐसे मरीज़ों के लिए फ़ायदेमन्द होता है ।

(4) उस नुस्ख़े का इस्तेमाल जो हम ने "नामर्दी" वाले बाब (हिस्से) में नुस्ख़ा नं. 5 में लिखा है उस का इस्तेमाल भी ऐसी बीमारी वाले मरीज़ के लिए फ़ायदेमन्द साबित होगा ।

(शम्अे शबिस्ताने रज़ा, जिल्द 1, सफ़ा नं. 104)

रहमानी इलाज :-

हम यहाँ सुरअते इन्ज़ाल की बीमारी से छुटकारे के लिए एक नक्श नक्ल कर रहे है । इसे लिख कर कमर में बांधले ख़ुदा ने चाहा तो भर पूर ताक़त पैदा होंगी और कैसी ही शहवत प्रस्त औरत क्यों न हो मर्द के मुक़ाबले हार जाएगी । इन्ज़ाल देर में होगा (यानी मनी देर में निकलेगी) और मर्दाना क़ुव्वत में इज़ाफ़ा होगा । नक्श येह है--

۸	۴۷۴	۴۷۷	۱
۴۷۶	۲	۷	۴۷۵
۳	۶	۴۷۹	۴۷۲
۴۷۳	۵	۴	۴۳۸

एहतलाम (नाईट फाल) :-

एक तन्दरूस्त मर्द को महीने में 2 या 3 बार एहतलाम हो जाए तो कोई फ़र्क़ नही पड़ता और न ही येह कोई बीमारी है क्यों कि जिस्म में मनी तैयार हो कर मनी के ख़ज़ाने में जमा होती है और जब मनी ज़्यादा हो जाती है तो ख़ूद ब ख़ूद नींद में ख़्वाब वग़ैरा के ज़रिये ज़ायेद मनी ख़ारिज हो जाती है । इस से कोई कमज़ोरी भी नही होती बल्कि येह एक सेहतमन्द की पहेचान है । लेकिन जब येह एहतलाम (नाईट फाल) ज़्यादा होने लगे यानी महीने में 4 से ले कर 6

बार तक तो फिर येह एहतलाम की बीमारी में दाख़िल है । ज़्यादा एहतलाम होने की कई वजूहात है । आ़म तौर पर ख़्यालात (विचारों) का गन्दा रहना, प्यार मुहब्बत की कहानियाँ पढ़ना, गन्दी फ़िल्में देखना और हमेशा गन्दी बातें करते रहना वग़ैरा जैसी वजूहात है जिन की वजह से एहतलाम की बीमारी हो जाती हैं येह बीमारी आगे चल कर बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है ।

एहतीयातें :-

ऐसे लोग जिन को एहतलाम ज़्यादा होता हो उन्हें इन चीज़ों पर अ़मल करना चाहिये । इन्शाअल्लाह ज़्यादा एहतलाम की परेशानी ख़त्म हो जाएगी ।

- ❐ मरीज़ को चाहिये कि पेशाब कर के वुज़ू बना कर सोए और सुबह को जल्दी उठ जाए ।
- ❐ दाहनी करवत लेटने से एहतलाम कम होता है और दाहनी करवट सोना हमारे आक़ा सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम की प्यारी सुन्नत भी है ।
- ❐ रात का खाना सोने से 3, 4 घंटे पहले ही और ज़रा कम ही खाए ।
- ❐ सोते वक्त ज़्यादा गर्म दूध न पीए । ठण्डा या हलका गर्म पीए ।
- ❐ सोने से पहले कोई अच्छी सी दीनी मअ़लूमात वाली किताब पढ़े ।
- ❐ खट्टी, तेज़, चटनी, गोश्त वग़ैरा कम खाया करें ।

नुस्ख़े :-

धनिया सूखा एक तोला (10 ग्राम) थोड़ा गर्म कर के रात को एक गिलास पानी में भिगो कर रखें । सुबह को छान कर दो तोला (20 ग्राम) मिशरी (गड़ी शकर) से मीठा कर के पीए ।

रहमानी इलाज :-

जिस शख़्स को एहतलाम ज़्यादा होता हो तो उसे चाहिये कि सोते वक़्त अपने दिल पर शहादत की उँगली से लिख लिया करे

ياعمر فاروق اعظم

इन्शाअल्लाह एहतलाम से महफ़ूज़ रहेगा । और येह नक़्श लिख कर बाज़ू पर बान्धे या गले में डाले । नक़्श येह है-------------

بحق ابابکر صدیق	بحق عمر فاروق
بگریز و شیطان لعین	از ہیبت عثمن نیامد پیش من بہ ہیبت علی شیر خدا

(शम्अे शबिस्ताने रज़ा, जिल्द 1, सफ़ा नं. 47)

जिर्यान :-

हमारी मौजूदा नस्ल में येह बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है । इस बीमारी में पाख़ाना पेशाब से पहले या उस के बाद में पेशाब की नाली से मनी, मज़ी, या फिर वदी निकलती है या पेशाब के बाद कभी कभी सफ़ेद रंग का धोगा सा भी निकलता है । इस बीमारी में मरीज़ को कमर में दर्द, घुटनों में तकलीफ़ और आँखों के सामने अंन्धेरा या फिर चक्कर से आते है । और कमज़ोरी दिन बदिन बड़ती जाती है, भूक नहीं लगती और जो कुछ खाया जाए हज़म नहीं होता और बेहतरीन ग़िज़ा भी खाई जाए तो बदन को नहीं लगती । इस बीमारी की बहुत सी वजूहात है जिन में से कुछ इस तरह है----

- ☆ मनी में तेज़ी आना ।
- ☆ वासना (Sex) का ज़्यादा होना ।
- ☆ सोहबत ज़्यादा करना ।
- ☆ हमेशा बुख़ार ज़्यादा रहना ।

☆ हर वक्त दिल व ख़्याल में सोहबत की बातें बिठाए रखना या उसी के बारे में सोचते रहना ।
☆ कब्ज़ीयत होना और अपने हाथों अपनी मनी निकालना ।
☆ मर्दों से सोहबत करना, और बुरे ख़्यालात । वग़ैरा,

नुस्ख़े :-

(1) गवरानी मुर्ग़ी का एक अंड़ा फोड़ कर किसी बर्तन में ले, फिर अंडे की पीलक व सफ़ेदी दोनों के बराबर गजर का रस लें फिर उस में उतनी ही मिक़दार (मात्रा) में शहेद और घी ड़ालें अब सब को मिला कर हल्की आँच पर पका कर हलवा सा बना लें, इस तरह 21 दिनों तक इसी तरह हलवा बना कर खाए । खट्टी चीज़ें दही, मछली का इस्तेमाल बंद रखे इस से पूरा परहेज़ करे और शादी शुदा है तो इस दौरान औरत से सोहबत न करे ।

(2) बरगद (बड़) का दूध (बरगद के झाड़ की टेहनी तोड़ने पर जो रस निकलता है वोह) 4 माशा, बताशे में या शकर में ड़ाल कर रोज़ाना सुबह को लें ।

सूज़ाक :-

येह बीमारी ज़्यादा तर नवजवानों में बुरी संगत व बुरी आ़दतों की वजह से होती है, येह बड़ी ख़तरनाक बीमारी है इसकी वजह से नवजवानों की सेहत धीरे धीरे बिगड़ जाती है उन में कमज़ोरी आ जाती है ।

इस बीमारी की निशानी येह है कि पेशाब की नाली में सूजन या वरम आ जाती है और पेशाब की नाली के अन्दर घाव (ज़ख़्म) हो जाते है और इन ज़ख़्मों से पीप निकलता रहता है । और जब भी पेशाब किया जाए तो उस वक्त पेशाब में जलन होती है और सख़्त तकलीफ़ होती है ।

नुस्ख़े :-

(1) सफ़ेद राल 12 ग्राम, शकर 12 ग्राम लें, दोनों को पीस कर चुरण बना लें । 2 ग्राम चूरण पानी के साथ दिन में दो बार लें ।

(2) धोबी के कपड़े धोने की मिट्टी (जिसे "रे" कहा जाता है) 60 ग्राम लें, नीम की ताज़ा पत्तियों का रस 12 ग्राम लें इन दोनों को 180 मिली लीटर पानी में भिगो कर रात भर रखें । सुबह को छान लें और थोड़ा सा और नीम का रस मिला कर सुबह को पीलें,

(3) हल्दी और सुखा आमला दोनों, बीस बीस (20) ग्राम लें । दोनों को बारीक पीस कर चूरण बनाले फिर 2 ग्राम येह चूरण पानी के साथ दिन में दो बार इस्तेमाल करे ।

पेशाब की जलन :-

पेशाब के बाद तहारत न करने या सोहबत के बाद शर्मगाह (मर्द को लिंग और औरत को योनी को) न धोने की वजह से पेशाब में जलन होती है । ज्यादा गर्म खानों के इस्तेमाल से भी पेशाब में जलन की शिकायत पैदा होती है । इस बीमारी के मरीज़ को पेशाब जल्दी नही होता बल्कि थोड़ा थोड़ा जलन के साथ आता है और बड़ी तकलीफ़ होती है ।

नुस्ख़े :-

(1) सफ़ेद संदल का बुरादा (पावड़र) 6 ग्राम, धनिया 6 ग्राम, सूखा आमला 6 ग्राम लें, इन तीनों चीज़ों को 120 मिली लीटर पानी में रात भर भिगो कर रखे, सुबह को छान कर इस पानी में शकर मिला कर शरबत बना ले और इसे सुबह और दोपहर को पी ले ।

(2) खीरे के बीज 6 ग्राम, ककड़ी के बीज 6 ग्राम, दोनों को 120 मिली लिटर पानी में उबलने तक गर्म करे फिर छान ले और इस पानी को ठण्डा कर के सुबह को पी लिया करे ।

(3) एक अंडे की सफ़ेदी लें (पीलक अलग कर ले) इस सफ़ेदी को अच्छी तरह फेंट लें और एक प्याली गर्म दूध में मिला कर सुबह को पी लिया करे ।

ज़नाना (औरतों की) बीमारियाँ



औरतों में भी तरह तरह की जिन्सी बीमारियाँ होती हैं । इनका जानना ज़रूरी है, हम यहाँ चन्द बीमारियों के बारे में लिख रहे है ।

लीकोरिया :-

येह बड़ी ख़तरनाक बीमारी है जो औरतों के बदन को काटे की तरह कर देती है । इस बीमारी में औरत की शर्मगाह (योनी) से सफ़ेद पानी निकलता रहता है इस पानी के साथ उसके बदन की सारी ताक़त निकलती रहती है कभी येह बदबूदार पानी इतनी तेज़ी से और ज़्यादा आता है कि कपड़े तक भीग जाते है और पानी टखनों तक बहता रहता है । इस बीमारी की वजह से औरत ज़्यादा परेशान रहने लगती है चिड़चिड़ापन और ग़ुस्सा बड़ जाता है घबराहट ज़्यादा होती है खाना हज़म नहीं होता पेशाब बार बार आता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है ।

नुस्ख़े :-

(1) कुछ बबूल की फल्ली सुखा कर बारीक चूरण करे, 2 ग्राम सुबह में और 2 ग्राम दोपहर में पानी के साथ लें ।

(2) 30 ग्राम इमली के बीज का गुदा ले और उसे

भुन लें, फिर पीस कर चूरण बना लें और 1 ग्राम पानी के साथ दिन में 3 बार लें ।

हैज़ की ज़्यादती :-

इस बीमारी में औरत का हैज़ बड़े बेढंगेपन से आता है, और बहुत ज़्यादा आता रहता है, इस से बदन कमज़ोर हो जाता है, नाड़ी तेज़ चलती है, प्यास बढ़ जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, कब्ज़ रहने लगता है, भूख नही लगती पांव पर वरम आ जाता है, और कभी कभी चक्कर भी आते है, यहाँ तककि कभी औरत निढ़ाल होकर बे जान सी हो जाती है । येह बीमारी सोहबत (सम्भोग) ज़्यादा करने से पैदा होती है । और बारबार हमल के गिरते रहने से भी येह बीमारी हो जाती है ।

नुस्ख़े :-

(1) अनार की छाल (छिल्के) 22 ग्राम लें । इसे 250 मिली लीटर पानी में इतना उबाले कि पानी सूख कर आधा रह जाए, इस पानी को रोज़ाना सुबह पी लें ।

(2) 25 ग्राम मुलतानी मिट्टी आधा लीटर पानी में दो घंटे तक भिगोए रखे फिर उसे छान ले । रोज़ाना 125 मिली लीटर चार बार इस्तेमाल करें ।

रहमानी इलाज :-

जिस औरत को हैज़ (माहवारी) का ख़ून ज़्यादा आता हो तो येह नक़्श लिख कर उस औरत की कमर में बान्धें । नक़्श येह है-------

عه	عه	عه	عه
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۹	۹	۹	۹
۷	۷	۷	۷

(शम्ऐ शबिस्ताने रज़ा, जिल्द 2, सफ़ा नं. 34) .

हैज़ का रुक जाना :-

औरत को हर महीने पाबन्दी से जो गन्दा ख़ून आता है वोह कुछ ख़ास दिनों में ख़ास दिनों तक ही आता है । अगर औरत हमल से हो तो येह हैज़ का ख़ून आना अपने आप बंद हो जाता है, हैज़ का ख़ून क़ुदरती तौर पर भी बंद होता है जो हमल के दौरान, बच्चे को दूध पिलाने के दिनों मे, और बुढ़ापे में रूक जाता है इस सूरत में इलाज की कोई ज़रूरत नही होती लेकिन इन चीज़ों के अलावा बंद हो जाए तो फिर येह बीमारी है जिस का इलाज ज़रूरी है । लेकिन बिना हमल के ही ख़ून आना बन्द हो जाए तो येह बीमारी है, जिस का तुरन्त इलाज कराना चाहिये, इस की पहचान येह है कि हैज़ जब बन्द हो जाए तो सर में दर्द कमर और पैरों में दर्द रहता है मिज़ाज में चिड़चिड़ा पन आ जाता है ।

नुस्ख़ा :-

सोए के बीज, मूली के बीज़ गाजर के बीज, मेथी के बीज इन सब को तीन तीन ग्राम लिया जाए, और 250 मिली लीटर पानी में इतना उबाले कि पानी आधा रह जाए फिर छान लें और दिन में दो बार इस्तेमाल करे ।

रहमानी इलाज :-

यहाँ हम एक नक्श लिख रहे हैं जिसे मोम जामा कर के औरत की बाऐं रान पर बान्धं । इन्शाअल्लाह तआला हैज़ जो रूका हुआ है जारी हो जाएगा वोह नक्श येह है------------------

ی	م	ھ	ح
۵۲	۲	عـد	۱۱۵
مرع	۱۱	۱۵	۲۲
۱۹	۴	۳	۱۱

(शम्अ़ं शबिस्तानं रज़ा. जिल्द 2. सफ़ा नं. 34)

हैज़ दर्द के साथ आना :-

कुछ औरतों को हैज़ (माहवारी) के खून आने से पहले कमर, कोलूह और रानों में सख़्त दर्द होता है । कभी कभी मतली और कै (उल्टी, Vomit) भी होती है । माहवारी का खून बहुत ही कम आता है और दर्द के साथ आता है ।

नुस्ख़ा :-

हिंग 500 मिली ग्राम, गुड़ 6 ग्राम लें । हिंग में गुड़ मिलालें और माहवारी के दिनों में 5 से 6 दिनों तक रोज़ाना सुबह खाए ।

पेशाब में जलन :-

इस बीमारी में औरत को बड़ी परेशानी होती है और शर्मगाह में खुजली व जलन होती है पेशाब करते वक्त भी जलन महसूस होती है और बे चैनी रहती है ।

नुस्ख़े :-

(1) नीम के ताज़ा पत्ते 125 ग्राम लें, पत्तों को 1 लीटर पानी में उबाल कर छान लें फिर इस पानी में 3 ग्राम भुना हुआ सुहागा ले फिर उसे मिला कर शर्मगाह पर खुजली की जगह को सुबह शाम धोए ।

(2) काफ़ूर 3 ग्राम, गुलाब का पानी 25 मिली लीटर लें, फिर काफ़ूर को पीस कर गुलाब के पानी में घोल लें, एक साफ़ कपड़ा ले कर उस में भिगोए और जलन की जगह रखे । जितनी बार ज़रूरत हो इस अमल को दोहराते रहें ।

निरोध (Condom)

मौजूदा ज़माने में ज्यादा बच्चों को मुसीबत समझा जा रहा है । ज्यादा बच्चे पैदा न हो इस के लिए आज कल निरोध (Condom) कापर-टी, और माला डी, नामी खाने की गोलियाँ, वग़ैरा जैसी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है ।

सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में सहाबा-ए-किराम "अज़ल" किया करते थे ।

अज़ल यानी क्या ?

अज़ल उसे कहते है कि औरत से सोहबत करते वक़्त जब इन्ज़ाल होना (मनी का निकलना) क़रीब हो तो मर्द अपना ऊज़ू-ए-तनासुल (लिंग) औरत की शर्मगाह से निकाल कर मनी बाहर गिरा दें । इस तरह जब मर्द की मनी औरत की शर्मगाह में नहीं गिरती तो हमल ही नहीं ठहरता ।

हदीसों के मुताले (अध्ययन, Reading) से पता चलता है कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में भी लोग औलाद की पैदाईश को रोकने के लिए "अज़ल" किया करते थे । चुनानचे हदीसे पाक में हैं-------

हदीस :- हज़रत जाबिर रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है------

كنّا نعزل على عهد النّبى صلّى الله عليه و سلّم و القران ينزل

"हम नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में अज़ल किया करते थे हालाँकि क़ुरआने करीम नाज़िल हो रहा था"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 126, हदीस नं. 193, सफ़ा नं. 101, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 773, हदीस नं. 1134, सफ़ा नं. 583, इब्ने माजा, जिल्द 1 बाब नं. 618, हदीस नं. 1996, सफ़ा नं. 539, मिशकात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 3046)

इमाम तिर्मिजी रदीयल्लाहो तआला अन्हो फरमाते है---------

"हजरत जाबिर रदीयल्लाहो तआला अन्हो की येह हदीस हसन सही है"।

हजरत जाबिर रदीअल्लाहो तआला अन्हो के इस कौल से मअलूम हुआ कि सहाबा-ए-किराम, अजल किया करते थे और उस जमाने में जबकि कुरआने करीम नाजिल हो रहा था लेकिन कोई ऐसी आयत नही नाज़िल हुई जिस में सहाबा ए-किराम को अज़ल करने से मना कर दिया जाता। चुनानचे "मुस्लिम शरीफ" में इन्हीं हज़रत जाबिर रदीयल्लाहो तआला अन्हो से येह रिवायत नक्ल है कि---------------------

हदीस :- "अज़ल के मुअल्लिक हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को खबर पहुँची लेकिन आप ने हमें मना नही फरमाया"।

(मुस्लिम शरीफ, बहवाला मिशकात शरीफ, जिल्द 2, हदीस नं. 3046, सफा नं. 87)

सैय्यदना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो अपनी तस्नीफ "कीम्या-ए-सआदत" में इरशाद फरमाते है---------

"सही येह ही है कि अज़ल हराम नहीं"।

(कीम्या-ए-सआदत, सफा नं. 267)

हदीस :- मोता "इमाम मालिक" में है----------------

"हजरत आमीर बिन सईद बिन अबी वक्कास ने हजरत सआद बिन अबीवक्कास रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत किया है कि वोह अज़ल किया करते थे"।

عن عامر بن سعد ابن وقّاص
عن ابیه انّه کان یعزل۔

हदीस :- उसी (मोता इमाम मालिक) में है -------

"हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि वोह अज़ल किया करते थे"।

ایّوب الانصاری انّه کان یعزل

हदीस :- उसी (मोता इमाम मालिक) में है हज़रत हमीद बिन कैस मक्की रदीयल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि----------------

"हजरत इब्ने अब्बास रदीयल्लाहो तआला अन्हुमा से अज़ल के बारे में

سئل ابن عبّاس عن العزل
فقال [illegible] یعنی انه یعزل۔

पूछा गया तो उन्हों कहा--"मैं अज़ल करता हूँ" ।

(मोता शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 34, हदीस नं. 96,97,100, सफ़ा 475)

अज़ल करने का मक़सद येह होता है कि हमल न ठहरे (यानी औलाद की पैदाइश को रोका जा सके) इस मक़सद के लिए मर्द अपनी मनी को औरत की शर्मगाह में जाने से रोकता है ।

यही मक़सद निरोध से भी हासिल होता है निरोध यानी रबड़ की थैली (Frunch Lether) जो सोहबत के वक्त मर्द अपने ऊज़ू-ए-तनासुल पर चढ़ा लेते है और सोहबत करते है मनी इस रबड़ की थैली में ही रह जाती है औरत की शर्मगाह में नही पहुँचती ।

चुनानचे इस बुनयाद पर येह कहा जा सकता है जिस तरह अज़ल ना जाइज़ नहीं उसी तरह निरोध का इस्तेमाल भी ना जाइज़ नहीं होगा ! क्योंकि अज़ल और निरोध दोनों से एक ही मक़सद हासिल होता है ।

अहादीस व फ़िक़्ही मसाइल की मुसतनद किताबों में येह बात नक्ल हैं कि अज़ल अपनी बीवी की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकता येह मकरूह हैं ।

हदीस :- इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ और "बयहकी" हज़रत इब्ने अब्बास और इमाम तिर्मिज़ी, हज़रत मालिक बिन अनस रदीअल्लाहो तआला अन्हम से रिवायत लाए हैं कि-----------------

"आज़ाद औरत (यानी बीवी) से बग़ैर उस की इजाज़त के अज़ल मना है"।	نهى عن العزل الحرة الا باذنها

(बयहकी शरीफ़, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 773, हदीस नं. 1134, सफ़ा नं. 583)

हदीस :- हज़रत ऊमर रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है----

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने आज़ाद औरत (जो ग़ुलाम न हो बल्कि बीवी हो) उससे बग़ैर उसकी	نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ايعزل عن الحرة الا باذنها

इजाज़त के अज़ल करने से मना फ़रमाया !

(इब्ने माजा शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 618, हदीस नं. 1997, सफ़ा नं. 539)

इमाम मालिक रदीयल्लल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है------

"कोई अपनी बीवी से अज़ल न करे मगर उसकी इजाज़त से"।

لايعزل الرّجل المراة الحرة الاباذنها-

(मोता शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 34, हदीस नं. 100, सफ़ा नं. 476)

इस से पता चला कि औरत से सोहबत से पहले अज़ल करने की या निरोध के इस्तेमाल की इजाज़त ज़रूरी है । इस की एक वजह येह है कि सोहबत दरअस्ल औरत का हक़ है और ब ज़ाहिर सोहबत वोह ही मानी जाएगी जिस में अज़ल न हो । अब चुँकि मनी शर्मगाह में गिराना नहीं चहता इसलिए औरत से उस की इजाज़त लें और अगर वोह अज़ल या निरोध के इस्तेमाल से इन्कार कर दे तो फिर अज़ल या निरोध का इस्तेमाल नही कर सकता ।

जैसा कि आप ने पढ़ा अज़ल ना जाइज़ नहीं वहीं ऐसी अहादीसे पाक भी मिलती हैं जिस से येह मअलूम होता है कि अज़ल बे कार और ना पसंदीदा काम है । सरकार सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने अज़ल से मना न फ़रमाया लेकिन इसे अच्छा भी नहीं समझा और न ही पसंद फ़रमाया है बल्कि आप ने ज़्यादा औलादें पैदा करने की मुसलमानों को तअलीम फ़रमाई ! (इस का बयान आगे आएगा)

हदीस :- हज़रत **अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद** रदीअल्लाहो तआला अन्हो से अज़ल के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमाया---------

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम ने फ़रमाया--"अगर अल्लाह तआला ने किसी चीज़ के ज़हूर का अहद किया तो पत्थर में छुपी छुपाई हैं

قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلّم الخ قلو انّ شيا اخذ الله ميثا قه استودع صخرة لخرج-

तो वोह ज़रूर निकल कर रहेगी"।

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं. 127, सफ़ा नं. 222)

इस हदीसे मुबारका से मअ़लूम हुआ कि अज़ल से कोई फ़ायदा नही ।

हदीस :- हज़रत **अनस** रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया-----------------"अगर तू उस पानी को जिस से बच्चा पैदा होता है किसी चट्टान पर डाल दें तो अल्लाह तआ़ला चाहे तो उस से भी बच्चा पैदा कर देगा"। *(इमाम अहमद)*

हदीस :- हज़रत **अबू साईद ख़ुदरी** रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि-----"हमें कुछ कैदी औरतें हाथ आई जिन्हें ग़ुलाम बना लिया गया तो हम उनसे अज़ल किया करते थे हम ने अज़ल करने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम से पूछा तो आप ने तीन मरतबा इरशाद फ़रमाया--------------------------------

"तुम अज़ल करते हो ! ऐसी रूह नहीं जो क़ियामत तक आने वाली हो मगर वोह ज़रूर आ कर रहेगी"।

اونکم لقعان قالها ثلثا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الاّ هى كائنة ـ

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 126, हदीस नं. 194, सफ़ा नं. 101, मोता शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 34, सफ़ा 475, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 774, हदीस नं. 1135, सफ़ा नं. 583, अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 126, हदीस नं. 403, सफ़ा नं. 153, इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 539, हदीस नं. 618, सफ़ा नं. 1995)

हदीस :- हज़रत इमाम **नाफ़े** रदीयल्लाहो अन्हो से रिवायत है---

"हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदीअल्लाहो अन्हो अज़ल नहीं करते थे और अज़ल को ना पसंद फ़रमाते थे"।

عن عبدالله بن عمر انه كان يعزل وكان يكره العزل ـ

(मोता शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 34 हदीस नं. 98, सफ़ा नं. 475)

चुनानचे इन हदीसों से साबित होता है कि अज़ल (और इस ज़माने में निरोध, कापर-टी, माला-डी वग़ैरा का इस्तेमाल) बे फ़ुज़ूल

बेकार व ना पसंदिदह काम है । ऐसे बहुत से वाकिआत का सुबूत मिलता है कि बच्चा पैदा न हो उसे रोकने के लिए लोगों की सारी अहतियातें, और तदबीरें धरी की धरी रह गई और हमल ठहर गया और बच्चा भी पैदा हुआ ।

हदीस :- एक शख़्स हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया--"या रसूलुल्लाह ! मेरी एक ख़देमा (कनीज़) है जिस से मै अज़ल करता हूं मै नहीं चाहता कि वोह हमेला रहे"। आप ने फ़रमाया---"तू चाहे तो अज़ल कर ले अगर तक़दीर में है तो खूद ब खूद बच्चा पैदा होगा" । फिर वोह शख़्स कुछ अर्से के बाद हाज़िर हुआ और अर्ज़ कि--"या रसूलुल्लाह ! उसे तो बच्चा पैदा हो गया" । आप ने फ़रमाया---"मै ने तो कह दिया था कि जो कुछ उस के मुक़द्दर में है वोह उस को ज़रूर मिलेगा"।
(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 126, हदीस नं. 406, सफ़ा नं. 154, मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 3047, सफ़ा नं. 88)

इस से पता चला कि अगर तक़दीर में बच्चे लिखे हुए है तो इन्सान कितना भी चाहे दुनिया में आने से नही रोक सकता ।

हकीमों ने लिखा है कि मर्द की मनी के एक क़तरे में लाखों बच्चा पैदा करने वाले कीड़े होते है जो मर्द के ऊज़ू-ए-तनासुल (लिंग) से चिम्टे रह जाते हैं और मर्द इन्ज़ाल करने के बाद फिर सोहबत कर लेते है दूसरी बार सोहबत के दौरान मनी न भी निकले तो वोह पहले सोहबत करते वक्त के वोह कीडे जो मर्द के ऊज़ू-ए-तनासुल से चिम्टे हुए होते है औरत की शर्मगाह में लग जाते हैं और इस तरह भी न चाहते हुए हमल ठहर जाता है और इन्सान की सारी कोशिशें बेकार साबित होती है । लिहाज़ा बेहतर येह है कि निरोध का इस्तेमाल न करे कि यही अफ़ज़ल है ।

हदीस :- मुस्लिम शरीफ़ की एक हदीस में है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-------

"अज़ल करना एक छोटी किस्म का बच्चे को ज़िन्दा ज़मीन में गाड़ देना है"।

ذالک الواد الخفی-

(मुस्लिम शरीफ़ ब हवाला मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 3051, सफ़ा नं. 89, इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 649, हदीस नं. 2082 स. 560)

मस्अला :– आला हज़रत इमाम **अहमद रज़ा खाँ** रदीयल्लाहो तआला अन्हो "फ़तावा-ए-रज़वीया" में फ़रमाते है--------------------

"ऐसी दवा का इस्तेमाल जिस से हमल न होने पाए अगर किसी शदीद शरीअत में क़ाबिले क़ुबूल ज़रूरत के सबब हो तो हर्ज नही वरना सख़्त बुरा व ना पसंदिदह है"।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 निस्फ़ आख़िर, सफ़ा नं. 298)

हकीमों ने लिखा है कि----------------------

हमल न ठहरे इस के लिए सब से ज़्यादा आसान तरीक़ा येह है कि औरत के हैज़ (माहवारी) के शुरू होने से एक हफ़ते पहले और हैज़ से औरत जिस दिन से पाक हो जाए उस के बाद एक हफ़ते तक, इस दौरान सोहबत करने से हमल नही ठहरता और येह दिन महेफ़ूज़ होते हैं क्योंकि इन दिनों में (यानी हैज़ शुरू होने से एक हफ़ते पहले और हैज़ के बाद एक हफ़ते तक) औरत के जिस्म में बैज़ा बच्चा पैदा करने वाले अंड़े (OVA) नही होते । जिस की वजह से बच्चा पैदा न होने के ज़्यादा इम्कानात (Chances) होते है । *(वल्लाहो आलम)*

औलाद के क़ातिल

बच्चे की पैदाइश रोकने के लिए मर्द का नस बन्दी करना और औरत का ऑपरेशन (Operation) कर लेना, या ऐसी दवा का इस्तेमाल करना जिस से बच्चों की पैदाईश हमेशा के लिए बन्द हो जाए इस्लाम में सख़्त ना जाइज़ व हराम व सख़्त गुनाह है ।

आज कल लोगों मे येह ख़्याल हैज़े की बीमारी की तरह फैल रहा है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो खाने पीने की कमी होंगी, ख़र्चे बड़ेगे वग़ैरा वग़ैरा । आह ! अफ़सोस मुसलमानों को अब रब तआ़ला की ज़ात पर भरोसा नही यक़ीनन येह किसी मुसलमान का अक़ीदा नही हो सकता । भला इन्सान की औक़ात ही क्या है कि वोह किसी कों खिलाए और पाले । बे शक हक़ीक़त में हमें पालने और खिलाने वाला अल्लाह तआ़ला ही है । क्या आप ने नहीं देखा कि इन्सान अपनी सारी तदबीरे मुकम्मल कर लेता है लेकिन चन्द दिनों का क़हेत (अकाल, Famine) इन्सान को भूकमरी पर मजबूर कर देता है । इसी तरह कभी कभी ज़्यादा बारिश भी इन्सान के किए कराए पर पानी फेर देती है और हाथ कुछ नहीं आता । तो मअ़लूम हुआ हक़ीक़त में खिलाने वाला सिर्फ़ अल्लाह है ।

हदीस :- रब तआ़ला इरशाद फ़रमाता है-------------

وَمَا مِنْ دَآ بَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

तर्जमा :- और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिस का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे करम पर न हो ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमाम शरीफ़, पारा 12, सूरए हुद, आयत 6)

हदीस :- और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमाता है-------

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ـ

तर्जमा :- और अपनी औलाद को क़त्ल न करो मुफ़लिसी के ड़र से हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी बे शक क़त्ल बड़ी ख़ता है ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 15, सूरए बनी इस्राईल, आयत 31)

लिहाज़ा मअलूम हुआ नस बन्दी या ऑपरेशन कराना सख़्त जहालत और गुमराहीयत है इस से बचना चाहिये ।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदीअल्लाहो तआला अन्हो ने फ़रमाया--"मै ने हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! कौन सा गुनाह सब से बड़ा है ? फ़रमाया--"तू अल्लाह का किसी को शरीक ठहराए हालाँकि उसने तुझे पैदा किया है"। अर्ज़ कि--"फिर कौन सा"? फ़रमाया कि---"तू अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल करे के वोह तेरे साथ खाएगी"।

يا رسول الله اى الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال اى؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يا كل معك.

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 576, हदीस नं. 939, सफ़ा नं. 345)

देखा आपने औलाद को क़त्ल करना कितना बड़ा गुनाह है । काश मुसलमानों को समझ आ जाए और वोह इस क़त्ल गिरी से बचें ।

हदीसे मुबारका में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को बच्चों से बहुत प्यार था और आपने ज़्यादा बच्चे पैदा करने को पसंद फ़रमाया ।

हदीस :- फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम---- "निकाह करो क्योंकि मै बरोज़ क़ियामत तुम्हारे ज़्यादा होने पर दूसरी उम्मतों के मुक़ाबले मे फ़ख्र करूँगा"।

تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم

(मुस्नदे इमाम आज़म, बाब नं.117, सफ़ा नं 208)

हदीस :- सैय्यदना इमाम ग़ज़ाली रदीअल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है कि, हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------ "औलाद की ख़ूशबू जन्नत की ख़ूशबू है"।

(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, सफ़ा नं. 315)

इस बारे में बहुत सी हदीसे है हक़ पसंद के लिए इस क़द्र ही काफ़ी ।

एक्स-रे-या सोनु ग्राफ़ी



अक्सर लोग अपने आप को मॉड्रन (Modern) और तरक्क़ी याफ़्ता कहेलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन यही लोग अपनी हरकतों के एतबार से आज से साड़े चौधा सौ (1450) साल पहले के अ़रब के जाहिलों से भी बड़ कर जाहिल, बल्कि उन से कुछ मामलों में ज़्यादा ही बड़े हुए नज़र आते हैं । अ़रब में हुज़ूर की पैदाइया से पहले "ज़माने ज़ाहलियत" में वहाँ के काफ़िर अपनी लड़कियों को ज़िन्दा ज़मीन के गाड़ देते थे और लड़कों की परवरिश बड़े लाड़, प्यार से करते थे । बस वही काम आज के बुछ पढ़े लिखे कहलाने वाले मॉड्रन जाहिल कर रहे हैं यानी आज कल एक्स रे (X-Rays) सोनू ग्राफ़ी के ज़रिये येह मअ़लूम कर लेते हैं कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की अगर लड़की हो तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है यानी हमल गिरा देते है और अगर लड़का होतो उसे बड़ी ख़ुशी के साथ जन्ते हैं ।

आह ! किस क़दर ज़ालिम है वोह औरतें जो एक नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुला देती है उन औरतों पर अल्लाह की सैकड़ों लअ़नतें जो खूद एक औरत हो कर अपने ही जैसी एक जिन्स (यानी लड़की) को क़त्ल करती है । मुसलमानों होश में आओं क्या येह ज़माने जाहलियत के काफ़िरों व मुश्रिकों की पैरवी नहीं है ? क्या येह एक साफ़ खुला हुआ क़त्ल नही ? ऐसी औरतें यक़ीनन माँ के रिशते पर एक बदनुमा दाग़ है जो अपने पेट में परवान चड़ रही औलाद को सिर्फ़ इस बात की सज़ा देती है कि वोह एक लड़की है । क्या वोह एक लम्हे के लिए भी येह सोचने के लिए तैयार नहीं कि वोह भी तो पहले अपनी माँ के पेट में थी अगर उस की माँ उसे पेट में ही ख़त्म कर देती जिस तरह आज वोह बड़ी आसानी से अपने पेट की औलाद को क़त्ल कर रही है तो क्या वोह आज इस दुनिया में मौजूद होती ।

हदीस :- सहाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदील्लाहो अन्हो अपनी मशहूर किताब "अलअसरा ऊल मेराज" में नक्ल फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया------

"(जब मै सफ़रे मेराज पर गया और मैं ने जहन्नम को देखा तो) मै ने झाड़ों में लटकी हुई औरतें देखी के उन पर खौलता हुआ गर्म पानी ड़ाला जाता तो उन का गोश्त झुलस जाता (और टूकड़ों में गिर पड़ता) मै ने पूछा--"अए जिब्रील (अलैहिस्सलाम) येह कौन औरतें है ? तो उन्हों ने बताया--"या रसूलुल्लाह ! येह वोह औरतें है जो अपनी औलाद के खाने पीने और उन की देख रेख के ख़ौफ़ की वजह से दवाऐं पी कर अपनी औलाद को मार ड़ालती थी" ! *(अल्लाहो अकबर)*

(अलअसरा ऊल मेराज (उर्दू), सफ़ा नं. 23)

हदीस :- हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रिवायत करते है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया-----

ان تجعل للہ ندّا وھو خلقک ثمّ ان تقتل ولدک خشیہ ان یاکل معک -

"सबसे बड़ा गुनाह येह है कि अल्लाह का किसी को शरीक ठहराए फिर उसके बाद का गुनाह येह है कि अपनी औलाद को खाने पीने के ख़ौफ़ से क़त्ल किया जाए"।

(बुख़ारी शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 576, हदीस नं. 939, सफ़ा नं. 345)

रिवायत :- एक रिवायत में है कि, बरोज़े क़ियामत जब हिसाब किताब होंगा तो कुछ ऐसे माँ, बाप भी होंगे जिन के आमाल अच्छे होंगे लिहाज़ा उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा । जब येह लोग जन्नत की तरफ़ जा रहें होंगे तभी कुछ सर कटे बच्चे वहाँ पहुँचेगे जिन के सिर्फ़ धड़ होंगे सर न होंगे उन के धड़ों से आवाज़ आएगी "अए रब्बुल इज़्ज़त ! हमें इन्साफ़ चाहिये" ! रब तआला इरशाद फ़रमाएगा-"हाँ कहो आज इन्साफ़ का ही दिन है" वोह अर्ज़ करेंगे अए अल्लाह येह जन्नत में जाने वाले लोग हमारे माँ, बाप है

और हमें इन से तकलीफ़ पहुँची है" । वोह माँ बाप हैरत से कहेंगे-- "तुम्हें तो हम जानते भी नहीं तुम हमारी औलाद कैसे हो सकते हो"। वोह सर कटे बच्चे जवाब देंगे--"हाँ तुम हमें पहचान भी नही सकते क्योंकि तुम ने हमें देखा ही नहीं हम वही है जिन्हें तुम ने दुनिया में आने से पहले ही मार डाला था और हमल गिरा कर हमारी येह हालत कर दी"। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाएगा--"कहो तुम क्या चाहते हो वोह कहेंगे--"अए हमारे रब ! भला वोह लोग जन्नत में कैसे जा सकते है जिन्होंने हमें इस हाल को पहुँचाया ! चुनानचे हुक्मे रब्बी होंगा इन्हें (माँ, बाप को) जहन्नम में डाल दो और इन बच्चों को दुरूस्त कर के जन्नत में दाख़िल कर दो"-----।

इन हदीसों से और इस रिवायत से वोह फैशन प्रस्त औरतें ईबरत हासिल करे जो जान बूझ कर हमल गिरा देती है । हाँ, हाँ ! अभी तो यहाँ अपनी मन मानी कर लों लेकिन याद रहें इन्साफ़ ज़रूर होंगा और ऐसी अदालत में जहाँ न कोई रिश्वत काम आएगी और न ही किसी वकील की बहेस, यक़ीनन वोह एक ऐसी वाहिद अदालत है जहाँ कभी ना इन्साफ़ी नहीं होती ।



औलाद होने के लिए अमल



जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को बच्चों से बहुत मुहब्बत थी और आप ने बच्चे पैदा करने को पसंद फ़रमाया । लेकिन अफ़सोस आज कल ज़्यादा तर औरतें बच्चे पैदा करने से कतराती है कुछ बेवक़ूफ़ औरतों का ख़्याल है कि बच्चा पैदा करने से औरत की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और वोह मोटी भद्दी और बद सूरत हो जाती है ! येह सब जहालत की बातें, और शैतानी वसवसे है ।

हदीस :- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---------------------------------------

"जो हामला (पेट वाली) औरत हमल की तकलीफ़ को बरदाश्त करती है उसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला सवाब मिलता है और जब उसे बच्चा पैदा होने का दर्द होता है तो हर दर्द के बदले उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है"।

(ग़ुन्यतुत्तालेबीन, बाब नं. 5, सफ़ा नं. 113)

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम, ने इरशाद फ़रमाया---------------------------------------

"काली बच्चे देने वाली मुझ को ज़्यादा पसंद है ख़ूबसूरत बांझ से"।	سوداء ولودٌ احبّ الیّ من حسناء عاقر-

(मुस्नदे इमामे आज़म, बाब नं. 120, सफ़ा नं 211, कीम्या-ए-सआ़दत)

इमाम ग़ज़ाली रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो फ़रमाते है हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------

"औलाद की ख़ूशबू जन्नत की ख़ूशबू है"।

(मुकाशेफ़तुल क़ुलूब, सफ़ा नं. 515)

इस हदीस से येह साबित होता है कि जो बच्चे पैदा करने को अ़येब समझते है वोह जन्नत की ख़ूशबू से महरूम है ।

औलाद न होने की वजूहात :-

कुछ लोगों को औलाद नहीं होती इस की बहुत सी वजूहात हो सकती है मसलन-------------

☆ अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी येही है कि औलाद न हो । चुनानचे इस बात के सुबूत में येह दलील सब से ज़्यादा अहेम होंगी के हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम की कुल ग्यारहा (11)

बीवीयाँ थी लेकिन आप को औलाद सिर्फ़ दो बीवीयों से ही हुई बाक़ी बीवीयों से आप को कोई औलाद न हो सकी, अल्लाह तआला की मर्ज़ी यही थी । येह नहीं कि मआज़ल्लाह हुज़ूर की दूसरी बीबीयों में कोई नुक्स था और न ही मआज़ल्लाह सरकार में, ।

हदीस :- हज़रत इमाम अबूल फ़ज़ल क़ाज़ी अय्याज़ रदीअल्लाहो तआला अन्हो अपनी सनद के साथ हज़रत अनस रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते है-------------------------------

"हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम को क़ुव्वते मर्दाना तीस मर्दों के बराबर अता की गई थी । और हज़रत इमाम ताऊस रदीअल्लाहो तआला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर को चालीस मर्दों की ताक़त अता फ़रमाई गई थी"।

(शिफ़ा शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 2, फ़सल नं. 8, सफ़ा नं. 155)

लिहाज़ा इन तमाम बातों से येह साबित होता है कि औलाद से नवाज़ने वाला हक़ीक़त में अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त ही है वोह जिसे चाहे अता करता है और जिसे न चाहे अता नही करता । उसके अता करने में और महरूम रखने में भी हज़ारों हिकमतें है जिसे वही सब से बेहतर जानता है । अगर वोह देना चाहे तो कोई उसे रोक नही सकता--चुनानचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत सारा रदीअल्लाहो अन्हा को जब अल्लाह ने बेटे (हज़रत इसाक़ अलैहिस्सलाम) से नवाज़ा तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम की उमर 120 साल और हज़रत सारा की उमर 99 साल थी ।

☆ बच्चे न होने की वजह येह भी हो सकती है कि मर्द की मनी में बच्चा पैदा करने वाले कीड़े ही न हो या फिर कमज़ोर हो ।

☆ बचपन या जवानी की ग़लतीयों की वजह से ना मर्द हो चुका हो ।

☆ औरत बान्झ हो, यानी उसकी बच्चादानी में औलाद पैदा करने वाले अन्डे (Ova) न हो ।

☆ औरत की बच्चा दानी का मुँह बन्द हो ।

इस तरह की कई वजूहात हो सकती है जिस की वजह से औलाद की पैदाईश में रूकावट हो सकती है ।

अगर मियाँ, बीवी दोनों ही सेहतमन्द हो तो दो (2) साल के अन्दर पहला हमल क़रार पा जाता है । अक्सर घरों में जब 4 या 5 साल गुज़र जाने पर भी औरत को हमल नहीं ठहरता तो घर की बूढ़ी औरतें औरत को बान्झ समझने लगती है ।

कोई भी औरत हो अगर उसे शुरू ही से हैज़ (माहवारी) का ख़ून हर महीने मुक़र्ररा तारीख़ (Fix Period) पर बग़ैर किसी तकलीफ़ के आता है और कम से कम तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन तक जारी रहता है तो ऐसी औरत को बान्झ नहीं कहा जा सकता । बच्चा न होनी की वजह और कोई दूसरी हो सकती है इस लिए अल्लाह से औलाद के लिए दुआ करे और मर्द व औरत दोनों अपना चेकअप (मुआइना) कराए और इलाज की तरफ़ रूख़ करें । हम यहाँ चन्द वज़ीफ़े नक़्ल कर रहे है जो आसान भी है और इन्शाअल्लाह इस की बरकत से घर में ख़ूशीयाँ भी आएगी ।

हदीस :– हज़रत मौला अ़ली रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो रिवायत करते है कि---

"एक शख़्स रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में आया और अ़र्ज़ किया--"या रसूलुल्लाह ! मेरे घर औलाद नहीं होती"। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--"तो अंडे खाया कर"।

औलाद होंगी या नहीं !

अक्सर बे औलाद, औलाद की ख़्वाहिश में बड़ी बड़ी रक़में बरबाद कर देते है इस लिए दवाओं पर रूपये लगाने से पहले इम्तिहान ज़रूरी है । इसके लिए हम यहाँ एक अ़मल लिख रहे है जिस

से इन्शाअल्लाह पता चल जाएगा कि औलाद क़िस्मत में है या नहीं।
अमल :– औरत को चाहिये कि जुमेरात को रोज़ा रखें, इफ़्तार के वक़्त इतना दूध ले जो पेट भर कर पी सके, फिर सात (7) बार सूरए "मुज़म्मिल" पढ़े। बेहतर येह है कि औरत ख़ूद पढ़े अगर सही न पढ़ सके तो किसी आ़लिम या हाफ़िज़ से पढ़वा कर दूध पर दम करवाए फिर इसी दूध से रोज़ा इफ़्तार करे।

अगर दूध हज़्म हो जाए तो इन्शाअल्लाह औलाद होगी। और अगर दूध हज़्म न हुआ तो (अल्लाह न करे) फिर सब्र करे। यानी औलाद न होगी। लेकिन फिर भी अल्लाह चाहे तो अ़ता फ़रमा सकता है, अल्लाह की क़ुदरत से मायूस न हो कि मायूसी मुसलमान का काम नहीं।

(शम्अ़े शबिसताने रज़ा, जिल्द 1, सफ़ा नं. 31)

औलाद होने के लिए अ़मल :–

अ़मल (1) :– जिस औरत को औलाद न होती हो या हमल न रहता हो तो चाहिये कि वोह सात दिन लगातार रोज़े रखें और इफ़्तार के वक़्त एक गिलास पानी ले कर اَلْمُصَوِّرُ "अल मुसव्विरो" एक्कीस (21) बार पढ़ कर पानी पर दम करे और उसी पानी से इफ़्तार करे। इन्शाअल्लाह सात रोज़ न गुज़रने पाएगे कि हमल रह जाएगा और फ़रज़न्द (लड़का) पैदा होगा।

(वज़ाइफ़े रज़विया, सफ़ा नं. 214)

अ़मल (2) :– जो कोई अपनी बीवी से सोहबत करने से पहले, اَلْمُتَكَبِّرُ "अलमुता कब्बिरो" दस (10) बार पढ़े फिर उस के बाद सोहबत करे तो खुदा उसे फ़रमाबरदार लड़का इनायत करें।

(वज़ाइफ़े रज़वीया, सफ़ा नं. 214)

अ़मल (3) :– अच्छी क़िस्म का एक अनार ले कर उस के चार टूकड़े करे हर टूकड़े पर "सूरए यासीन शरीफ़" पढ़े और उस पर दम

करता जाए । उस के बाद पाव भर किशमिश और पाव भर भुने हुए चने ले कर फ़ातिहा दे, फिर उसे बच्चों में तक़सीम कर दें, और अनार का एक टूकड़ा मर्द खाए और एक औरत खाए रात को सोहबत करे, सुबह बचे हुए वोह दो टूकड़े दोनों मर्द व औरत खा लें और ग़ुस्ल कर के नमाज़े फ़जर अदा करे ।

(शम्अ़े शबिसताने रज़ा, सफ़ा नं. 30)

इन्शाअल्लाह लड़का ही होगा :-

अगर किसी औरत को सिर्फ़ लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होती हो तो उस हालत में लड़के की ख़्वाहिश और ज़्यादा बड़ जाती है फिर कुछ लोग ऐसी हालत में लड़के के लिए रूपये पानी की तरह बहा देते है यहाँ तक के कुछ कम अक्ल जादू टोने और गन्दे इलाज से भी बाज़ नहीं आते ।

हम यहाँ चन्द ऐसे अ़मल लिख रहे है जो जाइज़ और फ़ायदेमन्द व सौ फ़िसद कामयाब है । इन्शाअल्लाह इस से फ़ायदा ज़रूर होगा । लेकिन याद रहे येह अ़मल जब ही करे जब लड़का न हो और बहुँत ज़्यादा लड़कियाँ हो ।

अ़मल (1) :- कच्चे सूती धागे के सात (7) तार ले फिर हर तार औरत की पेशानी के बाल से पांवँ की उंगली तक नाप ले अब सातों धागों को मिला कर उन पर ग्यारह (11) बार "अयतलकुर्सी" इस तरह पढ़े के हर एक बार एक गिठान लगाता जाए और दम करता जाए ग्याराह गिठान बान्धने के बाद इन धागों को औरत की कमर पर बान्ध दे । जब तक बच्चा पैदा न हो जाए हरगिज़ न खोले यहाँ तक कि ग़ुस्ल के वक्त भी जुदा न करे जब हमल ज़ाहिर हो तो घर की पकाई हुई सफ़ेद मीठी चीज़ पर जैसे सफ़ेद मीठा हलवा, पेड़े वग़ैरा पर हुज़ूर सैय्यदना ग़ौसे आज़म व हज़रत शेख़ मुहम्मद अफ़ज़ल कानपूरी

और सैय्यदना आला हज़रत रदीअल्लाहो तआला अन्हुम की फ़ातिहा दिलाए और दो रकअत नफ़िल नमाज़ अदा करे । फिर खड़े हो कर बग़दाद शरीफ़ की तरफ़ मुँह कर के दुआ करे--"या हुज़ूर ग़ौसे आज़म ! मुझे लड़का हुआ तो हुज़ूर की (यानी ग़ौसे पाक की) ग़ुलामी में दे दूँगा और उसका नाम ग़ुलाम मोहियुद्दीन रखूँगा"। इस के बाद यक़ीन रखें कि लड़का ही होगा । इन्शाअल्लाह तआला जब लड़का हो तो वोह धागा माँ की कमर से खोल कर बच्चे के गले में डाले । बच्चे की हर सालगिरह पर एक रूपया एक डब्बे में डालते रहें जब बच्चा 11 साल का हो जाए तो इन 11 रूप्यों की शीरनी या इस में जितना चाहे और रूपये डाल कर नियाज़ दिलाए और उस धागे को किसी महफ़ूज़ जगह दफ़न कर दे ।

(शम्अ़ शबिस्ताने रज़ा, सफ़ा नं. 26)

अ़मल (2) :- हज़रत अबू सुएब हरानी ने इमाम अ़ता रदीअल्लाहो तआला अन्हो से (जो इमामे आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद है) रिवायत किया है कि-------------------------------------

"जो चाहे के उस की औरत के हमल में लड़का हो तो उसे चाहिये कि अपना हाथ अपनी औरत के पेट पर रख कर कहे----

إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا •

दुआ़ :- इन काना ज़क रन फ़क़द सम्मैताहू मुहम्मादा 0

तर्जमा :- अगर लड़का है तो मै ने उस का नाम "मुहम्मद" रखा ।

जब लड़का पैदा हो जाए तो उस का नाम "मुहम्मद" रखें ।

(अहकामे शरीअ़त, जिल्द 3, सफ़ा नं. 83)

अ़मल (3) :- हामला (हमल वाली औरत) के पेट पर सुबह के वक़्त उसका शौहर उन्नीस (19) मरतबा اَلْمُبْدِئُ "अलमुबदीओ" शहादत (सीधे हाथ के अंगूठे से लगी हुई पहली उंगली) से लिखे तो बफ़ज़लेहि तआला हमल गिरने का ख़ौफ़ जाता रहेगा । और जिस का हमल देर

तक रहे यानी महीने से (थोडा) ज़्यादा गुज़र जाए तो उस औरत के पेट पर लिखने से जल्द लड़का पैदा होंगा ।

(वज़ाइफ़े रज़ावीया, सफ़ा नं. 220)

अमल (4) :- इस नक्‌श को ज़अफ़रान से लिख कर हामला औरत अपने पास रखे या कमर में बान्धे । इन्शाअल्लाह लड़का पैदा होगा । वोह नक्‌श येह है-----------------------------



हमल की हिफ़ाज़त :-

अमल (1) :- अगर किसी औरत के कच्चे हमल गिर जाते है तो कुछ काली मिर्च और अजवाइन ले और उसपर सत्तर (70) बार

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۔

(सूरए मोमेनून, पारा 18, आयत 14)

पड़े फिर "सूरए काफ़ेरून" और "सूरए मुज़म्मिल" सात बार और "सूरए अलम नशराह" 11 बार पढ़े अब उन काली मिर्चों और अजवाइन पर दम करे । सात दाने काली मिर्च और थोड़ी अजवाइन औरत को खिलाए जब तक बच्चा पैदा न हो उस वक्‌त तक हर रोज़ येह काली मिर्च और अजवाइन खाते रहे । इन्शाअल्लाह बच्चा सही सलामत पैदा होंगा ।

(शम्ए शबिस्ताने रज़ा, जिल्द 1, सफ़ा नं. 33)

अमल (2) :- सात धागें कच्चे लाल रंग के लें और औरत के क़द के बराबर उन धागों को कर लें फिर उस पर गिठाने लगाता जाए हर गिठान पर येह आयते करीमा-------

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ○ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ
هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۔○

पढ़ कर दम करे इस तरह नव (9) गिठानें बान्धें (इस तरह येह आयत नव मरतबा पढ़ी जाएगी) उस के बाद पेट पर येह धागा बान्ध दें । बच्चा पैदा होने से कुछ घन्टों पहले येह खोल दें ।

(क़ौलुल जमील, सफ़ा नं. 146, शम्अे शबिस्ताने रज़ा, जिल्द 2, सफ़ा नं. 54)

हमल के दौरन अच्छे काम :-

जब औरत हमल (पेट) से हो तो उसे चाहिये कि उन दिनों बेहूदा फ़ुज़ूल बातों, झूट, ग़ीबत, वग़ैरा से बिल्ख़ुसूस बचे । अच्छी दीनी गुफ़्तुगू करे, खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दे ऐसी गिज़ाऐं (खाने) इस्तेमाल करे जो ताक़त पहुँचाने वाली हो । ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुश रहें नमाज़ की पाबन्दी रखें क़ुरआने करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, जिस क़द्र हो सके ख़ूब ख़ूब दुरूद शरीफ़ पढ़े । इन सब बातों का बच्चे पर बड़ा असर पड़ता है ।

हुज़ूर **ग़ौसे आज़म** रदीअल्लाहो तआला अन्हो का वाक़िअ इस बात की दलील है कि----------"हुज़ूर ग़ौसे पाक जब अपनी माँ के शिकमे मुबारक (पेट) में थे तो वोह काम काज करते करते क़ुरआने करीम की आयतें पढ़ती रहती थी आप अपनी वालिदा (माँ) के पेट में ही सुन कर याद कर लिया करते थे । जब आप की वालिदा 14 पारें पढ़ चुकी थी तब ही आप की विलादत (पैदाईश) हो गई । चुनानचे आप 14 पारों के माँ पेट से ही हाफ़िज़ थे बाक़ी बचे हुए पारे आप ने बाद

में उस्ताद से पढ़े । येह हमारे ग़ौसे आज़म की एक अदना सी करामत है । वैसे तो आज कल ऐसी करामत का दोबारा होना मुश्किल नज़र आता है लेकिन इस वाक़िअे में हमारे लिए येह सबक़ ज़रूर है कि माँ को चाहिये कि फ़रमाबरदार, नेक और परहेज़गार औलाद हासिल करने के लिए ख़ुद भी नेक और परहेज़गार बने । क्योंकि माँ की नेकी का औलाद पर बड़ा असर पड़ता है । *(वल्लाहो आलम)*

हमल के दौरान सोहबत करना :-

औरत जब हमल से हो तो उस हालत में सोहबत करना शरीअ़ते इस्लामी की रू से मना नहीं है और इस पर कोई गुनाह भी नहीं ।

लेकिन हकीमों के नज़दीक सोहबत न करना बेहतर है कि सोहबत करने से नये हमल के ठहरने का ख़तरा होता है ।

हदीस :- इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रदीयल्लाहो अन्हो अपनी मुस्नद में हज़रत इब्ने उमर रदीयल्लाहो अन्हो से रिवायत करते है-------

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया हामला (पेट वाली) औरतों से सोहबत की	نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توطا الحبالے حتّی یضعن مافی بطونھن۔

जाए जब तक कि वोह जन न लें अपने पेटों के बच्चे"।

(मुस्नदे इमाम आज़म, बाब नं. 131, सफ़ा नं. 227)

इन हामला औरतों से मुराद जिहाद में क़ैद की गई कनीज़ें है क्यों कि इमामे आज़म से दूसरे तरीक़ से और रिवायत है जिस में حَبَالٰی के साथ من السبی की भी क़ैद है जिस से साबित होता है कि इससे मुराद क़ैद की गई औरतें है येह हुक्म अपनी बीवी के लिए नहीं (यानी अपनी हामला बीवी से सोहबत कर सकता है) । ओलमा-ए-किराम फ़रमाते है कि---"वोह औरत जिस का हमल ज़िना से हो उस से सोहबत जाइज़ नहीं (हाँ जिसका शौहर ख़ुद ज़ानी हो उसे सोहबत करने में हर्ज नहीं)

बच्चा पैदा होने के बाद जब तक बच्चा दूध पीता है उन दिनों तक हकीम हज़रात सोहबत करने से मना करते है । उनके नज़दीक दूध पीते बच्चे की मौजूदगी में बीवी से सोहबत करने से बच्चे को नुक़सान है वोह इस तरह कि बच्चा जन्ने के बाद अगर औरत से सोहबत की जाए तो औरत का दूध ख़राब हो जाता है जिस को पीने से बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है ।

शरीअत भी हमें ऐसी बातें इख़्तियार करने की हिदायत करती है जो हमारे लिए ही फ़ायदे मन्द हो और उन बातों से मना करती है जिस में हमारे लिए ही नुक़सान हो ।

हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--

لاتقتلوا اولادکم سرًافو الذی نفسی بیده ان الغیل لیذرک الفارس علی ظہر فرسه حتی یصرعه۔

"पोशीदा (छुपे) तौर पर अपनी औलाद को क़त्ल न करो क़सम है उस ज़ात की जिसके क़बज़े में मेरी जान है दूध पिलाने के वक़्त में बीवी से सोहबत करना सवार को घोड़े की पीठ पर से गिरा देता है"।

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 198, हदीस नं. 484 सफ़ा 172, इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 649, हदीस नं. 2083, सफ़ा नं. 560)

तहक़ीक़ येह है कि दूध पीलाने के दौरान औरत से सोहबत करना जाइज़ है और इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने नसिहतन मना फ़रमाया है आप का येह इरशाद ना जाइज़ या मुमानियत के दरजे में नहीं ।

इस लिए भी कि अगर औरत के दूध पिलाने की वजह से सोहबत करना ना जाइज़ कर दिया जाता तो मर्दों को इससे तकलीफ़ होती क्योंकि औरत बच्चे को आम तौर पर दो (2) साल तक दूध पिलाती है और मर्द का दो (2) साल अपने आप को औरत से रोकना मुश्किल होता । लिहाज़ा शरीअत ने इसे ना जाइज़ न कहा और सोहबत की इजाज़त दी ।जैसा कि "इब्ने माजा" व "मिश्कात शरीफ़" की दूसरी

एक और हदीस से ज़ाहिर है, वोह हदीस येह है-------------

हदीस :- नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते है-

"मै ने इरादा किया था कि दूध पिलाने वाली औरत से सोहबत करने से मना कर दूँ लेकिन फ़ारसी और रूमी भी इस ज़माने में अपनी बीवीयों से सोहबत करते है तो उनकी औलाद को कोई नुक़सान नही पहुँचता"।

قد اردتّ ان اری عن الغیال فاذا الفارس و الرّوم یغیلون فلا یقتلون اولادھم و سمعة -

(इब्ने माजा, जिल्द 1, बाब नं. 649, हदीस नं. 2082, सफ़ा नं. 560, मिश्कात शरीफ़, जिल्द 2, हदीस नं. 3051, सफ़ा नं. 88)

लेकिन बेहतर येह है कि उन दिनों बार बार सोहबत न करे और न ही ज्यादा सोहबत करे । *(वल्लाहो तआला आलमे)*

आसानी से विलादत के लिए :-

जब औरत के बच्चा जन्ने का वक़्त क़रीब आता है तो उसे दर्द होता है । कभी कभी किसी औरत को इस क़दर ज़्यादा दर्द होता है कि औरत उसे बरदाश्त नही कर पाती और औरत का इन्तेक़ाल भी हो जाता है (अल्लाह महफ़ूज़ रखे) कुछ औरतों का बच्चा आधा बाहर और आधा अन्दर ही अटक जाता है फिर उसे सही सलामत ज़िन्दा निकाल पाना डॉक्टरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और औरत व बच्चे दोनों की जान पर बन आती है । कई बार औरत को दर्द होता रहता है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आता जिसे ऑपरेशन (Opretion) कर के निकालना पड़ता है । हम यहाँ चन्द ऐसे अ़मल नक़्ल कर रहे है जिनको इस्तेमाल में लाने से इन्शाअल्लाह आसानी से बच्चे की पैदाइश होंगी ।

अ़मल (1) :- जब औरत को दर्द शुरू हो तो "मोहरे नुबुवत" और "नअ़लैन शरीफ़" (हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैह व सल्लम की जूतीयों) के अक्स

(तस्वीर) के बारीक तअ्वीज़ औरत मुट्ठी में दाब ले या फिर बाज़ू पर बान्ध ले । इन्शाअल्लाह 5 मिन्ट में बच्चा पैदा होगा ।

(शम्अ़ शबिसताने रज़ा, जिल्द 1, सफ़ा नं. 34)

अ़मल (2) :- जब औरत को बच्चा पैदा होने के वक्त ज़्यादा दर्द हो रहा हो और विलादत (जन्ने) में इन्तेहाई परेशानी हो रही हो तो चाहिये कि येह नक्श ज़अ्फ़रान से लिख कर मोमजामा कर के औरत की रान पर बान्ध दिया जाए और जैसे ही बचा पैदा हो जाए । खोल देना चाहिये । इन्शाअल्लाह इस नक्श की बरकत से तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी । वोह नक्श येह है---------------------------

٣٢٢٧٨	٣٢٢٧١٣	٣٢٢٢٨٠
٣٢٢٧٩	٣٢٢٧٧	٣٢٢٠٧٥
٣٢٢٧٤	٣٠٢٢٨١	٣٢٢٠٧٦

अ़मल (3) :- जिस औरत को बच्चा जन्ने पर दर्द आना शुरू हो जाए (यानी बच्चा पैदा होने का दर्द तकलीफ़ दे) तो किसी पाक कागज़ पर येह आयत लिखे--------------------------------

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ اٰهِيًّا اَشْرَاهِيًّا

और उस कागज़ को पाक कपड़े में लपेटे और औरत की बाएँ रान पर बान्धे इन्शाअल्लाह जल्द बच्चा पैदा होगा ।

(क़ौलूल जमील, सफ़ा नं. 146)

बच्चे की पैदाईश

जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसे पहले ग़ुस्ल दे फिर उस के बाद नाल काटी जाए और जिस क़दर जल्दी हो सके उस के दाहिने (सीधे) कान में अज़ान और बाए (उल्टे) कान में तकबीर कही जाए । चाहे घर का कोई आदमी ही अज़ान और तकबीर कह दें या कोई आ़लिमे दीन या फिर मस्जिद का इमाम कहे । हदीस शरीफ़ में है जो

शख़्स ऐसा करे तो बच्चा बचपन की बीमारियों से महफ़ूज़ रहेंगा फिर अपनी गोद में बच्चे को लिटा कर खजूर या शहेद वग़ैरा कोई भी मीठी चीज़ अपने मुँह में चबा कर या घुला कर उंगली से उस के मुँह में तालू से लगा दे कि वोह चाट लें ।

कोशिश येह की जाए के बच्चे को पहली घुटटी (खजूर, शहेद या कोई भी मीठी चीज़ वग़ैरा) कोई नेक आदमी अपने मुँह में चबा कर अपनी ज़ुबान से पहुँचाए और सब से पहले जो गिज़ा बच्चे के मुँह में पहुँचे वोह खुर्मा हो और किसी बुज़ुर्ग के मुँह का लुआब (झुटा), कि "तफ़सीरे रूहुल बयान" में है कि बच्चे में पहली घुट्टी देने वाले का असर आता है और उसके जैसी आदतें पैदा होती है । और येह सुन्नत भी है ।

हदीसें मुबारका में है कि--- सहाबा-ए-किराम, अपने बच्चों की पैदाईश पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के पास लाते थे और सरकार अपना लुआबे दहन (थूक मुबारक) या दहने मुबारक की कोई चीज़ बच्चे के मुँह में डाल देते ।

(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 166, फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9 सफ़ा 46, इस्लामी ज़िन्दगी, 11)

लड़की के लिए नाराज़गी क्यों !?

कुछ लोग लड़कियों को अपने उपर बोझ समझते है और लड़कियों को हक़ीर व ज़लील जानते है, येह बात इस्लामी तअलीमात के सरासर ख़िलाफ़ है ।

लड़की हो या लड़का दोनों का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है । लड़की भी रब तआला की अज़ीम नेअमत है इसे ख़ूशी ख़ूशी क़ुबूल करना चाहिये । हदीसे पाक में है--------

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदीअल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया-- "जिसे लड़की हो फिर वोह उसे ज़िन्दा दफ़न न करे, न उस को ज़लील समझे और न लड़के को उस पर अहमीयत दे तो अल्लाह तआला उस

को जन्नत में दाख़िल करेगा" ।

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 548, हदीस नं. 1705, सफ़ा नं. 616)

इस हदीस से मअ़लूम हुआ कि बेटे को बेटी से ज़्यादा अहमियत देना मना है बल्कि दोनों के साथ बराबरी का सुलूक करना चाहिये ।

हदीस हज़रत अनस रदीअल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----

"जिस ने दो लड़कियों की परवरिश किया यहाँ तक के वोह बालिग़ हो गई तो मैं और वोह क़ियामत के दिन इस तरह क़रीब होंगे" फिर आप ने अपनी दो उँगलियों को मिला कर बताया ।

من عال جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا وضمابعد۔

(मुस्लिम शरीफ़)

हदीस एक दूसरी हदीस में है कि, हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं------------------------------------

"जिस ने अपनी एक भी लड़की या बहेन की परवरिश की और उसे शराई आदाब सिखाया, उन से प्यार व मुहब्बत से पेश आया और फिर उन की शादी कर दी तो अल्लाह तआ़ला उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल करेगा"।

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 578, हदीस नं. 1706, सफ़ा नं. 617, कीम्या-ए-सआ़दत, सफ़ा नं. 267)

हदीस बुख़ारी, व तिर्मिज़ी शरीफ़, की एक हदीस में है---

"जो लोग अपनी बच्चियों को प्यार व मुहब्बत से परवरिश करेंगे तो वोह बच्चियाँ उन के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगी"।

(बुख़ारी शरीफ़, तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 1279, हदीस नं. 1980, सफ़ा नं. 901)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम के इन इरशादात से मअ़लूम हुआ कि लड़कियों से मुहब्बत करना और उन को पालना, फिर उन की शादी कर देना बड़े सवाब का काम है और रसूले पाक से क़रीब होने का ज़रिया हैं ।

निफ़ास का बयान

वोह खून जो औरत को बच्चा जन्ने के बाद आता है उसे निफ़ास का ख़ून कहते है । ख़ून आने की कम से कम मुद्दत मुक़र्रर नहीं आधे से ज़्यादा बच्चा निकलने के बाद एक लम्हे (पल) के लिए भी ख़ून आया तो वोह निफ़ास है । ज़्यादा से ज़्यादा निफ़ास का ज़माना चालीस (40) दिन, रात है । चालीस दिन, रात के बाद जो ख़ून आए वोह निफ़ास नही इस्तेहाज़ा है ।

मस्अला :—निफ़ास की गिनती उसवक्त से होगी जब बच्चा आधे से ज़्यादा निकल आया । बच्चा पैदा होने के बाद जिस वक्त ख़ून बन्द हो जाए अगर चालीस दिनों के अन्दर फिर न आए तो उसी वक्त से औरत पाक हो जाती है, मसलन सिर्फ़ एक मिन्ट भर ख़ून आया फिर न आया तो बच्चा पैदा होने के उसी एक मिन्ट तक ना पाकी थी फिर पाक हो गई, नहा के नमाज़ पढ़े (अगर रमज़ान हो तो) रोज़ा रखें फिर अगर चालीस दिनों के अन्दर ख़ून न आया तो येह नमाज़ रोज़े सब सही हो गए और अगर फिर आ गया तो नमाज़ रोज़े फिर छोड़ दे । अब पूरे चालीस दिन या उस से कम पर जा कर बन्द हुआ तो बच्चे की पैदाइश से उस वक्त तक सब दिन निफ़ास के समझे जाएँगे वोह नमाज़े जो पढ़ी बेकार हो गई (लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा नही) और फ़र्ज़ रोज़े थे तो क़ज़ा रखे जाएँगे ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, निस्फ़ आख़िर, सफ़ा नं. 153)

मस्अला :— अगर किसी को चालीस दिन से ज़्यादा ख़ून आया तो अगर उस को पहली बार बच्चा पैदा हुआ है तो चालीस दिन निफ़ास के और बाद के दिन इस्तेहाज़ा के है ।

इसी तरह किसी को याद नहीं के इस से पहले बच्चा पैदा होने के कितने दिनों तक ख़ून आया था तो इस सूरत में चालीस दिन, रात निफ़ास के और उस के बाद के इस्तेहाज़ा के है ।

अगर किसी औरत को तीस दिन, की आदत थी (यानी इस से पहले वाले बच्चे की पैदाइश पर तीस दिन ख़ून आया था) लेकिन इस बार चालीस दिन, रात आया तो तीस दिन निफ़ास के समझे और बाक़ी के दस दिन इस्तेहाज़ा के हैं ।

मस्अला :— बच्चा पैदा होने से पहले जो ख़ून आया वोह निफ़ास नही इस्तेहाजा है । हमल गिरने से पहले कुछ ख़ून आया कुछ हमल गिरने के बाद तो हमल गिरने से पहले का ख़ून इस्तेहाज़ा है और हमल गिरने के बाद का ख़ून निफ़ास है । लेकिन जब के बच्चे का कोई उज़्व (जिस्म का कोई भी हिस्सा) बन चुका हो वरना पहले वाला हैज़ हो सकता है तो हैज़ है नही तो इस्तेहाज़ा है ।

मस्अला :—चालीस दिन के अन्दर कभी ख़ून आया कभी नही तो सब निफ़ास ही है चाहे पंद्रह (15) दिनों का फ़ासला (Gap) हो जाए ।

मस्अला :— निफ़ास के ख़ून का रंग लाल, काला, हरा, पीला, मिट्टी के रंग जैसा गदेला (कीचड़ के रंग जैसा) वग़ैरा भी हो सकते हैं ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 52, 53)

मस्अला :— निफ़ास वाली औरत को नमाज़ पढ़ना; रोज़ा रखना हराम है इन दिनों में नमाज़े मुआफ़ है और उन की क़ज़ा भी नही । अलबत्ता फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है । इसी तरह निफ़ास वाली औरत को क़ुरआने मजीद पढ़ना देख कर हो या ज़ुबानी, और इस का छूना चाहे उस के हाशिये को उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा ही लगें, येह सब हराम है इसी तरह दीनी किताबों का छूना भी हराम है । क़ुरआने करीम के अलावा तमाम वज़ीफ़े, दुरूद शरीफ़ कलमा शरीफ़ वग़ैरा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं ।

मस्अला :—हालते हैज़ (माहवारी) में जिस तरह सोहबत करना हराम है उसी तरह इस में भी (यानी हालते निफ़ास मे भी) सोहबत करना सख़्त हराम व गुनाहे कबीरा है । लेकिन निफ़ास वाली औरत के साथ खाने पीने और बोसा (चुम्मन) लेने में हर्ज नहीं । *(वल्लाहो आलम)*

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 54)

कुछ रस्में

बच्चे की पैदाईश के मौक़े पर अलग अलग मुल्कों में तरह तरह की रस्में है मगर चन्द रस्में ऐसी है जो तक़रीबन किसी क़दर थोड़े फ़र्क़ से हर जगह पाई जाती है । जैसे----------

लड़का पैदा हुआ तो छे रोज़ तक ख़ूब ख़ुशियाँ मनाई जाती हैं औरतें मिल कर ढ़ोल बजाती है, येह सब हराम है । ख़ुशी मनाने की शरीअ़त में मनाई नहीं लेकिन ख़िलाफ़े शरअ़ काम करने से ज़रूर बचना चाहिये ।

पैदाईश के दिन लड्डू या कोई मीठाई तक़सीम करना, सदक़ा ख़ैरात करना कारे सवाब है मगर बिरादरी के ड़र से और नाक कटने के ख़ौफ़ से मीठाई तक़सीम करना बे फ़ायदा है और अगर सूद पर क़र्ज़ ले कर येह काम किया तो आख़िरत का गुनाह भी । इस लिए इन रस्मों को बन्द करना चाहिए ।

एक रस्म येह भी है कि औरत के मैके के लोग अपने दामाद को अईर करते है जिसमें कपड़े के जोडें, बच्चें को झूला और कुछ नगदी रूपये व ज़ेवर देते है । अक्सर देखा गया है कि मालदार लोग येह सब ख़र्च बरदाश्त कर लेते है लेकिन ग़रीब लोग इन रस्मों को पूरा करने के लिए सूद पर क़र्ज़ लेते है अगर बच्चा पैदा होने पर किसी औरत के मैके वाले येह रस्में पूरी न करें तो सास व नन्दों के ताने सहने पड़ते हैं और घर में खाना जंगी शुरू हो जाती है लिहाज़ा ज़रूरी व बेहतर है कि इन रस्मों को मुसलमान छोड़े ताकि फ़ुज़ूल ख़र्ची से भी बचा जा सके और ना इत्तेफ़ाकियों का दरवाज़ा भी बंद हो जाए

आम तौर पर लोग अक़िक़ा नहीं करते बल्कि "छट्टी" करते है । छट्टी येह है कि बच्चे कि पैदाईश के छटे रोज़ रात को औरतें जमा हो कर मिल कर गाती बजाती है फिर जच्चा को बाहर ला कर तारें दिखा कर गाती है फिर मीठें चावल तक़सीम किए जाते

है येह भी मशहूर है कि औरत का पहला बच्चा उसके मैके में ही पैदा हो और सारा ख़र्च औरत के माँ बाप बरदाशत करें अगर वोह ऐसा न करें तो सख़्त बदनामी होती है ।

छट्टी करना, और दिगर इस तरह कि रस्में जो हम ने उपर बयान कि वोह ख़ालिस हिंदुओं की रस्में है जो उन्होंने अक़ीके के मुक़ाबले में ईजाद की है ।

लड़की लड़के का अक़ीक़ा करना सुन्नत है और सुन्नत इबादत है और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम से साबित है अपनी तरफ़ से इस में रस्में दाख़िल करना फ़ुज़ूल है लिहाज़ा बेहतर है कि मुसलमान इन रस्मों को छोड़ कर अल्लाह और उसके रसूल की ख़ूशनुदी हासिल करें ।

अगर बच्चे की पैदाईश पर मीलाद शरीफ़ या वअज़ शरीफ़ या फ़ातिहा कर दी जाए तो बहुत अच्छा है इसके सिवा तमाम रूसुमात बंद कर देना चाहिये । *(इस्लामी ज़िन्दगी)*

अक़ीका :-

बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह के शुक्र में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसे अक़ीक़ा कहते है । अक़ीक़ा करना सुन्नत है ।

सुन्नत तरीक़ा येह है कि बच्चे की पैदाईश के सातवें (7) रोज़ अक़ीक़ा हो और अगर न हो सके तो पन्द्रवें (15) दिन या एक्कीसवें (21) रोज़ या जब भी हैसीयत हो करे, सुन्नत अदा हो जाएगी ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1 सफ़ा नं 160 इस्लामी ज़िन्दगी 17)

लड़के के लिए दो बकरे और लड़की के लिए एक बकरी ज़बह करे । लड़के के लिए बकरा और लड़की के लिए बकरी ज़बह करना बेहतर है । अगर लड़का लड़की दानों के लिए बकरा या बकरी भी ज़बह करे तो हर्ज नहीं ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 160)

लड़के के लिए दो बकरे न हो सके तो एक बकरे में भी अक़ीक़ा कर सकते है । इसी तरह अगर गाये, भैस ज़बह करे तो लड़के के लिए दो हिस्से और लड़की के लिए एक हिस्सा हो ।

अक़ीक़े के जानवर के लिए भी वही शर्ते है जो क़ुरबानी के जानवर के लिए ज़रूरी है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 160)

अक़ीक़े के जानवर के तीन हिस्से किये जाए । एक हिस्सा ग़रीबों को ख़ैरात कर दे दूसरा हिस्सा दोस्त व रिश्तेदारों में तक़सीम करे और तीसरा हिस्सा ख़ूद रखें ।

(इस्लामी ज़िन्दगी सफा नं 17)

अक़ीक़े का गोश्त ग़रीबों फ़क़ीरों, दोस्त व रिश्तेदारों को कच्चा तक़सीम करे या पका कर दे या फिर दावत कर के खिलायें सब सूरतें जाइज़ है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 160)

अक़ीक़े का गोश्त माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वग़ैरा सब खा सकते है ।

अक़ीक़े के जानवर की खाल अपने काम में लाए, ग़रीबों को दे या मदरसा या मस्जिद में दें । यानी इस खाल का भी वही हुक्म है जो क़ुरबानी की खाल का हुक्म है ।

(क़ानूने शरीअत, जिल्द 1. सफ़ा नं. 160)

बेहतर है कि अक़ीक़े के जानवर की हड्डीयाँ तोड़ी न जाए बल्कि जोड़ों से अलग कर दी जाए और गोश्त वग़ैरा खा कर ज़मीन में दफ़न कर दी जाए ।

(किम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं. 267, इस्लामी ज़िन्दगी, सफ़ा नं. 17)

नेक फ़ाल के लिए हड्डी न तोड़ना बेहतर है और तोड़ना भी ना जाइज़ नही ।

(कानूने शरीअत, जिल्द [illegible] सफ़ा नं 160)

अक़ीके़ में बच्चे के सर के बाल मुंड़वाए और उस के बालों के वज़न के बराबर चांदी या (हसीयत हो तो) सोना सदक़ा करे ।

(कीम्या-ए-सआदत, सफ़ा नं 267)

हदीस :- इमाम मुहम्मद बाक़र रदीयल्लाहो अन्हो से रिवायत है-रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की साहबज़ादी हजरत फ़ातमा ने इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत जैनब और हजरत उम्मे कुलसूम (रदीअल्लाहो तआला अन्हुम) के बाल उतरवा कर उन के वज़न के बराबर चांदी ख़ैरात फ़रमाई ।

(मोता इमाम मालिक, जिल्द 1, बाब किताबुल अक़ीक़ा, हदीस नं. 2, सफ़ा नं. 402)

अक़ीक़ा फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है सिर्फ़ सुन्नते मुस्तहेबा है ग़रीब आदमी को हरगिज़ जाइज़ नहीं कि सूद पर क़र्ज़ ले कर अक़ीक़ा करे क़र्ज़ ले कर तो ज़कात भी देना जाइज़ नहीं अक़ीक़ा ज़कात से बड़ कर नहीं । *(इस्लामी ज़िन्दगी, सफ़ा नं. 18)*

अक़ीके़ के जानवर को ज़बह करते वक़्त की दुआएँ बहुत से मसाईल की किताबों में आई है लिहाज़ा वोह दुआएँ वही देखे ।

ख़तना :-

लड़कों की ख़तना करना सुन्नत है और येह इस्लाम की अलामत है मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम में इससे फ़र्क़ होता है । रसूले ख़ुदा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया---"हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़तना किया तो उस वक़्त उन की उम्र शरीफ़ अस्सी (80) बरस की थी"।

ख़तना का सुन्नत तरीक़ा येह है कि बच्चा जब सात (7) साल का हो जाए उस वक़्त ख़तना करा दिया जाए ख़तना कराने की उम्र सात (7) साल से ले कर बारह (12) बरस तक है । यानी बारह (12) बरस से ज़्यादा देर लगाना मना है और अगर सात साल से पहले

ख़तना कर दिया जब भी हर्ज नहीं । ख़तना कराना बाप का काम है, वोह न हो तो फिर दादा, मामू, चचा, कराए ।

ख़तना करने से पहले नाई की उजरत तय होना ज़रूरी है जो कि उसको ख़तना के बाद दी जाए इलाज में ख़ास निगरानी रखी जाए तजरूबेकार नाई से ख़तना कराया जाए ।

ख़तना सिर्फ़ इस काम का ही नाम है बाक़ी येह धूमधाम से बारात निकालना, रिश्तेदारों को फ़ुज़ूल में कपड़ों के जोड़ें देना, गाने बाजे और लाईटींग वग़ैरा सब फ़ुज़ूल काम है और फ़ुज़ूल ख़र्ची इस्लाम में हराम है येह सब मुसलमानों की कमज़ोर नाक ने पैदा कर दिये है जिसे बचाने के लिए क़र्ज़ तक लेते है और क़र्ज़ दार बन कर बाद को परेशानी मोल लेते है । लिहाज़ा इन सब चीज़ों को बंद किया जाए ।

आयत :- अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फ़रमाता है---------

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

तर्जमा :- और फ़ुज़ूल ना उड़ा, बे शक उड़ाने वाले शैतानों के भाई है

(तर्जमा :- कन्ज़ुल इमान, पारा 15, सूरए बनी इस्राईल, आयत 26)

कान नाक छेदना :-

लड़कियों के कान नाक छीदवाने में कोई हर्ज नहीं इसलिए की हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़माने ज़ाहिरी में भी औरतें कान छीदवाती थी और हुज़ूर ने इससे मना नहीं फ़रमाया ।

(फ़तावा-ए-रज़वीया, जिल्द 9, निस्फ़ अव्वल, सफ़ा 57, क़ानूनेशरीअत, जिल्द 1, सफ़ा 213)

एक रिवायत में है कि----"सब से पहले नाक कान हज़रत सारा रदीयल्लाहो तआला अन्हा ने हज़रत हाजरा रदीयल्लाहो तआला अनहा के छेदे थे हज़रत सारा व हज़रत हाज़रा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवीयाँ थी । जब से ही औरतों में कान नाक छीदवाने का रिवाज चला आ रहा है ।

(वल्लाहो तआला आलम)

कुछ लोग किसी मन्नत के लिए या फिर फिरंगी फ़ैशन के लिए लड़कों के कान छेद देते हैं । येह सख़्त ना जाइज़ व हराम व सख़्त गुनाह है और ऐसी मन्नत की शरीअ़त में कोई हैसियत नहीं, यक़ीनन अल्लाह व रसूल इस से नाराज़ होते हैं । इसलिए मुसलमानों को इस से बचना चाहिये ।

काला टीका लगाना :-

हमारा और आप का येह मुशाहेदा है कि घर की औरतें अपने छोटे बच्चों को किसी कालक, काजल, या सुरमें वग़ैरा से उनके गाल पर काला टीका (छोटा सा नुक़्ता) लगाती हैं ताकि किसी की बुरी नज़र न लगे । येह बेअस्ल बात नहीं है, नज़र का लगना हदीस से साबित है यानी बुरी नज़र लगती है । चुनानचे हदीसे पाक में है---

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है-------------------------------------

"नज़र का लगना ठीक है अगर कोई चीज़ तक़दीर पर ग़ालिब होती है तो नज़र ग़ालिब होती है"।

(मोता शरीफ़, जिल्द 1, बाब किताबुल ऐन, हदीस 3, सफ़ा 782, क़ौलुलजमील, सफ़ा 150)

हदीस :- एक रिवायत में है कि हज़रत ऊसमाने ग़नी रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो ने एक ख़ूबसूरत बच्चे को देखा तो फ़रमाया---- "इस की थुड्डी में काला टीका लगा दो कि इसको नज़र न लगे"।

(क़ौलुल जमील, सफ़ा नं. 153)

"तिर्मिज़ी शरीफ़" की एक रिवायत से साबित है कि काला टीका लगाना बच्चों को बुरी नज़र से बचाता है । *(वल्लाहो आलम)*

बच्चे की परवरिश

बच्चे की परवरिश का हक़ माँ को है चाहे वोह निकाह में हो या निकाह से बाहर हो गई हो । हाँ अगर मुरतद (यानी दीने इस्लाम से फिर कर काफ़िर) हो गई तो परवरिश नहीं कर सकती, या ज़िना करने वाली (तवाएफ़) हो या चोर या मातम यानी चीख़ चीख़ कर रोने वाली है तो उसकी भी परवरिश में बच्चे को न दिया जाएगा । यहाँ तक कि कुछ फ़ुक़ाह-ए-किराम ने फ़रमाया है कि---"अगर औरत नमाज़ की पाबन्द नहीं तो उसकी भी परवरिश में न दिया जाएगा"। मगर सही येह है कि बच्चा उसकी परवरिश में उस वक़्त रहेगा जब तक ना समझ है, और जब कुछ समझने लगे तो अलग कर लिया जाए इसलिए कि बच्चा माँ को देख कर वही आदतें इख़्तियार करेगा जो माँ की है । यूँ ही उस माँ की परवरिश मे भी नही दिया जाएगा जो बच्चे को छोड़ कर इधर उधर चली जाती हो चाहे उसका जाना किसी गुनाह के लिए न हो ।
(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 7, सफ़ा नं. 19, इस्लामी ज़िन्दगी, सफ़ा नं. 23)

बच्चे को दूध पिलाना :-

मस्अला :–लड़की हो या लड़का दानों को दूध दो साल तक पिलाया जाए । माँ बाप चाहे तो दो साल से पहले भी दूध छूड़ा सकते है मगर दो साल के बाद पिलाना मना है ।
(बहारे शरीअत, जिल्द 1, हिस्सा नं. 7, सफ़ा नं. 19,)

अक्सर देखा गया कि कुछ औरतें येह समझती है कि बच्चों को अपना दूध पिलाने से औरत की ख़ूबसूरती ख़त्म हो जाती है, इसलिए वोह अपना दूध नहीं पिलाती बल्कि गाय, भैस, का दूध या फिर कई महीनों से पड़े हुए पवड़र का दूध पिलाती हैं ।

येह सख़्त जहालत और उस बेक़ुसूर बच्चे के साथ ना

इन्साफ़ी है हाँ अगर किसी औरत को कम दूध आ रहा हो या आ ही नही रहा हो तो उस हालत में औरत को अपना इलाज कराना चाहिये ।

हदीस :- हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रदीयल्लाहो तआला अन्हो अपनी मशहूर ज़माना किताब "शरहुस्सुदूर" में हज़रत अबू उमामा रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------------------

"(मेराज की रात) मैं ने कुछ औरतें ऐसी भी देखी जिन के पिस्तान (स्थन) लटके हुए थे और सर झुके हुए थे । उन के पिस्तानों को साँप डस रहे थे । जिब्रील (अलैहिस्सलाम) ने मुझे बताया--या रसूलुल्लाह ! येह वोह औरतें है जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी"।

(शरहुस्सुदूर, बाब "अज़ाबे क़ब्र के बयान में" सफ़ा नं. 153)

डॉक्टरों की तहकीक़ से येह बात साबित हो चुकी हैं कि माँ का ही दूध उसके बच्चे के लिए सब से ज़्यादा मुफ़ीद होता है और बच्चे को दूध पिलाने से औरत में न किसी क़िस्म की कमज़ोरी आती है और न ही उसकी ख़ूबसूरती पर कोई फ़र्क़ पडता है ।

मुशाहेदा है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते है वोह ज़्यादा सेहतमन्द और तन्दुरूस्त रहते हैं, जबकि जो बच्चे अपनी माँ के दूध से महरूम रहते है वोह कमज़ोर होते है और तरह तरह की बीमारियों में हमेशा गिरफ़्तार रहते है ।

हदीस :- उम्मुलमोमेनीन हज़रत आएशा सिद्दीक़ा रदीयल्लाहो तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------------------------------

"जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जब बच्चा माँ के पिस्तान से दूध की चुस्की लेता है तो हर चुस्की के बदले उस औरत को एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब दिया जाता है । जब औरत बच्चे का दूध छूड़ाती है तो आसमान से निदा आती है कि अए औरत ! तेरी पिछली ज़िन्दगी के सारे गुनाह मुआफ़ कर दि[illegible]

अब तू नये सिरे से नेक ज़िन्दगी शुरू कर" ।

(गुन्यतुतालेबीन, बाब नं. 5, सफ़ा नं. 113)

बच्चे का नाम :-

बच्चे की पैदाइश के सात रोज़ बाद बच्चे का नाम रखा जाए, बच्चा चाहे ज़िन्दा पैदा हो या मरा हुआ, पुरा बना हो या अधूरा, हर सूरत में उसका नाम रखा जाएगा, और क़ियामत के दिन उसका हश्र होगा । (क़ानूने शरीअत, जिल्द 2, सफ़ा नं. 125)

बुज़ुर्गाने दीन फ़रमाते है-----------------------

"अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो कि अच्छे नामों का असर बच्चों पर पड़ता है और बुरे नाम का बुरा असर पड़ता है ।

सय्यदना आला हज़रत इमामा अहमद रज़ा खॉ रदीयल्लाहो तआला अन्हो फ़रमाते है-----------------------

"फ़क़ीर ने आपनी ऑखों से ख़ूद देखा है कि बुरे नामों का सख़्त बुरा असर बड़ता है"। (अहकामे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 76)

हदीस :- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व. सल्लम फ़रमाते है-----

"अम्बिया-ए-किराम के नामों पर नाम रखों"।	تسموا باسماء الانبیاء۔

(बुख़ारी शरीफ़, अबूदाऊद शरीफ़, नसाई शरीफ़)

अहादीसे करीमा में "मुहम्मद" नाम रखने की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत आई हैं, हम यहॉ सिर्फ़ चन्द हदीसें ही बयान कर रहे है ।

हदीस :- हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है-----------------------

"अल्लाह तआला ने मुझे से फ़रमाया--"मुझे अपने ईज़्ज़त व जलाल की क़सम जिस का नाम तुम्हारे नाम पर होंगा उसे दोज़ख़ का अज़ाब न दूँगा"।	قال اللّٰہ تعالٰی و عزتی و جلالی لا عذبت احد اتسمی باسمک فی النّار۔

(ब हवाला अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 81)

हदीस :- इमाम मालिक रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो फ़रमाते है----

"जिस घर वालों में कोई मुहम्मद नाम का होता है उस घर की बरकत ज़्यादा होती है"।

ما كان فی اهل بيت اسم محمد الا كثرت بركته ـ

(ब हवाला अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 83)

हदीस :- हुज़ूर सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है

"जिसे लड़का पैदा हो और वोह मेरी मुहब्बत और मेरे नामे पाक से तबर्रूक के लिए उसका नाम मुहम्मद रखे वोह और उसका लड़का जन्नत में जाएगे"।

من ولد له مولود فسماه محمدا حبّالی و تبرکا باسمی کان هو و مولوده فی الجنة ـ

(ब हवाला अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 80)

हदीस :- और फ़रमाते सरकार सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम

"जिस के तीन बेटे पैदा हो और वोह उनमें से किसी का नाम मुहम्मद न रखे तो ज़रूर जाहिल है"।

من ولد له ثلثه اولا فلم يسم احدا منهم محمد فقد جهل ـ

(तबरानी शरीफ़, ब हवाला अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 83)

हदीस :- और फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम

"तुम में किसी का क्या नुक़सान है अगर उसके घर में एक मुहम्मद या दो मुहम्मद या तीन मुहम्मद हो"।

ماضر احد کم لو کان فی بیته محمد و محمدان و ثلثه ـ

(ब हवाला अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 82)

आला हज़रत रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो इस हदीस को नक़्ल करने के बाद फ़रमाते है---------------"फ़क़ीर ने अपने सब बेटों, भतीजों का अ़क़ीक़े में सिर्फ़ मुहम्मद नाम रखा । फिर नाम की तअ़ज़ीम के लिए और पुकारने के लिए अलग अलग नाम रखे । बहमदुलिल्लाहि तआ़ला फ़क़ीर के यहाँ पाँच (5) मुहम्मद अब भी मौजूद है"।

(अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 82)

हमें भी चाहिये की अपने बच्चों के सिर्फ़ "मुहम्मद" नाम रखे और घर में पहचान और पुकारने के लिए दूसरे नाम रख दें, लेकिन याद रहे वोह पुकारने के नाम भी इस्लामी ढंग के हो ।

अफ़्सोस ! आज कल लोग अपने बच्चों के नाम फ़िल्मी हीरो हीरोइन या फिर किसी फिरंगी के नाम से मुतासिर (प्रभावित) हो कर रखते है जैसे---टिंकू, पिंकू, रिंकू, चींकू, मींकू, चीकू, कल्लू, लल्लू, भूरू, राहूल, काजोल, मीना, टीना, बीना, लीना, और न जाने क्या क्या बकवास नाम ।

हदीस :- प्यारे आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम इरशाद फ़रमाते है---

"बेशक तुम रोज़े क़ियामत अपने नामों और अपने बापों के नामों से पुकारे जाओगें, तो अपने नाम अच्छे रखा करो"।

انکم تدعون یوم القیمۃ باسما بکم و اسماء ابائکم فاحسنوا اسماء کم -

(इमाम अहमद, अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 485, हदीस नं. 1513, सफ़ा नं. 550)

इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी का नाम टीकू होंगा तो उसे रोज़े क़ियामत टींकू के नाम से पुकारा जाएगा । आह ! उस वक़्त किस क़दर शर्मीन्दगी होगी, आज वक़्त है जिन्हों ने अपने बच्चों के नाम ऐसे बेहूदा रखे है वोह आज से ही उसे तबदील कर दें और अच्छा सा कोई इस्लामी नाम रख लें । हदीसे पाक में है----

हदीस :- "नबी-ए-करीम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम की आदते करीमा थी कि आप बुरे नाम को बदल दिया करते थे"।

ان النّبی صلّی اللّٰہ علیہ و سلّم کان یغیر الاسم القبیح -

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 2, बाब नं. 335, हदीस नं. 746, सफ़ा नं. 301, अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 486, हदीस नं. 1517, सफ़ा नं. 551)

अक्सर मुसलमान ऐसे नाम रखते हैं कि जो बज़ाहिर तो अच्छे मअ़लूम होते है लेकिन या तो हराम है या फिर ऐसे कि जिनके कोई मअ़ने नहीं होते ।

इमामे अहले सुन्नत आला हज़रत रदीयल्लाहो तआला अन्हो ने अपने फ़तवे में ऐसे बहुत से नामों के बारे में लिखा है जो नहीं रखना चाहिये । हम यहाँ मुख़्तसर तौर पर कुछ का ज़िक्र कर रहे है ।

आला हज़रत फ़रमाते है--------------------

"मुहम्मद नबी, अहमद नबी, नबी अहमद, येह नाम रखना हराम है कि येह हुज़ूर सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम के लिए ही ज़ेबा (लायक़) है"। *(अहकामे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 73)*

"यूँ ही यासीन, ताहा, नाम रखना मना है । येह ऐसे नाम है जिनके मअ़नी मअ़लूम नहीं इन नामों के आगे "मुहम्मद" लगाने से भी फ़ायदा नहीं होगा कि अब भी यासीन, व ताहा, न मअ़लूम माअनों में रहें"। *(अहकामे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 74)*

"ग़फ़ूरूद्दीन, नाम भी सख़्त बुरा और अ़येबदार है । ग़फ़ूर के मअ़ने "मिटाने वाला, बरबाद करने वाला" के होते हैं, ग़फ़ूर अल्लाह का नाम है और अल्लाह अपनी रहमत से बन्दों के गुनाह मिटाता है (अब अगर किसी शख़्स का येह नाम हो तो) ग़फ़ूरूद्दीन के मअ़ने हुए "दीन का मिटाने वाला" येह ऐसे ही हुआ जैसे शैतान नाम रखना "।

(अहकामे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 76)

"इसी तरह कलब अ़ली, कलब हसन, कलब हुसैन, ग़ुलाम अ़ली, ग़ुलाम हसन, ग़ुलाम हुसैन, वग़ैरा नामों से पहले "मुहम्मद लगाना" जाइज़ नहीं । (जैसे मुहम्मद कलब अ़ली, या मुहम्मद ग़ुलाम अ़ली वग़ैरा येह जाइज़ नहीं) अगर सिर्फ़ कलब अली, कलब हसन, ग़ुलाम अली, ग़ुलाम हसन वग़ैरा ही रहने दे तो कोई हर्ज नहीं"।

(अहकामे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 77)

"इसी तरह निज़ामुद्दनी, मोहीयूद्दीन, शमसुद्दीन, बदरूद्दीन, नूरूद्दीन, फ़ख़रूद्दीन, शमसुल इस्लाम, मोहियुल इस्लाम, बदरूल इस्लाम, वग़ैरा नामों को ओलमा-ए-किराम ने सख़्त ना पसंद रखा और मकरूह व मम्नुअ़ (मना) फ़रमाया कि येह बुज़ुर्गाने दीन के नाम नहीं बल्कि उनके

अलक़ाब (पदवी, Honourable Names) हैं जिस से मुसलमानों ने उनकी तअरीफ़ में इन्हीं लकबों से याद किया"।

(अहकामे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ा नं. 77)

"अ़ली, हुसैन, ग़ौस, जीलानी, और इस तरह के तमाम नाम जो बुज़ुर्गाने दीन के नाम हैं उन नमों से पहले लफ़्ज़ "ग़ुलाम" हो तो बेशक जाइज़ है"। (जैसे ग़ुलाम अ़ली, ग़ुलाम हुसैन, ग़ुलाम ग़ौस, ग़ुलाम जीलानी, वग़ैरा)

(अहकामे शरीअ़त, जिल्द 1, सफ़ा नं. 77)

"अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल करीम, अबदुल रहीम, वग़ैरा नाम और अम्बिया-ए-किराम व सहाबा-ए-किराम के नामों पर नाम रखना अच्छा हैं।

हदीस :- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदीयल्लाहो तआ़ला अन्हो से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लाहो तआ़ला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया---

"अल्लाह तआ़ला को तमाम नामों में से अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान सब से ज़्यादा पसंद है"।	احبّ الاسماء الی اللّٰہ عزّ وجل عبداللّٰہ عبد الرّحمن ـ

(अबूदाऊद शरीफ़, जिल्द 3, बाब नं. 485, हदीस नं. 1513, सफ़ा नं. 550)

और ऐसे नाम जो बे मअ़नी है जैसे------ बुदधू, कल्लू, लल्लू, जुमेराती, ख़ैराती, वग़ैरा और इसी तरह वोह नाम जिन में फ़ख़्र ज़ाहिर होता हो न रखे जाए जैसे--शाहजहाँ, नवाब, राजा, बादशाह, वग़ैरा इसी तरह लड़कियों में--कमरून्निसा, जहाँआरा बेगम, वग़ैरा नाम न रखे, बल्कि उनके नाम---कनीज़ फ़तमा, आमना, आएशा, ख़दीजा, मरयम, जैनब, कुलसूम, वग़ैरा रखें।

(इस्लामही ज़िन्दगी, सफ़ा नं. 17)

बच्चे की तअ्लीम व तरबीयत :-

किताब "हिस्ने हसीन" में है कि---------------

"जब बच्चा बोलना शुरू करे तो उस को सब से पहले कलमा शरीफ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ सिखाए"।

पहले ज़माने में मॉऐं अपने बच्चों को अल्लाह, अल्लाह कह कर सुलाती थी अब घर के रेडियों, टी-वी, और बाजे वग़ैरा बजा कर सुलाती है । कुछ बेवक़ूफ़ अपने बच्चों को गाली बकना सिखाते हैं और उस पर बड़े ख़ूश होते है । *(मआज़ल्लाह)*

बच्चों के सामने ऐसी हरकतें न करें जिस से बच्चों के इख़्लाक़ ख़राब हो क्योंकि बच्चों में नक़्ल करने की ज़्यादा आ़दत होती है वोह जो कुछ अपने मॉं बाप को करते हुए देखते है वोह ख़ुद भी वही करने लगते हैं, इस लिए उनके सामने नमाज़ें पढ़े, क़ुरआन की तिलावत करे ताकि येह सब देख कर वोह भी ऐसा ही करे । बच्चों को झूटी कहानियॉं व क़िस्से सुनाने की बजाए बुज़ुर्गाने दीन के सच्चे वाक़िआत सुनाए ताकि उन के दिल व दिमाग़ पर इस का अच्छा असर पड़ें और उनके दिलों में इस्लाम से मुहब्बत पैदा हो ।

मॉं बाप का फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद की तअ्लीम व तरबियत के बारे में अपनी ज़िम्मेदारी का ख़ास ख़्याल रखे । दुनियावी तअ्लीम से पहले शरई आदाब सिखाए और मज़हबी तअ्लीम दें । अगर इस में ज़रा भी कोताही करेगा तो क़ियामत के रोज़ औलाद से ही पूछ न होंगी बल्कि मॉं बाप भी पकड़े जाएगे ।

आयत :- रब तआ़ला इरशाद फ़रमाता है-----------

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ---ع---

तर्जमा :- अए ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओं ।

(तर्जमा :- कन्ज़ुल ईमान, पारा 18, सूरए तहरीम, आयत 6)

शरह :- इस आयत की तफ़्सीर में हज़रत इब्ने अब्बास रदीयल्लाहो तआला अन्हो से रिवायत है कि-------------------------

"तुम ख़ूद गुनाहों से बचो, ख़ुदा की फ़रमाबरदारी करो अपनी औलाद को भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो और शरई आदाब सिखाओं और मज़हबी तअ़लीम दो"।

जब बच्चा होश सम्भाले तो किसी बअ़मल मुत्तकी परहेज़गार आ़लिम या हाफ़िज़ के पास बीठा कर क़ुरआने पाक और उर्दू की दीनी किताबें ज़रूर पढ़ाए ।

अगर अल्लाह तआ़ला ने आप को एक से ज़्यादा लड़के दिये हैं तो कम अज़ कम एक लड़के को ज़रूर आ़लिमे दीन या हाफ़िज़ क़ुरआन बनाए । हदीसे पाक में हैं----"बरोज़े क़ियामत एक हाफ़िज़ अपनी तीन पीड़ियों को और एक आ़लिमे दीन अपनी सात पुशतों (पिड़ियों) को बख़्शवाऐगा"। येह ख़्याल ग़लत है कि आ़लिमे दीन को रोटी नही मिलती । ज़रूरी नही कोई दुनियावी इल्म हासिल करे तो उसे रोटी (यानी रोज़गार) भी मिल जाए । सैंकड़ों गिरेजवेट मारे मारे फिरते नज़र आते है । यक़ीनन हर किसी को वोह ही मिलता है जो अल्लाह तआ़ला ने उस की क़िस्मत में लिख दिया है ।

(इस्लामी ज़िन्दगी, सफ़ा नं. 24)

जब बच्चा सात (7) साल की उमर का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़वाए और नमाज़ न पढ़ने पर मुनासिब सज़ा भी दें और नव (9) बरस की उमर में उसका बिस्तर अलग कर दें ।

(हिस्ने हसीन, सफ़ा नं. 167)

बच्चों को बुरे लोगों में बैठने, बुरे बदमाश लड़कों में खेलने से रोके उस पर इतनी सख़्ती भी न करे कि वोह बाग़ी हो जाए और इस क़दर लाड़ प्यार भी न करे कि वोह ज़िद्दी व गुस्ताख़ बन जाए । मुहब्बत के वक़्त मुहब्बत से पेश आए और सख़्ती के वक़्त सख़्ती से पेश आए ।

हदीस :- हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया--------------

"कोई बाप अपनी औलाद को

ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن -

इससे बेहतर तोहफ़ा नहीं दे सकता कि वोह उसको अच्छी तअ़लीम दें"।

(तिर्मिज़ी शरीफ़, जिल्द 1, बाब नं. 1299, हदीस नं. 2018, सफ़ा नं. 913)

बच्चों से मुहब्बत करना सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम है । अगर एक से ज़्यादा बच्चे हो तो सब बच्चों के साथ बराबरी और इन्साफ़ का सुलूक करें चाहे वोह लड़का हो या लड़की ।

हदीस :- अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया----------------------"अल्लाह तआ़ला पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के दरमियान अ़दल (बराबरी व इन्साफ़) करो यहाँ तक कि उनका बोसा (चुमने) में भी बराबरी रखो"।

(कानूने शरीअ़त, जिल्द 2, सफ़ा नं. 243)

हदीस :- और फ़रमाते है आक़ा सल्लल्लाहो तआला अलैहि व सल्लम "तोहफ़े देने में अपनी औलाद के दरमियान इन्साफ़ करो (यानी सब बच्चों को बराबर बराबर दो) जिस तरह तुम खुद येह चाहते हो कि वोह सब तुम्हारे साथ एहसान व मेहरबानी में इन्साफ़ करे"।

(तबरानी शरीफ़)

औलाद के हुकूक़ में से सब से अहम हक़ येह है कि उन्हें हलाल कमाई से खिलाएँ हराम की कमाई से खूद भी बचे और अपनी औलाद को भी बचाए ।

अल्लाह रब्बुल ईज़्ज़त अपने हबीब और हमारे आक़ा व मौला सल्लल्लाहो तआ़ला व आलैहि व असहाबेही व बारिक व सल्लिम के सदक़े तुफ़ैल में हमें सिराते मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए और सुन्नियत, हनफ़ियत, व मस्लके आ़ला हज़रत पर मज़बूती से क़ायम व दायम रखें और ईमान के साथ अहले सुन्नत व जमाअ़त पर मौत नसीब फ़रमाए । । आमीन ।

The End

दुवाऔ में याद रखें

अब्दुल हुसैन खान

मोहम्मद साजिद परवेज

मोहम्मद आरिफ शेख

अनिस अहमद

मोहम्मद र.जा खान

मोहम्मद इदरिस खान

शाकिफ खान

सैय्यद इसरार अली

मोहम्मद अतहर

फारूक खान

माजिद खान